# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] षष्ठम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का 12वां दिवस [संख्या 7





शुक्रवार :

दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में आरम्भ हुई।

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती नारंगी देवी।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह राठौड़।

### राज्य में शिक्षित बेरोजगार

3. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या राज्य सरकार इन्हें पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो इस समस्या का हल करने हेतु राज्य सरकार निकट भविष्य में कौन-कौन सी योजनायें हाथ में ले रही है ?

(2) राज्य में 31 मार्च, 77 को शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी थी एवं 31 मार्च, 79 को यह संख्या कितनी थी ?

राज्य मंत्री (श्री महबूब अली): (1) यह प्रश्न योजना मन्त्रालय से सम्बन्धित है।

(2) 30 जून, 1977 व 30 जून, 1979 को नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर क्रमशः 1,32,500 व 1,55,279 शिक्षित बेरोजगार दर्ज हैं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब प्रश्न आपने ले लिया और मन्त्रालय को भेज दिया तो यह कह कर टालना कि यह दूसरे मन्त्रालय का है, यह एक गलत परम्परा डाली जा रही है। यह तो टालने की बात है। हमेशा यह रहा है कि जो सवाल अध्यक्ष महोदय एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका जवाब आता है। यह जवाब इन्कम्पलीट है। मेरा निवेदन है इसको पोस्टपोन किया जाये।

श्री महबूब अली : अगर पोस्टपोन किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा जहां तक सम्बन्ध है, दूसरे खण्ड का उत्तर दिया जा सकता है। पहले खण्ड का उत्तर उनसे दिया जा सकता है। इतना

(श्री महबूब अली)
समय नहीं मिला है। इसलिए इसको अगर पोस्टपोन करते हैं तो आपको सूचना मंगवा कर दी जा सकती है।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : इसमें सवाल क्या था ?

**श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : इसका उत्तर दिया जाना जरूरी है। उत्तर टाला नहीं जा सकता है।

(व्यवधान)

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर आधे घन्टे की चर्चा रखिये। इसी सत्र में इस पर आधे घण्टे की चर्चा रखी जाये।

**मेजर श्री फतह सिंह** (भीम): यह प्रश्न आपके मन्त्रालय में कब प्राप्त हुआ ?

**श्री महबूब अली** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है यह इसी सत्र में प्रारम्भ में प्राप्त हुआ है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, इनको ताड़ना दी जाये और इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाये। यह पूरा जवाब लेकर वापस आयें। यह नहीं होता है कि आधा यह जवाब दे दें और आधा जवाब कोई और दे।

**श्री महबूब अली** : जहाँ तक जवाब देने का प्रश्न है, मैं पूरा ही जवाब देने का प्रयास करता हूं।

**मेजर श्री फतह सिंह** : माननीय मन्त्री महोदय, यह बात गलत है कि दूसरे मन्त्रालय से इसका सम्बन्ध है। आप आधा ही जवाब देते हैं।

**श्री महबूब अली** : प्रश्न तीन चार दिन पहले दिया था।

**मेजर श्री फतह सिंह** : तो आपको उस मन्त्रालय को भेज देना चाहिए था।

**श्री महबूब अली** : इतना समय नहीं था।

**श्री हरीश शर्मा** : आप उस मन्त्रालय को भेज दें और उसकी सूचना यहाँ दे दें।

**एक माननीय सदस्य** : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 63 स्थगित कर रहा हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या इसका जवाब 8 तारीख तक आ जायेगा। आपने स्थगित कर दिया है। योजना मन्त्री जी मौजूद हैं। उनके पास रिकार्ड है। 8 तारीख को इस प्रश्न का उत्तर आ जायेगा।

**श्री माणक चन्द सुराणा** : 8 तारीख को जवाब आ जायेगा।

**प्रश्न संख्या 64**

**श्री अध्यक्ष** : श्री दाऊ दयाल जोशी (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मोहम्मद जहूर।

श्री माधोसिंह कछवाह।

**एक माननीय सदस्य** : मोहम्मद जहूर जी हैं।

**एक माननीय सदस्य** : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका जवाब दिलाया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहम्मद जहूर।

**मालेरी, जिला चूरू में हुआ झगड़ा**

65. **श्री मोहम्मद जहूर** (कामां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मालेरी, जिला चूरू में एक, जागीरदार व एक मुसलमान के बीच आपस में लड़ाई चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि मुसलमान के घर पर जागीरदारों ने इकट्ठा होकर हमला किया जिसमें 200 से 250 तक बन्दूकों के फायर किये गये ?

(3) उक्त मामले में दोनों तरफ से कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितनों के चालान हुए ?

**गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम)** : (1) जी हाँ। रंजिश चली आ रही है।

(2) जी हाँ। दिनांक 1-12-78 को बन्दूक से कुल कितने हवाई फायर किये गये, जाँच से सुनिश्चित नहीं हो पाया है।

(3) दोनों पक्षों की ओर से कुल 21 अभियोग दर्ज कराये गये जिनमें से 5 मुकदमों में चालान प्रस्तुत किये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य प्रश्नकर्ता :

**श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उस मुसलमान का चालान हुआ है या जागीरदार का चालान हुआ है ?

**श्री सम्पतराम** : चालान तो उमरदीन का ही हुआ है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या आपके पास इसके फैक्ट्स आ गये हैं। आपने यह देखा है कि यह सही हुआ है या गलत हुआ है ? इसकी जाँच कराई है ?

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारे तथ्यों को फाइल मंगवा कर देखूंगा। अगर किसी भी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही रही है या पक्षपात रहा है तो मैं यह जानकारी करके देख लूंगा।

**श्री अब्दुल अजीज** ( मकराना ) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मन्त्री महोदय को और राज्य सरकार को यह मालूम था कि एक परिवार जागीरदारों से घिरा हुआ है। नीयतन हमला करके, फायर करके, उसको तबाह और बरबाद किया गया है। क्या राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी ? क्या राज्य सरकार के आदेशों का कलेक्टर और एस. पी. पालना नहीं करते थे ? क्या राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ? मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, मुकदमा मामलात से निपट भी रहा हूं। लेकिन आदेशों की पालना नहीं हुई है। गृह मन्त्री जी के आदेशों की पालना नहीं हुई है। एस. पी. और पुलिस ने तत्परता नहीं बरती है। एक सिंगल परिवार था। जो इज्जत और नाक के सवाल पर नेस्त-नाबूद कर दिया गया। इसलिए समस्त लोगों के खिलाफ आपकी सरकार को अक्लमन्दी और हौसले से काम लेना चाहिए।

**श्री रामेश्वर** : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्य मन्त्री जी ने

**(श्री रामेश्वर)**
हस्तक्षेप करके जागीरदार को बचाने के लिए मुसलमान का चालान करवाने की कोशिश की हो । इस तरह संरक्षण दिया हो ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इसके लिए आप सख्ती से कार्यवाही करें । जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त दण्ड दें ।

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रश्न नहीं है .....

**कई माननीय सदस्य** : आवाज नहीं आ रही है ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है ।

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि मैंने कोई आदेश दिये हों और किसी अधिकारी ने अवहेलना की हो । दूसरा प्रश्न जहां तक संरक्षण देने का है, यह सरकार बनने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी को संरक्षण दिया गया हो। मैंने ऐसे आदेश दे रखे हैं । जहां तक ऐसे तबकों को संरक्षण देने की बात है, सरकार ने उनको पूरा संरक्षण दिया है । यदि इसके अलावा माननीय सदस्य का और कोई प्रश्न हो तो सरकार उस पर भी विचार करने को तैयार है ।

(व्यवधान)

**श्री सम्पतराम** : प्रारम्भ में जिलाधीश ने कायदे-कानून के मुताबिक ....

(व्यवधान)

**श्री हरचन्द सिंह** : इसके बाद राज्य सरकार के सामने प्रार्थना-पत्र आया है, क्या व्यक्तिगत खर्चे पर गार्ड मुहय्या करवाई गई थी ?

**श्री सम्पतराम** : यह मामला सरकार के विचाराधीन है, पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने के बाद बहुत मुमकिन है इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी ।

**श्री हरचन्द सिंह** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डी. आई. जी. रेन्ज, बीकानेर के कहने से एस. पी., चूरू जागीरदार का पक्ष ले रहे हैं और उसके रिश्तेदारों ने शिकायत की फिर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

**श्री सम्पतराम** : सारे मामले को मैं स्वयं मंगाकर देख लूंगा और ऐसे व्यक्ति को मामला दिया जायेगा जो निष्पक्ष हो और कोई पक्षपातपूर्ण कार्यवाही होगी तो उसको ठीक किया जायगा ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री माधोसिंह कछवाह ।

**सरदारपुरा क्षेत्र में की गई पाठशालायें**

66. **श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर में सरदारपुरा क्षेत्र में कितनी पाठशालाएं या विद्यालयों की इस वर्ष (1979-80 सत्र) में नये या क्रमोन्नत कर, स्वीकृति प्रदान की है ? कृपया नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं खोले गये हैं तो क्यों नहीं ?

**राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली)**: जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में इस वर्ष एक मिडिल तथा एक सैकेण्डरी स्कूल खोलने की

(श्री महबूब अली)
स्वीकृति हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री माधोसिंह कछवाह** : अध्यक्ष महोदय, स्कूलें खोलने में शहरों के अन्दर सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है, सरदारपुरा में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया जहां पर शत-प्रतिशत लड़के विद्याध्ययन करते हैं तो वहां पर प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं खोला गया, इसका जवाब दिया जाय?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सरदारपुरा क्षेत्र में वार्ड नम्बर 3, 4, 5 और 6 मण्डोर से बालसमन्द, महामन्दिर और पावटा में हायर सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स के लिए नहीं है और गर्ल्स एजूकेशन तेजी से बढ़ रही है। क्या सरकार महामन्दिर में जो सैकण्डरी स्कूल है उसको हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए कार्यवाही करेगी?

**श्री महबूब अली** : जहां तक प्राइमरी स्कूल शहरी क्षेत्रों में खोलने का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जटिल प्रश्न है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पहले से ही बहुत सुविधायें हैं और माननीय सदस्य के क्षेत्र में काफी स्कूलें हैं। अभी सरकार की नीति गांवों में अधिक से अधिक स्कूल खोलने की है। जहां तक गर्ल्स स्कूल खोलने का प्रश्न है, इस पर विचार कर लिया जायगा। पहली बार आपकी मांग आई है, इससे पहले आपकी कोई मांग नहीं आई, यदि मांग आई तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

(व्यवधान)

**श्री माधोसिंह कछवाह** : अध्यक्ष महोदय, शहरों में शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां शत-प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं और गांवों में जहां 15, 20 या 50 प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं वहां आप सारी सुविधायें दे दें और शहरों में सुविधायें नहीं दी जायं इस तरह से तो उनको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य...?

**श्री हरचन्द सिंह** : यह हम कतई बरदाश्त नहीं करेंगे, गांवों में अधिक स्कूल खोले जाने चाहिएं...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य!

**श्री माधोसिंह कछवाह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महोदय से आपके जरिये यह पूछ रहा था कि इस प्रकार से वहां पर आप प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेंगे, भवन वहां पर बने हुए हैं। लाख-लाख रुपये के भवन मिडिल स्कूल के लिए बने हुए हैं; ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जाने चाहिए। प्राइमरी स्कूल के भवन बने हुए हैं, ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जाने चाहिए। इसलिए क्या मन्त्री महोदय इस पर पुनर्विचार करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या वहां की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा?

**श्री महबूब अली** : अध्यक्ष महोदय, इस समय तो पुनर्विचार करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इस वर्ष तो जहां खोलने थे

(श्री महबूब अली)
वहां खोल दिए गए हैं ।

( व्यवधान )

**श्री माधोसिंह कछवाह** : अध्यक्ष महोदय, इनको एक भी प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी जावे, क्योंकि प्रश्न सरदारपुरा क्षेत्र से ही सम्बन्धित है ।

( व्यवधान )

अगर मेरे प्रश्न का उत्तर पर्याप्त है तो इनको बोलने दीजिये ।

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि महामन्दिर में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने पर विचार किया जायगा, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा नीति में परिवर्तन हो गया है ? अब हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जायेंगे ?

**श्री महबूब अली** : हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रश्न नहीं है, टैन प्लस टू पर विचार चल रहा है, मैंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में निवेदन किया था ।

( व्यवधान )

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री थानवी ।

**श्री बाल कृष्ण थानवी** (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जोधपुर जिले में......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य इर्रेलेवेन्ट क्वेश्चन है, प्रश्न केवल सरदारपुरा क्षेत्र से सम्बन्धित है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है ।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर ) : अध्यक्ष महोदय, शहरों में राजकीय विद्यालय और निजी शिक्षण संस्थाएं किस अनुपात में हैं ।

(व्यवधान)

इस प्रकार से शहरों में राजकीय विद्यालयों को न खोलकर क्या आप निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की नीति के बारे में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करें क्योंकि माधोसिह जी ने जोधपुर में सरदारपुरा क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कृपया इर्रेलेवेन्ट क्वेश्चन नहीं करें ।

(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि शहरों में सुविधायें उपलब्ध हैं।

( व्यवधान )

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री कौशल किशोर जैन ।

(व्यवधान)

**ग्राम पंचायत बनेड़ा के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही**

67. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बनेड़ा, पंचायत समिति बनेड़ा, जिला

(श्री कौशलकिशोर जैन)
भीलवाड़ा के सरपंच के विरुद्ध जिलाधीश, भीलवाड़ा ने 3,619.00 रुपये मय ब्याज के वसूल करने की सिफारिश की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके पूर्व भी किसी जाँच अधिकारी द्वारा सरपंच को गबन के लिए जिम्मेदार ठहराया था ?

(3) क्या राज्य सरकार सरपंच को निलम्बित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) उक्त राशि वसूल करने की कार्यवाही चल रही है ?

**पंचायत राज मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह)** :
(1) जी नहीं। जिलाधीश, भीलवाड़ा की यह रिपोर्ट थी कि वर्ष 1978-79 में सरपंच, ग्राम पंचायत बनेड़ा ने राम सरोवर तालाब के कमल के फूल पत्तों का ठेका 125) रु. में दिया जबकि गत तीन वर्षों में इसका ठेका औसतन 37,50) रु. में दिया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को दिनांक 27-11-78 को आरोप-पत्र जारी किया गया और अब विस्तृत जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जाँच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, एकदम असत्य है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया शांत रहें।

**श्री कौशल किशोर जैन** : पंचायत प्रसार अधिकारी, भीलवाड़ा की फोटोस्टेट कापी रिपोर्ट की है जिसके अनुसार उन्होंने तीन बातें मोटे रूप में लिखी हैं। ठेका 1979 में 121) रुपये में दिया गया। 1975-76 में 4,501) रु. में, 1976-77 में 4,101) रु. में, 1977-78 में 2,651) रु. में और 1978-79 में 121) रुपये में दे दिया गया। दिनांक 5-8-78 के जांच के निष्कर्ष में उन्होंने लिखा है कि ग्रुप सचिव तथा सरपंच ने मिलकर उनके सगे भाई रामसिंह तथा उनके भागीदार सलीखां को यह ठेका दिया। उसके उपरांत स्वीकृति ग्राम पंचायत से न लेकर और 8 पंचों ने मिलकर सैंक्शन किया उस पर प्रसार अधिकारी नियुक्त हुआ, जिसकी रिपोर्ट, मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं)** : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा जी नहीं। यह फाइल नं. 5380, दिनांक 26-8-78 निदेशक, सामुदायिक ने विकास विभाग, राजस्थान को, भीलवाड़ा को कलेक्टर ने 361) रुपये मय ब्याज के वसूल करने की सिफारिश की तथा संबंधित सरपंच को तुरन्त निलम्बित करने की सिफारिश की है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो जो जाँच हुई है वह गलत है, या कलेक्टर की रिपोर्ट गलत है या मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं वह गलत है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए मेरा निवेदन है

(8)



(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वहाँ पर आई उसके आधार पर कलेक्टर ने यह रिकमेंड किया। उसके बाद हमने सरपंच को नोटिस और आरोप-पत्र दिया है उसके बाद में उसने उसका खंडन किया है उस पर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और जो आप वसूली के लिए कह रहे हैं, कलेक्टर ने रिकमन्ड किया होगा वह भी आरोप-पत्र में अंकित है, उसका उन्होंने खंडन किया है इसलिए विस्तृत जांच के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य प्रश्नकर्ता।

**मेजर श्री फतहसिंह** : कलेक्टर की सिफारिश के उपरांत भी निलंबित क्यों नहीं किया गया ?

**श्री दिग्विजयसिंह** : कलेक्टर की सिफारिश कोई फाइनल नहीं होती है, वह रिकमेंडेशन है, नियमानुसार उनको अवसर देना आवश्यक है।

**श्री भंवरलाल ऐरन** (नसीराबाद) : क्या जिलाधीश की रिपोर्ट पर विचार किया जाना आवश्यक है.....

**श्री दिग्विजयसिंह** : विचार करने के बाद दुबारा फाइनल इन्क्वायरी की जा रही है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** (अटरू) : उस सरपंच का नाम क्या है ? अब वह इन्क्वायरी किस स्टेज पर है ? आपने इन्क्वायरी 1977 में इन्स्टीट्यूट की ?

**श्री दिग्विजय सिंह** : उस सरपंच का नाम है रणधीरसिंह।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : एन्क्वायरी की स्टेज क्या है ?

**श्री दिग्विजयसिंह** : विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है और उनसे कहा है कि तीन महीने में रिपोर्ट बनाकर भेजें।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या कलेक्टर की सिफारिश सरकार पर बाइंडिंग है या नहीं ?

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैंने पहले ही कहा है कि नहीं है।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : केवल दो पूरक प्रश्न : एक तो 5-9-78 की जांच रिपोर्ट को एक साल से ऊपर हो गया एवं जिलाधीश की रिपोर्ट को भी काफी समय हो गया है। मंत्रीजी निश्चित अवधि बता दें जिस अवधि में यह कार्यवाही संपन्न हो जाएगी क्योंकि इस सरपंच के पीछे बड़े 2 लोग हैं।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपसे बड़ा कौन हो सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि फाइनल रिपोर्ट आने पर समुचित कार्यवाही करेंगे

**श्री दिग्विजयसिंह** : मैंने पहले ही कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बंशीलाल सारस्वत !

**राज्य की जेलों से फरार बंदी**

68. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में राज्य की विभिन्न कारागारों से कितने बंदी फरार हुये ? उसकी तुलना में अन्य वर्षों में क्या आंकड़े रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें से, कितने पुनः गिरफ्तार हुये व इसमें जेल विभाग के अधिकारियों का क्या योगदान रहा ?

(3) क्या बंदी फरार होने की सूचना विभागीय अधिकारियों ने सरकार को दी थी ?

**कारागृह मंत्री** (श्री सम्पत राम) : (1) दिनांक 1-4-78 से दिनांक 31-3-79 की अवधि में राज्य की विभिन्न कारागृहों से 6 बंदी फरार हुए तथा दिनांक 1-4-79 से आज तक 3 बंदी फरार हुए।

गत वर्षों में विभिन्न कारागृहों से भागे हुए बंदियों के आंकड़ों की तुलनात्मक सूची इस प्रकार है:–

| वर्ष | फरार हुए बंदियों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1969–70 | 13 |
| 1970–71 | 8 |
| 1971–72 | 7 |
| 1972–73 | 14 |
| 1973–74 | 4 |
| 1974–75 | 9 |
| 1975–76 | 3 |
| 1976–77 | 4 |
| 1977–78 | 5 |
| 1978–79 | 6 |
| 1979–80 में अब तक | 3 |

(2) गत वर्षों में जो बंदी भागे और उनमें से जो पकड़े गए उसका विवरण निम्न भांति है:–

| वर्ष | भागे हुए बंदियों की संख्या | पुनः पकड़े गए बंदियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1969–70 | 13 | 9 |
| 1970–71 | 8 | 4 |
| 1971–72 | 7 | 4 |
| 1972–73 | 14 | 8 |
| 1973–74 | 4 | 2 |
| 1974–75 | 9 | 4 |
| 1975–76 | 3 | 1 |
| 1976–77 | 4 | 2 |
| 1977–78 | 5 | 3 |
| 1978–79 | 6 | 5 |
| इस साल | 3 | तीनों पकड़े गए हैं। |

इसमें जेल विभाग के अधिकारियों का क्या योगदान रहा, ऐसा कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता।

(3) पिछले डेढ़ वर्ष में जो बंदी फरार हुए उनमें से तीन बंदियों की फरारी की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

श्री बंशीलाल सारस्वत : क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में ये आंकड़े ज्यादा हैं ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या यह सही है कि गंगानगर जेल से जो कैदी फरार हुए थे उनको फरार करने में जेल अधिकारी और बिजली विभाग के लोग भी शामिल थे ? अचानक बिजली बंद करके उन लोगों को भगाया गया था और आज तक वे लोग पकड़े नहीं जा सके ? आप इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल ऐरन : जितने फरार व्यक्ति हैं उनमें से कितने बंदी पकड़े जा चुके हैं और कितने बाकी 1970 से आज तक फरार हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, निवेदन यह है कि तीन-चार पूरक प्रश्न हो चुके हैं, इनका उत्तर ले लें तो बाद में एक प्रश्न और पूछ सकेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया उत्तर देने दीजिये, फिर आप पूछ लें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-कर्ता ने पूछा कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, तो अन्य राज्यों के आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं और इस प्रश्न का संबंध भी इससे नहीं था। दूसरा प्रश्न यह आया कि इनमें से कितने पकड़े गये, उसके आंकड़े पहले दिये जा चुके हैं। मैंने उनको पढ़ा है माननीय सदस्य ने सुना नहीं होगा और अभी जो माननीय सदस्यों ने फर्माया कि बिजली का और दूसरा मामला है जो उससे संबंधित नहीं है। जो पकड़े गये उनके आंकड़े मैंने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिये हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : यह प्रश्न आपके विभाग से संबंधित है. . . .

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य. . .

श्री गुरुशरण छाबड़ा : इस प्रकार से षड्यंत्र करके लोग फरार हुए नहीं बल्कि फरार करवाये गये हैं। आपने उन जेल अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री किशनसिंह भाटी : क्या फरार व्यक्ति छठी पंचवर्षीय योजना तक पकड़ लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत!

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है और बड़ा सीरियस चार्ज है कि वह फरार करा दिये गये हैं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गृह मंत्रीजी बतायेंगे कि जितने बन्दी फरार हुए हैं उनमें से कितने बन्दी पहले गिरफ्तार कर लिये गए और उसके बाद में जेल वालों को मालूम पड़ा कि वह वहां से फरार हो चुके हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि वर्षवार आंकड़े दिये गये हैं कि इतने में से इतने गिरफ्तार कर लिये गये हैं तो कुल कितने बन्दी अभी और गिरफ्तार करने बाकी हैं, उनकी संख्या नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
बताई गयी।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मैं पुनः दोहरा देता हूं। ऐसे कितने मामलात हैं जिनमें बन्दी फरार हो गए और जेल वालों को मालूम नहीं पड़ा? पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल के अधिकारियों के समक्ष पेश किया और उसके बाद मालूम पड़ा कि मुलजिम फरार हो चुके हैं?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार की सूची मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य देंगे तो जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। पाकिस्तानी जासूस जेल से फरार हुए हैं। मामला बहुत ही गम्भीर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : काफी पूरक प्रश्न हो चुके हैं। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, योजनाबद्ध तरीके से जेल से बन्दी फरार कराये गये।

आपने अब तक क्या कार्यवाही उन जेल अधिकारियों के खिलाफ की?

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, पाक जासूसों का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है कम से कम इसके बारे में तो मंत्री महोदय बतायें?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है।

नैक्स्ट! श्री हीरालाल आर्य।

**ग्राम सेवा सहकारी समिति, तालाब (कोटा) की गबन संबंधी जांच**

69. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, तालाब, जिला कोटा, में व्यापक गबन है, जिसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी, श्री मीना दे चुके हैं? लेकिन अभी तक इसकी जांच सहायक रजिस्ट्रार, कोटा द्वारा क्यों नहीं की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति से संबंधित किसान इस जांच के पूर्ण नहीं होने से परेशान हैं? खाद, बीज तथा अन्य ऋण लेने से वंचित हैं?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त जांच को शीघ्र समाप्त कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर किसानों को राहत पहुंचायेगी?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, इस संबंध में सहायक रजिस्ट्रार, कोटा सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं। आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 8-10-79 निश्चित है।

(2) कुल सदस्यों में से 67 व्यक्ति, जिनमें बकाया है, उन्हें खाद, बीज आदि का

(12)



( श्री कैलाश मेघवाल )
ऋण नहीं मिल रहा है।

(3) तीन माह में जांच पूर्ण करने के आदेश दे दिये गये हैं।

**श्री हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सहायक रजिस्ट्रार पहले ए. ई. ओ. के पद पर थे और गबन में इनवाल्व थे और अब सहायक रजिस्ट्रार हैं। इसलिए जांच रिपोर्ट को दबाकर बैठे हैं। जांच रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बावजूद भी रिपोर्ट को वह दबा कर बैठा है और इधर जांच रिपोर्ट में किसानों पर फर्जी ऋण बताया गया है और इसके कारण किसानों की कुर्की की जा रही है। जब जांच रिपोर्ट में है कि यह फर्जी ऋण बताया गया है तो किसानों को क्यों तंग किया जा रहा है ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, सहकारी अधिनियम की धारा 74 के तहत सोसाइटी में जो गबन है उस पर कोई कार्यवाही आज दिन तक की गयी है या नहीं की गयी है ? अगर नहीं की गयी, तो निश्चित रूप से जो सहकारिता का ए. आर. है उसकी इसमें साजिश है। माननीय मंत्री महोदय कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : 3 लाख 75 हजार 400 रुपये का गबन है और यह 16 व्यक्तियों के खिलाफ है। यह कार्यवाही चल रही है। नये तथ्य जो माननीय मूल प्रश्नकर्त्ता ने बताये हैं कि वह पहले ए. ई. ओ. रहे हैं इसलिये उस रिपोर्ट को दबाना चाहते हैं तो इस की जानकारी कर ली जायेगी। और यह सत्य है तो दूसरे सहायक रजिस्ट्रार को यह मामला सौंप दिया जायेगा। साथ ही तीन माह में जांच पूरी करने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

**श्री हीरा लाल आर्य** : जिनके नाम फर्जी ऋण लिखा गया है वह तो परेशान हो रहे हैं। उनकी तो कुर्कियां हो रही हैं। यह जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है तो फिर उनको क्यों तंग किया जा रहा है ?

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायें कि जांच के आदेश किस तारीख को दिये गये थे ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** : आज दिन तक सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी उससे स्पष्ट साजिश दिखती है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जाँच अधिकारी कंचन लाल मीना द्वारा 7-5-78 को सहायक रजिस्ट्रार, कोटा को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी और उसके बाद 24-4-78 को यह केस रजिस्टर हो गया है। इसलिये 7-4-78 को जाँच रिपोर्ट पेश हुई, 24-4-78 को केस रजिस्टर कर दिया गया और 2-5-78 को नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया। यह स्थिति है। उसके बाद यह आदेश दे दिये गये हैं कि तीन माह में पूरी कार्यवाही कर दें। इसमें 67 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके नाम फर्जी हैं तो इसके बारे में आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी कार्यवाही की जायेगी और जो भी राहत दी जा सकती है वह दी जायेगी। 319 सदस्य ऐसे हैं कि जिनको नियमानुसार सुविधायें दी जा रही हैं।

**श्री हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट है. . . .

**श्री भंवरलाल ऐरन** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री भंवरलाल ऐरन)
मंत्री महोदय यह बतायें कि इन 67 व्यक्तियों से वसूलियां स्थगित हों इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एच. एल. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 67 आदमियों के बारे में कहा जा रहा है कि ऋण दिया ही नहीं गया है और फर्जी है । जब यह आंकड़े दिये गये हैं तो उसके बाद में जानकारी देना क्या बाकी रह जाता है। सारी जानकारी मंत्री महोदय के पास है । किसानों को राहत दिलाने के लिए मंत्री महोदय को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय ने उत्तर तो दिया कि जहां फर्जी कार्यवाही की गयी उनको रिलीफ दी जायेगी उसके बारे में हाउस में मंत्री महोदय कोई आश्वासन देते हैं ।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रवणलाल (हिंडोन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें । इतने सारे प्रश्न इकट्ठे हो जायेंगे तो मन्त्री महोदय से उन सभी का एक साथ उत्तर देना सम्भव नहीं होगा। मंत्री महोदय आप जवाब दें ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें 3 लाख 33 हजार रुपये का गबन और अनियमिततायें हुई हैं । मैं आपके माध्यम से मूल प्रश्नकर्ता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी और जितने भी व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ में सहकारिता कानून और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही उनके खिलाफ में हो सकेगी, वह निश्चित रूप से की जावेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जायेगी । अभी सदन में प्रश्न के जवाब के दौरान एक नया तथ्य सामने आया है कि जो इन्क्वायरी ऑफिसर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार है वह पहले यहां पर सबोर्डीनेट लेवल पर अधिकारी रह चुके हैं । इसलिये जांच अधिकारी को यदि वह पहले वहां पर अधिकारी रह चुका होगा तो बदल दिया जायेगा और उन 67 व्यक्तियों को, मैं तुरन्त ही फाइल मंगाकर जो भी राहत दे सकूंगा वह सात दिन के अन्दर-अन्दर दिलाने की कोशिश करूंगा ।

श्री उदाराम हटीला (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारे यहां भी एक संस्था थी उसमें भी 38 आदमी थे उस संस्था को भंग किया गया और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है ।

(१५)



**श्री अध्यक्ष** : माननीय विरोधी दल के नेता।

**श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मन्त्री महोदय से यह जानना हूं चाहता कि अभी इस प्रश्न का उत्तर देते समय इन्होंने कहा था कि मैं यह गबन की फाइल मंगा कर देखूंगा तो क्या मंत्री महोदय ने अभी तक उस फाइल को भी मंगा कर नहीं देखा। दूसरे मन्त्री महोदय यह तो जानते हैं कि जब कोई प्रश्न एडमिट होता है तो आप उस मामले के संबंधित फाइल मंगा कर तो देखें। क्या आपने वह फाइल मंगा कर देखी भी नहीं और आपने उत्तर दे दिया बिना फाइल देखें जब आपने फाइल ही नहीं देखी तो आपने क्या उत्तर दिया क्या यह सही है या नहीं। कृपया मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाया है इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न का उत्तर जो होता है वह पहले जो भी प्रश्न होता है उसको विभाग को भेजा जाता है और विभाग से बाद उत्तर आता है तब उसके बाद में उत्तर दिया जाता है। मूल पत्रावली उस वक्त सामने नहीं होती है ऐसी व्यवस्था है। जब उत्तर दिया जाता है तो पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर उसको एप्रूव किया जाता है।

(व्यवधान)

**श्री राम कृष्णदास गुप्ता** (कोलायत) : इसका मतलब यह है कि विभाग के अधिकारी ही उत्तर देते हैं वह आपको दे देते हैं। और आप अपना माइन्ड एप्लाई नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर। माननीय सदस्य। विरोधी दल के नेता।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब आपने कहा कि मैं जांच करवा दूंगा तो इतने दिन तक यह मामला लेतलाली में और रेडटेप्जिम में क्यों पड़ा रहा। क्या मन्त्री महोदय यह नहीं जानते कि इस प्रकार मामलों में देरी होने से सरकार की नेकनामी घटती है और सरकार के ऊपर जो यह आरोप है कि यह सरकार निष्क्रिय है वह सही घटित होता है ? कृपया इसका उत्तर दें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा. .

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो कहा है कि इस सरकार की नेकनामी घटती है तो क्या सरकार नेकनामी की है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। आप बिराजिये माननीय सदस्य, मंत्री महोदय।

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता महोदय से इस बात से सहमत हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पर इस संबंध में मैं यह निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)
करना चाहूंगा कि यह कार्यवाही जो होती है वह क्यूवासी ज्यूडिशियल होती है इसमें दूसरे कोर्ट्स में जो कार्यवाही होती है उसी तरह होती है इसमें भी वकील आते हैं और ज़वाब दिये जाते हैं। इसमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है पर मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जानबूझ कर कोई विलम्ब नहीं होगा। सरकार अपनी तरफ से शीघ्रातिशीघ्र इस संबंध में कार्यवाही करेगी और संबंधित लोगों को राहत पंहुचायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री माणकलाल ठाकोर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य नैक्स्ट क्वेश्चन।

**नैनवा काण्ड के संबंध में माथुर आयोग की रिपोर्ट**

70. श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवां): गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1977 में नैनवा काण्ड के संबंध में एक सदस्यीय श्री माथुर आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) राज्य सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट की क्रियान्विति हेतु क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम): (1) जी, हां सुरेशचन्द्र माथुर, आर. एच. जे. एस., सदस्य, राजस्व मण्डल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी रिपोर्ट 15-7-1978 को राज्य सरकार को प्राप्त हो गई।

(2) रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मण सिंह : गृह मंत्री महोदय कृपया बतावें कौन सी तारीख को रिपोर्ट आई? जब मन्त्री महोदय जवाब दे रहे थे तो मैं वह जवाब सुन नहीं सका।

श्री सम्पतराम 15-7-1978 को।

श्री लक्ष्मण सिंह : Thank you.

श्री माणकलाल ठाकोर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि 15-7-78 को रिपोर्ट आ चुकी है। एक साल हो चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : दो महीने और हो गये हैं।

श्री माणकलाल ठाकोर: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी थोड़े समय पहले विरोधी दल के नेता ने फरमाया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात सही है। इससे मैं सहमत हूं। दूसरे यहाँ पर कई विधिवेत्ता भी बैठे हुए हैं वह सभी जानते हैं कि फौजदारी मामलों में जिनमें कि मारपीट वगैरह होती है उसमें ज्यादा समय लगाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस मामले में एक पर्टीक्यूलर अवधि होती है और जब वह अवधि समाप्त होती है तो वह मामले मियाद बाहर

(श्री माणकलाल ठाकोर)

हो जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें चूंकि कई उच्चस्तरीय अधिकारी लोग शामिल हैं और उनकी साजिश के कारण इसमें जानबूझ कर देरी की जा रही है ताकि वह अवधि समाप्त हो जाये तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हो सके जो जांच अधिकारी, श्री सुरेश माथुर ने अपनी फाइन्डिग्ज जिन लोगों के खिलाफ में दी हैं उनको बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न तक ही सीमित रहें। भाषण नहीं दें।

श्री माणकलाल ठाकोर : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। इन फौजदारी मामलों में अवधि होती है और जब उनमें देरी हो जाती है तो फिर अवधि समाप्त होने पर कार्यवाही नहीं हो सकती है। इस मामले में भी जानबूझ कर देरी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न में यह पूछा था कि जब रिपोर्ट आ चुकी है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? दूसरे मैं एक बात और जानना चाहता हूं वह यह है कि जब राज्य सरकार ने जांच आयोग बैठाया है और उसने रिपोर्ट दे दी है तो फिर उस पर कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है? और अगर जांच आयोग बैठा कर उस पर कार्यवाही नहीं करनी थी तो फिर सरकार को जांच आयोग बैठाने की जरूरत क्या थी? जांच आयोग बैठाने का ढोंग क्यों किया गया जब कि राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती थी तो ?

श्री मूलचन्द डागा : यही तो ढोंग था।

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उस जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखी जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

मेजर श्री फतह सिंह : एक प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूं। साल की अवधि के अन्दर भी सरकार ने अब तक इस आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर अभी तक कोई निर्णय नहीं होता तो मेरे ख्याल में यह सूडान, तनजानिया या इथोपिया तो नहीं है यह राजस्थान है।

श्री सम्पतराम: यह जो मूल प्रश्न कर्ता माननीय सदस्य ने पूछा है कि समय ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से कानून के मामले में इतना स्पष्ट तो नहीं है, जब केस रजिस्टर्ड हो जाता है उसमें बहुत समय लगता है। दूसरा प्रश्न यह कि जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये थी। मैं इसको स्वीकार करता हूं। जल्दी होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पाई। मूल पत्रावली आवश्यक डिस्कशन्स के साथ मेरे पास 3-6-78 को आई। यह मुख्य मंत्री जी को भेजी गई। मुख्य मंत्री जी ने कहा राजस्व मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी भी देख लें। उन मंत्रियों के देखने के बाद फिर यह फाइल मेरे पास 13-9-78 को आई कि तीनों मंत्री आपस में बात कर लें। मुझे सदन में यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है यह डिले मेरे ही कारण हुई। अब मैं शीघ्र ही इसका फैसला कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I had a very important point.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री माणकलाल ठाकोर : क्या इसी सत्र में रिपोर्ट को रख देंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या यह केस रजिस्टर्ड हो गया है?

श्री सम्पतराम : जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाये, एक महीने में हम इस पर अन्तिम निर्णय ले लेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरीश शर्मा : हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जानबूझ कर प्रश्न को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में कहने के बावजूद निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट नहीं की गई।

श्री नरपत सिंह मकासर : ×××

एक माननीय सदस्य : भाषण मत दो, सिर्फ ×××

श्री एन. एच. शर्मा : 3-6-78 को रिपोर्ट आने के बाद तीन मंत्रियों के बीच में यह फाइल 15 महीने से लटकती रही। बड़ी गम्भीर प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I had a very important point.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : लोकतंत्र की हत्या है,... अत्याचार है....

श्री नरपत सिंह मकासर : चिलम भरो। आपका काम सिर्फ ××× है।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या यह सरकार कमीशन की रिपोर्ट को विचाराधीन रखने के नाम पर मेटोरियस नहीं हो चुकी है। क्या इस सदन का यह अधिकार नहीं है मंत्री महोदय, सालिम एश्योरेन्स दें इस बारे में जल्दी से जल्दी उचित न्याय दिया जायेगा।

श्री सम्पतराम : सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी स्वीकार किया है, इसमें डिले हुई है मैंने कहा है 31 तारीख तक राज्य सरकार इस पर अन्तिम निर्णय ले लेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द जी डागा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं तीन बार खड़ा हुआ हूं। आपके आदेश से बोलना चाहता हूं, श्रीमान,....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते कि इतनी देर होने के उपरान्त इस सदन में रिग्रेटएक्सप्रेस करें ?

कई माननीय सदस्य : कर दी।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

**श्री सम्पतराम** : मैंने सदन के सामने स्पष्ट कर दिया। जिस भावना में जो कुछ कहना था कह दिया है। मैंने जिम्मेदारी ली है, दूसरे पर नहीं डाली है।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : स्पैसिफिक रिग्रेट एक्सप्रेस नहीं की। आप करेंगे तो ग्रेसफुल होगा।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री मूलचन्द डागा।

**पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन**

71. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस बार कहां-कहां पर पुलिस कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और इन प्रदर्शनकारियों में से कहां-कहां पर कितने-कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करने के क्या कारण थे और कितने-कितने लोगों को कितने-कितने दिन जेल में रखा गया?

(2) इन प्रदर्शनों के होने के पहले पुलिस कर्मचारियों ने वर्तमान सरकार को कब-2 अपने मांग-पत्र दिये थे और उनका आखिरी मांग-पत्र क्या था? मांग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि यदि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लेती तो यह प्रदर्शन नहीं होते?

(4) राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों को कौन-कौन सी सुविधायें दी गई और उससे कितना खर्चा कुल बजट में बढ़ा?

**गृह मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पुलिस कर्मचारियों से संबंधित मांग-पत्र दिनांक 16-8-78 एवं 9-10-78 को प्राप्त हुए थे। मांग-पत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। इनका आखिरी मांग-पत्र मई, 1979 में प्राप्त हुआ उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह बहुत मुमकिन है कि सारी मांगें मान ली जाती तो प्रदर्शन शायद नहीं होते परन्तु राज्य सरकार द्वारा मांगें उनकी औचित्यता एवं वित्तीय संसाधनों का ध्यान रखते हुए स्वीकार की जाती हैं।

(4) पुलिस कर्मियों को दी गई सुविधायें व उस पर होने वाली अनुमानित राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (सूची, मांग-पत्र व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)।

**श्री मूलचन्द डागा** : जो पहिले पहले मांग-पत्र 16-8-78 को आया था उस मांग-पत्र पर आपने क्या कार्यवाही की ताकि इस प्रकार आन्दोलन पुलिस कर्मी न करते। 16-8-78 को माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने पेश किया था। उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की?

**श्री सम्पतराम** : माननीय प्रश्नकर्त्ता को भलीभांति विदित है जबसे यह सरकार आई है हर बजट सैशन में बराबर पुलिस कर्मियों को सुविधायें देती रही है...

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : 5 रुपये?

**श्री सम्पतराम** : जितनी हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन परमिट करती थी उस दायरे में हम देते रहे। माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है, मांग-पत्र देने का सिर्फ यही कारण नहीं था और बहुत से कारण थे,

**श्री मूलचन्द डागा** : उन्होंने जो मांगें रखीं . . . .

**श्री उदाराम हटोला** (नोखा) : माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं . . . .

**श्री अध्यक्ष** : माननीय प्रश्नकर्ता . .

(व्यवधान)

**श्री नूरा** (मसूदा) : आप का सवाल है, आप सप्लीमेंट्री कर रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय प्रश्न कर्त्ता ।

**श्री मूलचन्द डागा** : संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों को संगठित होकर अपनी मांग रखने का अधिकार है। उस संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत आपने क्या कार्यवाही की जब कि मान्यता देनी थी ? जब कि एच. एम. पटेल, केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री ने यह माना कि पुलिस कर्मियों को भी संविधान के अन्तर्गत अपनी यूनियन बनाने के लिये मान्यता देनी चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री उदाराम जी ।

**श्री उदाराम हटोला** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक विधान सभा का सदस्य होते हुए गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इमरजेन्सी में मुन्नालाल गोयल, कलेक्टर, बीकानेर ने मेरी चार दीवारी तुड़वा दी थी। आज तक गृह मंत्री जी ने निर्णय नहीं लिया है और उसे दबा रहे हैं। कृपया बतायें, उसका निराकरण कब करेंगे ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य प्रश्न कर्ता ।

(व्यवधान)

**श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** : अगर आपकी परमीशन हो तो इसके साथ ही एक प्रश्न पूछ सकता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

मंत्री महोदय, क्या आप अपना जवाब देना चाहते हैं ?

**श्री सम्पत राम** : आपने जिस एसोसियेशन की बात की, भारत के भूतपूर्व गृह मंत्री, पटेल ने कान्फ्रेन्स की थी जिसमें राज्यों के गृह मंत्री और मुख्य मंत्री शामिल हुए थे उसमें एसोसियेशन की बात नहीं थी किन्तु राज्य सरकार ने एसोसियेशन की बात सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली ।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

**श्री नूरा**: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिये । आपने सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों को निकाला है ।

(व्यवधान)

**श्री राम कृष्ण दास गुप्ता**: हमें भी आसन का प्रोटेक्शन मिलना चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आज मेरे ख्याल से कुछ मांगों पर भी बहस होगी उस समय . . . .

(व्यवधान)

**श्री श्योपत सिंह मक्कासर** : सरकार तो पक्षपात करती है कर्मचारियों के खिलाफ किन्तु हम आपसे मांग करते हैं . . . .

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : हम आसन से प्रोटेक्शन की मांग करते हैं।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : लगातार आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मैं स्थान ग्रहण कर लूंगा लेकिन आप हमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कौन देगा ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं प्रश्न काल की समाप्ति की घोषणा कर चुका हूं।

**श्री ह्योपत सिंह मकासर** : यह राज्य सरकार की साजिश है। पुलिस कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है।

(व्यवधान).

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**मेजर श्री फतहसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है या तो पांच मिनिट इस प्रश्न के लिये और दिये जायें....

(व्यवधान)

**श्री मथुरा दास माथुर, (डीडवाना)** : माननीय अध्यक्ष महोदय गोया कि आपने इस बात की घोषणा कर दी कि प्रश्न-काल समाप्त हो गया मगर इस प्रश्न को इम्पोर्टेन्स को देखते हुए और माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार को भी चाहिए कि ऐसे प्रश्नों के वे उत्तर दें इसी में उनका भला है और सदन का भला है--सदन की मान-मर्यादा बढ़ेगी। मैं पुनः निवेदन करूंगा अपने डिसिज़न पर पुनः विचार करके अभी इजाजत दें तो ठीक है और अभी नहीं दे सकते हैं तो कल के लिये कह दें।

**श्री मूलचन्द डागा** : आधे घंटे की चर्चा भी रख सकते हैं इस प्रश्न पर।

**श्री अध्यक्ष** : आप चाहें तो किसी दूसरे रूल के तहत हाउस में लाने की व्यवस्था कर सकते हैं।

**श्री ह्योपतसिंह मकासर** : आज पुलिस कर्मचारियों के साथ ज्यादती हो रही है। इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

(व्यवधान),

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज से 6 महीने पहले पुलिस के कर्मचारियों ने सदन में पर्चे फेंक कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनसे सम्बन्धित सवाल ही आज पुनः सदन में आया है। केवल दो सप्लीमेन्ट्री सवाल पूछने पर ही आपने इस सवाल को खत्म कर दिया। आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस कर्मचारियों की बात को नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते हैं। आज सैकड़ों कर्मचारी नौकरी से निकाले हुए आज इसलिये मैं चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : This is no point of order.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : तुमने सारे राज्य को अव्यवस्था में झोंक दिया है।

(व्यवधान)

आप लोग सोते रहे और सैकड़ों लोगों को आपने कोई कार्यवाही नहीं की। तुम सारे राज्य को डुबो दोगे। तुम मरोगे और सारे राज्य को डुबोओगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस सदन को सुनने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।... कृपया स्थान ग्रहण करें....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपको पुलिस के कर्मचारियों की बात को सुनना पड़गा। अगर यह सदन नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सारी पुलिस फोर्स का सवाल है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा लेकिन वह (भी आपने) नहीं दिया।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने सारी पुलिस फोर्स को डीमोरेलाइज़ किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर करने के उपाय

62. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के लिए विश्वविद्यालयों के उच्चाधिकारियों में आपसी तनाव होना ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों के प्रशासन में राज्य सरकार का कोई प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं है। विश्वविद्यालयों का प्रशासन अधिनियमों के अनुसार संचालित होता है। विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासनिक विवादों या तनावों की जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं है।

**ग्राम सेवा सहकारी समिति, किशनपुरा के माध्यम से लिये गये ऋण का मामला**

64. **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री हजारी सिंह पुत्र श्री मकान सिंह चौहान गांव व पोस्ट किशनपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने कब-कब व कितना-कितना ऋण किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से लिया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने उक्त ऋण की अदायगी बाबत एक कच्ची रसीद 6,000/- रुपये की जो कि वहां के ही ऋण निरीक्षक, श्री प्रभुसिंह चौहान द्वारा प्राप्त की थी, पंजीयक महोदय को पेश की थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या अब उक्त रसीद में दर्शायी गई राशि प्रार्थी द्वारा लिये गये ऋण में से निकाल दी गई है ? यदि हां, तो इतने दिन इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग उक्त निरीक्षक ने क्यों व किस प्रकार किया ?

(4) क्या राज्य सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री हजारी सिंह द्वारा किशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से लिये गये ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) जी हां फोटोस्टेट कापी दिनांक 30-8-79 को अतिरिक्त पंजीयक सहकारी विभाग को निगरानी प्रस्तुत करते समय पेश की थी।

(3) जी, नहीं श्री हजारी सिंह द्वारा उक्त मामले में निगरानी अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के न्यायालय में दिनांक 30-8-79 को पेश की है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-79 निश्चित है।

(4) फैसले के पश्चात् निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**ग्राम पंचायतों की सीमाओं का निर्धारण**

25. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, अलोद पंचायत समिति, चेचट के अन्तर्गत आने वाला गांव ब्रह्मा का छापर बहुत दूर है और उसके मध्य और पंचायतों की सीमाएं तथा गांव आ जाते हैं जिससे ग्राम पंचायत

(श्री हरीश शर्मा)

को कार्य करने में कठिनाई होती है ? यदि हाँ, तो इस प्रकार एक दूसरे की सीमा को पार करने वाली इस पंचायत समिति में कितनी पंचायतें हैं ?

(2) इस प्रकार की ग्राम पंचायतों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध करने के लिये राज्य सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, अलोद के अन्तर्गत गांव ब्रह्मा का छापर कोई रेवेन्यू ग्राम नहीं है। यह ग्राम खणी का माजरा है। ग्राम खाणी (ब्रह्मा का छापर) ग्राम पंचायत, घाटोली के अन्तर्गत है जो कि पंचायत मुख्यालय से काफी दूरी पर है। इस गांव के निवासियों को पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिये ग्राम पंचायत खणी एवं अलोद की सीमा पार करनी पड़ती है। इस प्रकार एक दूसरे की सीमा के पार करने वाली केवल यही एक पंचायत है एवं यह ही एक ऐसा गांव है।

(2) इस प्रकार के मामलों में होने वाली कठिनाइयों के संबंध में राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर पुनर्सीमन (Re-delimitation) निर्धारण किया जाता है। इस ग्राम पंचायत के संबंध में राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**काम के बदले अनाज योजना में बन रहे पक्के कार्य**

26. श्री करतारसिंह (किशनगढ): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में "काम के बदले अनाज योजना, कब से प्रारम्भ की गई है ? इस योजना से राज्य में क्या-क्या विकास कार्य किये गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्तमान में काम के बदले अनाज योजना की गति धीमी होने के क्या-क्या मुख्य कारण रहे हैं ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत चुनाई करने वाले कारीगर (मिस्त्रियों) एवं बैलगाड़ी को भी अन्य मजदूर के समान ही अनाज दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या इन दरों से राज्य की कोई ग्राम पंचायत पक्के कार्य करवा सकेगी ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले पक्के कार्यों में कार्यरत मिस्त्रियों एवं बैलगाड़ियों की दरें बढ़ाना उचित समझती है ? यदि हां, तो यह बढ़ी हुई दरें क्या होंगी तथा कब से यह क्रियान्वित हो सकेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में "काम के बदले अनाज योजना" माह सितम्बर, 1978 से आरंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत किए गए विकास कार्यों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पिछले महीनों में वर्षाकाल होने के कारण निर्माण कार्यों हेतु श्रमिक पर्याप्त

(पंचायत मंत्री)

मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों की गति धीमी रही है।

(3) भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कुशल एवं अकुशल कारीगरों को अनाज के रूप में मजदूरी का भुगतान समान रूप से किया जाना है। कुशल एवं अकुशल कारीगरों की दैनिक मजदूरी की दरों में जो अंतर है उस अंतर का भुगतान कुशल कारीगरों को नकद के रूप में किये जाने का प्रावधान है। यह सही है कि ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि का अभाव होने के फलस्वरूप कुशल कारीगरों को अंतर की मजदूरी का नकद रूप में भुगतान किये जाने में कठिनाई हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा कुशल कारीगरों को पूर्ण मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में किए जाने की स्वीकृति देने हेतु भारत सरकार को निवेदन किया गया है किन्तु वहां से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई अग्रिम निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। निर्देश प्राप्त होने पर यह दरें बढ़ाने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

## ग्राम डांता (सांचोर) की प्राथमिक शाला के शिक्षक का मामला

27. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डांता ग्राम पंचायत समिति, सांचोर की प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक, श्री भेराराम पुत्र श्री पर्बताराम का स्थानान्तरण आदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाकर उक्त शिक्षक को पंचायत समिति, भीनमाल में भेजा गया था? अगर हां, तो कब एवं किस आदेश द्वारा?

(2) क्या उक्त शिक्षक को उसी गांव का निवासी होने के नाते उसके विरुद्ध स्थानीय ग्राम पंचायत एवं लोगों की गम्भीर शिकायतों पर उक्त पाठशाला से हटाकर दूसरी पंचायत समिति में भेजने का निर्णय लिया गया था? अगर हां, तो उक्त ग्राम पंचायत की शिकायतों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायत एवं लोगों की उक्त अध्यापक के विरुद्ध गंभीर शिकायतें होने के नाते हटाया जाकर अन्य पंचायत समिति में भेजा गया था, परन्तु उक्त शिक्षक की स्वयं की प्रार्थना पर स्थानान्तरण आदेश करने एवं उसको टी० ए०, डी० ए० न देने बाबत उक्त सरकारी आदेश जारी होने में त्रुटि रह गई थी? अगर हां, तो किस प्रकार? उक्त सरकारी आदेश में की गई त्रुटि ठीक की जाकर उक्त शिक्षक को पंचायत समिति, भीनमाल में कब तक भेज दिया जावेगा? अब तक सरकारी आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई है? भविष्य में सरकारी आदेशों की पालना कब तक करवाई जाकर स्थानीय जनता की शिकायत दूर कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां, विभागीय आदेश सं. एफ.

(पंचायत मंत्री)
139(7-130) (साविप) प्रशा. 3(79)/3421, दिनांक 23-7-79 द्वारा श्री मेराराम, अध्यापक, पंचायत समिति, सांचौर का स्थानान्तरण पंचायत समिति, भीनमाल में किया गया है।

(2) जी हां शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां श्री मेराराम का स्थानान्तरण उक्त शिकायत पर किया गया था। आदेश में रही त्रुटि को विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 139 (7-130) (साविप) प्रशा. 3 (79) 4251-52, दिनांक 17-9-79 के द्वारा ठीक करते हुए इन्हें स्थानान्तरण का यात्रा भत्ता दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(शिकायत के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

## राज्य में अपराधों में वृद्धि

28. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 1 अप्रेल, 1979 के पश्चात् 10 सितम्बर, 1979 तक राजस्थान में हत्याएं, डकैतियां, चोरियां, बलात्कार व अन्य गम्भीर अपराधों की संख्या में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है और अपराधियों को पकड़ने में भी सफलता नहीं मिल पाई है? इस सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन अपराधों को वृद्धि में व अपराधियों को न पकड़ सकने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं माह अप्रेल से माह अगस्त तक हत्या के अपराधों में 9 अपराधों की बढ़ोतरी के अलावा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अन्य सभी अपराधों में गिरावट आई है। इस वर्ष उक्त अवधि में दर्ज हुए अभियोगों में से 72.49 प्रतिशत अभियोगों में अपराधियों को पकड़ा जाकर चालान प्रेषित किया जा चुका है। दो वर्षों के उक्त अवधि के तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रख दिए गए हैं।

(2) इस वर्ष अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। बाकी अपराधियों का पता लगाकर पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

(तुलनात्मक आंकड़ों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

## पुलिस थाना, गांधी नगर, जयपुर में दर्ज मामला

29. श्री शंकर लाल (जैतारण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के पुलिस थाना, गांधी नगर में श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान बैंक की यूनिवर्सिटी शाखा में उनके खाते में से 7,200 रुपये उसके जाली हस्ताक्षर कर निकालने का मुकदमा संख्या 37, दिनांक 8-2-79, हस्ब दफा 420 दर्ज किया गया? रपट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि रिपोर्ट में दर्ज यह तथ्य भी सही पाया गया कि जाली

(श्री शंकर लाल)
हस्ताक्षर की तस्दीक भी किसी ऐसे व्यक्ति ने की जो नामजद है ?

(3) इस मामले की तफतीश अभी तक पूरी न हो सकने व अपराधियों का चालान न हो सकने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इसी बैंक से इसी प्रकार की घटना का मुकदमा नं. 148, सन् 1978 का भी पुलिस में दर्ज है ?

**उत्तर**

(1) जी हां, एफ. आई. आर. की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) जी हां ।

(3) अभियुक्त के उपलब्ध न होने के कारण उसके हस्तलेख परीक्षण हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा करा सकने के अभाव में अभियोग का निस्तारण नहीं किया जा सका है ।

(4) जी नहीं ।

(एफ. आई. आर. की प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें) ।

**कोटा जेल में डी. आई. आर. के तहत रखे गये बंदी**

30. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल में डी. आई. आर. में कोटा के श्री नरेन्द्र कुमार नामक विद्यार्थी, जो आर. एस. एस. के कार्यकर्त्ता थे, कोटा जेल में बन्द थे ? क्या मई, 1976 में उसकी मां की मृत्यु हुई, जब श्री नरेन्द्र ने अपनी मां की अर्थी में कन्धा देने एवं मातृ ऋण पूरा करने के लिए पैरोल पर रिहाई मांगी ? क्या उसे पैरोल पर छोड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उस समय जेल अधिकारी कौन था और वह अधिकारी वर्तमान में कौन से पद पर कार्यरत है. क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि आपातकाल में डी. आई. आर. में वन्दी श्री भैरूलाल लखारी जो कांकरोली का रहने वाला था और उदयपुर जेल में बन्द था उसे भयंकर बीमारी (पीलिया) हुई, जब श्री भैरूलाल ने पैरोल मांगी तो क्या उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिस दिन श्री भैरूलाल को पैरोल पर छोड़ा, क्या जेल के बाहर जाते ही बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उस समय जेल का अधिकारी कौन था और वर्तमान में किस पद पर है ? उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) यह सही नहीं है क्योंकि डी. आई. आर. के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार नाम का कोई व्यक्ति या विद्यार्थी आपातकाल में जिला कारागृह, कोटा में दाखिल नहीं हुआ था ।

मई, 1976 में जिला कारागृह, कोटा पर श्री रेखसिंह, अधीक्षक, कारागृह थे जो वर्तमान में भी इसी कारागृह पर अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं । उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की

(गृह मंत्री)

कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) यह सही है कि भैरूलाल पुत्र श्री रामलाल लखेरा, निवासी कांकरोली को मु. नं. 164/75, पी. एस. राजसमन्द में धारा 33/53 डी. आई. आर. के तहत दिनांक 24-11-75 को विचाराधीन बंदी की हैसियत से केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में दाखिल कराया गया था ।

यह सही नहीं है कि श्री भैरूलाल पुत्र श्री रामलाल लखेरा को भयंकर बीमारी (पीलिया) जेल में हुई और उसके पैरोल मांगने पर पैरोल नहीं दिया गया । श्री भैरूलाल पुत्र श्री रामलाल लखेरा कैन्सर के पुराने मरीज थे, जिनका उपचार कारागृह चिकित्सालय में दिनांक 18-12-75 तक कराया गया तथा तत्पश्चात् उदयपुर के सार्वजनिक चिकित्सालय में उपचार हेतु दाखिल कराया गया दिनांक 7-1-76 को उक्त बन्दी को मुख्य न्यायिक दण्डनायक, उदयपुर के न्यायालय से जमानत हो जाने के कारण सार्वजनिक चिकित्सालय से ही रिहा कर दिया गया । इस बंदी की मृत्यु कारागृह से जमानत पर रिहा होने के 7 दिन पश्चात् दिनांक 14-1-76 को हुई थी । अतः ऐसी स्थिति में कारागृह अधिकारी दोषी नहीं है ।

इस कारागृह पर उस समय श्री मुश्ताक अहमद अंसारी, अधीक्षक, कारागृह थे जो वर्तमान में उप-महानिरीक्षक, कारागार सुधार, राजस्थान, जयपुर के पद पर कार्यरत हैं ।

**प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण ग्रेड देने का मामला**

31. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती रामदुलारी गौड ने दिनांक 18-11-1970 को जिला शिक्षा अधिकारी (कन्या), कोटा से प्रशिक्षण हेतु कोसमिक एज्युकेशन सेन्टर में प्रवेश लेने हेतु आवेदन-पत्र दिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिक्षा अधिकारी, कोटा के आदेश क्रमांक क. वि. नि. । कोटी/ई/प्र शि. ।70। 5990-92, दिनांक 23-11-1970 के पत्र से प्रशिक्षण की स्वीकृति स्वयं के व्यय पर लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी ?

(3) क्या इस प्रशिक्षण के पश्चात् श्रीमती रामदुलारी गौड को प्रशिक्षण ग्रेड नहीं दिया गया ? जबकि इससे पूर्व की प्रशिक्षित पारी को यह ग्रेड सरकार ने दे दिया है ?

(4) क्या सरकार श्रीमती रामदुलारी गौड की पारी वाले प्रशिक्षणार्थियों को भी वांछित ग्रेड देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं, इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किसी भी अध्यापक/अध्यापिका को प्रशिक्षण ग्रेड नहीं दिया गया है ।

(4) जी नहीं, इस प्रशिक्षण को एस. टी. सी. के समकक्ष मान्यता नहीं है ।

**जयपुर जिले में तृतीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत अध्यापिकायें**

32. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में तृतीय वेतन श्रृंखला की कितनी अध्यापिकाएं, कहां-कहां कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है उपरोक्त अध्यापिकाओं का वेतन, टी.ए., डी.ए. एवं अन्य मदों जैसे वेतन वृद्धि एरियर आदि की काफी बकाया विभाग पर है? यदि हां, तो किस-किस अध्यापिका का कितना-कितना पैसा किस-किस मद का किन-किन कारणों से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अब कब तक उक्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) सूची "क" संलग्न है।

(2) जी हां, सूची "ब" संलग्न है। बकाया राशि का शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**राजकीय महाविद्यालय, कोटा**

33. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, कोटा एवं कन्या महाविद्यालय में सम्पूर्ण विषय नहीं हैं? इन दोनों महाविद्यालयों की छात्र संख्या कितनी है?

(2) वाणिज्य महाविद्यालय,, कोटा का भवन कब तक बन कर तैयार हो जावेगा तथा इसमें कुल कितना व्यय होगा?

**उत्तर**

(1) राजकीय महाविद्यालय, कोटा में कला संकाय में स्नातक स्तर पर 11 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 6 एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 विषय पढ़ाये जाते हैं।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में कला संकाय के 11 विज्ञान संकाय के 4 एवं वाणिज्य संकाये के तीनों ऐच्छिक विषयों के अतिरिक्त अंग्रेजी में स्टेनो भी पढ़ाई जाती है। इस प्रकार इन दोनों महाविद्यालयों में सभी विषय पढ़ाये जाते हैं। जिनकी कि वहां पर मांग है। इन महाविद्यालयों की 1978-79 की छात्र संख्या निम्न है :-

1. राजकीय महाविद्यालय, कोटा 3726

2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा 1,300।

(2) राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा का भवन चालू सत्र 1979-80 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

इस महाविद्यालय के भवन निमार्ण हेतु राज्य सरकार द्वारा 20.80 लाख रुपये, की धनराशि स्वीकृत की गई है।

### कोटा में विश्वविद्यालय

34. श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मण्डी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक नगर, कोटा की स्थिति को देखते हुए तथा रावतभाटा में परमाणु भट्टियां एवं हैवीवाटर सेन्टर से कोटा में हैवीवाटर ट्रेनिंग सेन्टर, कृषि महाविद्यालय, वन महाविद्यालय, इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, एम. एस. डब्ल्यू. महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, वेटेरनरी कालेज की महत्ती आवश्यकता है? यदि हां, तो यह राज्य सरकार कब तक खोलने का विचार रखती है?

(2) क्या कोटा में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक निर्णय होने की सम्भावना है?

#### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

### कोटा जिले के स्कूल

35. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में कुल कितने सैकन्डरी और हायर सैकन्डरी विद्यालय हैं? क्या राज्य सरकार वहां हायर सैकन्डरी विद्यालय नहीं खोल रही है? हर वर्ष पूरे जिले में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं? क्या इतने उत्तीर्ण छात्रों के लिये वर्तमान हायर सैकण्डरी स्कूल देने में सक्षम है? यदि नहीं, तो सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है?

(2) क्या सैकण्डरी स्कूल के अनुपात में हायर सैकन्डरी स्कूल बहुत कम हैं? क्या यह भी सही है कि सैकण्डरी में उत्तीर्ण होने के बाद छात्र महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता, ऐसी स्थिति में सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

#### उत्तर

(1) कोटा जिले में 18 हायर सैकण्डरी एवम् 78 सैकण्डरी राजकीय विद्यालय हैं। राज्य सरकार की नीति फिलहाल नये हायर सैकण्डरी खोलने की नहीं है। कोटा जिले में प्रतिवर्ष लगभग 4081 छात्र उत्तीर्ण होते हैं। नये सैक्शन खोल कर राज्य सरकार अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देती है।

(2) राजस्थान में लगभग 4 सैकण्डरी स्कूलों पर हायर सैकण्डरी स्कूल का अनुपात आता है लगभग यही अनुपात कोटा जिले में भी है। यह सही है कि कोई छात्र बिना हायर सैकण्डरी परीक्षा पास किये महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता फिलहाल अतिरिक्त सेक्शन खोल कर ही राज्य सरकार नये छात्रों को प्रवेश दे रही है।

### जिला आयोजना समिति के गठन की नीति

36. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या आयोजना मंत्री यह

(श्री कौसल किशोर जैन)
बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला आयोजना समिति के गठन की सरकारी मूलभूत नीति क्या है ?

(2) इस नीति के अन्तर्गत राजस्थान में कितनी जिला आयोजना समिति गठित हो चुकी हैं ?

(3) शेष समितियों का गठन कब तक सम्पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला योजना समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही जिले के विकास कार्यों की प्रगति का परिवीक्षण एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रभावी समन्वय करना है।

(2) राज्य के समस्त 26 जिलों में जिला योजना समितियों का गठन किया जा चुका है।

(3) सभी जिलों में समितियों का गठन किया जा चुका है।

दल का गठन

जनता (एस) दल को लोकदल
के रूप में मान्यता

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे सदन को एक सूचना देनी है....

मुझे सदन को एक सूचना प्रस्तुत करनी है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 30 अगस्त, 1979 को राजस्थान विधान सभा में जनता (एस) दल को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी तथा उक्त दल के नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंह को प्रतिपक्ष का नेता मान लिया गया था। इस आशय की सूचना माननीय सदस्यों को विधान सभा सचिवालय के बुलेटिन संख्या 57, दिनांक 30-8-1979 द्वारा दे दी गई थी।

उक्त दल के नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ने मुझे लिखितरूप में सूचित किया है कि उनके दल के सभी सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया है कि जनता (एस) को लोकदल में परिवर्तित कर दिया जाय। अतः मैंने उक्त दल के नेता के अनुरोध पर जनता (एस) के बजाय दल को "लोकदल" के नाम से मान्यता प्रदान कर दी है।

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्न के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये प्रश्नकाल में वृद्धि

श्री श्योपतसिंह मकासर : पॉइन्ट ऑफ आर्डर.....

(व्यवधान)

पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर,....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है माननीय सदस्य।

आसन पैरों पर है माननीय सदस्य

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष ।

(व्यवधान)

मुझे बहुत ही खेद है . . .

**श्री रघुनन्दन व्यास :** अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर नियमों के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिए । एटरेंडम बिना नियमों के पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते, केवल व्यवधान करने के लिए ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, . . . .

**श्री ओंकारलाल चौहान :** अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन में पुकारा जा चुका था और उसका रिप्लाई भी हो गया और उसके बाद आपने बारह बजे प्रश्नवचन आवर समाप्त होने की घोषणा भी कर दी । प्रश्न के महत्व को देखते हुए आप अपने निर्णय का रिव्यू करें और पांच मिनिट का समय और बढ़ा दें ताकि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के जो सप्लीमेंट्री रह गए हैं वे भी पुलिस कर्मचारियों के बारे में आ सकें . . .

**श्री अध्यक्ष :** इसको आधे घण्टे की चर्चा में ले लीजिये ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** नो नो ।

**श्री मूलचन्द डागा :** ठीक है, जब आधा घण्टे की चर्चा होगी तब हम रख देंगे . . .

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** श्री श्योपतसिंह ।

**श्री रघुनन्दन व्यास :** अध्यक्ष महोदय; पाइन्ट आफ आर्डर किसी नियम के तहत रख सकते हैं । मर्जी आए तब बोलने लगें और पुलिस आन्दोलन के अन्दर राजनीति घुसाना कितना बुरा है पुलिस के ही दुश्मन आज इस प्रकार से सदन का उपयोग करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझाता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, हजारों कर्मचारी, जिनको जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है को बोलने का अधिकार नहीं है । इस स्थिति के अन्दर भी आपने जो व्यवस्था दी है . . .

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** मैं ऐसा महसूस करता हूं . . . . . .

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** सरकार इस वक्तव्य को दबाना चाहती है ताकि इस प्रश्न के सप्लीमेंट्री पैदा नहीं हो . . . .

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं . . .

**श्री रघुनन्दन व्यास** : .... इस प्रकार आसन के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है . . . . .

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : पुलिस के कर्मचारियों के सवाल को सदन में उठाने नहीं देना चाहते हैं । पुलिस के सवाल को उठाने नही देना चाहते, इसका क्या कारण है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य !

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको विचार करना चाहिए. . . ...

(व्यवधान)

**श्री नवनीत पालीवाल** : हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है । आप हमारे सवालों को नहीं लेना चाहते हैं । इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

**श्री शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री शंकरलाल ।

**श्री शंकरलाल** (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 41 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियमों के नियम 41 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

"मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न, प्रश्नों के लिए उपलब्ध किए गए समय के भीतर, बैठक में किसी अन्य कार्य को प्रारम्भ करने से पहिले उस क्रम में पुकारे जायेंगे जिसमें क्रम में वे सूची में दिये हों । परन्तु जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिए समय नहीं बचा हो उसका उत्तर प्रश्न के घंटे के अन्त में यदि मंत्री अध्यक्ष से अभ्यावेदन करे कि वह प्रश्न विशेष लोकहित का है और उसका वह उत्तर देना चाहता है तो अध्यक्ष की अनुज्ञा से दिया जा सकेगा । "

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रश्न आपने पुकार लिया । पुकारने के बाद इसके पीछे जो सप्लीमेंट्री आंसर आने चाहिए थे वह नहीं आए । तो प्रश्न यह है कि इसका उत्तर माननीय गृह मंत्रीजी देना चाहते हैं या नहीं ? अगर वह देना चाहते हों और आपसे निवेदन करे तो इस प्रश्न का उत्तर आप देने की अनुमति देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । अगर वह नहीं देना चाहें तो फिर सदन और आम जनता यह इन्फरेंस निकालेगी कि माननीय गृह मंत्रीजी इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं । क्योंकि प्रश्न सदन में आ गया, इसका उत्तर भी आ गया, उस पर सप्लीमेंट्री आए । पुलिस का मामला लोकमहत्व का है तो इसका उत्तर अधूरा क्यों आए, पूरा क्यों नहीं आए ? माननीय गृह मंत्रीजी से मैं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि वह आपसे

(श्री शंकरलाल)
निवेदन करेंगे कि प्रश्न का उत्तर देने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसको रूल-आउट करता हूं, इसलिए कि 41 रूल में है अगर माननीय मंत्री महोदय की तरफ से यह अनुज्ञा चाही गई हो तो समय बढ़ा कर समय दिया जावेगा । जवाब के लिए समय बढ़ाया जाएगा । मैं पहले भी माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि इसमें चाहें तो आधा घण्टे की चर्चा उठा सकते हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कारण क्या है ?

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : सवाल यह है कि उत्तर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते । उत्तर नहीं देना चाहते हो तो हम यह मान लें..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सुनें । पुलिस का बिल भी कल डिसकशन में है उसके अन्दर माननीय सदस्य चाहें तो उसमें भी उठा सकते हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज क्यों डर रहे हैं, कल क्यों ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें और आगे की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहायता दें । अब मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दूंगा।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीडवाना के कुछ नमक उत्पादकों द्वारा पैदा किये गये 39 लाख क्विंटल नमक को राज्य सरकार द्वारा नहीं खरीदने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

2. सर्व श्री कालूभाई मीणा व जीथिंग भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 26 सितम्बर को पुलिस थाना, अरणोद में चोरी के आरोप में गिरफ्तार श्री बग्घा आदिवासी की पुलिस द्वारा पिटाई से हुई मृत्यु के विषय में।

इन दोनों प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

3. श्री वृद्धिचन्द, जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में चरागाह की जमीन को वन विभाग द्वारा कब्जे में लेने के विषय में।

4. सर्व श्री रामसिंह विश्नोई, माधवसिंह दीवान व खंगारसिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गुजरात से मथुरा तक बिछाई जा रही पेट्रोलियम पाइप लाइन के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का मुआवजा नहीं दिलाये जाने के विषय में।

5. सर्व श्री डूंगरराम पंवार, हरचन्दसिंह व बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कैनाल के सिंचित क्षेत्रों में नहरों में पानी होने पर भी काश्तकारों को पानी नहीं देने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री प्रद्युम्नसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से धौलपुर उप-जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति व धौलपुर पंचायत समिति में नये बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाने के विषय में ।

7. श्री जयकृष्ण शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा इन्टक के कार्यकर्त्ताओं का दमन करने के विषय में ।

8. सर्व श्री रामकृष्णदास, केदार नाथ, दुलाराम व जगतारसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंग कैनाल नहर में जगह-जगह टूट-फूट होने व दरारें पड़ने के विषय में ।

9. श्री रणजीतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्व-विद्यालय के कृषि व्याख्याताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही भूख हड़ताल के विषय में ।

10. श्री गुल मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की ओर से चौकड़ी तोपखाना हजूरी व चौकड़ी घाटगेट में पीने के पानी के संकट के विषय में ।

11. सर्व श्री रामनारायण चौधरी व रामदेवसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस विभाग में प्रहरियों की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र खारिज कर देने के विषय में ।

12. सर्व श्री सैयद मंजूर अली व नवरंगसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री, जयपुर उद्योग लिमिटेड में सीमेंट उत्पादन में गिरावट व बदइन्तजामी की स्थिति के विषय में ।

13. श्री नूरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर बिजली कर्मचारी यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही भूख हड़ताल के विषय में ।

14. श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा, की ओर से ग्राम नीमेड़ा, तहसील टोडाराय-सिंह, जिला टोंक के 18 हरिजन परिवारों को भूमि से बेदखल कर देने के विषय में ।

15. श्री लालचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सुजानगढ़ के ग्राम रणधीसर में एक व्यक्ति को स्टोन क्रेशर मशीन लगाने की लीज देने के फलस्वरूप हरिजन परिवारों को बेदखल करने के विषय में ।

16. श्री शीशराम ओला, सदस्य, राजस्थान विधान सभा की ओर से जिला झुन्झुनू में बिजली की अव्यवस्था के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों तथा मवेशियों के मरने व फसलों के जलने के विषय में ।

17. सर्व श्री नरपतराम, रणजीतसिंह राठौड़, रघुनाथ विश्नोई व श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनदान नामक एक डकैत को चौधरी मोतीराम बिजारिया निवासी के कत्ल करने का षड्यन्त्र करने की घटना के विषय में ।

18. श्री जय नारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई क्षेत्र में किसानों को डीजल नहीं मिलने

(श्री अध्यक्ष)

तथा बिजली के कनेक्शन नहीं देने के विषय में।

19. श्री रामेश्वरलाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 27 सितम्बर को श्रीमती पारकी बेवा श्री सूवालाल, निवासी कालाभाटा की ढाणी को थाना कुचामन को कुछ व्यक्तियों द्वारा मारने के प्रयत्न के विषय में।

20. श्री सुखलाल सेंणचा, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक हजार कुओं को कनेक्शन देने के लिए धनराशि जमा कराने के बावजूद भी बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाने के विषय में।

21. श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की 190 नगर-पालिकाओं के कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनके द्वारा किए जाने वाले आन्दोलन के विषय में।

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्वनीय लोक महत्व के नहीं हैं, फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों से एक निवेदन और करना है कि वे इन स्थगन प्रस्तावों पर दो मिनिट से ज्यादा न बोलें। जैसा कि आपको विदित है वैसे भी आज काफी बिजनेस है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इतने स्थगन प्रस्ताव हैं जिन पर दो, तीन सदस्यों के सिगनेचर हैं और बहुत से भी हैं, उनमें से कोई एक माननीय सदस्य केवल दो मिनिट बोल लें। कृपया आप इसमें मुझे सहयोग देने का कष्ट करें।

**एक माननीय सदस्य** : आप नाम पुकार दें।

**श्री अध्यक्ष** : और माननीय सदस्य चार-पांच में से जो यह समझें कि वह ठीक तरह से बोल पायेंगे वह बोल लें।

**श्री अब्दुल अजीज** : दो मिनिट।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री अब्दुल अजीज (मकराना)** : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को डीडवाना के देशवाली ग्राम के क्षेत्र में नमक उत्पादन करने वालों की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। डीडवाना में एक लम्बे अर्से से, सैकड़ों वर्षों से नमक का उत्पादन होता आया है। वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भागीदार हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार से अनुबन्धित हैं....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री अब्दुल अजीज** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि जो नमक उत्पादक लोग हैं, वे नमक को पैदा करते हैं लेकिन सरकार का उनके ऊपर एक बंधन है कि वे नमक बेच नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से और चीजों का आदमी प्रोडक्शन करता है तो वह उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए राज्य सरकार से पाबंद नहीं होता है, लेकिन नमक उत्पादक डीडवाना के अनुबंधित हैं, बंधन में हैं कि वे अपने पैदा किए हुए नमक को बेच नहीं सकते, फ्री सेल नहीं कर सकते हैं। यह उनके ऊपर बंधन है। इसके अलावा कुछ

(श्री अब्दुल अजीज)

ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नमक पिछले साल से नहीं लिया जा रहा है जिसकी सूची आपके माध्यम से राज्य सरकार को दी है। राज्य सरकार के खिलाफ में नमक उत्पादक मुंसिफ कोर्ट में गये हैं, सेशन कोर्ट में गये, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं परन्तु मैं अपील करता हूं कि राज्य सरकार से कि जो ऐसे नमक उत्पापक हैं, जो खाने-पीने की जरूरी चीजों को पैदा करते हैं, उनके ऊपर यह बंधन है कि वह नहीं बेच सकते हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे उत्पादकों का नमक वह ले और अगर कोई आपत्ति है सरकार को कि उनका क्षेत्र बढा हुआ है, तो उस क्षेत्र को इजेक्टमेन्ट करने के बजाय, मुकदमा करने के बजाए, कम से कम उनका रेगुलराइज कर दिया जाय और उनके नमक को खरीदा जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार के मंत्री महोदय कि वे इस बारे में उत्तर दे कि उनके इस नमक को खरीदा जायगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मसला है.....

**श्री अध्यक्ष :** सरकार का ध्यान आकर्षित हो चुका है।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष :** श्री कारु भाई।

**श्री कारु भाई मीणा** (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था दी है, इसके लिये आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है, यह सरकार आदिवासी लोगों के मूल अधिकार और उनके संरक्षण की सरकार कहीं जाती है लेकिन मैं आदिवासियों के ऊपर घोर अत्याचार का उल्लेख करुं, सरकार के द्वारा जिन आदिवासियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके, अकारण गिरफ्तार करके उनके साथ मारपीट करने, बिजली के करेण्ट लगाने और एक व्यक्ति की हत्या कर देने की दर्दनाक घटना, माननीय गृह मंत्री जी, इस सम्बन्ध में आपको पूरे फैक्टस की इन्क्वायरी करनी होगी। यह बात बिल्कुल सही है मैं कहने के लिये तैयार हूं 26 तारीख को जिन व्यक्तियों को पुलिस ने बुलाया, जिनमें 6 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बग्गा, जिसको चोरी के मामले में दो सिपाही मोटर साइकल पर उनके घर पहुंचे और कहा कि तुम पर चोरी का आरोप है, तुम कल थाने में आकर हमारे से मिलो, वर्ना तुम्हें गिरफ्तार किया जायगा, वे व्यक्ति ईमानदार थे, थाने में पहुंचे, जहाँ दिन भर पुलिस वालों ने उनसे बेगार ली और इसके बाद शाम को थानेदार ने उनके साथ मारपीट की—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय,....

**श्री अध्यक्ष :** थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

**श्री कारु भाई मीणा :** उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहाँ से ट्रांसफर-शुदा थानेदार, जो अपने बीबी, बच्चों को लेने आया था, जिसका नाम विनयचन्द्र

(श्री कारू भाई मीणा) चौधरी है, उसने पुलिस कांस्टेबल को और अपने सिपाहियों को कहा कि इनके साथ मारपीट मत करो । इनको कबूल कराने के लिये मेरे पास दवाई है, कबूल कराने का एक मूत है, और फिर बिजली का करेण्ट लगाना शुरू किया । विजली का करेण्ट इन्द्री पर लगाया और उसकी हालत इससे वड़ी खराब हो गई और दूसरे दिन उस आदमी वग्गा की हवालत में मृत्यु हो गई, बाद में पुलिस वालों ने उसको हथकड़ी लगाकर कुवे में डाल दिया और कह दिया कि यह फरार होकर कुवे में गिर गया । यह आदिवासियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार सरकार द्वारा होता है, हत्या कर दी जाती है । आज सारा इलाका आक्रोश में है । इसके लिये माननीय मंत्री जी द्वारा इस सदन को अवगत कराया जाय, वे इस सदन में इसकी जानकारी दें तब तो हमें संतोष होगा अन्यथा हमने स्थगन प्रस्ताव रख दिया । आपने कुछ व्यवस्था दे दी और हमने कुछ बोल दिया । इससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूंगा ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है और

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कुछ निवेदन करना चाहते हैं ।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस घटना की तरफ अभी ध्यान आकर्षित किया इसकी मुझे पूरी इत्तला मिल गई और मैंने बराबर कान्टेक्ट रखा, कलेक्टर और एस. पी. से मैंने वास्तविकता जानने की कोशिश की । मैं अभी कुछ ब्यान सदन में दूं, मेरे ख्याल से सदन सहमत होगा । हमने पुलिस से जाँच न करवा कर एस. डी. एम. को दी है, मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया है । जिलाधीश को कहा है कि आप इसकी जांच मेडिकल वोर्ड से करायें और इसके बाद चूंकि पुलिस कस्टडी का प्रश्न था इसलिये फौजदारी कानून में यह व्यवस्था है कि इस तरह की बात हो जायेगी तो जो सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट होगा वह जाँच करेगा । इसकी जांच एस. डी. एम. कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद, यदि पुलिस वालों ने पीटा है तो निश्चित रूप से माने, 302 का मामला होगा तो वह बनायेंगे और रिपोर्ट में जो तथ्य आयेंगे, उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : यह आदिवासी की, मृत्यु का विषय है, यह मानवीय प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है । मैं माननीय गृह मंत्री जी से पुरजोर शब्दों से निवेदन करूंगा कि पुलिस अधिकारी की जांच आप करवायें और जब तक जांच हो रही हो, तब तक दोषी पुलिस अधिकारी का तुरन्त ट्रांसफर कर दें । नहीं तो निष्पक्ष रूप से जांच होना संभव नहीं है ।

श्री नूरा : यह जरूरी है ।

श्री लक्ष्मण सिंह (चित्तौड़गढ़) : मेरे ख्याल से पुलिस की नेकनियती सारे प्रान्त में विख्यात है । मेरे कथन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उससे कन्फ्यूजन हो गया, मेडिकल बोर्ड किस बात का बिठा रहे हैं, हवालात में मृत्यु हुई, क्या पोस्टमार्टम हुआ ?

श्री सम्पतराम : वह गिरफ्तार नहीं किया गया, हवालात में नहीं बुलाया। उसको वैसे ही पूछताछ के लिये बुलाया गया।

(व्यवधान)

श्री कारु भाई मीणा : पुलिस में उनको बुलाया गया, पोस्टमार्टम हुआ है, स्पेसिफिक चोटें बताई हैं।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो एक साथ बोल रहे हैं, कृपया एक बोलें।

श्री कारु भाई मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था। माननीय मंत्रीजी इस बात के लिये बड़े सचेत हैं कि इस मामले की बराबर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सही पता नहीं कि व्यक्ति की मौत कहां हुई है? उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया? यह तो आप स्वयं जानते हैं कि पुलिस वाले आदिवासियों के साथ अत्याचार करते हैं। आदिवासियों को यह पता नहीं कि गिरफ्तारी का केस कब बनता है, कोई पढ़े-लिखे लोग हैं नहीं। जब पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए थाने, फिर 15 दिन बिठाये रखेंगे तो भी वे नहीं कहेंगे। अगर आप जैसा कहिये होगा तो 24 घंटे में ही कहेंगे कि थाने में कैसे बिठा रखा है। तो आदिवासियों के साथ मैं कहता हूं यह अन्याय होता है। 5-6 व्यक्तियों को थाने में, उनको करेन्ट लगाया गया, उनको वहां मारा गया और एक व्यक्ति मर गया। बाद में पांच व्यक्तियों को निकाल दिया और उस व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी डाल कर कुए में डाल दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको सही तथ्य मालूम नहीं हैं। आप सही तथ्य मालूम करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्नसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह : आदिवासियों के साथ आपकी राजस्थान की पुलिस अमानवीय व्यवहार करती है। आदिवासियों को जानवरों की माफिक ट्रीट करते हैं एक सिविलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह महान अशोभनीय और गहन चिन्ता का विषय है। मैं आरोप लगाता हूं कि आपकी निकम्मी पुलिस के ऊपर। यह निष्क्रियता है आपकी जनता के साथ। आपको निष्पक्षता के साथ व्यवस्था करनी चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों के साथ फिर यह मांग दोहराता हूं कि दोषी कर्मचारी का तुरन्त ट्रांसफर करें। अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आप स्वयं एक पक्षपात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी आधा मिनिट में आप अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मन्त्री महोदय अपनी बात को साफ करने के लिए मेडिकल बोर्ड की बात बता रहे हैं। एक आदमी की मृत्यु हो गई है। आपने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
चाहे उसको पूछताछ के लिए ही बुलाया हो वह आपकी कस्टडी में माना जायेगा।

श्री सम्पतराम : मैंने यह नहीं कहा है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने यह कहा है यह रिकार्ड पर है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : आपने यह दी को बिठाया है । आप कहते हैं उस रिपोर्ट में चाहे यह नहीं पाया गया हो । आप फरमाते हैं कि मैंने मेडिकल बोर्ड बैठाया है । उसकी यह कॉपी मेरे पास है । इसके अन्दर उसके शरीर पर चोटें दर्ज हैं । अगर उसको पूछताछ के लिए बुलाया । फिर उसके जिस्म में ये चोटें आई हैं । तो यह क्लियरकट हत्या का मामला है । यह हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री सम्पतराम : मैं विनम्र शब्दों में सदन के सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि जांच चल रही है । इस प्रकार का अगर कोई केस हो जाता है तो फौजदारी कानून के अनुसार जांच एस. डी. एम. साहब करेंगे ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : एस. डी. एम. करेगा ? Say 'S. D. M.' Don't say Sahib.

श्री सम्पतराम : आप मेरी बात तो सुन लीजिए । मैं यह कहना चाहूंगा । आप कानून का ज्ञान रखते हैं मुझे कहने का मौका तो दीजिए । मैं यह कह रहा हूं कि वह जांच एस. डी. एम. के सामने पेंडिंग है । उस पर मेरा आब्जरवेशन उचित नहीं है । सदन के सामने हिम्मत यह स्वयं माना है । चाहे उसने केस किया हो या नहीं, लेकिन पुलिस ने बुलाया है । एस. डी. एम. जांच तभी करता है जब पुलिस कस्टडी में मृत्यु होती है । मैं जानता हूं पूरी सावधानी बरतनी चाहिए । मेडिकल बोर्ड के लिए मैंने कहा है । उसकी जांच हो चुकी है । यह मैंने आदेश दिया था कि पोस्टमार्टम होगा । मेडिकल बोर्ड के जरिये से होगा । यह तो मेरा कहना था । इसमें कोई शक नहीं है कि महारावल साहिब ने जो फर्माया है । लेकिन एक एस. आई. ग्रेड का आदमी एस.डी.एम. ग्रेड पर दबाव डालेगा तो यह माना नहीं जा सकता है ।

श्री नूरा : उन लोगों पर तो असर डालेगा जो इस बारे में जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

श्री सम्पतराम : मेरी एक बात तो सुन लें । फिर आप बोलें । अगर यह भी बात कही जाती है । अगर हम इसको बदल दें तो यह मर्डर हो जाएगा । यही कहा जाएगा कि यह क्रिमिनल केस का दोषी है हम इसको भी करने को तैयार हैं, लेकिन एस.डी.एम. जांच कर रहे हैं ।

**श्री नूरा** : जांच तो लोगों से ही की जाएगी। वह लोगों पर दबाव डालेगा। आपको परेशानी क्या है ?

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहूंगा कि जांच पूरी हो जाएगी...

(व्यवधान)

**श्री हरचन्द सिंह** : अगर एस.डी.एम. जाँच करेंगे तो वह क्या बतायेंगे। वह मैं बताता हूं। वह यह कहेंगे कि इसने आत्म-हत्या की है। मैं यह रिजल्ट बताता हूं।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनें।

(व्यवधान)

**श्री सम्पतराम** : इसका जवाब दे दिया। फिर यह क्या हो रहा है।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मुझे अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान की है।

**श्री सम्पतराम** : मैं भी अध्यक्ष महोदय से कहने का उतना ही हक रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप आधा सैकण्ड से ज्यादा नहीं लेंगे।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : 5 सैकण्ड में समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जो कहना है, आधा सैकण्ड में कह दें।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है थानेदार का प्रभाव एस०डी०एम० पर क्या गृह मन्त्री पर पड़ता है। इसलिए यह कहना कि प्रभाव नहीं पड़ता है गलत है। थानेदार को चेंज करने का मतलब है। आज की तारीख में वह मुख्य मन्त्री है।

(12.47 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वरना आपके हाथ खून से रंगे हुए माने जायेंगे।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पार्टी के नेता ने जो प्रश्न उठाया है...

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : यह रोज ऐसा ही हो रहा है।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप बेकार में सदन का समय बरबाद करते हैं।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है। काम में अनुशासन नहीं है।

**समिति का गठन**

**वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिये दिये गये मनोनयन पत्र-वापस लेने के समय में वृद्धि**

**श्री बंशीलाल सारस्वत** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि वित्तीय

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
समितियों से मनोनयन-पत्र वापस लेने का समय 4 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि विथड्रावल का समय 4 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

विथड्रावल का समय 4 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा आ रही है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : मैं आधा मिनिट में पूछ लूंगा।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : विरोधी पार्टी के माननीय नेता महोदय ने प्रश्न उठाया था। उसमें एस. आई. का सवाल था कि उसका स्थानान्तरण किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। यह भी निवेदन करूंगा कि पुलिस का सब-इन्सपेक्टर रहेगा तो जो इन्वेस्टीगेशन होगी, वह सही नहीं होगी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस का सब-इन्सपेक्टर अपना प्रभाव डालेगा। इसलिए उसका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसी से न्यायप्रद इन्वेस्टीगेशन हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह वन विभाग से सम्बन्धित है। बाड़मेर जिले में यह स्थिति पैदा हुई है कि वहां पर गोचर की जमीन है, और आगा को जमीन भी हैं उनमें पशु चरते हैं और कुछ परम्परागत जमीन भी ऐसी है जो रिकार्ड में गोचर दर्ज नहीं है लेकिन गोचर की तरह ही काम में आती है। उस जमीन को वन विभाग ने वन विकास के नाम पर और डी.पी ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत वनों के विकास के लिए अपने आधिपत्य में ले लिया है। उसको आधिपत्य में लेने से यह स्थिति पैदा हुई है कि वहां पर कोई भी गोचर भूमि नहीं है और वहां गोचर की जमीन नहीं होने से मवेशियों की स्थिति खराब हो गई है। जो अन्त्योदयी हैं, जिनको भेड़ें दी गई हैं उनको पशु चराने के लिये स्थान नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि वन विभाग को यह चाहिए कि जो गोचर की जमीन है उसको अगर वन विभाग वन विकास के नाम पर ले तो सरपंच को और ग्राम पंचायत को कोन्फिडेन्स में लेना चाहिए। बिना उनको विश्वास में लिए गोचर की जमीन ले लें और आधिपत्य जमा लें तो फिर प्रश्न आता है मवेशियों को चराने का। यह एक ऐसा विकट प्रश्न है जिसको हल करने की तीव्र आवश्यकता है पशुपालकों की हालत खराब होती जा रही है, पशुपालकों में तीव्र असन्तोष व्याप्त है। गांवों में कोई दो पशु रखता

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

है, कोई तीन पशु रखता है, किसी के पास चार पशु हैं और किसी के पास 10 पशु हैं, उनको चराने के लिए समस्या पैदा हो गई है और उसके कारण वहां के लोगों में तीव्र असन्तोष है। इसलिए जहां पर भी आपने डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत गोचर की जमीन ली है या वन विकास के कार्यक्रम में जमीन ली है, बहुत से ऐसे गांव हैं — रडवा, बाड़मेर तहसील का गांव है वहां पर बिना ग्राम पंचायत को कान्फीडेन्स में लिए वन विभाग ने जमीन ले ली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बैसाला गांव में गोचर की जमीन ले ली। जहां पर वन विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसी तरह से आका गांव में जमीन ले ली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि गोचर की भूमि आवश्यक है और वनों का विकास भी आवश्यक है। इसलिए जो भी जमीन आप लें, डी.पी.ए.पी. में लें आप ग्राम पंचायत को कान्फिडेन्स में लें उसकी राय के बिना नहीं लें, नहीं तो गोचर भूमि लेने से किसानों और वहां के पशुपालकों में भारी असन्तोष है, इसके मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, दो मिनिट में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता इसलिए निवेदन है कि इस समस्या को हल करने के लिए आप सहयोग दें। इस पर वन मन्त्री महोदय अगर बयान दें तो उपयुक्त रहेगा।

**श्री हरिसिंह यादव (वन मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है। बाड़मेर क्षेत्र में जो भूमि वन विभाग ने ली है, मैं उसके बारे में माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी चरागाह विकास का कार्यक्रम और वन विकास का कार्यक्रम डेजर्ट में चल रहा है और जो भूमि चरागाह के लिए निर्धारित है उसको वन विकास के लिए लेते हैं उसको ग्रामवासियों और ग्राम पंचायतों के सहयोग से ही प्राप्त करते हैं। जो सूचना उन्होंने दी है उसके बारे में निश्चित जानकारी करली जायेगी और यदि इससे गाँवों को असुविधा हुई है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जायगा। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रेगिस्तानी इलाका है उसमें पाश्चर लैण्ड जितनी भी है उसमें चारा नहीं है, उसका विकास किया जायेगा और उसको पंचायतों के आधिपत्य में वह इलाका छोड़ना चाहते हैं इसलिए सारे रेगिस्तानी इलाके में योजनाबद्ध तरीके से विकास करने की आवश्यकता है, उस पर भी विचार किया जा रहा है।

**श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बहुत ढीली है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात में बड़ौदा से मथुरा तक पाइप लाइन बिछायी जा रही है इसके लिए 100 फीट चौड़ी सड़क जिसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में होकर गया है और यू० पी० में केवल 14 मिलीमीटर सड़क गई है। फिर भी यू० पी० गवर्नमेन्ट ने उन लोगों को मुआवजा दिया है जिनके खेतों और कुओं से होकर सड़क गुजरी है। हमारी सरकार अभी तक सो रही है, काश्तकारों की फसल बरबाद हो गई, उनके गेहूं की फसल खड़ी थी, जब पाइप लाइन निकाली गई तो

(श्री माधवसिंह दीवान)

उसको काटकर फेंक दिया गया और किसी प्रकार का मुआवजा देने का नामो-निशान ही नहीं है, इस तरह से हमारी सरकार को कोई जवाब नहीं है, काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। हमने सरकार को लैटर लिखा उसका कोई जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या कर रही है और क्यों नहीं कर रही है ? गवर्नमेन्ट में इनकी चलती नहीं है या सरकार को काश्तकारों की परवाह नहीं है, लाखों रुपयों का नुकसान हो गया, उसके वाद वाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया। सौ फीट चौड़ी सड़क निकाली गई जिसमें लोगों के कुएं और खेत नष्ट हो गए, पता नहीं है सरकार अब उनका क्या करने जा रही है ? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे किस प्रकार से दवाव सैण्ट्रल गवर्नमेंट पर डालेंगे और यू. पी. गवर्नमेंट पैसा दिला रही है। हमारे पास काश्तकार लोग आए और कहा कि हम इस काम को बन्द करा दें लेकिन हमने कहा कि आप इसमें सहयोग दें क्योंकि यह एक राष्ट्रीय योजना है। उसका नतीजा यह हुआ कि न तो सरकार उनकी जमीन ठीक करा रही है और न उनको पैसा दे रही है। ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट पर दवाव यह डाला जावे और इसमें कोई बाधा हुई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय श्री डूंगरराम पंवार।

श्री खंगारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने इस का जवाब नहीं दिया, बात क्या है। राजस्थान में 800 मील लाइन निकाली गई है, यह सरकार सो रही है।

(व्यवधान)

वे चुप बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मामला बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

(व्यवधान)

माननीय रामनारायण जी, कृपया विराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार इस मामले में चुप है। यह मुख्य मंत्री और केन्द्रीय सरकार के बीच का मामला है। वित्त मंत्री स्थिति स्पष्ट करें। राज्य सरकार को अपने खजाने से मुआवजा देना चाहिए। मुख्य मंत्री नहीं हैं तो वित्त मंत्री स्पष्टीकरण दें कि कब तक मुआवजा देंगे ? राजस्थान में असंतोष भड़केगा, राष्ट्रीय क्षति होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? सर-

(श्री रामनारायण चौधरी)
कार काश्तकारों को नुकसान पहुंचा रही है, राज्य के हितों के खिलाफ काम कर रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरचन्द सिंह जी, विराजिए। बीच में कोई इन्ट्रप्शन न करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगरराम।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 800 किलोमीटर में खेती नष्ट हुई है, काश्तकारों को नुकसान हुआ है, उसका जवाब दें। नम्बर दो मंत्री महोदय आप जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

कई माननीय सदस्य : जवाब दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री खंगार सिंह जी, कृपया बिराजिए।

(व्यवधान)

माननीय नवरंगसिंह जी, माननीय श्योपत सिंह जी, कृपया बिराजिए! आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर लिया है, इतनी चर्चा कर ली है राजस्व मंत्री महोदय, आप इस बारे में अगर आपके पास सूचना है तो जानकारी दें। नहीं है मैं तो इस प्रश्न को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में एडमिट करूंगा।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है

(व्यवधान)

सुनिए, सुनिए। पूरी बात तो सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीन काश्तकारों की पाइप लाइन बिछाने के अंदर अवाप्त की गई है उसकी कार्यवाही, मुझे जो मालूम हुआ है, लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी के यहां चल रही है, सुनिए, सुनिए। यहां से अवार्ड होने पर उनको मुआवजा दिया जाएगा, अब किस स्टेज पर कार्यवाही है, इसकी जानकारी सरकार की तरफ से जल्दी की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : खड़ी फसलों को उखाड़ दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : जमीन एक्वायर करने का अधिकार राज्य सरकार को है और जमीन राज्य सरकार एक्वायर कर रही है। आप स्पष्ट कहिए कि आपकी राज्य सरकार गवर्नमेंट आफ राजस्थान लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत एक्वायर कर रही है, वह क्या स्थिति है, कब तक आप मुआवजा देंगे? आपकी ड्यूटी है सदन को अवगत कराना।

श्री श्योपतसिंह मकासर : खड़ी हुई फसल में बीच में से ले गए, फसलों को बर्बाद किया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। माननीय हरचंद सिंह जी, विराजिए। माननीय लालचंद जी, बिराजिए। माननीय सूरजपाल सिंहजी, बिराजिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्षजी . .

श्री लालचंद : किसानों की जमीनें . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचंदजी, मंत्री महोदय, आप भी विराजिए। माननीय सदस्य, आप अगर आसन के आदेशों की अवहेलना करेंगे, चर्चा करना चाहेंगे तो यह ठीक नहीं। मैंने व्यवस्था दे दी, मंत्री महोदय को संकेत दे दिया कि इसकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में चर्चा हो सकेगी। मन्त्री महोदय ने सारी स्थिति बता दी, अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो कैसे उनको मजबूर करेंगे ?

श्री लालचन्द : लाखों किसान उजड़ रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति सरकार के लिए क्या हो सकती है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक नहीं है कि जानकारी मन्त्री महोदय को एकदम हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम (टी बी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से . . .

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय को कुछ कहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

माननीय सदस्य, जब मन्त्री महोदय ने यह जानकारी दे दी कि उनकी जानकारी में नहीं है तो फिर आगे चर्चा क्यों कर रहे हैं ? कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव राजस्थान कैनाल में पानी होने के बावजूद भी किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है उसके बारे में दिया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे गंगानगर जिले में खिनानिया माइनर जो कि भाखड़ा से निकाली गयी, आनन्द गढ़ माइनर जो कि आर. सी. पी. की इन सभी में सौ से 110 प्रतिशत पानी है। उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज चल रहीं है लेकिन वहां से पानी किसानों को सिर्फ एक साल में दो बार ही पानी आता है आज जैसा भट्टी डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि आर. सी. पी. की है और निरवाल माइनर, किकरालिया माइनरी और किकरालिया सब-माइनर इन सभी में पानी है पर आज उनके संबंधित एरिया में पिछले चार-पांच महीनों से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बराबर डिस्ट्रिब्यूटरीज चल रही हैं पर काश्तकारों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं सदन में बार-बार कह चुका हूं कि गंगानगर के किसानों को पानी की वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, नहरों में लगातार पानी आ रहा है लेकिन पानी वहां किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गंगानगर जिले में तीनों तरह से पानी नहरों द्वारा आता है एक तो भाखड़ा डैम से पानी आता है दूसरा राजस्थान कैनाल से पानी आता है और तीसरा घग्घर के फ्लड से पानी आता है। पर आज समस्या यह है कि इनकी टैलों पर साल में एक बार ही पानी दिया जाता है। आज वहां

(श्री डूंगरराम)

की नहरें कहीं जगह-जगह पर से टूट गयी हैं और वह ठीक नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकार उन नहरों की मेंन्टीनेन्स के खाते में लाखों रुपया खर्च कर रही है लेकिन वह पैसा नहरों के काम नहीं आकर इन्जीनियर लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि नहरों में पानी होते हुए भी वहां पर काश्तकारों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। आज वहां पर सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर बैठे हुए हैं, एक्स. ई. एन. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंचाई विभाग के बैठे हैं और एसिस्टेंट इन्जीनियर भी हैं, वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों को जो इन्डेन्ट के मुताबिक पानी मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है। आज उनको इंजीनियर्स को पूछते हैं तो वहां के जो इन्जीनियर हैं वह असलियत नहीं बता रहे हैं कि पानी नहरों में होते हुए भी क्यों नहीं पानी काश्तकारों को मिल रहा है? इसमें किसकी गलती है तो कोई बताने को तैयार नहीं है। आज जब काश्तकार परेशान होकर आते हैं तो अपने क्षेत्रीय विधायक के पास आते हैं क्योंकि आपके इन्जीनियर्स उनकी सुनते नहीं हैं वह दौड़ कर आते हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं तो वह हमें जवाब तक नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से संबंधित मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि अगर नहरों में पानी है तो फिर उससें क्या कठिनाई है? अगर कोई टैक्नीकल गलती हो तो आप उसे ठीक करावें। आज आपके वहां के जो सिंचाई विभाग सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर, एक्जीक्युटिव इन्जीनियर और ए. ई. एन. साहब वहां पर मिलते तक नहीं हैं ओवरसियर को अगर मौके पर ले जाते हैं वह क्या कर सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य; कृपया चर्चा समाप्त करें।

**श्री डूंगरराम** : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा और निवेदन करना चाहता हूं एक मिनिट। आज वहां पर सी. ए. डी. में जहां काम हो रहा है वहां पर बुरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैंने वहां पर जब सिंचाई मन्त्री जी आये तो उन्हें दिखा दिया कि किस प्रकार से वहां जो मेड़ ईटों की बनायी हुई हैं वह गीली हैं तो ऐसी हालत में वहां की क्या स्थिति हो सकती है। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, ईटों की भी उम्र होती है। अगर वहां पर वह गल कर नहरें माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरीज टूट गये तो क्या स्थिति होगी? आज तो वैसे ही काश्तकार बर्बाद हो रहा है और आप इन नहरों के टूट जाने से जल्दी ठीक नहीं करा पायेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि सीमेन्ट मिल नहीं रही है उसका ब्लेक हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य; कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री डूंगरराम** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उनको पक्का बनाया जाय और पानी नहीं देने के लिये जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये। श्री प्रद्युम्न सिंह।

**श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया है वह राजस्थान में काश्तकारों को बिजली

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नहीं मिलने के बारे में किया है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया माननीय सदस्य को बोलने दें। श्री प्रद्युम्नसिंह।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में काश्तकारों की बहुत दयनीय स्थिति हो रही है और प्रशासन की हालत यह है कि वह आंख मीचे हुए बैठा है। कल माननीय विद्युत मंत्रीजी जब एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो मैंने एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न किया था कि जब राज्य सरकार इस वर्ष में 30 हजार कुओं को बिजली देने जा रही है तो क्या राज्य सरकार राजस्थान में सभी जगहों पर इन तीस हजार कुओं पर बिजली 15 नवम्बर तक दे सकेगी या नहीं। मन्त्री महोदय ने कहा कि धनाभाव के कारण सभी को बिजली देना मुश्किल है। मेरा निवेदन है कि जब राज्य सरकार ने तीस हजार कुओं पर बिजली देने की प्लानिंग बनायी तो राज्य सरकार के पास तीस हजार कुओं को बिजली देने के लिये पैसा भी सुरक्षित रखा होगा। या अगर पैसा नहीं था तो क्या मन्त्री महोदय ने यहां पर हाउस में माननीय सदस्यों को गलत-सलत सूचना दे दी। हो सकता है कोटा डिवीजन में उन्होंने कुओं में बिजली दे दी होगी लेकिन हमारे क्षेत्र में खासतौर मेरे धौलपुर सब-डिवीजन में बिजली की बहुत ही हालत खराब हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा डिवीजन की बात तो नहीं करता क्योंकि वहां के विद्युत मंत्रीजी खुद है। लेकिन बाकी राजस्थान में तो बिजली की कमी से त्राहि-त्राहि मच रही है और धौलपुर सब-डिवीजन के लिए तो, मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि पिछले तीन महीनों में किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। यह आपकी कारगुजारी है और यही आपकी एफीसियन्सी का नमूना है।

**श्री एच. एन. शर्मा :** अभियान चलायेंगे।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** पता नहीं आप कौन-कौन से अभियान चलायेंगे, अभी मन्त्री बनाने के अभियान चलाने वाले हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा उसमें बिजली के बारे में जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि काश्तकारों की बिजली की समस्या के बारे में इस सदन में पूरे दिन की डिबेट होनी चाहिये इससे विद्युत मंत्रीजी को मार्ग-दर्शन मिलेगा और किस प्रकार का भ्रष्टाचार आपके महकमे में फैला हुआ है उसका भी पता लगेगा आपके महकमे की तो, विद्युत मन्त्रीजी, भ्रष्टाचार में इस प्रकार की स्थिति है कि वह पुलिस के महकमे को भी पार कर चुकी है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आज काश्तकार बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं इसलिए मैं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
राज्य सरकार से यह मांग करूंगा कि वह बिजली काश्तकारों को तुरन्त दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलमोहम्मद।

**श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके बारे में पहले भी इस सदन में काफी बार चर्चा हो चुकी है और यहां पर सरकार ने कई दफा आश्वासन भी दिया। पर आज तक जयपुर में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। यह एक बहुत भारी समस्या हो रही है। मन्त्री महोदय ने इसी सदन में यह घोषणा की थी कि जयपुर शहर को 24 घंटे पानी मिलेगा और इस घोषणा के बारे में अगर आप चाहें तो हाउस की प्रोसीडिंग्ज मंगा कर देख लें कि यह घोषणा की थी या नहीं लेकिन आज दिन तक जयपुर शहर में राजकीय घोषणा होने के बावजूद कभी भी पानी 24 घन्टे नहीं आया। आप 24 घन्टे की बात तो छोड़ें आठ घन्टे भी पानी नहीं आया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप आठ घन्टे तक पानी देने की बात को छोड़े आप चार घन्टे भी लगातार जयपुर में पानी देने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आज जयपुर में कई जगह पर हफ्ते से और कई जगह पर 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पानी की व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गयी है कि लोगों को कुओं से पानी खींच-खींच कर लाना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह हालत तो जयपुर शहर की है जहां पर राजस्थान का सारा प्रशासन बैठा हुआ है, और जल विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं पर कोई भी व्यवस्था पानी की आज तक सही ढंग से नही कर पा रहे हैं। आज चौकड़ी तोपखाना और हजूरी और चौकड़ी घाटगेट के एरिया में ऐसी हालत है कि लोगों को नीचे की मन्जिल में भी एक-एक बून्द पानी आता है ऊपर की मन्जिल की बात तो आप जाने ही दीजिये। आज एक हफ्ते से बिल्कुल पानी नदारद है। पानी की स्थिति ऐसी हो रही है कि उसका नामोनिशान ही नहीं मिल पा रहा है जिससे जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है।

जब इनसे कहा जाता है कि इसको आप ठीक कीजिए तो कहते हैं कि रामगढ़ की लाइन बर्स्ट हो गई है। यही जवाब मिलता है। जब भी पूछा जाता है तो यही जवाब देते हैं कि रामगढ़ की लाइन बर्स्ट हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि बार-बार लाइन बर्स्ट कैसे हो जाती है? इसका मतलब क्या यह समझा जाय कि जो पाइप लाइन जयपुर सिटी में डाली गयी थी उसकी उम्र खत्म हो गयी है? टैक्नीकल दृष्टि से ऐसा होता है कि जब पाइप लाइन डाली जाती हैं तो उसकी टैक्नीकली मियाद होती है कि वह दस साल या पन्द्रह साल के लिए डाली जाती है व इतने वर्ष बाद यह लाइन बदली जानी आवश्यक है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बार-बार एक ही जवाब मिलता है। तो क्या पुरानी लाइन की टैक्नीकल दृष्टि से मियाद खत्म हो गयी है? अगर मियाद खत्म हो गयी है तो उस पाइप लाइन को चैन्ज की जाय ताकि पानी की प्राब्लम खत्म हो।

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है कि पहले भी कई बार सदन में जब हमारे सदन के नेता महोदय उन दिनों विरोधी दल में बैठते थे तो कहते थे कि बनास योजना जयपुर और अजमेर के लिए लागू की जाय और यहां पर बनास योजना से पानी लाया जाय ताकि पानी की प्राब्लम जयपुर के लिए खत्म हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जबकि बनास योजना पहले 24 करोड़ की थी वह आज 70 करोड़ की हो गयी है व दिन-दिन कीमत बढ़ती जा रही है। जब माननीय नेता महोदय शासन में आये और आज मुख्य मन्त्री पद पर हैं तो इस समय बनास योजना को बिल्कुल खत्म कर दिया है, उसका नामोनिशान मिटा दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वह विरोधी दल में बैठते थे तो कहते थे कि बनास योजना चालू होनी चाहिए और अब जब आज, वह चीफ मिनिस्टर हैं तो कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है। क्या जयपुर की जनसंख्या कम हो गयी है या कहीं से पानी ज्यादा आ गया है? कुछ पता नहीं। मेरा मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन है कि दो चौकड़ियों में पानी की किल्लत ठीक कराई जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि यहां पेट में कीड़े मिलते हैं और जो दवाइयों की दुकानें हैं उनके अन्दर ज्यादातर दवाइयां कीड़ों की बिकती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की किल्लत चौकड़ी तोपखाना हजूरी और चौकड़ी घाटगेट में दूर की जाये, और पूरा पानी देने की व्यवस्था की जाये और पाइप लाइन को चेन्ज की जाये और बनास योजना को लागू की जाये, यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं। उन्हें जवाब देने दिया जाये।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक केवल सूचना देना चाहता हूं कि जिन दो चौकड़ियों के बारे में माननीय सदस्य ने निवेदन किया है इन दोनों चौकड़ियों में स्पेसिफिक क्या पानी की ट्रबल आ रही है? इस बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और जानकारी मिलते ही माननीय सदस्य को कनविन्स करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : इसके लिए भी कल स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक कोई इन्क्वायरी नहीं की गयी। आखिर पानी की व्यवस्था है और पानी नहीं मिल रहा है। जब आप पानी ही नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं देश के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली विधान सभा में भी यह प्रश्न रखा था कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर जो इन्टक से संबंधित है, घोर अत्याचार, पक्षपात और अनियमिततायें बरती जा रही हैं। इस

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बात के लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जितने भी जनता से संबंधित विभाग हैं वह अपने आर. एस. एस. के चहेतों—चाहे वह ललित किशोर चतुर्वेदी हों, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हों, चाहे इरिगेशन मिनिस्टर हों, उन्होंने अपने ही आर.एस.एस. के चहेतों को दे दिये। उसके पीछे उनका राजनैतिक षड़यन्त्र है। वह षड़यन्त्र ऐसा है कि वह राजनैतिक आधार पर अपनी यूनियन कायम करना चाहते हैं। परन्तु कहीं भी, कोई भी यूनियन कायम हो नहीं सकती। जब तक उसका कोई उद्देश्य नहीं हो, जब तक उसका लक्ष्य नहीं हो। जब तक लक्ष्यहीन रहेंगे, उद्देश्यहीन रहेंगे, तब तक कोई भी यूनियन कायम नहीं रह सकेगी क्योंकि मजदूरों ने एक ही नारा दिया है हिन्दुस्तान के अन्दर कि मजदूर संसार का एक है और उसकी एक ही मांग है। इसलिए मजदूर संसार का एक है। तो मजदूर किसी भी यूनियन के नीचे हो अगर मजदूर के लिए मांग करता है तो वह यूनियन जिन्दा रह सकती है और वह यूनियन जिन्दा नहीं रह सकती जो उद्देश्यहीन हो और लक्ष्यहीन हो। वह यूनियन भी जिन्दा नहीं रह सकती जो हमारे विद्युत मंत्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की जेब में हो या जो जनसंघ की जेब में हो। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 18 महीनों से जब से ललित किशोर जी चतुर्वेदी विद्युत मंत्री बने हैं उनके इशारे के ऊपर अलवर के अन्दर विद्युत कर्मचारियों के ऊपर घोर अत्याचार वहां के एस. ई., श्री मलिक हैं वह कर रहे हैं और यह अत्याचार सुनने योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यदि कोई जीप का दुरुपयोग करे और अलवर का मजदूर अगर उस जीप को रोक ले तो उस पर मुकदमा चले और उस पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाये और दूसरी तरफ चित्तौड़ के अन्दर वही मजदूर जो कि बी.एम.एस. का सदस्य है वह ए.ई.एन. को पीट देता है तो वही मजदूर आज एक महीने की तनख्वाह पाकर उसी पुरानी जगह पर रखा जाता है। जीप का अनापशनाप इस्तेमाल कोई ए.एन. या ए.ई.-एन. करे और उसको पकड़ा जाये तो उस पर कार्यवाही हो।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं कहना चाहता हूं, यहां तक भी कहना चाहता हूं कि इस अर्से के अन्दर इन्टक के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको बहुत सों को सस्पैण्ड किया गया, बहुत सों पर मुकदमे लगाये गये और इन्टक के जो पदाधिकारी थे कुछ दिनों पहले मेरे से चैयरमेन ने कहा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है। यह कोई बात नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जयकृष्ण जी आपका कहना वाजिब है कि गम्भीर मसला है लेकिन गम्भीर मसलों के लिए समय निर्धारित है और सभी स्थगन प्रस्ताव गम्भीर मसलों पर है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। घंटी बजाने से आधा समय तो यों ही निकल जाता है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यही नहीं वहां के पदाधिकारियों के तबादले किये गये । एक एल. डी. सी. और यू. डी. सी. का तबादला कोटा में किया गया जबकि हमारे मुख्य मंत्री जी इधर बैठते थे और अब उधर भी हैं, ने तब भी कहा था कि छोटे कर्मचारियों का जिले के बाहर तबादला नहीं किया जाये । केवल हरेसमेंट करने के लिए बड़े पदाधिकारियों के तबादले कोटा में किये गये । इन्टक की महामंत्री हैं, अभी 19 तारीख को जबकि चुनावों की वजह से सारे तबादले कैंसिल कर दिये गये, उसको कोटा के खानपुर जाने का परवाना थमा दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बेगार प्रथा हम हिन्दुस्तान में खत्म करने जा रहे हैं और कर्मचारियों और अधिकारियों को कहते हैं कि फोर्थ क्लास वालों से बेगार नहीं ली जाये । एक तरफ आपका विद्युत विभाग है उसमें सभी को फोर्थ क्लास अर्दली काम करने के लिए दे दिया गया । एक अर्दली से भी काम नहीं चलता, मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सुन लें, कि 11 फोर्थ क्लास अर्दली एस. ई. श्री मलिक के यहां पर काम करते हैं । मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मलिक के घर की पावर हाउस है ? क्या कोई घर की बात है कि उन्होंने 50 टन कोयला एक प्राइवेट फर्म को दे दिया ? यह मलिक इस तरह की कार्यवाही करें . . . . :

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने स्थगन प्रस्ताव के बाहर जा रहे हैं । कृपया बिराजें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनट । पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए लिखा है । मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में, आप देख लें । मैं प्रस्ताव के बाहर नहीं जा रहा हूं । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया गया, बहुत से कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दायर किये गये, बहुत से कर्मचारियों के तबादले किये गये—इन सब कामों से कोई इन्टक कम नहीं हो सकती । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उद्देश्यहीन पार्टी है, वह कभी देश में काम नहीं कर सकती ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपकी उद्देश्यहीन पार्टी जनता पार्टी थी । आपने देखी जिसका कोई लक्ष्य नहीं था वह आज किस तरह से बिखर गयी, टूट गयी । इसी तरह से उद्देश्यहीन यूनियन बी. एम. एस. को आप जन्म दें और जो इन्टक है जिसने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है, यदि इसके हितों पर कुठाराघात किया तो वह दिन दूर नहीं जब मंत्री जी आपका मुंह काला करके गधे पर चढ़ाया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयकिशन जी, आप ऊपर तो देखते ही हैं, आसन की तरफ भी देख लिया करें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री रघुनन्दन व्यास : अभी आपने कहां कुछ कर लेते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें श्री व्यास जी ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में एक गम्भीर विषय की ओर इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् 28 में बीकानेर स्टेट में उस समय के राजा गंगासिंह जी ने गंग नहर का निर्माण किया जो कि आज के आधुनिक इन्जीनियर्स को उनके मुंह में उंगली डालने के लिये है। 3600 हैक्टेयर लैण्ड को गंग कैनाल सिंचित करके सारे राजस्थान को ही नहीं, देश को अनाज देते हैं। 130 किलोमीटर लम्बी नहर पंजाब के फिरोजपुर हैड से राजस्थान के गंगानगर जिले में आती है। 110 किलोमीटर जो पानी लेकर आती है, वह पंजाब के अन्दर है और पंजाब के अधिकारियों, अभियन्ताओं के कन्ट्रोल में है। उस नहर की आज क्या स्थिति है, वह कभी भी टूट सकती है और कल के इण्डियन एक्सप्रेस के अखबार में इसके बारे में जो न्यूज छपी है, एक पूरा आर्टिकल छपा है। पत्रकार ने स्वयं ने जाकर मौके पर देखा है और पंजाब के बड़े-बड़े इन्जीनियर्स से इन्टरव्यू लेकर छापा गया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपकी इजाजत लेकर सदन में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं कोई संसार का सेन्सर नहीं कर रहा हूं। राजस्थान सरकार के हाथ मजबूत करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है कि पंजाब के अन्दर स्वयं अलग से नहर का निर्माण करेंगे, वह पूरा करे और सरकार कमिटमेंट दे।

श्री उपाध्यक्ष : अखबार मंत्री महोदय ने भी पढ़ लिया होगा ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसमें लिखा है ऐसी स्थिति है कि वह कभी भी टूट सकती है और मोरवी में जैसी बाढ़ आई वैसी 130 किलोमीटर के रास्ते में आ सकती है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे जो भूमि सिंचित होती है, वह नहीं हो सकेगी, 30 लाख लोगों को पेय-जल उपलब्ध होता है, वह उपलब्ध नहीं हो सकेगा...

श्री उपाध्यक्ष : आपने 5 मिनट ले लिये हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, ने दो मिनट के लिये समय दिया था।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं तो आपके इशारे से बैठ जाऊंगा। मैं चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी इस सदन में स्टेटमेंट दें। आज जहां कि 50 लाख लोग बीकानेर, गंगानगर, चूरू जिले के लोग आन्दोलन की राह पर हैं। अगर समय रहते इस नहर का निर्माण नहीं किया गया, अगर पंजाब सरकार पर दबाव डालकर एक नई नहर का निर्माण नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक साल नहीं अगले दस सालों में अकाल पड़ने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं इस सरकार से, हालांकि मुझे इस सरकार पर विश्वास कम है, अगर कोटा का यह मसला होता, अगर चम्बल की यह स्थिति होती, तो चतुर्वेदी साहब कब से काम शुरू करवा

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
देते...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह उस इलाके की है जहां के मंत्री ने त्याग-पत्र दे दिया। वित्त मंत्री को राजस्थान कैनाल की लिफ्ट की जो दुर्दशा है, उस ओर भी ध्यान नहीं है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज का किसान आने वाले संकट से ग्रस्त है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी विस्तृत बयान दें सरकार की मनोदशा क्या है? गंगानगर, बीकानेर, चूरू की जनता ने आन्दोलन करेगी और नये पश्चिम राजस्थान की मांग करने के लिये विवश होना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

सिंचाई मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री नूरा : मैं भी बोलना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने संयुक्त रूप से स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनमें से केवल एक माननीय सदस्य बोलेंगे, ऐसी माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है।

श्री रामनारायण चौधरी : एक-एक या दो-दो सदस्य बोलेंगे।

श्री दुलाराम : मेरा 24 तारीख का स्थगन प्रस्ताव है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें आप।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य!

श्री दुलाराम : अगर हमें नहीं बोलने देंगे तो हम यह सोच सकते हैं कि गंग कैनाल के लोगों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो उसको अंकित नहीं किया जायेगा। कृपया विराजें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : यह स्थिति हो गई है। दो मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी, कृपया विराजें आप।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब सहमति जाहिर की थी तब किसी ने आपत्ति नहीं की।

श्री श्योपतसिंह मकौसर : बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, जो लोग गंग कैनाल से अफेक्टेड हैं, जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, बड़ी विडम्बना होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें आप। आज 19 स्थगन प्रस्ताव हैं। क्या आप आशा करते हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर आप इजाजत दें तो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है....

श्री केदारनाथ : 8 तारीख को मंत्री महोदय स्टेटमेंट दे दें....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : स्टेटमेंट रेडी है ।

श्री केदारनाथ : 10 लाख लोगों की लाइफ लाइन है, कोलेप्स होने वाली है । मामूली बात नहीं है । आप और वित्त मंत्रीजी बैठ जायें । आप यह फैसला करें कि गंग कैनाल को बनाना है, मेन्टीनेंस अगर नहीं हो सकती। आप 8 तारीख को स्टेटमेंट दे दें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे पास वक्तव्य तैयार है । जो चिन्ता व्यक्त की है माननीय सदस्य ने...

## व्यवस्था का प्रश्न

### अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर सदस्य को चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है। जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि एक या दो माननीय सदस्य बोल लें । दुलारामजी का सेपरेट स्थगन प्रस्ताव है । गंगानगर जिले से निर्वाचित होकर आये हैं वह नहीं बोलेंगे ? बीकानेर से आने वाले नहीं बोलेंगे? आप अन्दाज लगा सकते हैं, जो डाइरेक्टली अफेक्टेड हैं और जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उनको समय नहीं दें, तो वह कैसे अपनी बात कह सकेंगे । अब तक दो मिनट में तो बोल देते ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह जरूर व्यवस्था कर सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें, उसके बाद माननीय दुलारामजी प्रश्न पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन को सहयोग दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : बाद में हम एक प्रश्न नहीं करेंगे, यह विश्वास दिला सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं बाद में ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका फरमाना तो उचित है मान्यवर, और हम उसका आदर भी करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दें, उससे पहले बोलने की इजाजत दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें ।

श्री रामनारायण चौधरी : जवाब देने में भी मंत्री महोदय को सहूलियत रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : उनका उत्तर तैयार है ।

माननीय रामनारायण जी, आप कृपया बिराज जायं ।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं, आपको बोलने की इजाजत

(श्री रामनारायण चौधरी)
देनी पड़ेगी । मैं बैठता हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं.....

(व्यवधान)

हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, दो मिनट दे दीजिये उससे पहले । हमारा हित है, हमारी पार्टी अफेक्टेड है—वक्तव्य के बाद क्या बोलेंगे, यह समझ में नहीं आता है।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है—वक्तव्य शुरू करें, उसके पहले कुछ कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मेरी सुन लीजिये । मंत्री महोदय कुछ वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन आप हैन्ड के लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में यह एक निश्चित प्रक्रिया रही है कि मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं और वक्तव्य देने के लिये आसन से समय लेंगे । माननीय मंत्री महोदय आपके प्रश्नों का उत्तर दें या न दें, यह उन पर है । आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करें, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता हूं । वे अपनी सुविधानुसार ही उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप और दुलाराम जी दोनों में से एक बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दे दूंगा ।

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री माणकचन्द सुराणा (वित्त मंत्री) : पाइन्ट आफ आर्डर....

उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में मैं आपका ध्यान रूल 129 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं—रूल 129 में—

"...... The member who has given notice may make a short statement and the Minister shall reply briefly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to take part in the discussion.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप कौनसा रूल पढ़ रहे हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : रूल 129 ।

श्री उपाध्यक्ष : यह एडजोर्नमेंट मोशन के लिये नहीं है....

(व्यवधान)

**श्री माणक चन्द सुराणा** : मुझे निवेदन करने दें, मैं उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं।

चाहे स्थगन प्रस्ताव हो या कोई हो, यदि कोई इजाजत सदन के माननीय सदस्यों को दी जाती है तो उसका औपचारिक उत्तर भी माननीय मंत्री महोदय को देने का है। इस नियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है कि उनको अनुमति दी जा सकती है।

**श्री भूरा** : स्थगन प्रस्ताव दिया है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : स्थगन प्रस्ताव दिया है।....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पहले जो व्यवस्था दी थी, वह ठीक है पहले माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दें और उसके बाद पर्टिक्यूलर मुद्दों पर स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि मंत्री महोदय तैयार नहीं हैं–अब जब माननीय मंत्री महोदय स्थगन प्रस्ताव पर तैयार हैं और वक्तव्य देना चाहते हैं और यह पंजाब व राजस्थान सरकार का मामला है तो आप वक्तव्य देने की इजाजत दें और फिर कोई स्पष्टीकरण रह जाता है तो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार**

**श्री रामनारायण चौधरी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उनको दो मिनट बोलने की अनुमति दे दें।

**श्री दुलाराम** : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1922 में गंग कैनाल का मसौदा महाराजा गंगासिंह जी ने तैयार किया था और 28-29 में इस नहर को....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जो चर्चा की जा चुकी है–माननीय रामकृष्णदास जी ने कह दिया है, आप रिपीट मत करिये।

**श्री दुलाराम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंग केनाल 70 मील की लम्बाई में फैली हुई है और पंजाब सरकार को गंगासिंह जी महाराज ने उस जमीन की कीमत दी थी। आज पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार के सामने एक मसला पेश किया है कि ईस्टर्न पंजाब और गंग कैनाल दोनों को ज्वाइन्ट करके निकालना चाहते हैं, जो आज गंगानगर में बह रही है। हमारी जनता की डिमान्ड है कि गंग कैनाल पहले बनी थी उसी तरह की बनी रहे और इसमें कोई फेर-बदल नहीं हो। शिक्षा मंत्री जी से, वित्त मंत्रीजी से, मुख्य मंत्री जी से और मुख्य अभियन्ता महोदय से हमारा एक शिष्टमण्डल गंग कैनाल के सम्बन्ध में मिला है और उस शिष्टमण्डल को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां एक मीटिंग आयोजित की गई है, उसमें पंजाब सरकार के मंत्री और अन्य अधिकारी भी आयेंगे और जो निष्कर्ष निकलेगा इस नहर को बनवाने में, उससे बाद में अवगत करा दूंगा। मगर दुःख है आज भी सैकड़ों किसान गंग कैनाल एरिया से पानी न मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं....

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट नहीं हुए हैं। इन माननीय मंत्री महोदय ने कभी गंग कैनाल देखी नहीं है

(श्री दुलाराम)

आज गंग केनाल के पानी का असर आधे से कम रह गया है और कुछ दिनों में यह भी नहीं रहेगा। गंगानगर जो 132 टन गन्ना शुगर मिल को देता था वे किसान अब केवल 50 टन गन्ना दे सकेंगे। इसलिये मान्यवर, एक मजदूर वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। किसानों की गन्ने और कपास की फसलें इसके अभाव में नहीं पक सकेंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि इस गंग कैनाल नहर को राजस्थान सरकार जल्दी से बनवाये और राजस्थान सरकार को जो मांग-पत्र दिया है, उसकी पूर्ति करें।

श्री जगतारसिंह (करणपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी तरफ से कह दें – पूर्व वक्ताओं को रीपीट न करें।

श्री जगतारसिंह : गंग कैनाल के बारे में पंजाब सरकार ने एक प्रपोजल भेजा है, इस मामले में अर्ज करना चाहता हूं – भाखरा कैनाल जो. . . .

(व्यवधान)

अपनी कमी को देखते हुए ले लेती हैं . . .

(व्यवधान)

इन्हीं चीजों को देखते हुए पंजाब सरकार ने जो राजस्थान के महाराजा ने गंग कैनाल निकाली हुई है जिसमें से वहां पानी देते हैं वह भी नहीं पहुंचता है। नहर की हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही खराब है। नहर अपनी लास्ट स्टेज पर है. . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि नहर को जल्दी से जल्दी बनाया जावे, नई नहर को। इसके साथ-साथ जो इसमें प्रपोजल हैं साफ करने का, उसमें भी चार छः महीने लगेंगे और जो जीरो से साठ मील तक कच्ची नहर का निर्माण होना है उसमें भी कम से कम तीन वर्ष लगेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी कि पंजाब सरकार नई नहर को बनाने के लिए रुपया देने को तैयार है, लेकिन वह बात बदल गई। अब यह कहा जाता है कि इस पर बहुत रुपया लगेगा जबकि हमारी गंग कैनाल से हर साल दो करोड़ रुपया दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, ऐसी स्थिति में हम यह चाहते हैं कि जीरो से साठ मील तक की नहर को जल्दी से जल्दी पूरा किया जावे और इसकी सिंचाई मंत्री जी घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय केदारजी, आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इन्होंने तो समय भी नहीं मांगा साहब।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको आपत्ति क्या है ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सारे राष्ट्र को चिंता है और आप... .

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि यह जो बीकानेर कैनाल है अपनी लाइफ को एग्जास्ट कर रही है। 52 साल हो गए इसका कंस्ट्रक्शन किए हुए। और यह मान्यवर, लाइम और कंकरीट से बनी हुई है जिसको पचास साल से अधिक हो गए हैं। इसकी जो मौजूदा लाइफ है पचास साल की, वह पचास साल पूरे कर लिए हैं और अब चूंकि यह इंटर स्टेट मसला है, राजस्थान सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती।

इस पर सात करोड़ का खर्चा होगा, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसके एस्टीमेट आपके पास आ गए हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी बेनिफिट एण्ड कास्ट आफ रेश्यो पर रिपोर्ट भेज दी है और यह फैसला होना है कि हम बीकानेर कैनाल नई नहर बनायेंगे। उधर आप कहते हैं कि हम पंजाब की कैनाल में शेयर नहीं देंगे आप स्वयं उसको बना नहीं पाओगे। इसका मेंटीनेंस आफ कन्स्ट्रक्शन आपके हाथ में है। यह इंटर-स्टेट एग्रीमेंट है, उसके बाहर जावें तो पंजाब आपको राइट नहीं दे सकता, इसलिए पंजाब को नई नहर के लिए आप पैसा दे दीजिए। मान्यवर, सिंचाई मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी जो सीज्ड हैं प्राब्लम से, अपने सारे आफिसर्स को साथ ले जावें और वहां पर बैठ कर फाइनल सोल्यूशन क्या हो, इस पर विचार किया जाय। अब इसमें देरी करने की जरूरत नहीं है। आइन्दा बारिश हो गई तेज आंधी भी आ गई तो जो 12 इंच का स्लोप है, लाइम का वह डेमेज्ड है, कोलेप्स्ड हो गया है। मामूली बारिश से भी कोलेप्सड हो जाएगा। पास ही वाटर लोगिंग है पंजाब का, सारा कोलेप्स हो गया है। इसके बाद गंगानगर के अन्दर गंग कैनाल के अलावा कोई साधन नहीं है और पीने का पानी देने के लिए भी जिले में दूसरा सोर्स नहीं है। कोई ड्रिंकिंग वाटर देने का सोर्स नहीं है। इसलिए गंग कैनाल का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके साथ कामर्शियल क्रोप्स का प्रश्न है। खरीफ की फसल में गन्ना होता है, चावल और कपास होती हैं। ये सब कामर्शियल क्रोप्स हैं जो चली गई हैं। आइन्दा रबी की फसल की सोयिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि पानी की कमी है। राजस्थान कैनाल में भी जहां 18 हजार क्यूसेक पानी आता था, उसकी जगह 11 हजार क्यूसेक पानी आता है। इसलिए इसमें स्वयं इंट्रेस्ट लेकर इसका सोल्यूशन निकालें। बड़ी खुशी की बात है कि कालवीजी साहब ने स्वयं जाकर इस नहर को देखा है और माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी देखा है। आप स्वयं भी हाउस एडजोर्न होने के समय जाकर देख लें। आप देखेंगे तो स्वयं सरप्राइज हो जायेंगे। स्वयं गंग कैनाल नई बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट मसला है। गंग कैनाल पर दस लाख लोगों की लाइफ का प्रश्न है, इसलिए

(श्री केदारनाथ)

आप स्वयं इस मसले पर सोचकर सोल्यूशन निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुशरण छावड़ा !

श्री गुरुशरण छावड़ा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल के सम्बन्ध में अभी इस में माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और सरकार के सामने भी, पिछले दो मास से जिस प्रकार से जनता के द्वारा जो इस बात को लाया गया है और जिस प्रकार की स्थिति हुई है, माननीय कालवीजी साहब स्वयं नहर को देखने गए और वित्त मंत्रीजी ने गंगानगर प्रवास के अन्दर नहर में यह घोषणा की थी कि इस नहर की दुरावस्था को देखते हुए, इसकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देखते हुए इसके पुनर्निर्माण के लिए मैं अगले बजट में निश्चित रूप से व्यवस्था करूंगा और यदि कोई व्यवस्था नहीं कर सका तो मैं मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दूंगा। इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस सारी स्थिति की भयंकरता को समझते हुए हमें आश्वासन दिया था जनप्रतिनिधियों को व किसानों के प्रतिनिधियों को कि इस काम के लिए नहर के पुनर्निर्माण हेतु बजट का अभाव, पैसे का अभाव नहीं आने दिया जाएगा। सिंचाई मंत्रीजी भी इसको जानते हैं कि पिछले सत्र में भी मैंने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए यह मांग की थी कि गंग कैनाल के समानान्तर नहर का निर्माण कराया जाय। लेकिन आपके विभाग द्वारा इस काम में शिथिलता बरती गई। आपके द्वारा यह बतलाया गया कि पंजाब सरकार को सहयोग देना चाहिये, वह नहीं देती है। पंजाब सरकार तरह-तरह के बहाने बनाकर कभी लाइनिंग कैनाल बनाने की बात कह कर और कभी अन्य बात कह कर इस काम में अवरोध पैदा कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को सुझाव है कि आप स्वयं नहर का निरीक्षण करें और उसके साथ-साथ पंजाब सरकार से भी बात करें। जब आप उनसे बात करें तो हमारे गंगानगर जिले के जो किसान हैं, उनका प्रतिनिधिमण्डल है, विशेष कर किसान यूनियन का जिसने इस मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, आन्दोलन भी किया था, उन किसानों के प्रतिनिधियों को अपने साथ ले जायें, विधायकों को और सांसदों को भी साथ लें ताकि पंजाब सरकार पर दबाव पड़ सके और अभाव के द्वारा इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निदान हो सके।

इसके अतिरिक्त आज यह समस्या है कि 2700 क्यूसेक की जगह केवल 1300 क्यूसेक पानी चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि आज कैनाल की स्थिति जर्जर हो गई है, लेकिन इस जर्जर स्थिति में भी वहां 2300-2400 क्यूसेक पानी चल सकता है। लेकिन पंजाब सरकार के सिंचाई अधिकारियों की मनमानी का परिणाम है कि पूरा पानी नहीं आ रहा है। इस प्रकार से मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं जबकि पानी के लिए पंजाब सरकार से एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन वे हमारे इलाके को हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से पानी को रोका जा रहा है, उससे हमारे इलाके के किसान बर्बाद हो रहे हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं। मैं तो केवल यही

(श्री गुरुशरण छावड़ा)
निवेदन करूंगा कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जावे और हमारे हिस्से का जो पानी है वह रिस्क उठाकर भी दिया जावे ताकि इस साल की फसलों को बचाया जा सके।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मुझे निहायत अफसोस है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्योपतसिंहजी, कृपया विराजें।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष जी....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चिंता गंग कैनाल के विषय में माननीय सदस्यों ने प्रकट की है, राज्य सरकार भी उनकी चिन्ता में उनके साथ उतनी ही भागीदार है। गंग नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1920-26 में भूतपूर्व बीकानेर राज्य द्वारा कराया गया था। यह नहर पंजाब में बने हरिके हैड वर्क्स से निकलती है। इस नहर की अधिकृत क्षमता हैड पर 2720 क्यूसेक्स है तथा राजस्थान की सीमा पर 2640 क्यूसेक्स है। मुख्य नहर पंजाब में 118 किलोमीटर लम्बी है जो बीकानेर नहर के नाम से जानी जाती है। इस नहर का कृषि योग्य क्षेत्र 7,60,000 एकड़ है। इस नहर की अधिकृत सिंचाई तीव्रता 60 प्रतिशत है। इसके अनुसार वार्षिक सिंचाई 4,56 000 एकड़ है। इस नहर के लिए रावी व्यास के विभाजन से पूर्व उपयोग किए जाने वाले पानी में 1.11 मिलियन एकड़ फीट का भाग है।

अभी तक राजस्थान नहर का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण इस नहर पर प्रति वर्ष अधिकृत पानी के काफी अधिक जल उपलब्ध होता रहा है जिसके कारण सिंचाई भी अधिकृत सिंचाई से अधिक होती रही है। गत पांच वर्षों में जल की उपलब्धि तथा सिंचाई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष | 1974-75 | 1.67 |
| " | 1975-76 | 1.84 |
| " | 1976-77 | 1.73 |
| " | 1977-78 | 1.92 |
| " | 1978-79 | 1.83 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस नहर को अपने अधिकृत भाग से काफी अधिक पानी मिलता है तथा सिंचाई तीव्रता भी 85 से 90 प्रतिशत रही है।

गंग नहर के पंजाब में स्थित भाग की लाइनिंग बहुत पुरानी होने के कारण जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसकी मरम्मत करना संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान यह है कि इसकी लाइनिंग दुबारा कराई जावे। इसके लिये भिन्न-भिन्न प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन हैं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जो निम्नलिखित हैं:–

(1) इस नहर में अधिक समय के लिये बन्दी लेकर नहर की लाइनिंग दुवारा की जावे, परन्तु इसमें समय बहुत अधिक लगेगा तथा बन्दी के समय और भी लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।

(2) इस नहर के समानान्तर एक दूसरी नहर का निर्माण किया जावे। परन्तु इसमें पंजाब में स्थित उपजाऊ भूमि को अवाप्त करने की समस्या होगी।

(3) इन दोनों प्रस्तावों में कठिनाई को देखते हुए अब राजस्थान ने यह निर्णय लिया है कि राजस्थान नहर से बीकानेर नहर की आर. डी. 203 को चान्दभान ड्रेन द्वारा लिंक कर दिया जावे। जिससे इसके ऊपर की समस्त नहर में लाइनिंग का कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जा सके। नीचे के कार्य की लाइनिंग के लिये राजस्थान फीडर की आर. डी. 471 से एक नई लिंक गंग नहर के साधुवाली हैड तक बनाई जावे। इस प्रस्ताव पर अभी पंजाब की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। अब इस मामले की उच्च स्तर पर लेकर शीघ्र निर्णय कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इस वर्ष 31-7-79 को पंजाब में आर. डी. 85 के पास से बीकानेर नहर टूट गई थी। इसकी मरम्मत का कार्य 3-8-79 तक पूरा कर दिया गया था, परन्तु इसमें पूरी क्षमता का पानी तुरन्त नहीं चलाया गया। पंजाब के अधिकारियों द्वारा इस नहर में पानी धीरे-धीरे बढ़ाया गया तथा अगस्त के महीने में राजस्थान की सीमा पर लगभग दो हजार क्यूसेक्स पानी ही चलता रहा। इसके बाद मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब ने भी इस नहर का 30-8-79 को निरीक्षण किया और अब इसमें पानी बढ़ाने का निर्णय लिया। अब दिनांक 17-9-79 को इसमें पूर्ण क्षमता का पानी चल रहा है।

यद्यपि इस नहर के पंजाब में स्थित भाग में लाइनिंग की क्षति के कारण नहर की क्षमता कुछ कम हो गई है तथापि सिंचाई विभाग के निरंतर प्रयासों के कारण इस नहर में प्रतिवर्ष इसके अधिकृत भाग में अधिक पानी प्राप्त होता रहा है तथा सिंचाई भी अधिकृत सिंचाई से अधिक होती रही है। इस वर्ष भी जबकि राज्य के अन्य भागों में सूखे की समस्या भीषण है तथा नहरों में कम पानी चल रहा है फिर भी इस नहर के क्षेत्र में पूरा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी वर्षा की कमी तथा इस कारण काश्तकारों की साधारण वर्षा के कारण वर्षा के अनुपात में अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस नहर प्रणाली में राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा से भी 50 क्यूसेक्स पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

पंजाब राज्य में स्थित 118 किलोमीटर लम्बी नहर का रखरखाव एवं नियंत्रण पंजाब सरकार द्वारा किया जाता है। इस नहर को बनाने का खर्च एवं रखरखाव का खर्च भी राजस्थान द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान इस नहर को रखरखाव हेतु पंजाब को पिछले तीन साल से प्रति वर्ष लगभग 24,00,000

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

रुपये उपलब्ध कराता रहा है। इस वर्ष भी यह धनराशि उपलब्ध कराई गई।

जुलाई-अगस्त में नहर के बीच को ठीक करने के बाद पंजाब ने कटे हुए बैंकोंक्स को मजबूत करने हेतु पुख्ता बना कर चौड़ा करने हेतु 184 लाख रुपये का मांग-पत्र दिनांक 4-9-79 को भेजा है। इस वर्ष 60 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इस विषय पर सिंचाई विभाग की कोर्डिनेशन और प्लानिंग कमेटी की बैठक में दिनांक 4-10-79 को विचार कर अनुमोदन किया गया है और इस धनराशि के लिये संशोधित बजट एस्टीमेट में प्रावधान रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार द्वारा इससे पहले नहर की मरम्मत हेतु कोई धनराशि की मांग नहीं की गई।

राजस्थान सरकार की मान्यता है कि नहर के दुबारा लाईनिंग का कार्य पूरा हो जाने तक इस नहर को ठीक रख-रखाव व्यवस्था पर चलाया जा सकता है। राजस्थान सरकार रखरखाव की जिम्मेवारी स्वयं उठाने को तैयार है। इस आशय का पत्र मुख्य मंत्री द्वारा भारत सरकार को लिखा जा चुका है।

राजस्थान ने नहर की दुबारा लाइनिंग हेतु लिखित प्रस्ताव पंजाब को दिसम्बर, 78 में भेजे। कोई उत्तर प्राप्त न होने पर 25-4-79 को मुख्य अभियन्ता, पंजाब को दुबारा पत्र लिखा। मुख्य अभियन्ता, पंजाब ने अपने प्रस्ताव दिनांक 3-9-79 को भेजे जिन पर टिप्पणी 13-9-79 को भेजी जा चुकी है। विषय में भारत सरकार को भी पत्र लिखे गये थे एवं सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली में इस विषय पर विचारार्थ एक बैठक 6-10-79 को बुलाई गई।

पंजाब-बीकानेर नहर और ईस्टर्न कैनाल को मिला कर एक संयुक्त नहर बनाना चाहता है जबकि राजस्थान अपनी नहर की पृथक् इकाई रखने पर जोर दे रहा है। पंजाब ने राजस्थान फीडर से गंग कैनाल को जोड़ने वाली लिंक नहर के लिये भी अभी सहमति नहीं दी है।

राजस्थान सरकार बीकानेर नहर के दुबारा लाईनिंग कराने हेतु सभी संभव प्रयास कर रही है। इस कार्य में धनराशि के अभाव के कारण किसी प्रकार की रुकावट नहीं होने दी जावेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी बजट में मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि 50 लाख का प्रावधान इसी वर्ष करें ताकि कुछ काम करा सकें।

**श्री तुलाराम** : 50 लाख से क्या होगा ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : 50 लाख की चर्चा तो मैंने इसलिए की है कि अभी कुछ किसान भाई आये थे पानी की कमी को लेकर, मुझसे मिले, वित्त मंत्री जी से भी मिले। अभी मेरे पास जो सूचना है दिनांक 3-10-79 को सुबह 2380 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उसी दिन सायं को 2372 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। 4-10-79 को प्रातः 2392 और सायं को 2344 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। यह जल प्राप्ति हैड से 2720 क्यूसेक्स रिलीज होने पर ही होती है। इसलिये गंग नहर में राजस्थान सीमा पर इस प्रकार पानी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस दिन पंजाब से हमारी चर्चा होकर निष्कर्ष निकल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आयेगा । इसलिये मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं । वैसे 40 करोड़ की योजना है और हम जल्दी से जल्दी बनाने के लिये भारत सरकार से प्रयत्न करेंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । अगर जी. बी. कैनाल में पानी दे दिया जाय तो इस कमी की पूर्ति हो सकती है । इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जी. बी. कैनाल में पानी वर्षा जल्दी देंगे । सूरतगढ़ ब्रान्च से राजस्थान कैनाल से पानी फीड कर दें तो यह कमी कुछ हद तक पूरी की जा सकती है । यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : गंग कैनाल और जी. बी. शाखा को सूरतगढ़ ब्रान्च से पानी देने की योजना है इसकी मोतीराम कमीशन ने रिपोर्ट दी उसमें व्यवस्था है कि जी. बी. को सूरतगढ़ ब्रान्च से पानी देंगे लेकिन सूरतगढ़ ब्रान्च के लोग वैसे ही परेशान हैं । पीने के पानी तक का ही अभाव है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आप इस सूरतगढ़ कैनाल की लाइनिंग डालने के बाद ही जी. बी. शाखा को सूरतगढ़ ब्रान्च से जोड़ने की कार्यवाही करें । यह मेरे क्षेत्र के किसानों के हित में भी है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर: नहीं, नहीं । यह सवाल नहीं है । अभी जो सिंचाई मंत्री जी ने बात कही है. . .

(व्यवधान)

यह तो आपको मालूम नहीं है । आप हंस रहे हैं । नहर के अन्दर नापतौल कर पानी डाला जाता है । उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को बढ़ाकर डालेंगे तब ले जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : टेल पर पानी पहुंचना चाहिए ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री हरचन्दसिंह (पनेलीवंगा) : सिंचाई मंत्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में कहा है कि हम इस इलाके के सारे काश्तकारों को पानी दे रहे हैं । लेकिन आप अपने विभाग से असेसमेण्ट करवाकर मालूम करा लें कि 30 और 40% खड़ी फसलें खराब हो गई हैं और आइन्दा बुआई नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, अपने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं यह निवेदन करूंगा . . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव उदयपुर विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं के बारे में है । उन्होंने यह मांग पिछले सत्र में भूख हड़ताल के जरिये से रखी है उन्होंने एक महीने तक हड़ताल रखी है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त माननीय कालवी साहब कृषि मंत्री नहीं थे । वह

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
विधान सभा के सदस्य थे । चौधरी नरेन्द्रपालसिंह और कालवी साहब हमारी मौजूदगी में व्याख्याताओं के कैम्प में गये हैं । उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई थी । उनको यह आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते में आपकी मांगें तय करवा देंगे । लेकिन यह कैसी अजीब बात है । वह मिनिस्टर बन जायें । उनके विभाग में सैकड़ों नौजवान क्लर्क की तनख्वा ले रहे हैं । उनके ग्रेड 306 तक हैं । वह कहते हैं, संशोधित यू. जी. सी. वेतनमान, जिस में केन्द्रीय सरकार हिस्सा देगी, राज्य सरकार को बहुत कम देना होगा । अगर कृषि मन्त्रीजी कृषि व्याख्याताओं की बात नहीं मानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है । आप उनको बुलाइये और लारेलप्पा के प्रोग्राम है, उनको छोड़कर उनकी जो परेशानियां पैदा हैं, उनको दूर कीजिए । सरकार और विश्व-विद्यालय के बीच कोई परेशानी पैदा हो, उससे पहले आप मेहरबानी करके इन समस्याओं को हल करें । आपने वादा नहीं किया हो तो आप अपनी जबान से कह दें । अगर वादा किया है तो वादा खिलाफी क्यों हो रही है ? समझ में नहीं आ रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि कालवी साहब अपने मुंह से कह दें कि उन्होंने वादा नहीं किया था । अगर किया था तो यह क्यों हो रहा है ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य : वादा किया तो निभाना पड़ेगा ।

श्री कल्याणसिंह कालवी : मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं विधायक था तो वहां पर जो व्याख्याता बैठे थे, मैंने उनकी समस्याओं को सुना था । उनके बारे में कितना ही पैसा फाइनेंस विभाग से लैप्स कर लिया गया । उसके बाद मैं उनकी बातें वापिस सुन चुका हूं । वी. सी. साहब से भी बात हो चुकी है । सुबह उस सबको प्रस्तुत कर दिया जाएगा । आपको मालूम हो जाएगा ।

श्री मूलचन्द डागा : पहले कृषि मंत्रीजी आश्वासन देते हैं कि केबिनेट में रखा जाएगा । आज 12 महीने हो गये हैं । आप आश्वासन देते हैं । अब आपने दूसरी बात कही है ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : No, No.

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा था कि पहले मीटिंग में इस बात को रखा जायगा । निर्णय लिया जायेगा । आश्वासन दिया था । आश्वासन आश्वासन समिति में रखा जायगा । He is misleading the House.

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब ।

( व्यवधान )

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी समस्याओं का समाधान कर दें ।

श्री मूलचन्द डागा : कितने समय में समस्याओं का समाधान कर देंगे ?

( व्यवधान )

65

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी नाराजगी को देखते हुए जल्दी ही समाप्त करूंगा । मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पुलिस की भर्ती हो रही है । रूल्स में ऐसा है, पहले आठवीं क्लास पास होते थे तो उनको लिया जाता था । जब कि एडवर्टाइज़मेन्ट में भी यही जारी हुआ था कि आठवीं पास लिया जायेगा । आठवीं पास मांगे गये हैं । अब उनको बाईपास कर दिया गया है । ज्यादा क्वालिफिकेशन वालों को लिया जा रहा है और बाकी हजारों को रिजेक्ट कर दिया गया है । आज फौज में भर्ती नहीं हो सकते । पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते तो फिर क्या होगा ? इस प्रकार के जुल्मी आदेश हैं । उनको आप विथड्रा करें । हजारों एप्लीकेशन्स आई हैं । उन आठवीं पास वालों को कन्सीडर करना चाहिए ।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भर्ती के बारे में सवाल उठाया है । मैं निवेदन करूंगा की सरकार की ओर से ऐसे आदेश नहीं दिये गये हैं । जो कायदे कानून हैं, उनके बारे में . . . .

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है । मैं डिटेल में न जाकर इतना ही निवेदन करूंगा कि इससे पहले भी भर्ती हुई है । मैं ऐसे आदेश दूंगा कि जो नियम बने हुए हैं, उनके तहत में भर्ती करें ।

श्री सुरेश कुमार : क्या आई. जी. पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज के रूल्स को बाईपास कर सकता है । जब 8 वीं पास का प्रावधान है । जो लोग गांवों से आये थे । उन्हीं सैकड़ों लोगों को भगा दिया गया है । कितना उनका खर्चा हुआ है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में जो भर्ती हो रही है, उसमें झालावाड़ क्षेत्र के लोगों को नहीं लिया गया है ।

केवल इस आधार पर झालावाड़ जिले के पांच कैण्डीडेट्स को जो क्वालिफाइड थे, उनको भेज दिया जाये कि आप झालावाड़ जिले के हैं । आपकी भर्ती झालावाड़ जिले में की जायेगी, आपको कोटा में भर्ती नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी को मैं यह बताना चाहता हूं कि जिलों में जो नियुक्तियां हुई हैं . . .

(व्यवधान)

श्री गोपालसिंह मकासर : गंगानगर में बिलकुल उल्टा हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : 8वीं क्लास पास एक भी नहीं लिया है . . .

(व्यवधान)

यह अन्याय हुआ है, आप उनको कहिए कि यह क्यों किया गया ।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इसके पीछे ग्रामीण पढ़े-लिखे लोगों की उपेक्षा करने का षड्यन्त्र नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या ओपन एडवर्टाइजमेन्ट में कोई पर्टिक्यूलर क्वालिफिकेशन रख दी गई हो और उसको रखे जाने के बाद में साक्षात्कार के समय उस क्वालिफिकेशन को चेन्ज किया जा सकता है। 8वीं क्लास की क्वालिफिकेशन आपने रखी और बाद में क्या इसको तरमीम और तबदील किया जा सकता है?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय मन्त्री महोदय से..

श्री हरीश शर्मा : इस तरह से पहले भी सरकार अपने-अपने आदमियों को लेने के लिए क्वालिफिकेशन को चेन्ज करती रही है और सीट बढ़ाती रहती है, आपने क्वालिफिकेशन को चेन्ज कर दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। इतने प्रश्नों का उत्तर देना एक साथ सम्भव नहीं है, पहले मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री वीकमचन्द कान्त (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रूल्स बने हुए हैं उसको कोई भी प्रशासनिक आदेश या निर्देश से ओवर रूल किया जा सकता है, प्रश्न यह है, मेरी राय में ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसे आदेश जारी हुए हैं तो मैं उनको देख लूंगा। मैंने निवेदन किया था एक सर्क्यूलर जारी हुआ था 1975 में, शायद 23-9-75 का है, उसमें यही था कि—

Standing Order No. 12.

Sub:—Educational qualification for direct recruitment of constables of C.P./A.P./R.A.C.

Dear Sir,

I have to invite reference to column 4 of the Schedule appended in the Rajasthan Subordinate Police Service Rules, 1974 laying down educational qualifications for direct recruitment of constables. At present educational qualifications laid down for recruitment of constable in C.P. Section I of the Schedule is 8th Class pass from a recognised school and for constables in the A.P./R.A.C. as laid down in sections 2 and 4 of the appendix is 4th Class pass from a recognised school.

2. The matter has been examined in the light of the recommendations of the committee on Police Training whereas no amendment is considered immediately necessary in the Schedule it is desired that for recruitment in the C.P. preference should invariably be given to condidates with High School qualifications or above. For recruitment in A.P./R.A.C. preference should be given to candidates who have passed Middle School Examination from a recognised school or higher examination.

3. These directions are issued to you to ensure better in take of

(श्री सम्पतराम)
material in the C.P., A.P. and R.A.C.

Yours faithfully,

तो यह सरक्यूलर था कि इसका भी ध्यान रखा जाय, उसको गलत इण्टरप्रेट किया होगा। वैसे मैं यह निवेदन कर दूं कि कोटा, अलवर या बीकानेर में जहां भी भर्ती हुई कायदे-कानून के मुताबिक हुई है। उसके बाद जो इन्स्ट्रक्सन्श दिए गए हैं उसको इण्टरप्रेट कुछ भी किया हो—

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री सम्पतराम : आप सुनिये तो सही, आपने ही बोलने का ठेका लिया है क्या, I am in possession of the House. Let me hear first.

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : आप ही ठेका लेकर आए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह ठेका शब्द कार्यवाही से निकाले जाने के आदेश दिए जायें। क्या हम काण्ट्रेक्टर्स हैं, यह मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

यह शिष्टाचार के खिलाफ है आप व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया है इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सम्पतरामजी के बन्धुआ मजदूर हैं।

श्री सम्पतराम : राजस्थान में कहीं भी भर्ती होती है तो किसी भी सूबे के लिए बंधन नहीं है कहीं भी, किसी भी सूबे में किसी भी सूबे का आदमी लगाया जा सकता है। यह केवल इसलिए किया गया था कि अलग-अलग जिलों में भर्ती होती है जिस जिले में भर्ती होती है वहां के लोगों को प्रिफरेन्स दिया जाय।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : अभी आपने फरमाया कि इन्स्ट्रक्शन्स जारी हो जायेंगे, तो जो रिक्रूटमेन्ट हो गया है, उनके बारे में आप क्या व्यवस्था करेंगे क्या उस भर्ती को आप खाली करवायेंगे।

श्री सम्पतराम : जहां रिक्रूटमेन्ट हो गया है उनके बारे में मैंने नहीं कहा है, इसके बाद जो भर्ती होगी उसको देखते हुए जो 8वीं पास हैं या 9वीं, दसवीं पास हैं उन सबको लिया जायगा।

श्री शीशराम ओला : भर्ती जो हो गई है, क्या आप 8वीं पास लोगों को निकालोगे जो कि पूरी कण्डीशन फुलफिल करते हैं या उनको भी आप अवसर देंगे ?

श्री सम्पतराम : किसी को निकाल नहीं रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालोर में निकाला गया है एक भी नहीं लिया गया है।

(व्यवधान)

**श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने एक बिलकुल जनरल स्टेटमेन्ट दिया है आपको सही जानकारी देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको प्रिफरेन्स दिया गया। मैं यह निवेदन कर दूं कि एक केन्डीडेट था घनश्याम जिसका सलेक्शन हो गया जो झालावाड़ जिले का था वह गया तो उसको कह दिया गया कि इसलिए नहीं लिया जायगा कि वह झालावाड़ का है। मैं यह निवेदन कर दूं कि वहां तो झालावाड़ का नहीं लिया और झालावाड़ जिले में जो भर्ती हुई उसमें गंगानगर और अलवर जिलों के केन्डिडेट्स भी लिए गए हैं, इसलिए इसकी जांच कराई जाय और जो ज्यादतियां की गई हैं उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

**श्री नवरंग सिंह** : मैंने भी एक सवाल पूछा था . . .

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री नवरंग सिंह** : आपने कहा बाद में पूछ लेना।

**श्री उपाध्यक्ष** : काफी चर्चा हो चुकी है, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री नवरंग सिंह** : मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके हुकम का पालन करता हूं लेकिन निवेदन यह है कि जिन लोगों को अवसर नहीं दिया गया, यह जांच कर लें आपके पास जानकारी है ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों को अवसर नहीं दिया गया है, जो निर्धारित क्वालीफिकेशन्स वाले नहीं थे, आपके आर्डर के तहत अवसर पाने के अधिकारी थे, क्या इस बात के लिये आश्वस्त करेंगे कि उन सबकी छानबीन करेंगे ? किसी को आवश्यक क्वालीफिकेशन्स के कारण उनको इन्टरव्यू में नहीं बैठने दिया गया है, क्या दुबारा उनको बुलाकर अवसर देंगे ?

**श्री किशन सिंह भाटी** (जैसलमेर) : एक और भी शिकायत आई।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजिए।

**श्री किशन सिंह भाटी** : सलेक्शन में करप्शन का मामला है गृह मंत्री का ध्यान. . .

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बाद में ले लें। यह आवश्यक नहीं कि सदन के माध्यम से ही जानकारी लें।

**श्री किशन सिंह भाटी** : क्या यह सही है कि जयपुर के एस. पी., श्री रामनारायण मीणा जो आपके चहेते है ने सलेक्शन के समय 3-3 हजार रुपये लेकर घोटाला किया है ?

**श्री सम्पत राम** (गृह मंत्री) : जानबूझकर गलत आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में अगर कोई टोप का ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं तो वह राम नारायण मीणा हैं. . . .

(व्यवधान)

आपका कहना बेबुनियाद है। अगर आज पुलिस फोर्स में टाप आनेस्ट अधिकारी है तो He is one of them.

**श्री उदाराम हटीला** : हरिजन होने के नाते लोगों को उनसे जलन है।

**श्री दुलाराम** : राम नारायण बिल्कुल ईमानदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री ओंकार लाल चौहान : वह ईमानदार एस. पी. है।

श्री दुलाराम : इस तरीके से एक पुलिस अधिकारी को बदनाम नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

श्री मन्जूर अली।

श्री किशनसिंह भाटी : हम तो हाउस के नोटिस में लायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नोटिस में ला सकते हैं लेकिन इस बारे में नियम भी हैं। पहले चेयर से अनुमति लेते। इस प्रकार किसी पर रिफलेक्शन नहीं कर सकते।

श्री किशनसिंह भाटी : आपकी अनुमति ली थी, उसके रेफरेंस में कहा था, उपाध्यक्ष जी, सुनिए तो सही, यहां पर चर्चा हुई कि भर्ती में क्या-क्या धांधली हुई, जो मुझे जानकारी थी, मैंने दे दी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यहां क्वालिफिकेशन्स की बात हो रही थी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मन्जूर अली।

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री, जयपुर उद्योग लि. की गिरती हुई प्रोडक्शन व वहां की बदइंतजामी के सिलसिले में है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री...

श्री किशनसिंह भाटी : झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या से कहें कि मुझ से डाइरेक्ट बात न करें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप शांत रहें।

श्री मन्जूर अली : आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो करीब 8.1 लाख टन सीमेंट पैदा करती है और 7.80 लाख टन चूरी पैदा करती है। इसके जो प्रभारी संचालक हैं, जब से वह संचालक बने हैं, उस समय से लगातार प्रोडक्शन गिर रहा है, इसका मैं मुख्तसर बयान करता हूं:—

1976-77 में 7,10,230 टन।

1977-78 में 6,66,240 टन।

1978-79 में 6,64,207 टन।

और 1979 में मार्च से अब तक बराबर गिरावट हुई है। वहां आफिसर्स के ग्रुप्स हो गए हैं, एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ हो गया है और आफिसर्स की इस गुट बन्दी से वहां प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा है, वहां की मशीनों का हेवी डिप्रिसीएशन हो रहा है, रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। आफिसर्स का हाल यह है कि अगर आप एन्क्वायरी करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक महीने में 15-20 दिन उनके दौरे हुए हैं और लाखों रुपए का टी. ए. व डी. ए. बनाया है जिसका असर मजदूरों पर पड़ा है। 1975 में यह फैक्ट्री

( श्री मंजूर अली )

बंद हो गई थी बदइंतजामी के कारण 9 महीने बंद रही। उन 9 महीनों में न सिर्फ वहां के मजदूर बल्कि वहां के क्लर्कों की हालत भी खराब हो गई थी उनके घरों का सामान बिकने लगा था क्योंकि 9 महीने तक उनको तनख्वाह न मिलने के कारण सीमेंट की पैदावार को नुकसान हुआ, राष्ट्रीय हानि हुई। वहां फिर ऐसी हालत पैदा हो गई है कि यह फैक्ट्री किसी भी दिन बंद हो सकती है और एक बार बंद हो जाने के बाद चालू करना मुश्किल हो जायेगा जो इर्रिपेरेबल लोस होगा। वहां बराया साहब के जाने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है, कई अधिकारियों ने फर्जी नामों से टेंडर ले रखें हैं, बिजनेस करते हैं। एक का नाम बताता हूं, वह है सिक्योरिटी आफिसर श्री भाटिया उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है फैक्ट्री का नुकसान हो रहा है। कुल 600 टन चूरी निकलती है और बाजार भाव 85) रुपये क्विन्टल है, बजाय 85) रुपए के 20) रुपए प्रति क्विन्टल बिक रही है और कुल पैदावार 600 टन है और दो हजार टन बिकी है। इसका मतलब इतने टन चूरी के भाव में कोल बिक गया है। मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को करीब मैंने 125-150 पत्र अब तक भेजे हैं लेकिन न उनका जवाब मिलता है, न इंतजाम होता है। इन परिस्थितियों में मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री और पूरी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिए कि यह इतनी बड़ी फैक्ट्री और सीमेंट का मामला है। यह नेशनल इश्यू है और 5000 मजदूर वहाँ रोजगार पर लगे हुए हैं वरना पैदावार बंद होगी, 5 हजार लोगों के रोजगार का मसला होगा कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।

श्री नूरा (मसूदा) : मेरा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है। 81 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद जोधपुर के मजदूर...

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि सीमेंट फैक्ट्री में सरकार ने जो प्रशासक नियुक्त किया है उस प्रशासक कि तानाशाही के कारण उनके कार्यकाल में वहां भ्रष्टाचार पनपा है, पक्षपात हुआ है और अनियमिततायें हुई हैं। वहां का घाटा 14 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गया है। इस तरह से प्रशासक वहां गुटबंदी कायम करके अपना ठेका चलाए पक्षपातपूर्ण तरीके से लोगों को निकाले और भर्ती करे और चूरी और दूसरे मेटीरियल को बिना टेंडर निकाले मन माने ढंग से चहेतों को दें, इससे बढ़कर उस कारखाने के लिए व सरकार के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यहां तक कहना चाहूंगा कि जो सूचना वहां से केन्द्रीय सरकार के पास पैसे की वसूली की भेजी जाती है वह सारी फर्जी भेजी जाती है। और इसके लिये वहां का प्रशासन फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर केन्द्रीय सरकार से पैसे वसूल करता है मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सारे काण्ड की जांच करवायें इसमें और उसके बाद में जो भी दोषी अधिकारी हों उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उद्योग मन्त्री।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग के बारे में सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य और नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार सदन में व्यक्त किये उसके बाबत में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग के बैकग्राउन्ड के बारे में कुछ पहले निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर उद्योग फैक्ट्री जो राजस्थान सरकार ने टेक ओवर की है वह एक टेम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट है। यह फैक्ट्री उपाध्यक्ष महोदय, इसके मालिकों ने सन् 1975 में बन्द करदी थी। यह सन् 1975 से ही बन्द पड़ी थी तो राज्य सरकार ने इसका कार्यभार कुछ समय के लिये सम्भाल लिया। इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी बराया साहब हैं, उनको बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के नीचे काम करना पड़ता है। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं राज्य सरकार इसकी मालिक नहीं है राज्य सरकार इस फैक्ट्री को नेशनेलाइज करने के पक्ष में है इसके लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा भी। मैं माननीय सदस्यों को यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों ने इस बारे में प्रश्न भी उठाये और इसके लिये जो पहले उद्योग मंत्री थे श्री जार्ज फर्नान्डिस, उन्होंने मीटिंग भी की थी हमारे यहां के लोकसभा के सदस्यों ने इसके नेशनलाइजेशन के बारे में भरपूर वकालत भी की। वहां पर उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के लोकसभा के सदस्यों ने कहा कि इसको नेशनेलाइज कर दिया जाय। पर क्या करें उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विकट समस्या है हमारे पास कोई पावर्स नहीं हैं हम उसमें एक प्रोक्सी की तरह हैं। हमें वहाँ पर कई संवैधानिक कठिनाइयां काम करने में आती हैं मैं मंजूर अली साहब जो कि अच्छे वकील हैं वह इसको अच्छी तरह समझते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर: वही क्यों समझते हैं हम नहीं समझ सकते क्या?

श्री सूर्यनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात तय हो गयी और केन्द्रीय सरकार ने इसके नेशनलाइजेशन के लिये एक बिल भी तैयार कर लिया था वह हाउस में इन्ट्रोड्यूस भी हो गया उसमें यह स्पष्ट था कि जयपुर उद्योग की जो सीमेन्ट फैक्ट्री है उसको नेशनलाइज कर दिया जाय। अब हम चूंकि जब तक इसके मालिक नहीं हो जाते तब तक एडीशनल इन्वेस्टमेन्ट भी नहीं कर सकते। हमें क्या पता इस फैक्ट्री का अल्टीमेटली भाग्य क्या होना है? यह नेशनलाइज होगी या हमारे पास रहेगी या क्या होगा? उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि राज्य सरकार की इसमें करीब 6 करोड़ रुपये की बकाया निकल रही है जिसमें सेल्स टैक्स और बिजली वगैरह की बकाया है। जो भी हम इससे वसूल नहीं कर पा रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर: आप कहना क्या चाहते हैं? आप उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। Have a decision of the Government.

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री सूर्यनारायण चौधरी: मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाया है जो शिकायतें राज्य

( श्री सूर्यनारायण चौधरी )

सरकार के सामने रखी है, जो तथ्य बताये हैं, उसके लिये तो राज्य सरकार जानकारी प्राप्त कर लेगी और जहाँ तक इसका इम्प्रूवमेन्ट का प्रश्न है इसमें करीब तीस करोड़ रुपये का खर्चा आता है जब तक इस पर तीस करोड़ रुपया आप नहीं लगाते तब तक यह फैक्ट्री ठीक तरह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती है। अब इसको केन्द्रीय सरकार चलाना चाहती है राजस्थान सरकार को देती है प्रोडक्शन बढ़ाने का जहां तक सवाल है वह तो...

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह क्या स्टेटमेन्ट दे रहे हैं। यह स्टेटमेन्ट है ? हमें तो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर अधिकारियों के खिलाफ में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं उसके लिये आप कोई कमेटी बिठाकर जाँच कराने को तैयार हैं ?

**श्री मन्जूर अली** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह सीमेन्ट फैक्ट्री नेशनलाइज होती है तो वह मजदूरों के हित में होगी लेकिन अगर वह राजस्थान सरकार के हाथ में रहेगी तो वहां मजदूरों का हित नहीं होगा और उस सीमेन्ट की फैक्ट्री का किसी भी प्रकार से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और राजस्थान सरकार उसका इन्तजाम नहीं कर सकेगी राजस्थान सरकार की इसमें बदनामी होगी। इसके अलावा मैंने जो आरोप लगाये उसका जवाब मंत्री महोदय ने मुझे नहीं दिया। मैंने कहा कि वहाँ पर करप्शन बढ़ रहा है और बरावा साहब जब से आये हैं तब से उस फैक्ट्री की हालत ज्यादा बिगड़ी है। मजदूरों में भयंकर असन्तोष है वहाँ पर फैक्ट्री में लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है सारी मशीनें डैमेज हो रही है। इसलिये मेरी मंत्री महोदय से यह गुजारिश है कि वहाँ पर अब लोसेज नहीं हों उसके लिये किसी टैक्निकल आदमी को लगायें। टैक्निकल आदमी के लगने से जो मशीनें वहाँ खराब हैं वह ठीक भी होंगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। नहीं तो वह फैक्ट्री बन्द हो जायेगी। इसलिये मेरी गुजारिश है कि उसको....

**श्री ईश्वरचन्द्र** : चरणसिंह से कहो।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : चरणसिंह से क्यों कहें ? आप अपने जार्ज फर्नान्डिस को ही क्यों नहीं कहते जो आपकी पार्टी छोड़ गया। आपको शर्म नहीं आ रही है।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : कोई शर्म नहीं आयेगी। आप केन्द्रीय सरकार से कहो कि नेशनलाइज करें।

**श्री मन्जूर अली** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति वहां पर दोषी हैं और जिनका मैंने जिक्र किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से केन्द्रीय सरकार को अधिकृत किया है कि उसको आप टेक-ओवर कर लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, जब से वराया साहब ने चार्ज लिया है वहां का प्रोडक्शन गिर गया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आरोप बिल्कुल गलत है। वहां की फैक्ट्री की जो मशीनरी है वह बिल्कुल झर-झर हो रही है। प्रोडक्शन कैसे बढ़े ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप क्यों नहीं ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दाता : आप इसमें बार-बार डिले क्यों कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा में बिल पेश किया गया था लेकिन बिल इन्ट्रोड्यूज होने के बाद लोकसभा भंग हो गयी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को चाहिये कि जांच करावें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : आप अपने स्थान से बोलें, कहां से बोल रहे हैं। अपने स्थान से बोलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप इधर से बोलिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, श्योपतसिंह जी लोकदल में कब से चले गये ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये मन्त्री महोदय के जवाब के बाद कोई इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव जोधपुर में बिजली कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बारे में दिया था। पहले जोधपुर के बिजली कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठते थे। और उसके बाद उन लोगों ने पूर्ण भूख हड़ताल चालू कर दी है आज भूख-हड़ताल का 88वां दिन है। पर राज्य सरकार ने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के बिजली कर्मचारियों ने अपना एक 56 सूत्री मांग-पत्र बोर्ड के सामने रखा था दिनांक 3-6-79 को और उस दिन से लेकर आज तक कोई विचार राज्य सरकार ने नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने बजाय मामला सुलझाने के 24 तारीख को मजदूरों को जो करीब 30-31 होंगे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उन मजदूरों के खिलाफ में पुलिस ने दफा 309 के मुकदमे भी दर्ज कर लिये। मैं मानता हूं कि विद्युत मन्त्री जी काफी वजन रखते हैं क्योंकि उनके पास कई काम हैं, शाखायें चलाना, पार्टी का संचालन करना और राज का काम करना। इसलिये, आज 88 दिन भूख हड़ताल करते हुए हो गये लेकिन मन्त्री महोदय इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने विद्युत मंत्री जी को पत्र लिखा तो उन्होंने मेरी चिट्ठी का उत्तर दिया कि वह विभाग को लिख रहे हैं और इस बारे में मण्डल कुछ करेगा। लेकिन मुझे खेद के

(श्री नूरा)

साथ कहना पड़ता है कि आज मजदूरों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इस ओर कुछ भी कार्यवाही सरकार की तरफ से अभी तक नहीं की गई इसके विपरीत सरकार मजदूरों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाना चाहती है इस प्रकार की कार्यवाही करके अगर विद्युत मन्त्री जी यह जानते हों कि जोधपुर के बिजली कर्मचारियों की संस्था टूट जायेगी तो मैं आपसे विद्युत मन्त्री जी से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जोधपुर का मजदूर टूटेगा नहीं, आप वहां पर इस प्रकार कार्यवाही करके नया संघ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर मजदूर लोग टूटेंगे नहीं मजदूर टूटना नहीं जानता वह तो लड़ना जानता है। आपकी इस प्रकार की कार्यवाहियों से तो मजदूरों का आन्दोलन भड़केगा और आप लाचार होंगे बाद में। उनकी मांगों में उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मांग है कि खाली जगह भरो और प्रमोशन उनको दिये जायं। इस तरह से 56 मांगों का मांग-पत्र आपके पास भेजा है लेकिन सरकार की तरफ से उन समस्याओं को हल करने के लिए विद्युत विभाग ने कुछ नहीं किया और मजदूरों में असन्तोष है भूख हड़ताल चालू है मैं चाहूंगा कि विद्युत मंत्री जी बीच में पड़कर इस समस्या का समाधान करायें क्योंकि 100 दिन पूरे होने में सिर्फ 12 दिन ही कम हैं और वह भी पूरे हो जायेंगे, ऐसा लगता है। 56 मांगें हैं उनमें से कुछ मांगें बैठकर निपटाते या कुछ कदम उठाते लेकिन आपने ऐसा रवैया लगातार अपना लिया कि न तो आपने मांगों पर विचार किया और न कोई वार्ता की। आज भी जोधपुर में इन मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का संघर्ष जारी है। पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन वह आज भी अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके ऊपर 309 के मुकदमे लगायें गये हैं वह मुकदमें आपको वापस लेने चाहिए। अब आप आर० एस० एस० के नहीं हैं, पूरी स्टेट की आपकी जिम्मेवारी है 88 दिन चलने वाली हड़ताल का क्रम कब तक पूरा होगा ? मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव द्वारा बात कही है कि आप उसका जवाब दें मैं चाहूंगा कि समस्या का हल हो जाये और मजदूर में बढ़ता हुआ असन्तोष दूर हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह। (अनुपस्थित)

श्री नूरा : मैं यही कहूंगा कि यह गूंगी, बहरी और नहीं सुनने वाली सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री लालचन्द।

श्री लालचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गांव रणवीसर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर क्या होता है कि आज से करीब 20 साल पहले उस रणवीसर की पहाड़ी के ऊपर करीब 40 परिवार हरिजनों के आबाद थे और उन लोगों को जमीन पर पक्के मकानों के पट्टे मिले हुए थे। अभी थोड़े दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने असोपा इन्डस्ट्रीज के नाम से स्टोन क्रेशर मशीन लगाने के लिए लीज दी है और उस लीज के अन्दर जो एरिया आया है उस एरिया

(श्री लीलचन्द)

के अन्दर उन परिवारों के मकान भी उसमें आ गये और उन लोगों को जो कि गरीब हैं, हरिजन हैं और कम से कम उनकी 500 की आबादी है, उन लोगों को अपने मकानों से उठाने की कोशिश की जा रही है। तीन चार दफा उन्हें डिस्प्लेस करने की कोशिश की गयी, लेकिन गांव के लोगों द्वारा हरिजनों द्वारा अब ऐसा लग रहा है कि यह पार्टी काफी मजबूत पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अब वह डिटरमिन है कि हरिजनों को यहाँ से हटा दिया जाये। तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरी जानकारी करें और उन हरिजनों को वहाँ से नहीं उजाड़ा जाये, इस बात की वह व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

**श्री शीशराम ओला** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा स्थगन प्रस्ताव झुंझुनू जिले में बिजली विभाग की ओर से अव्यवस्था पर है। 16-17 आदमियों की मृत्यु हो गयी और हजारों की संख्या में जानवर मर गये, कुओं की मोटरें जल गयीं। जुलाई, अगस्त और सितम्बर में बिजली नहीं मिलने से जो फसलें थोड़ी बहुत थी, वह भी सारी नष्ट हो गयीं। नवें महीने की 6 तारीख को अरीड़ा गांव में कुछ लोग गाड़े पर जा रहे थे। उनमें दो आदमी, उनके दो दामाद और दो लड़कियां थीं। कुल 6 आदमी थे। और बलोदा गांव है वहां दो दिनों से बिजली के खम्भों से लाइन टूटी हुई पड़ी थी। वहां से बस का रास्ता भी है। बस वालों ने देखा कि तार टूटे हुए हैं, तो बस में जो सवारियां बैठी थीं उन्होंने कहा कि लाइन टूटी पड़ी है। तो बस वालों ने कहा कि आप लोग तो उतर जाओ और क्योंकि बस के तो रबर के ट्यूब और टायर हैं, इसलिए उसको कुछ नहीं होगा और वह निकल जायेगी। तो वे सवारियां उतरकर आधा मील का चक्कर काट कर आईं। कहने का मतलब यह है कि दो दिनों तक लाइन टूटी पड़ी रही और कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी दुरुस्त करने के लिए नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि सरकड़ी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम गिरधारीलाल है, जो अरीड़ा गांव में आया हुआ था और उसके रिश्तेदार बहनोई उसके साथ आये और श्रीचन्द जो अपनी लड़की को लेकर उसको छोड़ने जा रहा था, उसका नाम है वीरमती और गिरधारीलाल की स्त्री सुन्दर यह 6 आदमी गाड़े पर थे उनके पास करीब 6 हजार तो नकद रुपये थे और कुछ जेवर और घड़ियां इस तरह से कुल मिलाकर करीब 20-25 हजार की कुल राशि थी। ऊंट के गाड़े से वह टूटे हुए तार टकराये और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसी बिजली आई कि उनकी एक हड्डी भी नहीं मिली और कुछ पता नहीं चला, जैसे उनका दाह संस्कार हो गया हो। यह सारी स्थिति हुई। इसके अलावा जो आदमी मरे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इटावा में दो आदमी मरे। दो लड़के बिजली के तार के नीचे थे वह वहीं मर गये। ऊंट भी जल गया, गाडा भी जल गया। जयनारायण, माईधन थे, वह मर गए। पिलानी में आदमी मरा। कहने का मतलब यह है कि 17 आदमी बिजली विभाग की लापरवाही से मारे गये। उनको कोई

(श्री शीशराम ओला)

मुआवजा भी नहीं दिया गया । 16 आदमी मरे और उनकी चर्चा तक नहीं हुई । बिजली विभाग के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तो बहुत महत्व की बात है । मैं अपनी बात पूरी करके बैठ जाऊंगा । यही नहीं कितने ही कुओं की मोटरें जलीं । उसका मेन कारण यह है कि आपके विभाग में जो बिजली के खम्भे जितनी दूरी से लगाने चाहिए, उतनी दूरी से नहीं लगाये गये । एक तरह से बेगार-सी काट दी जाती है । तीन खम्भे गाड़ने चाहिए थे वहाँ दो ही गाढे हैं और इतने नीचे तार कि ऊंट के भी लग जायें, खम्भे गिर जायें । उनको कोई संभालने वाला नहीं है यह ऐसी जगह है । जयपुर में कोई बात हो जाय, सब देख लें । गांव में कौन देखने जाये । न कोई इन्जीनियर जाये, न कोई इसकी व्यवस्था है । इनके साथ में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है, कितनी भयंकर स्थिति बनी है, इस पर ध्यान दें आपके विभाग में लापरवाही से 16-17 जानें चली जायें, उनको मुआवजा दें नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके ऊंट मर जायें । 4 हजार रुपये का एक ऊंट आता है । जानवरों के लिये चारा नहीं, अकाल पड़ा है । जुलाई-अगस्त में बिजली मिली नहीं । तार इतने नीचे हैं कि हवा आती है तार आपस में जुड़ जाते हैं, 5 हजार की मोटर जल जाती है । मैं स्वयं पृथ्वी सिंह जी, चेयरमैन से मिला । उन्होंने फोन किया तो कुछ बिजली ठीक से आ रही है । लिखने से कुछ असर नहीं हुआ, इतनी बड़ी लापरवाही ? यह कब तक स्थिति बनी रहेगी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि अधिक से अधिक कुओं को बिजली के कनेक्शन दिये जायें और जो बिजली की अव्यवस्था है उसको दूर किया जाय । इन सबको ठीक मुआवजा दिया जाये । जिनके ऊंट मर गये हैं, जिनकी गाय जल गई, जिनके बैल जल गये । 17 आदमी मर गये । मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि जाँच कमीशन बैठाया जाय और इसकी घोषणा आज ही करें और जाँच करके जो दोषी अधिकारी हों, उनको दण्ड दिया जाये ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

श्री मदनसिंह दांता : यह मामला बहुत ही सीरियस है । मैं समझता हूं ऐसा अन्याय पहिले कभी नहीं होता था.. He should resign, if he cannot do it.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी, मैं पूरी जानकारी उनसे ले लूंगा । एक-एक बात की पूरी इन्क्वायरी....

श्री लालचन्द : अब तक कोई जानकारी नहीं दी ? माननीय मंत्रीजी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : स्थगन प्रस्ताव आपको कल दे दिया। 24 घंटे में आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : मैं चाहूंगा पहले मंत्री महोदय का उत्तर आ जाये।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : स्थगन प्रस्ताव की प्रतिलिपि मेरे पास है जो 10 बजे मुझे मिली है, उसमें स्पेसिफिक बात नहीं कही गई है। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जो तथ्य उन्होंने बताये हैं, उनकी पूरी जांच की जायेगी और एक-एक व्यक्ति के खिलाफ जो दोषी पाये जायेंगे एक्शन लिया जायेगा।

**श्री लालचन्द** : आज से दस दिन पहिले नवज्योति में समाचार छपा है। सारे राजस्थान को मालूम है। मंत्री जी, आपको मालूम नहीं है, आपके लिये शर्म की बात है...

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : पांच आदमी बिजली का करंट लगने से मर गये।

**श्री शीशराम ओला** : कोई तथ्य छुपाये नहीं हैं। कोई भी इन्क्वायरी कमीशन बैठाकर जांच करें, मेरे साथ चलें, पूरा इलाका सबूत देगा....

**श्री मदनसिंह दांता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री गुल मोहम्मद** : दैनिक नवज्योति के समाचार आपने पढ़े या नहीं पढ़े। अब तक आपने क्या इन्क्वायरी की ?

**श्री मदनसिंह दांता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे होम मिनिस्टर हैं उनके पास सारी रिपोर्ट आ जाती है। आपके अधिकारी सैकड़ों की तादाद में दृष्टिगोचर होते हैं, आपको रिपोर्ट नहीं देते ?

**श्री शीशराम ओला** : कलेक्टर, झुंझुनूं ने 5 आदमियों को 1-1 हजार रुपये का मुआवजा दिया है....

**श्री मदनसिंह दांता** : आप यहां उठकर तो कहें कि एक-एक को मुआवजा दिया जायेगा।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : मैंने कहा जो नियमानुसार मुआवजा दिया जा सकता है, वह मिलेगा। जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उनको दण्ड दिया जायेगा।

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : यह जांच आप किसी कमीशन से या आपके डिपार्टमेंट से करायेंगे। 17 आदमियों की जानों का मामला है। इस कदर बिजली की अव्यवस्था हो, फिर भी ध्यान नहीं दिया जाये। आप जांच कमीशन बैठाकर जांच कराइये।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि उन्होंने जवाब दिया जांच करेंगे, जो कुछ कार्यवाही करनी होगी, कर लेंगे। एक बात मंत्री महोदय से कह

78



(श्रीमती सुमित्रासिंह)

हूं, जब सदन चल रहा था माननीय सदस्य ने इस बात के लिये स्थगन प्रस्ताव दे दिया। मान लो सदन नहीं चलता हो। 5 व्यक्ति विद्युत-करेंट के लगने से मर गये। मंत्री महोदय को पता नहीं। आखिर उनका स्टाफ है, पी. ए. हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी है, चीफ इन्जीनियर, आर. एस. ई. वी. के चेयरमैन हैं, सब के रहते हुए इतनी बड़ी बात हो और यह कहें मुझे जानकारी नहीं। यह इनएफीशियेन्सी का उत्कृष्ट नमूना है सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, बिराजें।

श्री शीशराम ओला: 24 तारीख को यह स्थगन प्रस्ताव रखा था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो तो स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता, इस प्रकार की मुझे सूचना दी गई। उस वक्त मैं बोलना नहीं चाहता था। यह आज का नहीं है यह बराबर 24 तारीख का दिया हुआ है। आज तक उत्तर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: 24 तारीख के स्थगन प्रस्तावों को जानकारी मंत्री महोदय को नहीं दी गई।

श्रीमती सुमित्रासिंह: आसन यह व्यवस्था तो दे दें कि भविष्य के लिये इस तरह की खबरों के लिये मन्त्री अपने पी. ए. या प्राइवेट सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दें कि वे उनके ध्यान में लायें। उनकी जानकारी लें और निश्चित कार्यवाही करें, यह तो कम से कम व्यवस्था दे दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी: इस सरकार ने आसन की व्यवस्था को फालो नहीं किया। स्वायत्त शासन मंत्री ने क्या किया? यह भंवरलाल जी से कमजोर हैं। भंवरलालजी इतने पतले-दुबले वे ही पी गये तो ये तो ××× हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: आपसे तो कमजोर हूं।

श्रीमती मदनकौर: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो यह कहा कि उन सारे मुद्दों की तो जांच करवायेंगे और दोषी होगा उसको दण्डित किया जायेगा, लेकिन इस सदन में तो आज आप स्वयं दोषी हैं, आपको क्या सजा दी जाय? आप ही प्रस्ताव कर दें।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्रीमती सुमित्रासिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री महोदय के लिये जो ××× शब्द कहा है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला: इसकी जांच माननीय मंत्री महोदय किससे करवायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री रामसिंह विश्नोई!

श्री शीशराम ओला: जांच का उत्तर

---

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शीशराम ओला)

यहीं आया, पुलिस से करवायेंगे या किसी दूसरे अफसर से करवायेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बात बहुत गंभीर है। बिजली के तारों से कई घर बन्द हो गये। जांच कहां से करवायेंगे, यह जानना चाहता हूं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आपसे पूरी बात करके जांच के लिये आदेश देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप बैठ जायं, शीश राम जी।

**श्री शीशराम ओला** : बैठ कैसे जाऊं उपाध्यक्ष महोदय, कई घर गांव में बन्द पड़े हैं।

(व्यवधान)

मैं कभी किसी के भाषण में बाधा नहीं डालता और अपनी बात भी कभी कभी ही कहता हूं। बैठने का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री गोपालसिंह (खण्डेला)** : हम क्या महसूस करें उपाध्यक्ष महोदय, वे खड़े होकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि किससे एन्क्वायरी करवायेंगे ?

(व्यवधान)

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : मुख्य अभियन्ता ओ. एण्ड. एम. हैं वे ही इस सारे काम को देखते हैं, उनसे जांच करवायेंगे।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : ठीक है।

**श्री रामसिंह बिश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में बिजरिया निवासी मोतीराम चौधरी की षड्यन्त्र करके श्री किशनदान नाम के डकैत ने, जिस पर कई मुकदमे चल रहे हैं और जिसकी पुलिस को आवश्यकता थी, वह गिरफ्तार हुआ है उसके मामले को लेकर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो किशनाराम डकैत है वह जोराराम के घर पर पकड़ा गया है। मान्यवर, जब वह पकड़ा गया उस समय पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की। उसके बाद उसने बताया कि यूं तो मेरे ऊपर कई मुकदमे हैं। इस मामले में तो मैं वास्तव में मोतीराम चौधरी [illegible]प का निवासी है उसको कत्ल करने के लिये मुझे 50 हजार रुपये देने का तय किया था और 10 हजार रुपये मुझे इस बात के लिये एडवान्स भी दिये गये जिससे कि मैं बुलेट मोटर साइकिल खरीदूं और उसको कत्ल करके भाग जाऊं। मान्यवर, वह बुलेट मोटर साइकिल भी उससे बरामद हुई है।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जोराराम भी एक तस्कर है और उसके ऊपर भी पचासों मुकदमे तस्करी के, अफीम के, डोडे के आज तक चल रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह जनता पार्टी का कोई सक्रिय कार्यकर्त्ता है लेकिन यह अवश्य है कि जोराराम जनता पार्टी का अध्यक्ष है। मान्यवर, इतना ही नहीं जब किशनदान को ऊपर नीचे लिया गया तो उसने यह भी बताया कि ये पचास हजार केवल मैं ही नहीं, इसमें जोराराम का भी हाथ है और 10-10 हजार इकट्ठे करके इस

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आदमी को मारने के लिये दिए गये हैं। मान्यवर, इससे अधिक घिनौना कार्य क्या हो सकता ? जो कार्यकर्ता अपने फार्म पर बैठा है, अगर वह अच्छा कार्यकर्ता है, ईमानदार है और उसको मारने के लिये कोई 50 हजार खर्च करता है तो इससे अधिक घिनौना कार्य और क्या हो सकता है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, तीन कत्ल एक दिन में हुए हैं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा आप सक्रिय रहें और जांच करें और दोषी को दण्डित करें। मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं वह जो जोराराम है हमेशा गलत धन्धे करता है, तस्करी करता है और पुलिस में थानेदार, इन्स्पेक्टर वगैरह सब उससे बन्धे हुए हैं- सबको पैसा खिलाता है। मैं कोई पुलिस की इन्टिग्रेटी पर डाउट नहीं करता हूं क्योंकि आखिर पुलिस ने ही उसे पकड़ा है। लेकिन पकड़ने वाले दूसरे पुलिस कर्मचारी हैं और इन्क्वायरी करने वाले दूसरे हैं। मेरा निवेदन है कि किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच कराई जाय। पिछले तीन दिन से आपके कार्यकर्त्ता माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के घर पर उस जोराराम के केस को रफ-दफा कराने के लिए लगे हुए हैं। आप निष्पक्ष आदमी हैं। मैं आप पर कोई ब्लेम नहीं लगाता, लेकिन मुझे डर है कि कहीं पर आप इन्फ्लुएन्स में न आ जायें और पुलिस के कहने से छोड़ने का आदेश न दे दें। मैं मांग करूंगा कि आप निष्पक्ष अधिकारी के द्वारा जांच करवायें।

श्रीमती मदनकौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है, उन मुद्दों को तो मैं नहीं दोहराऊंगी। मेरा निवेदन करना यह है कि किशनदान, एक कुख्यात और बहुत ही खूंखार डकैत है। मेरे क्षेत्र में तीरों की ढाणी में भी उसने गत वर्ष डकैती की और मुझे जानकारी मिली है कि यह किशनदान हाल ही में पाकिस्तान में 10 लाख की डकैती करके हिन्दुस्तान में आया है। यह इतना कुख्यात डाकू है कि आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। हमारी पुलिस के जिस कर्मचारी ने अपनी सूझ-बूझ से साहस से और इससे भी अधिक अपने जीवन को खतरे में डालकर इस कुख्यात डकैत को पकड़ा है पर्याप्त रूप से उनको पुरस्कृत करें इससे उनका हौसला बढ़ेगा। इसके अलावा जो दूसरे पुलिस के कर्मचारी हैं उनका भी साहस बढ़ेगा। इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि किशनदान का काफी बड़ा गिरोह है और बहुत ही कुख्यात डाकू है। अत: राज्य सरकार का यह भी पुनीत कर्तव्य है कि ऐसे पुलिस कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय गृह मंत्री जी, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा किशनदान का उल्लेख किया है और बालोतरा से आने वाली माननीय सदस्या ने उल्लेख किया है, यह 302 का मुल्जिम भी है और दो-तीन दफा पुलिस से मुठभेड़ भी हो चुकी है। अखबारों में मैंने पढ़ा था कि सिरोही के आस-पास पुलिस की मुठभेड़ में इसको गोली लगी

81

(श्री परसराम मदेरणा)
और इसके साथी पकड़े गए थे, लेकिन यह बच निकला।

श्री सम्पतराम : गोली भी लगी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह देखने का आपको अब अच्छा अवसर मिलेगा, क्योंकि वह अब आपकी हिरासत में है। पुलिस की गोली लगने वाली बात तो फर्जी भी बहुत सी होती हैं, यह आप सब को पता है। मैं निवेदन करता हूं कि यह बहुत सीरियस मामला है। अभी तक जो तथ्य सामने आये हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि जो भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी में कर रहा है उससे यह बच नहीं सकता है, लेकिन जो जयपुर में सिफारिश लगा रहे हैं, येनकेन प्रकारेण, दूसरे प्रकार के हथकण्डे इस्तेमाल करके, मैं समझता हूं कि इसका असर आप पर तो निश्चित रूप से नहीं पड़ेगा, आप काफी निष्पक्ष गृह मंत्री होने का दावा करते हैं। आपने कहा है कि आप स्पष्ट रूप से इसकी जांच करायेंगे और अपने अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश देंगे कि जो भी अंश हो उसका इन्वेस्टीगेशन सही तौर पर होकर इसको सजा मिले।

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका तो एक ही स्थगन प्रस्ताव था, आप तो बोल चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अभी चेयर पर नहीं हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : किशनदान डकैत पाकिस्तान से डकैती करके आया था और पाकिस्तान से डकैती करके आने के बाद में इसका 3-6 पासपोर्ट रूल्स के तहत चालान किया गया और चालान करने के बाद में इसको छोड़ दिया गया। अगर 3-6 रूल ऑफ पासपोर्ट में यदि इसकी जमानत नहीं होती तो यह जो डकैतियां हुई हैं, जैसे चन्दनमल का जिक्र किया गया, और भी बहुत सी डकैतियां की हैं। मोतीराम चौधरी के बारे में भी जिक्र हुआ और इसके अलावा एक बैंक में भी इसका प्लान था, योजना थी, डकैती करने की। यह कन्फेशन से मालूम हुआ था। इसलिए यह डकैत बहुत खतरनाक डकैत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस सम्बन्ध में पहले भी इसने बचने की कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान से डकैती करके आया था। वहां दस लाख की डकैती की थी और वहां पर जाकर भयंकर चोट पहुंचाई गोली से। उस समय जो भी हमारे बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, पुलिस थे उनकी कमजोरी के कारण या उनकी मिलावट के कारण....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जैन साहब, अब चर्चा समाप्त करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उसके कारण....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसको बचाने की पूरी तरह से कोशिश की गई और अब भी की जावेगी, पूरी शक्ति लगाई जावेगी और जो हर वक्त में डकैती करता है, कत्ल करता है, वह हमेशा सरेण्डर करा दिया जाता है। उनके खिलाफ कार्य-

(८२)



(श्री वृद्धिचन्द जैन)

वाही नहीं होतीं । इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस सम्बन्ध में जांच करा कर और निष्पक्ष अधिकारी; एस. पी., बाड़मेर हैं उनसे आप जांच करा सकते हैं, उनको जांच करने के लिए मुकर्रर किया जावे और जांच करा कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

**एक माननीय सदस्य :** उनका बचाव करने वालों को भी जेल की सीखचों में रख दिया जावे।

**श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा खूंखार आदमी जिसने जोधपुर के इलाके में आतंक मचा रखा था वह पकड़ में आ गया । अभी माननीय सदस्य परसरामजी ने भी कहा कि वहां इसकी मुठभेड़ हुई थी । उस मुठभेड़ में मुझे पता नहीं गोली इस डाकू को लगी या दूसरे किसी डाकू को लगी लेकिन वहां खून निश्चित रूप से मिला था । उसके साथी के लगी हो लेकिन पिछले कई दिनों से बाड़मेर और दूसरी जगहों पर कोशिश की गई कि किसी तरह से यह पकड़ा जाय और वह पकड़ा गया । उन पकड़ने वालों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मैं जानकारी करूंगा कि उनको पुरस्कृत करें।

अब सवाल यह है कि उसके कई पहलू बतायें कि वह प्रधान भी रहा है शायद.....

**श्री वृद्धिचन्द जैन :** नहीं रहा। कभी नहीं रहा। यह पोलिटिकल प्रिजनर्स के साथ रहा है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** वह तो डाकू ही रहा है।

**श्री सम्पतराम :** मैं दुलाराम की बात कह रहा हूं । यह भ्रम कैसे हो गया कि हम उसको बचायेंगे। भ्रम की दवा तो मेरे पास नहीं है। मैं इसको यहीं नहीं खत्म करता हूं। माननीय परसरामजी ने और लूणी से आने वाले माननीय सदस्य के पास और ऐसी कोई सूचना होगी, तो मैं चाहूंगा कि प्राइवेट रूप से सारी सूचना आपसे एकत्रित कर लूं और इसके मामले में, जो भी अच्छे से अच्छा अधिकारी लगाने का आप सुझाव देंगे तो उसको लगा दिया जाएगा। अगर बाड़मेर के एस. पी. की बात हो तो उनको लगा दूंगा और कोई अफसर राजस्थान में हों, यहां पर हों, उनको भी लगा सकता हूं । इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिये। टेलीफोन करने की मेरी आदत नहीं है और न मैं कभी ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए टेलीफोन करूंगा। किसी भी आदमी ने टेलीफोन किया तो मैं उसको मानूंगा नहीं । इस मामले में मैं आपकी पूरी मदद चाहता हूं, आपकी सूचनाओं के मुताबिक हम कार्यवाही करें और जो पुलिस के अधिकारी को सक्षम समझें, ठीक समझें, जिसको उस इलाके की जानकारी हो, या आप जिसको बता दें मैं उस अधिकारी को लगा दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सारी डिटेल्स दे दें और...

(व्यवधान)

**श्री रामसिंह विश्नोई :** मैं आपको यह पूछ रहा था गृह मंत्री जी कि जिस आदमी के घर पर पकड़ा गया, जिसने जुर्म किया है वह तो छूटने वाला नहीं है लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं, यह जवाब मांगा

(श्री रामसिंह बिश्नोई)
था कि जिसके घर पर पकड़ा गया है, जो आपका कार्यकर्त्ता है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे कानून के हिसाब से ?

(व्यवधान)

**श्री सम्पतराम** : मेरी बात सुनिये। आप कार्यकर्त्ता की बात करते हैं मेरा बाप भी आ गया तो भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा इन्क्वायरी का मतलब यह रहा है कि वह जो डाकू पकड़ा गया है उससे बहुत चीजें हासिल होंगी। अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं इन्क्वायरी उन्हीं की होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जयनारायण सालोदिया!

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों के बहुत ही महत्वपूर्ण मसलों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक तरफ दो दिनों की बहस के मध्य में आपने सुना होगा कि सूखे की भयंकर स्थिति है और उससे किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ उसने अपने कुओं पर जो थोड़ी बहुत फसल बो रखी है उसके लिए भी किसान को न तो पर्याप्त मात्रा में, अगर उसने डीजल की मोटर लगा रखी है तो डीजल नहीं मिलता अगर उसने बिजली की मोटर लगा रखी है तो बिजली नहीं मिलती। इन दोनों बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

डीजल की स्थिति सारे राजस्थान में ऐसी है कि वह सब आपने बहस के दौरान सुनी हैं। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि निवाई तहसील भर में एक पैट्रोल पम्प है। उस पैट्रोल पम्प का जो कोटा था एक लाख लीटर का वह राज्य सरकार ने घटाकर पचास-साठ हजार लीटर कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह महसूस करेंगे कि एक पैट्रोल पम्प पूरी तहसील में उसका ही कोटा जो पहले पूरा नहीं पड़ता था एक लाख लीटर का उसे घटाकर राज्य सरकार ने पचास-साठ हजार लीटर कर दिया तो क्या स्थिति होगी किसानों की? किसानों ने बैंक से कर्जा ले करके अपने व्यक्तिगत साधनों से, अपने जेवर गिरवी रख कर अपने कुए पर डीजल पम्प लगाए। किसानों को उनकी किश्तें देनी पड़ती हैं, चाहे वह बैंक से लिया हो या किसी से उधार लिया हो, तो उसका ब्याज और किश्तें देनी पड़ती हैं। आज भयंकर अकाल की छाया मंडरा रही है, उसे आशा है कि मैं इस थोड़ीसी फसल में, जो मैंने मेरे कुएं पर बोयी है उससे महीने-दो महीने गुजारा चलाऊंगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को 5-5, 6-6 दिन पैट्रोल पम्पों पर लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : साढ़े तीन बजने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप इस प्रकार चर्चा करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जायगा। मैं किस प्रकार से कार्यवाही का निर्वहन कर सकूंगा।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : मैंने तो ज्यादा समय नहीं लिया उपाध्यक्ष महोदय; आपके आदेशों की पालना की है।

इस तरह से 4-4, 5-5 दिन किसानों को

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पैट्रोल पम्पों पर खड़ा रहना पड़ता है फिर भी डीजल नहीं मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, मजबूरन किसानों को दूसरी जगहों से, ब्लैक से खरीदना पड़ता है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि राष्ट्रीयकरण है, सारे हिन्दुस्तान में डीजल की कमी है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान में डीजल की कमी है तो ब्लैक से कहां से आता है? यह कमी सारे हिन्दुस्तान में नहीं है यह कृत्रिम कमी है और सरकार का इसको संरक्षण है। किसानों को लूटने की सरकार ने छूट दे रखी है, कोई पाबन्दी नहीं है। मैं कई बार जिले की, तहसील की मीटिंग में कह चुका कि देश में डीजल मिल रहा है, किसानों की लूट हो रही है लेकिन कोई भी किसान की हालत को पूछने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यह हाल बिजली का है। उनको बिजली नहीं दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली कब जाती है और कब आती है। इस बिजली की आंख मिचौनी से किसान की मौत हो रही है। उनके फ्यूज उड़ जाते हैं, बिजली वाले आदमियों की फ्यूज बान्धने की माहवारी बन्धी हुई है। मैं निवेदन कर रहा हूं बिजली विभाग के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत सदन की मार्फत कि बिजली विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है, साक्षात स्वरूप है आज नीचे से ऊपर तक चाहे एक्स. ई. एन. हो, जे. ई. एन. हो चाहे हेल्पर या चपरासी हो

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया सालोदिया जी, स्थान ग्रहण करें।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? यह सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार भ्रष्टाचार को...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। श्री रामनारायण जी, कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

**श्री हरचन्दसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिये आसन हमारा सहयोग करे।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : पाइन्ट आफ आर्डर सर, सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लाखों काश्तकार तबाह हो रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय हरचन्दसिंह जी, कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। मैं कुछ और कहूं यह उपयुक्त नहीं होगा। कृपया बिराजें। माननीय रामनारायण जी, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसी अपेक्षा नहीं है कि आप इस तरह से इंट्रप्शन करें। कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

**श्री जयनारायण सालोदिया :** किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय लालचन्द जी कृपया विराजें। माननीय रामेश्वरलाल जी

(व्यवधान)

**श्री ओंकार लाल चौहान :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय कुछ उत्तर तो दें। क्या प्रबन्ध करना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं शायद अकाल और बाढ़ के चर्चा के समय डीजल और बिजली के बारे में भी चर्चा हो गई थी।

**कई माननीय सदस्य :** कोई उत्तर नहीं दिया गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

**श्री हरीश शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, ये तो गांधीजी की समाधि पर भी चढ़ गये। वहां भी तंग करते हैं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य . . .

**श्री हरचन्दसिंह :** यह सरकार किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया विराजें।

**श्री बहादुरसिंह :** किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, यह शर्म की बात है।

**श्री मदनसिंह दांता :** आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो प्रसंग चल रहा है।

(व्यवधान)

यह सरकार दावा कर रही है। किसानों के संबंध में बात कहना चाहते हैं। वह नहीं करें तो उनको जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब देना होगा।

(व्यवधान)

**श्री ओंकारलाल चौहान :** उपाध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती है कि डीजल की कमी है? क्या यह कहना चाहते हैं कि डीजल की कमी नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री हरचन्द सिंह :** यू.पी. और पंजाब को एडिशनल डीजल मिल जाये।

(व्यवधान)

**श्री सूरजपालसिंह :** सरकार जवाब तो दे।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया विराजें। माननीय डागा साहब. . . .

(व्यवधान)

**श्री हरचन्दसिंह :** आप क्या बात करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

इस चर्चा के समय यह प्रश्न उठाकर सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । माननीय रामेश्वर लाल जी, अपनी चर्चा जारी रखें ।

(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल चौधरी** : जब तक जवाब नहीं देंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी । यह स्पष्ट बात है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

**श्री ओंकार लाल चौहान** : कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं ।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : किसानों के बारे में सरकार एक शब्द नहीं कहना चाहती है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । फिर भी आप बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय रामनारायण जी, मेरे खड़े होने के बाद भी आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए ।

**एक माननीय सदस्य** : ये तो डिप्टी-स्पीकर रहे हैं, फिर भी मालूम नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि रामेश्वरलाल जी को चर्चा समाप्त करने दें ।

**एक माननीय सदस्य** : यह किसानों की जिन्दगी और मौत का सवाल है ।

(व्यवधान)

**श्री रतनाराम** : अकाल पड़ा हुआ है । यह किसानों का सवाल है ।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल चौधरी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार स्टेटमेण्ट देने को तैयार है ?

**श्री गोपालसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : पाइन्ट आफ आर्डर तो मैंने पहले रेज किया है ।

**श्री गोपालसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, डीजल की कमी के बारे में...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि संसदीय जनतन्त्र में विरोधी दल को जनता की भावनाएं सदन में रखने का अधिकार है। सत्तारूढ़ दल यदि उन भावनाओं को दबाने का प्रयत्न करे तो आसन को विरोधी दल के सदस्यों को संरक्षण देना चाहिए । यहां के 80% लोग खेती करते हैं । उनकी भावनाओं को हम व्यक्त कर रहे हैं । इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि अकाल और बाढ़ के प्रश्न पर इसके बारे में कोई जवाब

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं दिया गया है। आसन की ओर से यह कहा गया था कि मुख्य मंत्री जी इन्टरवीन कर रहे हैं। डीजल के बारे में, बिजली के बारे में और अकाल के बारे में स्थगन प्रस्तावों के बारे में सरकार कोई जवाब नहीं दे। कोई व्यवस्था नहीं करे। बोलें नहीं, तो यह क्यों है? क्या सरकार मेण्टली डिरेल हो गई है। सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है?

श्री रघुनन्दन व्यास : आप मेण्टली डिरेल कह रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन-सा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह मेण्टली डिरेल होना तो बहुगुणाजी ने चरण सिंह को चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था। मेण्टली डिरेल शब्द लिखा था।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं व्यवस्था चाहती हूं सरकार की ओर से किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है। क्या व्यवस्था हुई है? स्थगन प्रस्ताव का जवाब नहीं आया है तो आसन अपनी ओर से जवाब दे। इस बारे में सरकार अपनी नीति की घोषणा करे। सरकार क्या करेगी, आप हमें बता दें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रिकार्ड उठाकर 67 से 77 तक देख लें। किसानों को डीजल के मामले में ऐसे प्रश्न आये हैं। उन प्रश्नों पर आसन की ओर से व्यवस्था दी गई है। मान्यवर, आप आदेश दे सकते हैं। किसी भी बात को कहें। आप, मान्यवर, अपने को कमजोर साबित कर रहे हैं। आप महान परम्पराओं के साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामेश्वरलाल चौधरी।

(व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं 8 तारीख को वक्तव्य दूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

## समिति का गठन

**वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिये दिये गये मनोनयन-पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि**

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की पूर्ववत स्वीकृति के अनुसार वित्तीय समितियों के नामांकन-पत्र वापस लेने का समय आज दिनांक 5-10-79 को 4 बजे तक का बढ़ाया गया और चुनाव की स्थिति में मतदान का समय तारीख 6-10-79

(श्री बंशीलाल)

को 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक व गणना 3 बजे से निश्चित की गयी थी। मगर अस्वस्थता व अन्य कारणों से कुछ सदस्य पहुंच नहीं सके हैं। अतः मेरा प्रस्ताव है कि अब नामांकन वापसी का समय कल दिनांक 6-10-79 के 4 बजे तक व चुनाव होने की हालत में मतदान दिनांक 8-10-79 को प्रातः 11 बजे से 3 बजे अपरान्ह तक तथा मतगणना 3 बजे से होने का समय निर्धारित किया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि प्रस्ताव के अनुसार समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री अजीतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आप टाइम सीमित करियें, जीरो आवर भी चार बजे तक चलता है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री रामेश्वर लाल जी चौधरी।

**श्री अजीतसिंह** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय !

**श्री मदनसिंह दांता** : यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव पर मन्त्री लोग चार-चार घंटे तक बोले हैं।

(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावाँ)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अन्त्योदय परिवार की एक विधवा महिला से सम्बन्धित है। मेरे क्षेत्र के पास इस महिला का घर है, जहाँ 26 तारीख की रात को 12 बजे का किस्सा है, मांगूराम भांभी वहां पर आया, और कुचामन का भंवरसिंह भी साथ था, उसकी रिपोर्ट बता दूं क्या लिखा है—और क्या करने का है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारांश बता दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : वेरी इम्पोर्टेन्ट डोक्यूमेन्ट।

(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल चौधरी** : जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसके कण्टेन्स ही बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट नही पढ़ रहा हूं— "उपरोक्त विषय में प्रार्थिनी पारकी बेवा सुवाराम जाति बलाई, निवासी कालामाटा की ढाणी, थाना कुचामन द्वारा दिनांक 27-9-79 को थाना कुचामन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे मकान में मांगू बलाई व भंवरसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत, निवासी रूपपुरा द्वारा मुझे अन्दर बन्द करके छान को आग लगा दी जिसमें मेरे 2 हजार रुपयों का नुकसान हुआ है व मुझे जान से मारने की नीयत से मूढ़े के अन्दर बन्द कर दिया जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना कुचामन में जाकर की तो पहले मूरसिंह, ए. एस. आई. थानेदार ने मुझे डराया, धमकाया व गालियां निकालीं व कहा कि तू भंवरसिंह का नाम

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

मत ले तब मैंने कहा मेरा मकान जलाया है जिस पर भूरसिंह कार्यवाही करने से इन्कार हो गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य मैंने निवेदन किया कि आप सारांश में कह दीजिये।

**श्री रामेश्वरलाल चौधरी** : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि पांच रुपये की बात और भंवरसिंह की बात। थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ए. एस. आई. ने बदमाशी की, भंवरसिंह का नाम उसमें से काटकर मांगू भांभी का नाम रखा है। एक अन्त्योदयी परिवार की महिला के लिए एक गरीब विधवा की यह हालत है, इसकी रिपोर्ट आई. जी. से मिनिस्टर साहब तक दी है। एफ. आई. आर. में भंवरसिंह का नाम हटा दिया। मेरा निवेदन करना यह है कि भंवरसिंह ने जनता पार्टी से एम.एल. ए. का चुनाव लड़ा था और वहां का दादा है। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि गरीब विधवा का मकान जला दिया, कोई सबूत नहीं छोड़ा गया, वह एक अन्त्योदयी परिवार की और एक अनुसूचित जाति की विधवा है उसको संरक्षण दिया जाय, न उसके पास पैसा है, न मकान है। उसको मुख्य मंत्री कोष से तत्काल हजार-दो हजार की सहायता दी जाय। दूसरी बात मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा लोकल पुलिस भंवरसिंह के इन्फ्लूएन्स में है। यह मैं नहीं कहता कि भंवरसिंह के कहने से उसका मकान जलाया गया, लेकिन उसकी जांच सी. आई. डी. से कराई जावे ताकि आये दिन जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिले। पहले जो हैड कान्स्टेबल था उसका प्रमोशन करके हमारे यहां थाने पर लगा दिया। उसकी करामात से सारी बातें हो रही हैं इसलिए गृह मंत्री से चाहूंगा कि इस केस की जांच सी. आई. डी. से करवायें और अन्त्योदयी महिला को कम से कम एक हजार, दो हजार, की सहायता दें ताकि अपना मकान बनवा सके व अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके।

**श्री अब्दुल अजीज** : उपाध्यक्षजी, मुझे बोलना है, यह मेरे क्षेत्र में है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि . . .

**श्री अब्दुल अजीज** : इस संबंध में सी. आई. डी. से जांच करायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : हर पुलिस स्टेशन पर जो भी रिपोर्ट दर्ज हो, तो उसकी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा उठायेंगे तो संभव नहीं . . . . .

**कई माननीय सदस्य** : यह अन्त्योदय है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : यह अन्त्योदय का नमूना है।

**श्री सम्पतराम** (गृह मंत्री) : अगर माननीय सदस्य को आशंका है कि थाने की पुलिस काम ठीक नहीं करेगी तो मुझे एतराज नहीं है मैं यह केस सी. आई. डी. को दे दूंगा, सी. आई. डी. को लिख दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन।

कृषि मंत्री।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रस्तावक को वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार

**श्री लालचंद** : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्षजी, कल जो बहस चल रही थी अकाल व बाढ़ पर, वह बहस अधूरी है, उस बहस का अभी तक जवाब नहीं आया और अभी उस बहस को कन्टीन्यू कराया जाए क्यों कि मुख्य मंत्री ने जब बहस में हिस्सा लिया तो He intervened. He did not reply. और प्रस्तावक ने बहस का जवाब नहीं दिया, वह बहस अभी कन्टीन्यू करें, उसके बाद दूसरा कार्य करें।

**श्री नूरा** : हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

**श्री मूलचंद डागा** : हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय लालचन्दजी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का कार्यक्रम निर्धारित किया था दो दिन चर्चा के लिए। उसके अनुसार कार्यक्रम में दो दिन की डिबेट रखी गई। उसके बाद कोई आवश्यक नहीं है कि मंत्री महोदय अगर प्रस्ताव रखें तो उत्तर ही दें।

(व्यवधान)

**श्री लालचंद** : सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया था। 15 मिनट का समय बचा हुआ था। पौने आठ बजे हाउस खतम हुआ। मंत्री ने जवाब नहीं दिया वह परम्परा गलत है।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मुख्य मंत्री को इन्टरवीन करने के लिए टाइम दे दिया था और मिनिस्टर-इन्चार्ज को जवाब नहीं देने दिया गया, क्या मंत्री इन्काम्पीटेंट है ? अगर हाँ, तो उनको वहां से हटाया क्यों नहीं जाता ?

**श्री नवनीत पालीवाल** : मंत्री ने कहा था कि मैं शाम को बहस का जवाब दूंगा। प्रोसीडिंग्स देखिए।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : यह प्रजातंत्र का घोर अपमान है। मंत्री के बैठे हुए भी उनको जवाब देने नहीं देना और मुख्य मंत्री का इन्टरवेंशन के नाम पर जवाब देना, यह घोर अन्याय है, सहन नहीं किया जायेगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : जो मुझे सूचित किया गया था, वह था कि मुख्य मंत्री इन्टरवीन करना चाहते हैं, मैंने कहलवाया कि इन्टरवीन करने से पहले बहुत से लोग बोलने वाले हैं, उन्होंने इम्प्रेशन यह दिया कि मेरे इन्टरवीन करने के बाद में जो दूसरे बोलने वाले हैं, उनको अवसर दिया जायेगा। फिर मंत्री जवाब देंगे, मैं केवल इन्टरवीन कर रहा हूं। कुछ इशारा किया था कि कहना चाहते हो तो कहो। हम इस इम्प्रेशन में थे कि 4-5 माननीय सदस्य जरूरी बोलने वाले थे उनको बोलने दिया जायेगा, वे नहीं बोल सके और मैं प्रस्तावक महोदय जो प्रभारी मंत्री हैं वह दो दिन से लिख रहे थे जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे थे। इस तरह डिबेट इन्कन्क्लूजिव रही।

**श्रीमती मदनकौर** : जिस समय मुख्य मंत्री ने बोलना चालू किया उस समय

(श्रीमती मदनकौर)

आप आसन पर थे और आपने जो शब्द काम में लिए कि मुख्य मंत्री सूखे और बाढ़ की चर्चा में इन्टरवीन कर रहे हैं तो क्या मुख्य मंत्री जब डिबेट में इन्टरवीन करें तो उसको चर्चा का समापन समझा जाए, क्या आपकी यही व्यवस्था है ? जो प्रमुख मुद्दे माननीय ? सदस्यों ने दो दिन की चर्चा में भाग लेकर रखे उन सबको सहायता मंत्री नोट करते रहे और कल सुबह प्रश्न काल में आपने व्यवस्था दी थी कि सारे मुद्दों पर सहायता मंत्री जवाब देंगे तो सहायता मंत्री शाम को पौने पाँच बजे खड़े हुए जवाब देने के लिए। लेकिन संभवतः मुख्य मंत्रीजी के मंच से पुनः बैठ गये और अचानक सदन की कार्यवाही दूसरे दिन प्रातःकाल के लिए स्थगित कर दी। हमें समय नहीं मिला। अगर इस तरह की चर्चा कराई जाए तो उसका उपयोग हो, इतने महत्वपूर्ण विषयों पर डिबेट हो और गंभीरता से डिबेट हो और उसका जो अंत हुआ माननीय सदस्यों की...

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मुख्य मंत्री भाषण देकर चले गए।

**श्री हरचन्दसिंह** : मदेरणा साहब ने फरमाया कि मुख्य मंत्री ने इशारा किया था। इस सरकार की इशारेबाजी का क्या जवाब है?

**श्री हरीश कुमार शर्मा** : परम्परा क्या है ?

**श्री केदारनाथ** : मुख्य मंत्री जब-जब डिबेट में, नेता के नाते, मुख्य मंत्री के नाते इन्टरवीन कर सकते हैं, तो यह परम्परा रही है और अधिकार है, मोशन मूव करने वाले को, राइट ऑफ रिप्लाई का। दो दिन बहस हुई, पक्ष व विपक्ष के सदस्य बोले, डिटेल में अपनी-अपनी बातें कहीं। सारी इन्फोर्मेशन मंत्री के पास थी और 8 बजे का टाइम निश्चित था, एबरप्टली एडजोर्न कर दिया और संबंधित मंत्री को राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया। हम कैसे समझेंगे कि दो दिन में डिबेट समाप्त हो गई है। हम तो नहीं मानते।

**श्री नवनीत पालीवाल** : मुझे तो दक्षिणी राजस्थान के बारे में बोलना था।

**श्री उपाध्यक्ष** : नियमों के मुताबिक आज की तारीख में जो कार्यसूची में कार्यक्रम दिया गया है, वही पूरा किया जाता है, आज की कार्य-सूची में दो दिन की चर्चा के बारे में उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं विवश हूं उसके बारे में मैं कोई...

(व्यवधान)

**श्री ओंकार लाल चौहान** : प्रभारी मंत्री ने उत्तर नहीं दिया।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आसन को व्यवस्था देनी पड़ेगी। राजस्थान के 2।। करोड़ लोग आज आस लगाए बैठे हैं कि आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं ? अकाल का सामना किस तरीके से करेंगे और सरकार जवाब नहीं दे। जनता को बताए नहीं कि क्या करेंगे तो जनता में निराशा व्याप्त है, भगवान जाने क्या होगा, इसलिए आसन को व्यवस्था देनी पड़ेगी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
कि मंत्री महोदय जवाब दें, सदन को बतायें कि राजस्थान में उन लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता माननीय सदस्या इस जोर से बोल रही हैं जैसे हम कोई व्यवस्था इस सदन में नहीं देंगे तो बहुत बड़ा भूकम्प हो जाएगा । जब मैं बोल रहा था और अकाल पीड़ितों व बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा थी, तो 8 बजे आप उपस्थित रहतीं ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : यह कोई जवाब नहीं हुआ, सदन के नेता को इतना हल्का जवाब नहीं देना चाहिए ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने तो यह कहा था कि आप मौजूद नहीं थीं ।

**श्रीमती मदनकौर** : मुख्य मंत्री जी आपने अपना भाषण समाप्त करके अचानक ही आपने हाउस को स्थगित करवा दिया । हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे, वह नहीं हो सके ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हाउस कोई अचानक स्थगित नहीं हुआ । सरकार की तरफ से मैंने पूरा उत्तर दे दिया था ।

**श्री नूरा** : आपने कोई उत्तर नहीं दिया ।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन के अन्दर इस तरह का एटीट्यूड बना रखा है कि हर इश्यू पर कोई भी मंत्री बोलता है, तो इन्ट्रप्ट किया जाता है । बोलने के मामले में माननीय सदस्य अगर यह एटीट्यूड रखते हैं तो मैं भी इस विद्या को जानता हूं । मैं भी बोलूंगा । आपके बोलने से कोई भूकम्प नहीं आ जायेगा ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मुख्य मंत्री जी आप राजस्थान के मुख्य मंत्री जी हैं ।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि बोलने से सदन में कोई भूकम्प नहीं आ जायेगा । यह हमें पता है कि सदन में भूकम्प जब आता है जब आपकी मैजोरिटी नहीं हो। आपकी मैजोरिटी है, तो आप हमें बार-बार क्या जता रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में व्यवस्था चाहूंगा कि क्या सदन में चार-चार बजे तक जीरो आवर चलता है ।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : यह तो हमारा अधिकार है । यह आपकी कोई मेहरबानी नहीं है ।

**श्री हरीश शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने सरकार की तरफ से जवाब दिया था उस वक्त यहां पर माननीय रामनारायणजी बैठे थे, परसरामजी मदेरणा साहब बैठे थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे, उसका मैंने उत्तर दिया।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप बार-बार कह कर हमें धमकी दे रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष, महोदय, यहाँ पर जब कभी कोई भी मिनिस्टर साहब बोलने खड़े होते हैं या कोई नया इश्यू हाउस में रखा जाता है तो हाउस के पांच-सात मेम्बर खड़े होकर बीच में इन्ट्रप्ट करते हैं और इस प्रकार हाउस की कार्यवाही चलने में दिक्कत आती है।

श्री ग्योपतसिंह मकासर : यह गलत है, हमने कभी इन्ट्रप्ट नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इन पांच-सात माननीय विधायकों ने यह तय कर रखा है कि पांच बजे तक जीरो आवर ही चलाया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में हाउस में व्यवस्था चाहूंगा कि हाउस में जीरो आवर चार बजे तक चलेगा या एक बजे तक चले।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं कि पांच सात सदस्य मिलकर हर इश्यू पर बोलने खड़े हो जाते हैं और मन्त्री महोदय को बोलने नहीं देते हैं। लेकिन मन्त्री महोदय ने कल उत्तर नहीं दिया उसके बारे में जानकारी चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल सरकारी पक्ष की तरफ से उत्तर दिया था।

श्री रामनारायण चौधरी : कल का आपका उत्तर नहीं माना जा सकता। आसन की ओर से यह व्यवस्था आई थी कि मुख्य मन्त्रीजी इसमें इन्टरवीन करना चाहते हैं।

श्रीमती मदनकौर : आपने जो भी शब्द कहे थे वह सदन की प्रोसिडिंग्ज में हैं। उसमें यह था कि मुख्य मन्त्रीजी इन्टरवीन करना चाहते हैं लेकिन आपने बाद में मुख्य मन्त्रीजी अपना भाषण सात बजकर 45 मिनट पर समाप्त कर दिया और सदन में यहां पर हाउस का समय आठ बजे तक के लिये बढ़ाया गया था। हमें तो यही अण्डरस्टेन्डिंग दिया गया था कि आप इन्टरवीन कर रहे हैं आपके भाषण के बाद माननीय सदस्य स्पष्टीकरण करना चाहते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके बाद भी माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण करना है तो आप मेरे चैम्बर में आकर मिल लें मैं जवाब दे दूंगा। यहाँ पर सदन में जो जानकारी चाही गयी थी प्रश्नों के माध्यम से, वह मैंने हाउस में प्रश्नों के उत्तर के रूप में कल दे दी।

श्रीमती मदनकौर : वह अलग बात है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : तो कल वाला जो उत्तर था उसको अधूरा सरकारी पक्ष का उत्तर मानकर उसको आप सोमवार को मन्त्री महोदय से बाकी का उत्तर दिलवा दें।

**श्री भरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में जब ऐसी डिबेट होती है तो सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया जाता है और मैं समझता हूं कि आज तक नहीं दिया गया। सिर्फ दो-चार प्रश्न कोई क्लेरीफिकेशन के हों, वह कर लिये जाते हैं इस प्रकार की परम्परा रही है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मुख्य मन्त्रीजी आप याद कर लें आप कितना समय लेते थे ? आपने सब देखा है ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : सब देखा है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज तो सदन चार बजे तक चला जो चला पर आइन्दा के लिये फैसला करना पड़ेगा कि जीरो आवर एक बजे तक चले या चार बजे तक ।

(व्यवधान)

**श्रीमती मदनकौर** : उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त आप स्वयं आसन पर थे । जब चर्चा हो रही थी तो आसन से व्यवस्था आई कि मुख्य मन्त्रीजी इन्टरवीन करना चाहते हैं तो हमने समझा कि यह कुछ क्लेरीफिकेशन करेंगे और बाद में कन्क्लूड अकाल सहायता मन्त्रीजी करेंगे ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल जवाब दिया तो मैंने बीच-बीच में यह कहा था कि सरकार तो अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकेगी वह करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि सदन के दूसरे माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के सदस्यों का भी हमें सहयोग मिलेगा । इतना दो तीन बार रिपीट करने के बाद मैं समझता हूं कि संबंधित मन्त्री महोदय का और जवाब सदन में हो, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

**श्री केदारनाथ शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, लेकिन अगर बाद में उसी वक्त संबंधित मन्त्री महोदय खुद खड़े होकर यह कह देते कि मुख्य मन्त्रीजी ने जो इन्टरवीन किया है उसी को मेरा रिप्लाई समझा जावे, तो कोई बात नहीं थी। हम उसे मन्त्री महोदय का रिप्लाई समझ लेते ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर**: आप इन्हें डिग्रेड कर रहे हैं ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आप चाहे जैसे कहो, पर आपकी हमको आपस में लड़ाने की बात नहीं चलेगी, आपकी दाल गलने वाली नहीं है ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : काफी तो गल गयी है, दाल आधी और बाकी रही है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । अभी जो सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, कल हाउस को जिस तरह से समाप्त किया गया उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा रखा जाता है तो सामान्यतया प्रस्तावक को राइट ऑफ रिप्लाई रहता है, लेकिन प्रस्तावक अगर उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है तो अलग बात है ।

(श्री उपाध्यक्ष) : कल शून्यकाल सहायता मन्त्री को रिप्लाई देना था। उन्होंने रिप्लाई देना नहीं चाहा और जब माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने रिप्लाई दिया तो उन्होंने कोई आपत्ति भी प्रकट नहीं की। तो उसके बाद में रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है और उस चर्चा को वहीं समाप्त समझा जाना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मन्त्रीजी तो जवाब देना चाहते थे, वह तो आधे खड़े भी हुए थे अच्छा होता कल उस वक्त फोटो ले लेते। वह तो आधे खड़े हो गये थे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि क्या जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव यहां पर आज डिस्कश नहीं हुए हैं उनको कल बोलने के लिये समय दिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं कोई नहीं बचा है। सबके प्रस्तावों पर बहस हो चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, मेरा बाकी है।

## व्यवस्था का प्रश्न

### शून्यकाल की अवधि

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन से कहना चाहता हूं अभी सदन में विरोधी दल के नेता महारावल साहब भी बैठे हैं और दूसरे ग्रुप के लीडर्स भी बैठे हैं हाउस में चार बजे तक जीरो आवर चले इस बात के पक्ष में सरकार नहीं है। मैं महारावल साहब और दूसरे माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि जो कि पुराने सदस्य हैं और उनको अनुभव है कि क्या पूर्व में कभी चार बजे तक जीरो आवर चला था? जीरो आवर की वजह से आज स्थिति यह हो गई है कि कोई भी सरकारी बिजनेस चार बजे पहले शुरू हो ही नहीं सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि जीरो आवर सिर्फ एक घण्टे तक ही चल सकेगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि वह चार बजे तक चले। सरकार जितनी फ्लेक्सिबल हो रही है उतना ही समय अधिक जीरो आवर के लिये लगा दिया जाता है जो कि प्रेक्टिकल नहीं है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर गम्भीरता से विचार करें और आपस में बैठकर तय कर लें ताकि जो गवर्नमेन्ट बिजनेस है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी ओर पहले ध्यान आकर्षित किया जा सके।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मंत्रीजी, आप अगर हाउस ज्यादा चलाओ तो दिक्कत नहीं होगी। मुख्य मंत्रीजी को मालूम होगा कि पार्लियामेन्ट साल भर में आठ महीने तक चलती है और आप चलाते हैं हाउस को सिर्फ दस दिन साल में। आप भी हाउस पार्लियामेन्ट की तरह ज्यादा दिन चलायें। आपने 24 को तो एसेम्बली शुरू की थी। आपका कोई प्रोग्राम तय नहीं था कितने दिन विधान सभा चलेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात और बता दूं कि राजस्थान विधान सभा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कितनी चलती है और बाकी की विधान सभायें कितनी चलती हैं कितनी नहीं चलती हैं। यदि कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट देखेंगे तो यह भी जानकारी मिलेगी कि राजस्थान विधान सभा और दूसरे राज्यों की विधान सभाओं से कम नहीं चलती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और यह सही है कि पार्लियामेन्ट ज्यादा चलती है और विधान सभायें कम चलती हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि पार्लियामेन्ट के सामने बिजनेस ज्यादा होता है और विधान सभाओं के सामने कम होता है।

इसके अलावा एक जानकारी और दूं कि यदि आप रेगूलेटेड वे में हाउस चलाते रहे और हाउस लम्बा चले इसके लिए आपत्ति नहीं है लेकिन चार चार बजे तक जीरो आवर चले। आप स्वयं ही देख लें कि विधान सभा का सत्र 24 तारीख से चालू हुआ और 24 से लेकर आज तक आप ही बता दें एक बिन्दु पर भी एचीवमेन्ट नहीं हुआ और रत्तीभर भी गवर्नमेन्ट बिजनेस नहीं हुआ है। पहले तीन दिन नो कान्फीडेन्स मोशन पर चले गये, दो दिन फ्लड और रिलीफ के ऊपर चले गये और आज तमाम दिन जीरो आवर चला। आप कोई ऐसा उदाहरण बता दें कि प्राइवेट बिजनेस के ऊपर हाउस चलता रहे। इस प्रकार की स्थिति कहीं नहीं होती। इसलिए आप आपस में बैठकर तय कर लें और व्यवस्था के अनुसार चलें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हाउस और आगे बढे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

**श्री परसराम मदेरणा :** आपने 100 से ऊपर तो नोटीफिकेशन सदन की मेज पर रखे और बहुत से इनेक्टमेन्ट सदन की मेज पर रखे वह गवर्नमेन्ट बिजनेस नहीं था? एक बिल को सलेक्ट कमेटी को दिया वह गवर्नमेन्ट बिजनेस नहीं था? नौ बिल इन्ट्रोड्यूस किये वह गवर्नमेन्ट बिजनेस नहीं था? हमारे लीडर ऑफ दी हाउस कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर सस्पेन्ड कर देना चाहिए ताकि ज्यादा समय नो कान्फिडेन्स मोशन के ऊपर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए समय मिल जाये—हमने इस बात को आपकी स्वीकार किया। बिजनेस तो गवर्नमेन्ट का निकलेगा ही।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आप यह मानकर चलें कि रूल्स में व्यवस्था है कि 5 बजे के बाद हाउस नहीं चले और 5 बजे के बाद मजबूरी में चलाते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अपनी रिकमन्डेशन भेजती है और उसमें 5 बजे तक तो दूसरा बिजनेस चले और 5 बजे के बाद फिर गवर्नमेन्ट का बिजनेस आये, तो यह मैं समझता हूं कि प्रैक्टिस हो गयी कि 5 बजे के बाद ही गवर्नमेन्ट बिजनेस आये। आपने कहा कि नोटिफिकेशन रखे गये और दूसरे कागजात सदन में रखे गये। आप भी मानेंगे कि असेम्बली के स्ट्रिक्ट सेन्स में यह गवर्नमेन्ट बिजनेस नहीं है। यह तो हाउस की टेबल पर ले करने पड़ते हैं इसलिये ले किये गये। आप हाउस को चाहे जैसे चलायें, आप इस जीरो ओवर के बारे में तय कर लें कि चार बजे तक चलेगा तो गवर्नमेन्ट का बिजनेस नहीं निकल सकेगा और इस तरह से 5 बजे तक जीरो ओवर चलाकर क्या आप यह समझते हैं कि हम हाउस को रेगुलेट कर सकते हैं?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :

1717 एडजोर्नमेन्ट मोशन हैं। महारावल साहब राज्य सभा में रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि यह कन्वेन्शन है पार्लियामेन्ट का कि एक बार जो कोन्फिडेन्स मोशन आ गया तो उसके पहले की घटनायें फिर एडजोर्नमेन्ट मोशन में नहीं आ सकतीं। एडजोर्नमेन्ट मोशन की आखिर कुछ सेंक्टिटी होती है। एक आदमी ने किसी के थप्पड़ मार दिया तो एडजोर्नमेन्ट मोशन, कहीं पानी कम आ जाय तो उसके लिए एडजोर्नमेन्ट मोशन मैं समझता हूं कि जितनी लाईटली हम इसको लेंगे तो उसकी सेंक्टिटी को हम खतम कर देंगे। आप एक इम्पोर्टेन्ट इश्यू पिक अप कर लें और सारे अपोजीशन को कूल कर लें और इम्पोर्टेन्ट इश्यू कौनसा है, हमको आप नौटिस दें और आप भी तैयार होकर आयें और हम भी तैयार होकर आयें। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस की स्वस्थ परम्परायें बनाये रखने के लिए जीरो आवर के ऊपर आप निश्चित रूप से तय कर लें और उसके बाद हाउस चलाने की बात करें।

श्री मूलचन्द डागा : एक मिनट के लिए....

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदन के नेता को मेरा यही निवेदन है कि अभी तो सदन की जो कार्यवाही चल रही है यह चलने दें और कल आपको जब सुविधा हो तो विपक्ष के नेताओं को कान्फिडेन्स में लें और उनसे बात कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत-बहुत धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**एक दिन में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव**

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। हमारे विधान सभा की कार्य संचालन के नियमों में नियम 131 को क्या विधान के नियमों में से हटा दिया गया है ? हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये, वह न जाने कहां चले जाते हैं ?

श्री माणक लाल ठाकोर : उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन आप स्वीकार करते हैं और सत्ताधारी पक्ष वाले प्रस्ताव रखते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो उनमें से एक भी स्वीकार नहीं होता है, इसका क्या कारण है ? क्या अनौपचारिक रूप से इसका प्रावधान हटा दिया गया है।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है और हरीश जी ने जो बात रखी है, उसके बारे में आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरीश जी ने कहा कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं आते मैं स्वयं भी महसूस करता हूं। प्रक्रिया यही है कि राज्य सरकार को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजे जाते हैं और राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर चर्चा के लिये रख दिये जाते हैं। बहुत से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे गये हैं और उनको राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए

(श्री उपाध्यक्ष)
भेजा गया है। उन पर जानकारी नहीं आई है। फिर भी आज मैंने एक प्रश्न पर संकेत दिया कि जो मथुरा की पाइप लाइन बिछाने के लिए था। मैंने कहा था कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में चर्चा के लिए स्वीकार करूंगा लेकिन फिर भी मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव चर्चा में आना चाहिए और मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह चर्चा में इसको स्वीकार करें।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर.......

श्री कौशल किशोर जैन : इनका कौन-सा व्यवस्था का प्रश्न है ? आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार : कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है और पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर.......

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : किस व्यवस्था के तहत यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी आप पॉइन्ट आफ आर्डर उठायें, मैं अनुमति दूंगा लेकिन मैं यह अपेक्षा करूंगा कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठायें वह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में ही रहे उसके खिलाफ नहीं रहे।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, उससे खिलाफ नहीं रहेगा।

श्री सुरेश कुमार : यह किस रूल के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है ? केवल यह कह देना कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर तो कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

श्री गुल मोहम्मद : आप किस रूल के तहत यह उठा रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : इस किताब के तहत ? आपने रूई बेची होगी। हमने किताबें पढ़ी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने कहा कि नाम पुकारा जायेगा। लिस्ट में मेरा नाम है। आज आपने एब्सटली कह दिया कि जीरो आवर नहीं रहा। मेरा अधिकार है और मैं यहां पर इन्तजार में चार बजे तक बैठा रहा...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Sir, this is no point of order.

श्री मूलचन्द डागा : Sir, this is point of order.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : This is no point of order.

You have no right to intervene in this way.

आप हाउस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : पॉइन्ट ऑफ आर्डर का निर्णय आप नहीं देंगे।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** मौपू ।

**श्री कौशल किशोर जैन :** माननीय डागा साहब को बैठाया जाये ।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, विराजें। कोई व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कहना चाहते हैं तो पूरा सुन तो लेने दीजिये । आपका एडजोर्नमेंट मोशन जरूर था लेकिन जिस वक्त मैंने चर्चा समाप्त कर दी आपने उठकर नहीं कहा...

**श्री मूलचन्द डागा :** मैंने उसी समय कहा । आपने कहा नाम नहीं है । मेरा नाम है। I raised point of order at that time. मैंने कहा था खड़े होकर–

**श्री उपाध्यक्ष :** यह मैंने खड़े होकर खेद प्रकट कर दिया है । कृषि मंत्री महोदय !..

**सदन की मेज पर रखा गया पत्र**

**प्रतिवेदन**

**श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मंत्री):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (जुलाई, 76 से जून, 77) सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** विधायी कार्य ।

**श्री रामनारायण चौधरी :** ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन सर । मेरा इनफार्मेशन का पॉइन्ट यह है आपने व्यवस्था दी थी और आपकी अनुपस्थिति में चेयरमैन साहिबा ने भी । स्वायत्त शासन मंत्री ने यह घोषणा की थी कि आज सदन की टेबल के ऊपर सरकार के बीच और म्युनिसिपल कर्मचारियों के बीच...

**कई माननीय सदस्य :** 8 तारीख को ।

**विधायी कार्य : विधेयक पर विचार**

**राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979**

**परिनियत संकल्प**

**श्री उपाध्यक्ष :** विधायी कार्य ।

**श्री मूलचन्द डागा, श्री रामकृष्णदास गुप्ता, श्री राम नारायण चौधरी ।**

**श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा 9 जुलाई, 1979 व दिनांक 23 अगस्त, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1979) व राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 5, सन् 1979) को अस्वीकार करता है ।

श्रीमान्, मैं यह सब से आशा करूंगा, हम सब लोग मिलकर हमें अपने अधिकारों की रक्षा करें । अगर कोई माननीय सदस्य मेरे इस संकल्प को मजबूती के साथ समर्थन नहीं देंगे तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि विधायकों का जो कर्तव्य है वह हम निभा नहीं रहे हैं । क्या कारण है कि आर्डिनेंस इस प्रकार से निकाल दिया जाये और आर्डिनेंस के लिये भी हम उसका स्वागत नहीं करते । आर्डिनेंस कब निकालना चाहिये, क्या कारण होने चाहिये ? यह दो आर्डिनेंस निकले हैं । एक आर्डिनेंस अध्यादेश संख्या 4 ऑफ 1979 और एक

( श्री मूलचन्द डागा )

आर्डिनेंस है आर्डिनेंस नं. 5 ऑफ 1979। मुझे एक बात मालूम करनी है प्रभारी मंत्री जी से । इन आर्डिनेंसेज को निकालने की क्या जरूरत थी ? क्या एमर्जेन्सी थी और क्या अर्जेन्सी थी ? मैं ज्यादा बातें साफ नहीं करना चाहता। जो कौल शकधर की किताब है उसके पेज 522 पर है—Ordinances and proclamations by the President.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागा साहब, आपको इन्टरवीन कर रहा हूं । आपने जो इन अध्यादेशों को जारी करने के कारण बताये हैं उन्हीं की मैरिट्स के बारे में चर्चा करें । यह कारण वाजिब है या नहीं, आर्डिनेंस किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, कान्सटीट्यूशन में प्रोविजन है। राज्य सरकार ने जो कारण बताये हैं, उन्हीं पर विवेचन कर लीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : तो यह सवाल उसमें है कि "Orinances by themselves are not very welcome specially so when the date (for Session of the House) is very clear."

"..........In such cases, unless there are very special reasons, Ordinances should be avoided."

मेरा यह कहना था कि आपने जो मुझे कहा है कि जो आर्डिनेंस के कारण बताये हैं उसमें रीजन्स में क्या जरूरत है यह कुछ भी नहीं बताऊं । मैं यह कहना चाहता हूं यह लोकतंत्र के विरुद्ध है । लोकतंत्र की परम्पराओं के विरुद्ध है। हमारी लोकतंत्र की जो मर्यादायें हैं उनका उल्लंघन किया है । राजस्थान में होम्योपैथी मैडिसिन एक्ट के अन्दर एक बोर्ड बना हुआ है । उस बोर्ड को कांस्टीट्यूशन सैक्सन 4 के अन्दर होता है—चार मेम्बर नामीनेट किये जाते हैं । 6 मेम्बरों का इलेक्शन होता है और एक मेम्बर जो टीचर होता है, उसका इलेक्शन होता है। इस प्रकार होम्योपैथी एक्ट के अन्दर इस बोर्ड का कांस्टीट्यूशन किया जाता है । इस एक्ट के अन्तर्गत जो होम्योपैथिक मैडिसिन की तरक्की है, उसका विकास किया जाये । इसलिये यह बोर्ड बनाया जाता है । उस बोर्ड के बनने के बाद, सैक्शन 4 के अन्दर तो बोर्ड कान्स्टीट्यूट हो गया, सैक्शन 6 के अन्दर यह है—

The term of office of a member of the Board shall be three years.

बोर्ड की मियाद 3 साल की होगी और from the date on which the first meeting of the Board is held after elections under section 4 :

Provided that the State Government may from time to time extend such term to any further period not exceeding in the aggregate one year.

और एक साल मियाद और बढ़ सकती है। 4 साल तक बोर्ड की मियाद हो सकती है । यह आर्डिनेंस निकाल कर इन्होंने क्या किया ? यह कानून में प्रावधान है कि 4 के अन्दर बोर्ड कान्स्टीट्यूट किया जायगा, सैक्शन 6 के अन्दर यह बताया गया है कि बोर्ड की मियाद 3 साल होगी और गवर्नमेन्ट चाहेगी तो एक साल और बढ़ा

(श्री मूलचन्द डागा)

सकेंगी। चार साल बोर्ड की मियाद रहेगी। इनका ध्यान सेक्शन 11 की तरफ दिलाना चाहूंगा। सेक्शन 11 यह कह रहा है:—

"*Removal from Office.*—(1) The State Government may remove a Chairman, Vice-Chairman or Member who, in its opinion, has so flagrantly abused in any manner his position as such as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest, or, who has been guilty of habitual failure in the performance of his duties:

Provided that, when the State Government proposes to take action under this section, it shall give the Chairman, Vice-Chairman or Member an opportunity of explaining his conduct on account of which it is proposed to remove him, shall make such inquiry as it may consider necessary and shall, in the event of taking such action, place on record the reasons therefor, and the decision of the State Government thereon shall not be questioned in any Court of Law."

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब

श्री मूलचन्द डागा : अभी से क्या साहब ? आप बिराजिये तो सही एक मिनिट के लिये। मैं सिवाय सेक्सन के कुछ नहीं कहूंगा। बोर्ड समाप्त किया जाता है, यह सेक्शन 11 में प्रावधान है नोटिस देकर किसी मेम्बर को आप तीन साल की मियाद है या चार साल की मियाद है, उसको कम किया जा सकता है ... Provided he gets an opportunity.

अगर बोर्ड के मेम्बर को हटाना है, तो उसको नोटिस देना है। सेक्सन 11 यह कहता है—"Provided that, when the State Government proposes to take action under this section, it shall give the Chairman, Vice-Chairman or Member an opportunity of explaining his conduct on account of which it is proposed to remove him. ..."

और मैं यह प्रावधान है। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सेक्सन 49 की ओर—सेक्सन 49 यह कहता है, माननीय मंत्री महोदय सुनेंगे 49 की धारा यह कहती है कि आप उसके अन्दर भी बोर्ड को ...

"*Control of Board by State Government.*—If at any time it shall appear to the State Government that the Board has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred upon it by or under this Act or has failed to

(श्री मूलचन्द डागा)

perform a duty imposed upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Board; and if the Board fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as may be fixed by the State Government in this behalf, the State Government may dissolve the Board and cause all or any of the powers and duties of the Board to be exercised and performed by such agency and for such period as it may think fit:

Provided that a new Board shall be constituted within two years of such dissolution."

तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि संक्सन 4 में कांस्टीट्यूट होने के बाद (11) के अन्दर हटा सकते हैं या बोर्ड को टरमीनेट कर सकते हैं। 49 में इन्होंने जो आर्डिनेन्स दिया है उसमें यह बताना चाहते हैं.... यह लोकतन्त्र की हत्या कर दी। यह जनता पार्टी जो लोकतन्त्र की दुहाई देती है जिसके आधार पर वोट लिये हैं। जनता पार्टी के विधायकों के सामने कभी यह बिल नहीं आया, वे कह रहे हैं...

"Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the State Government, if it thinks fit in public interest so to do, may at any time by a notification in the Official Gazette, terminate the normal or extend term of office of any Member of the Board अब बतायें यह दुनिया में and may by a similar notification re-constitute the Board at any time and the Board so re-constituted shall be deemed to be a Board constituted under section 4 of this Act:"

किसी मेम्बर को सुने बिना नहीं हटाया जायेगा बोर्ड को भी नोटिस दिया जायेगा और उनको सुना जायेगा कि तुमने गलती की है, तुमने गुनाह किया है, हम तुमको हटाना चाहते हैं। संक्सन 11 और 49 में पावर्स हैं तो यह कौनसा कानून है ...

".........any Member of the Board and may by a similar notification reconstitute the Board at any time and the Board so reconstituted shall be deemed to be a Board constituted under section 4 of this Act."

यह कानून संविधान की धाराओं के खिलाफ है, उसकी मर्यादा के खिलाफ है यह आर्डिनेन्स....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...उस आर्डिनेन्स में (पुनः घंटी) क्या साहब....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब आप चर्चा करें लेकिन सीमित समय में

(श्री उपाध्यक्ष)
मैं समय मुकर्रर कर रहा हूं....

श्री मूल चन्द डागा : मैं पाँच मिनट में तो नहीं बोल सकता हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय, जो वकील रहे हैं, जो लॉ जानते हैं अगर आपकी उपस्थिति में यह विधेयक आता है और ये पारित करते हैं तो मैं समझता हूं यह लोकतन्त्र की गरिमा को खतम करना है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : You talk of the officers.

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो सारे विधायकों को न जाने क्या समझ रहे हैं जैसे आप ही पढ़े लिखे हैं–

We know more than you. You are wasting the time, unnecessarily reading the books.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनसिंह जी कृपया आप बिराजें....

(व्यवधान)

इन्ट्ररप्ट न करें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह : ये कभी कभी तो कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट लाते हैं - रोज हो-हल्ला कर लेते हैं। जब कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट पेश कर रहे हैं, जब विधायक सब जानते हैं जो कान्स्टीट्यूशन है वह पब्लिक में लाकर पास नहीं की है.. (Interruption)

You talk such sort of things.

बिना इलेक्टेड लोगों का कान्स्टीट्यूशन है। वह आज तक ऐसे ही पास कर रहे हैं, पब्लिक में नहीं आया है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन् अगर यह बोर्ड..

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह : यह जन जागरण पार्टी तो जजेज को सता रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को सता रही है।

श्री मूलचन्द डागा : इस आर्डिनेन्स में जो इन्होंने 7 (ए) एड किया है "Where the normal or the extended term of the Board has expired and the new Board has not been constituted in accordance with the provisions of Section 4. The State Government may, at any time, by a Notification in the Official Gazette, appoint an Administrator for a term not exceeding one year to exercise all the powers and perform all the functions and duties of the Board": इसका मतलब यह हुआ जो बोर्ड कानून के अन्तर्गत बना हुआ था, जिसको पावर्स थे उसको बिना रीजन्स दिये हुए, बिना नोटिस दिये हुए सारे बोर्ड को खत्म कर देंगे और नया बोर्ड ये बना सकेंगे सैक्सन (4) के तहत। जो इलेक्टेड मेम्बर्स आते हैं और जिनको नोमिनेट किया जाता है सरकार की तरफ से 11 मैम्बर आते हैं और एक बोर्ड बनता है सैक्सन 11 और सैक्सन 49 के अन्तर्गत। नोटिस देकर कारण बताने पर अगर सरकार को तसल्ली

१०५



(श्री मूलचन्द डागा)

है कि यह हटाया जा सकता है इन कारणों से तो हटाया जा सकता है। इन्होंने बिना नोटिस दिये, बिना सूचना दिये हटाने का किया है। क्या कारण है, क्यों नहीं आपके एक्ट में प्रावधान है कि जो सैक्सन 49 है उस सैक्सन के होते हुए यह नया सैक्सन कैसे लागू किया, यह बात मैं जानना चाहता हूं। एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाय और किस बात के लिये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाय? सैक्सन 5 में जब हम चाहेंगे तो बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे.. जब श्रीमन् सैक्सन 4 में पावर है और 6 के अन्दर यह अधिकार है कि तीन साल और चार साल की मियाद होती है और मियाद होने के बाद...

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री बंशीलाल सारस्वत :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची में निर्दिष्ट कार्यक्रम के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

**श्री रामनारायण चौधरी :** उपाध्यक्ष महोदय, यह टाइम बढ़ाने के लिये एक निश्चित समय होना चाहिये--एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा यह क्या जो कार्यसूची में निर्दिष्ट कार्यक्रम है वह तो आज 12 बजे तक समाप्त न होकर कल तक चल सकता है। कल विधान सभा फिर मीट करेगी और कल का बिजनिस पहले से सैट है। उपाध्यक्ष महोदय, टाइम बढ़ाने में मैं एतराज नहीं करता हूं लेकिन इस तरह का अनिश्चित प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। तमाम कार्य के सम्पादन तक समय बढ़ा दिया जाय, यह क्या बात हुई? तो मैं प्रार्थना करूंगा जितना चाहे टाइम बढ़ायें लेकिन निश्चित बतायें-एक घंटा, दो घंटा या तीन घंटे-यह तो कोई बात भी होगी।

**एक माननीय सदस्य :** यह तो कई दफा बढ़ा है।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है पहले भी स तरह के प्रस्ताव सदन में पारित हुए है और सदन की कार्यवाही तब तक के लिये बढ़ाई है जब तक कि उस दिन का बिजनिस पूरा नहीं हो जाता है यह बिल्कुल निश्चित प्रस्ताव है।

**श्री रामनारायण चौधरी :** इस प्रकार के प्रस्ताव पहले भी पेश हुए हैं, यह मैं नहीं कहता कि समय नहीं बढ़ाया जा सकता लेकिन ऐसे प्रस्तावों के ऊपर एतराज होने पर आसन ने व्यवस्था दी है। भूतपूर्व अध्यक्ष मानतीय रामनिवास जी मिर्धा ने व्यवस्था दी है माननीय निरंजन नाथ जी आचार्य ने व्यवस्था दी है। समय बढ़ाने का सत्ता का अधिकार है, मैं उसको चुनौती नहीं देता। मेरी चुनौती तो इस अनिश्चित प्रस्ताव पर है। इस प्रकार के अनिश्चित प्रस्तावों पर आसन की व्यवस्था सदन की कार्यवाही में मौजूद है। वैसे भी सदन की कार्यवाही का समय 11 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है। 11 से 5 बजे तक सदन चलेगा, उसके बाद अगर अवधि बढ़ायेंगे तो एक घन्टे की होगी, दो घन्टे की होगी, पांच घन्टे की होगी। इस प्रकार की व्यवस्थायें यहां पर हुई हैं कि अनिश्चित अवधि का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए।

(श्री रामनारायण चौधरी)

अगर पहले भी इस प्रकार के प्रस्ताव पास हुए हैं तो या तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था या किसी कारण से ऐतराज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यवस्था सर्वमान्य होगी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कि 11 से 5 बजे तक ...

श्री रघुनन्दन व्यास : निश्चित प्रस्ताव है कि कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढा दिया जावे।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप क्लेरिफिकेशन करिये। आपने कहा कि कार्य सूची समाप्त होने तक समय बढाया जावे तो कल के स्थगन प्रस्ताव भी आज लिए जायेंगे क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आज की कार्यवाही तक है।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, श्री रामनारायण जी ने जो आपत्ति उठाई है उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है। अगर सचेतक महोदय दो घन्टे का संकेत करें तो मेरे खयाल में अच्छी परम्परा होगी अन्यथा यह सरकारी पक्ष अगर विरोधी पक्ष को थका कर, रगड़ रगड़ करके ठिकाने लगाना चाहे तो यह मेरे खयाल में अच्छी परम्परा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : थके हुओं को क्या थकायेंगे। विरोधी पक्ष तो वैसे ही थक गया है।

श्री मदनसिंह दांता : यह अपमान समझेंगे, आप थके हुए नहीं हैं। अपन थके नहीं हैं, इनको रगड़-रगड़ करके ठिकाने लगायें फिर भी पास नहीं होने देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर विरोधी पक्ष के साथ सहयोग चाहते हैं, तो 2 घन्टे का समय बढ़ाइये, फिर आवश्यकता हो तो आपको बहुमत के बल पर जो कुछ करना हो कर लें। ऐसो तो यह कालाबादल कानून खत्म होने दें, फिर जो कुछ भी होगा, देखेंगे।

श्री सूलचन्द डागा : श्रीमान, कालाबादल जो कानून लाये हैं ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन का आज का समय बढाने के बारे में जो प्रस्ताव रखा है ...

श्री मदनसिंह दांता : दो घंटे के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन पूरी तरह से सक्षम है। प्रस्ताव जिस तरह से भी वह स्वीकार करना चाहें, सदन को पूरा अधिकार है कि वह जैसा चाहे प्रस्ताव कर सकता है। बाद में मोडीफिकेशन भी कर सकता है। इसलिये सदन की सहमति का, सदन का जहां तक अधिकार है, मैं मानता हूं कि सदन इस बारे में जैसे चाहे, सहमति कर सकता है। मैं सदन की सहमति प्राप्त करके ...

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसमें मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सदन का

106



(श्री गोपालसिंह)
समय दो घण्टे तक के लिये बढा दिया जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इस महान आसन ने जो व्यवस्थायें दी हैं, आपके प्रेडीसीसर ने दी है कि इस प्रकार का अनिश्चित समय का प्रस्ताव नहीं आ सकता।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : आपने कार्य सूची पूर्ण होने तक का प्रस्ताव किया है उसको दो घण्टे के लिये कर लें फिर आवश्यकता हो तो बढ़ा लेना।

श्री रामनारायण चौधरी : इस महान आसन की परम्पराओं को यथावत् चालू रखने का ध्यान रखने के लिये....

श्री गोपालसिंह (खंडेला) : मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर जैसा आपने फर्माया कि दो घण्टे के बाद और बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसमें विरोध होने की स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं होगी।

श्री बंशीलाल सारस्वत : आपने स्वयं ने पहले विरोध किया है। इसके बारे में....

श्री मदनसिंह दांता : You want to force us. यानि हम पर दबाव दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि जो मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है, वह स्वीकार किया जावे ?

मैं पहले जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके ऊपर सदन की सदन की सहमति लूंगा।

क्या इस प्रस्ताव पर जो संशोधन श्री गोपालसिंह खण्डेला ने रखा है उसे स्वीकृत किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

अब मैं श्री बंशीलाल सारस्वत ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर सदन की सहमति लूंगा।

क्या सदन की सहमति है कि श्री बंशीलाल सारस्वत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

सदन का समय तब तक बढ़ाया गया जब तक कि आज की कार्य सूची का काम पूरा नहीं हो जाता।

**राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979**

श्री मूलचन्द डागा : जिस बोर्ड को भंग करके एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना चाहते हैं जहां पर इलेक्टेड मेंबर हैं चार साल के। आपको मालूम है, फिर छः महीने पहले या एक साल पहले उनके चुनाव करवा दिये जावें। ये जगह-जगह पर चुनिन्दा बोर्ड हैं, इलेक्टेड मेम्बर जहां पर होते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर

(श्री मूलचन्द डागा)
मुकर्रर करना और सरकारी आदमियों को बिठा देना यह कहां तक उचित है ?

(समय-समाप्ति-सूचकघण्टी)

आपने सारा टाइम तो उधर दे दिया और मेरे पांच मिनट हो गए। यह गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : दो मिनट बाद फिर घण्टी बजाऊंगा, तब तक आप बोल लें।

**श्री मूलचन्द डागा** : मुझे दो मिनट तो हुए ही नहीं है। या तो मुझे बोलने नहीं दिया जाना चाहते हैं, तो ठीक है. .

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा** : दो मिनट बाद तो इनकी फोटो निकलेगी। पांच बजे इनकी फोटो निकलेगी।

**श्री मूलचन्द डागा** : श्रीमान्, ड्रोबा में है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : फ़ोटो कैसे निकलेगी ?

**श्री रामेश्वरदयाल यादव** (चौमू) : आप ट्रेजरी बैंचेज के मेम्बर हो, आपकी फोटो उतरेगी।

**श्री रतनलाल वर्मा** : जैसे ये हैं वैसी की वैसी फोटो निकलेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रतनलालजी, माननीय उज्जलाजी, कृपया शान्त रहें। माननीय डागा साहब चर्चा जारी रखें और अपनी चर्चा बहुत जल्दी अधिक से अधिक पांच मिनट में समाप्त करें।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं यह चाहता था कि अगर जब बोर्ड की मियाद चार साल है, उसके अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर का अपोइन्टमेंट करना है तो होमियोपैथी के जितने भी डाक्टर्स हैं, उन सब में निराशा होगी कि सरकार ने बोर्ड बनाया और बोर्ड के अन्तर्गत चुनिन्दा मेम्बरों को उतार दिया है। उनको खत्म कर दिया है जबकि उनके अन्दर प्रावधान है सैक्शन 11 और 49 है उसके होते हुए भी यह सरकार जब चाहेगी उनको हटा देगी। मैं कहता हूं कि क्या यह जरूरी है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जावे। क्यों नहीं उसके अन्दर चार महीने में चुनाव करा दें ? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां 10 अप्रेल, 79 के दिन दूसरा बोर्ड बना और 10 अप्रेल के बाद 10 अप्रेल, 79 तक उसे बोर्ड की मियाद कानूनी रही, क्योंकि 10 अप्रेल, 75 के बाद 77-78 और 79 तक और 6–6 महीने करके 10-4-79 तक बोर्ड चला। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि 10 अप्रेल, 79 के बाद जब तक यह आर्डिनेंस नहीं निकला, 22 अगस्त, 79 तक, बोर्ड को कौन चला रहा था ? कालाबादल साहब उत्तर दीजिए कि 10 अप्रेल, 79 से लेकर 22 अगस्त, 79 तक बोर्ड को किसने चलाया ? जब आपने आर्डिनेंस नहीं निकाला तब बोर्ड को चलाने वाले कौन थे? 3–4 महीने, 12 दिन बोर्ड को किसने चलाया ? आज आप शरद पूर्णिमा के रोज, जो हमारे मंत्री महोदय हिंदी प्रेमी हैं, उनको मालूम

(१०४)



(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं कि कौनसा कानून ला रहे हैं? पहले कमला थी, चेयरमैन, आज हैं या नहीं, फिर आपके विजयसिंह जी आये, फिर राजगोपालन रहे, फिर आर. ए. एस. और फिर एक सैक्शन ऑफिसर। क्या हालत कर दी बोर्ड की? एक चुनिन्दा बोर्ड, और उस बोर्ड को आपने खत्म कर दिया। यह है लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, कि हम लोकतंत्र को कायम करेंगे, विकेन्द्रीकरण करेंगे सत्ता का। यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको देखने का समय नहीं मिला होगा। सैक्शन 71 जोड़ दिया 71 में क्या है बोर्ड का फस्ट नोमिनेशन, जिसमें इन्होंने एक प्रोविजो लगा दिया। तो मैं कहना चाहता था कि इस बोर्ड ने क्या किया? जो 20 मदन में मिटिंग होना चाहिये, इन्होंने 8-8 महीने नहीं की साहब, 9–9 महीने तक मीटिंग की नहीं, बोर्ड का प्रस्ताव लिया नहीं सारे एलिगेशन जो लगाये गये हैं वो एलिगेशन मैं सदन की मेज पर रखता हूं। फिर आप कहेंगे समय हो गया यह सरकार जो आदमी चुनिन्दा आते हैं, फिर बोर्ड बनता है, कानून के अन्तर्गत काम कर रहे हैं उनको हटाने का प्रावधान है, उनको हटाकर बोर्ड में धांधली की ओर आज आप क्या कानून ले आये हैं, कि बोर्ड को ही हटा दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे। तो यह सारे कानून की मंशा है। यह संविधान की धाराओं के खिलाफ है, लोकतंत्र की सीमा और मर्यादा के खिलाफ है। यह काला कानून आज क्यों लाया जा रहा है?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री:** काला कानून?

**श्री मूलचन्द डागा:** बिल्कुल काला कानून है, पुरुषोत्तम जी साहब। आप भी वकील हैं।

**श्री रघुनन्दन व्यास:** आप अपने विषय पर, आर्डिनेन्स के संकल्प पर बोलिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स के नियमों की अवहेलना कर बोल रहे हैं।

**श्री मूलचन्द डागा:** कौन बोल रहा है? इनको मालूम है कुछ? कानून समझते नहीं और खड़े हो जाते हैं यहां। तो मैंने कहा था सैक्शन 6 और 7 के लिये आर्डिनेंस जो लाये हैं उसमें कोई रीजन्स नहीं हैं। अगर रीजन्स नहीं हों तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हुआ? काला बादल साहब उत्तर देंगे तब बताने की कृपा करेंगे कौन से ऐसे लोक हित में, जनता के हित में कानून नहीं था इसलिये बनाना जरूरी था? ये जो सारे आक्षेप लगाये है ये मैं सदन की मेज पर रखता हूं ये बोर्ड की ही स्पीच होंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय रामनारायण जी।

**श्री रामनारायण चौधरी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1979 व दिनांक 23 अगस्त, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1979) व राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979

(श्री रामनारायण चौधरी)

(अध्यादेश संख्या 5 सन् 1979) को अस्वीकार करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने एक भी लोकतांत्रिक ऑर्डिनेन्स जारी नहीं किया जब से सत्ता में आई। यह तो उनका इस वर्ष का, इस सत्र के लिये उनका नमूना और करिश्मा है। मुझे तो अफसोस है इस बात का कि जो माननीय सदस्य विपक्ष में थे और जिन्होंने 1952 से 72 तक अध्यादेशों का, ऑर्डिनेन्सेज का विरोध किया, विरोध करने की प्रवृति रखी, माननीय वित मंत्रीजी 62 से 67 तक 5 साल की प्रोसिडिंग देख लीजिए, मैंने पढ़ी है, बराबर सुराणा साहब ने संजग लेजिस्लेटर की हैसियत से ऑर्डिनेंस निकालने की प्रवृति की न केवल निन्दा की बल्कि घोर निन्दा की। माननीय मुख्य मंत्री जी आज शासन के अध्यक्ष है, उनके कर्णधार वित्त मंत्री जी हैं, इन दोनों की सूझबूझ से, 20 साल से लगातार इन्होंने जो कुछ कहा, या तो वह सारहीन था, लोगों को, सदन को गुमराह कर रहे थे या आज जो कर रहे हैं वह गलत है। दोनों में एक गलत है। यह तो वे उत्तर देंगे। और भी जो आर्डिनेंस निकाले, पंचायत समितियों के, ग्राम पंचायतों के जिला परिषदों के और नगरपालिकाओं के, चुनाव को एक दो वर्ष हुआ था और दो वर्ष तक कार्य करने का उनका अधिकार था, नगरपालिकाओं को आगे किया, आगे ही नहीं किया, नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर बना कर बिठा दिये और आज ढाई साल हो गये, चुनाव कराने के मान्यवर पंचायतो के दो साल में करवा दिये। आर्डिनेंस पंचायतों, पंचायत समितियों के प्रधानों, जिला परिषदों का लाये, पता नहीं रिप्लेसमेंट किया या नहीं। कृषि उपज मंडियों को आर्डिनेंस निकाल कर टर्मिनेट किया, नोमिनेटेड थे उनको टर्मिनेट किया और अब यह होम्योपैथी को लाये हैं। अकाल का नमूना देखें। एक महीना 13 दिन में दो ऑर्डिनेंस निकाले हैं। नमूना देखें इनका। Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary to take immediate action, the Governor made and promulgated the Rajasthan Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 1979 and the Rajasthan Homoeopathic Medicine (Second Amendment) Ordinance, 1979.

आज क्या सरकमस्टान्सेज एग्जिस्ट करते हैं, कहीं जिक्र नहीं किया। एक लाइन में जिक्र कर दिया कि इस प्रकार की परिस्थितियां थीं, जिससे आर्डिनेंस निकालना पड़ा। और निकाला किस बात के लिये:—

"The Rajasthan Homoeopathic Medicine Act, 1969 does not contain any provision for the pre-mature termination of the normal or extended term of the Board and its reconstitution. In order to improve the functioning of the Board, it was considered necessary to reconstitute it.

जो पुराना कानून संशोधन के पहले था,

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसमे यह व्यवस्था नहीं थी इसलिये इन्होंने इसको अध्यादेश निकाल कर एक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, विधि विधान के मुताबिक ठीक प्रकार से खड़ी संस्था थी, उसको इन्होंने डिसमिस किया और बाद में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते तो दूसरा आर्डिनेंस निकाल कर बाद में प्रोविजन किया, क्योंकि पहले जो किया वह तो बेकार हो गया और दूसरा आर्डिनेंस और निकाला और उसमें लिखते हैं:–Similary the said Act does not contain any provision for the appointment of an Administrator to carry on the functions of the Board where the term of the Board has expired and the new Board has not been duly constituted. Such provisions do exist in many other State Acts relating to the constitution of some Government Boards / Corporations. अब यह दिया है।

दूसरी स्टेट्स में महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ सरकार आई। उन्होंने मान्यवर, चुनाव करवाया लेकिन किसी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया। उन्होंने लोकतन्त्र की आत्मा को नहीं मारा। आज सारे राजस्थान में जनतान्त्रिक संस्थाओं, पंचायत समितियों जिला परिषदों में, एक होम्योपैथी ही नहीं सारी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नौकरशाही हावी है। इस सरकार की लोकतन्त्र की बात कहते हुए जीभ क्यों नहीं कट जाती है ? गिर क्यों नहीं जाती हैं ? लोकतन्त्र की बात कहते हुए ? इस अध्यादेश के द्वारा जो होम्योपैथी संस्था लोकतान्त्रिक तरीके से बनी हुई थी उसका एक अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। उसके लिए 2,000 रु. का प्रॉवीजन किया। यह दो साल तक होगा। मान्यवर, यह जो इस तरह की वाणी बोलते हैं लेकिन इन्होंने आने के बाद जनतन्त्र की हत्या की है। जहां भी जनतन्त्र की हत्या हुई हैं, वह आपने की है। आप इन सभी संस्थाओं के हत्यारे हैं। शासन प्रजातान्त्रिक तरीके से नहीं चल रहा हैं। तुमने लोकतन्त्र की राजस्थान में हत्या की है। पंचायत राज को नष्ट कर दिया। सहकारिता को नष्ट कर दिया नगर पालिकाओं की अध्यादेश निकाल कर हत्या कर दी। जिन माननीय सदस्यों को दो साल का अधिकार है, उनको हटा दिया। आपने यही तोहफा दिया है ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय रामकृष्णदास जी।

**श्री रामनारायण चौधरी :** सदन के सामने यह माननीय काला बादल जी ने प्रस्तुत किया है। उनका मन तो नहीं है। वह कहेंगे हमको नौकरशाही ने गुमराह किया है। मान्यवर जैसा रंग उनका बाहर से है वैसा अन्दर से नहीं हैं। आत्मा उनकी साफ है। उन्होंने माना है कि मैं अनर्थ नहीं करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामनारायण चौधरी)

वैसे तो होम्योपैथी संस्था को मान्यता देने को कहा था। उसको मान्यता मिली नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय रामनारायण जी चौधरी।

**श्री रामनारायण चौधरी :** मैं यही निवेदन करूंगा कि जो अध्यादेश जारी किया गया है, यह सदन उसको रद्द करे।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन, श्रीमन् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1979 व दिनांक 23 अगस्त, 1979 को प्रख्यापित राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश 1979 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1979) व राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1979 (अध्यादेश संख्या 5, सन् 1979) को अस्वीकार करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतनी ही बात कहना चाहूंगा रूल्स, ला और विधान से बंधी हुई है यह सरकार यह आर्डिनेंस इस बात का प्रतीक है। यह अधिकार सरकार को दिया जाता है। समय के पूर्व बोर्ड को भंग करना, भंग करके प्रशासक नियुक्त करना अपने आप में यह एक नमूना है। अगर निश्चित-अवधि से पूर्व बोर्ड भंग किया गया है तो किन कारणों से हटाया गया है। अगर बोर्ड का कोई मेम्बर अपने विवेक से होम्योपैथिक के परपज के लिये कार्य कर रहा है और मिनिस्टर की हां में हां नहीं मिला रहा है तो उसके बोर्ड को भंग करके अधिक अधिकार गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है। ऐसा मुझे मालूम है, बोर्डों की भंग करने में राजस्थान सरकार के एक आयुक्त का हाथ था। जैन साहब को उनकी अवधि बढ़ाने के लिए कहा गया था। वह फाईल सरकार को भेज दी गई। लेकिन वह फाइल दबा दी गई। क्योंकि तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त श्री राजगोपालन यह नहीं चाहते थे। तत्कालीन मन्त्री यह चाहते थे। परन्तु एक नौकर ने जनतन्त्र के मन्त्री की बात नहीं चलने दी। आपने फाईल पर दो बार आर्डर्स दिये। उन आर्डर्स को तत्कालीन हैल्थ कमिश्नर ने दबा दिया। इसका कारण यह था कि वह इस प्रकार का कार्य करते थे जिससे आपके व्यक्तित्व का ह्रास हो सके। आने वाली व्यवस्था है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यह जनता सरकार चाहे 5 साल चले या 20 साल चले।

(व्यवधान)

परन्तु आने वाले मंत्रियों को कायम रखने के लिये...

(व्यवधान)

अभी तो ढाई साल और रह गये हैं। इस शासन में खास तौर से जिसका ह्रास हुआ है तो मंत्री पद का। मंत्री पद की गौरव और गरिमा समाप्त हो गई है।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** ×××

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता:** माननीय पालिय-

---

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(112)



(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मेटरी अफेयर्स मिनिस्टर मुझे मालूम है। यह आपके चेहरे पर झूठी हंसी है। आप में कितनी ××× हैं ? इस राज में कितनी ××× आई है ? जबकि इतनी ताकत है। इतना प्रचण्ड बहुमत है। जनता आपका साथ देने को तैयार है। वहां स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो। बोर्ड को भंग करके एक अधिकारी को इस अध्यादेश के जरिये से लगायें। यह राजस्थान के हैल्थ मिनिस्टर को देखना होगा। ऊपर से असर आयेंगे। यह खेल करने अब जा रहे हैं। जैसा कि माननीय रामनारायणजी ने कहा कि म्युनिसिपैल्टी में एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। वह चल रहे हैं। पंचायतों में बैठे हैं, वह चल रहे हैं। मुझे उस दिन की आशंका है कि जिस दिन भारत सरकार यह कानून बना दे कि चुनाव नहीं करायें और विधान सभाओं में भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दें। इन्दिरा गान्धी के कार्यकाल में विधान सभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। उसको जनता सरकार ने विथड्रा किया है। उन्होंने 5 साल किया है। क्योंकि उनका मानना है कि हम 5 साल के लिए आये हैं। क्या आप समय से पहले ही बोर्ड को भंग करने के लिए हैं? अगर कोई मेम्बर काम नहीं कर रहा है तो उसको देख सकते हैं। सारे बोर्ड को भंग करने की जरूरत क्या इसलिए है ? यह सरकार भी पुरानी सरकार की तरह से अपना अधिकार चाहती है। अपने पर लगाम नहीं चाहती है। वह घोड़ा नहीं··

(व्यवधान)

अगर आप चाहते हैं कि राज्य सरकार यह काम करें तो इस प्रकार का आर्डिनेन्स वापिस लें। बोर्ड का गठन करके और समय से पहले किसी को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार नहीं ले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता सरकार आये या कोई सरकार आये·····

(व्यवधान)

इसलिए पिछली राज्य सरकार ने जो नियमबद्ध कार्य किये हैं, उनको कायम रखें। आप बोर्ड को भंग करके अपने लोगों से पैक्ट करना चाहते हैं, क्यों पैक्ट करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी, कृपया आसन ग्रहण करें, चर्चा काफी हो चुकी है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मिसेज गांधी जुडिशियरी से पैक्ट करना चाहती थी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की प्रतिष्ठा इसी में है कि इस आर्डिनेन्स को रद्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कालाबादलजी।

श्री भैरवलाल कालाबादल (आयुर्वेद मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 5 नवम्बर को मैंने आयुर्वेद मंत्री का कार्यभार संभाला ज्योंहि कार्यभार संभाला···

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की हैसियत से बोल रहे हैं या कालाबादल की

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
हैसियत से ?

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आसन से कालाबादलजी का नाम पुकारा गया है, अब ये मंत्री महोदय बोल रहे हैं या कालाबादलजी की हैसियत से बोल रहे हैं । प्रोसीडिंग में कालाबादल अंकित हो जायगा, इसलिए आप व्यवस्था दे दें ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सुमित्राजी, मैंने पालियामेन्ट्री प्रेसिडिंग्स भी देखी हैं। डेजिगनेशन से भी पुकारते हैं और नाम से भी, कालाबादल का मतलब आयुर्वेद मन्त्री महोदय से ही है ।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** (आयुर्वेद मन्त्री) : तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने आयुर्वेद विभाग संभाला तो होमियोपैथी कालेज के लड़कों ने मेरा घेराव कर लिया और इसलिये कर लिया कि बोर्ड की अवधि तीन साल की थी, 6-6 महीने और बढाई गई । वो अवधि भी समाप्त हो गई । विद्यार्थी लोग बिना परीक्षा के ही कालेज में रह रहे थे, मेरा घेराव किया माननीय भाई गिरधारीलालजी भार्गव और बहन उजला अरोड़ा भी थीं ।

**श्री दयोपत सिंह मकासर** : वो तो घेरने के लिए लाए थे ।

(व्यवधान)

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं ।

(व्यवधान)

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : ऐसा बोर्ड बिठा रखा है; कई महीनों से विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हुई, चार मैम्बर ऐसे हैं जो उनमें बाधा डालते हैं और उनकी अवधि समाप्त हो गई थी लेकिन हम चुप बैठे रहे । हमने अब उनको रिजेक्ट कर दिया । यह हो जाने के बाद वो लोग मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में गए लेकिन मेरा फैसला बहाल हुआ, हाईकोर्ट में चार मैम्बर मेरे खिलाफ हो गए, मेरे हक में फैसला हो गया । पांच मेम्बर बनाने का, उनको नामजद करने का सरकार को अधिकार था । हमने पूरा बोर्ड बना दिया और विद्यार्थियों की परीक्षा भी करा दी परीक्षा होते ही उन मेम्बरों की मियाद समाप्त हो गई । बोर्ड को पावर इलेक्शन की थी लेकिन अर्थाभाव के कारण नहीं करा सके, अब गारन्टी देते हैं कि जल्दी से जल्दी बोर्ड का गठन करा देंगे । इसलिए हमने परीक्षा भी करवा दी, उसके बाद बोर्ड की अवधि समाप्त हो गई, अब विद्यार्थियों का रिजल्ट पेटियों में बन्द रहा, छोरे (विद्यार्थी) रोज मेरे पास आते। उन्होंने कहा कि क्यों भंग किया ? आप हमारे हितों पर कुठाराघात करते हैं। मैंने कहा आठ दिनों के भीतर-भीतर उसके सहयोग से यह निश्चय किया कि जल्दी से जल्दी प्रशासक के द्वारा कालेज के विद्यार्थियों का रिजल्ट आउट किया जाएगा । हमने प्रशासक नियुक्त किया, राज्यपाल महोदय के अध्यादेश से और उनका परिणाम भी घोषित करा दिया । इस बिल का विरोध करने वालों को मालूम होना चाहिए कि अगर होमियोपैथी के विद्यार्थियों को मालूम हो जाएगा तो आपकी घेराव कर लेंगे ।

(व्यवधान)

( श्री भैरवलाल काला बादल )

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझ रहा था कि डागा साहब एक अच्छे वकील हैं। विधान सभा में जब से वे आए हैं, वकालात तो भूल गए। जनहित की दृष्टि से हमने प्रशासक नियुक्त किया है। उन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रशासक नियुक्त किया है और डागा साहब मुझे याद आया, क्या याद आया कि वकील अच्छे हैं, एक वकील ने मेरी पैरवी की, हाईकोर्ट में फैसले को बहाल करा लाया, डागा साहब होते तो हरा देते। वकीलों में गुण होता है, कोई अच्छे वकील होते हैं और कोई ऐसे वकील कि फूंक से घर लागी आग और जला दिया देश वकील की फूंक से देश की तकदीर भी बदल गई।

**श्री मदनसिंह दांता :** उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस वकीलों पर हो रही है या बिल पर।

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** बिल पर, हमारे माननीय चौधरी साहब ने भी....

**श्री मूलचन्द डागा :** बिल नहीं, अध्यादेश कहो गुरू जी।

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** मैं अपनी गलती मान लेता हूं, अध्यादेश। उपाध्यक्ष महोदय, 13 वर्षों तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये और इसको लोकतन्त्र की हत्या बताया जा रहा है। दूसरी स्टेट्स में भी मैंने देखा बोर्डों में प्रशासक नियुक्त हैं....

**श्री मूलचन्द डागा :** जनता पार्टी का राज आया तब से प्रशासक हो गए, यह क्यों किया, सैक्शन 11 है....

(व्यवधान)

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** माननीय डागा साहब, मैंने कह दिया कि जल्दी से जल्दी करवा देंगे। लोकतन्त्र की रक्षा करने वाले बोर्ड का गठन हो जायेगा। पहले आपने कमियां रख दी थी, बोर्ड अवैधानिक काम करने लग जाय तो सरकार के पास ऐसा कोई....

**श्री मूलचन्द डागा :** सैक्शन 49 में पावर है और 11 में पावर है सजा देने की....

(व्यवधान)

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** पहले यह कमी रह गई थी, बोर्ड सही तरीके से काम नहीं करे तो सरकार के पास कुछ नहीं था....

**श्री मूलचन्द डागा :** सैक्शन 49 पढ़िए।

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** बोर्ड के 11 मैम्बरों में से चार मैम्बर विघ्न डालते रहे, और इसी कारण से होमियोपैथी के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हो सकी। मेरे आने के बाद परीक्षा करवा दी और रिजल्ट जो बन्द पड़ा था, प्रशासक नियुक्त करके रिजल्ट खुलवा दिया। आज वे दुआयें दे रहे हैं, वे कहते हैं धन्यवाद, काला बादल ने होम्योपैथी विभाग सम्भालकर हमारा भला कर दिया और आप इस अध्यादेश का विरोध करके उन कालेजों के विद्यार्थियों का अहित कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता था कि सीधा सादा गांव के अगर कोई मंत्री बनकर आ गया तो आपको बुरा लग रहा है। तो आपको यह सोचना चाहिये था कि कालाबादल के द्वारा जो सदन में यह

(श्री भैरवलाल कालाबादल)
अध्यादेश पेश किया गया है, इसको हम भी सर्व सम्मति से पास कर दें · · ·

(व्यवधान)

मेरे विचार सुनने के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को निर्विरोध पास कर दिया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : इस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अगर आपको नहीं सुनना है तो कोई मतलब नहीं। इसमें एक बात जो माननीय प्रभारी मंत्री ने कही है कि हम बोर्ड के किसी मैम्बर को या बोर्ड को किसी प्रकार से भंग नहीं कर सकते थे, हमने उनसे कहा कि सैक्शन 11 व 49 के अन्दर जो दो सैक्शन हैं उनके अन्दर किसी भी सदस्य को या बोर्ड को आप खतम कर सकते हैं और दूसरी एजेन्सी लगा सकते हैं लेकिन आपने बड़ी आशीष विद्यार्थियों की ली और इम्तहान कर दिया। धारा 49 में आपको अधिकार था, उसके अन्तर्गत बोर्ड भंग करके एजेन्सी मुकर्रर कर सकते थे और सैक्शन 11 में यह था कि कोई बोर्ड का सदस्य जो सही तरीके से काम नहीं करता है उसके खिलाफ नोटिस देकर उसकी सेवायें खतम कर सकते हैं। आपने यह किया कि इलेक्टेड बोर्ड बन गया था और एक साल की मियाद बढ गई थी, 4 साल वाली मियाद का बोर्ड बिना किसी नोटिस दिये, बिना किसी सूचना दिए, बिना एक्सप्लेनेशन काल किए आपने भंग कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारे नियमों के अनुकूल किसी भी चुने हुए सदस्य को हटाने से पहले नगरपालिका में और आपके पंचायत एक्ट और दूसरे एक्ट्स में प्रावधान है कि सदस्य को हटाने से पहले उसको नोटिस दिया जायेगा और आपने कर दिया कि बिना नोटिस हटा दिया और आप आग्यूमेण्ट्स करने लगे मेरे वकील पर। मैं कहता हूं यह कैबिनेट का डिसीजन होगा। आप अपने पर क्यों ले रहे हैं, सारी केबिनेट ने माइण्ड एप्लाई किया होगा, जो बड़े-बड़े लर्नेड वकील बैठे हैं उनसे पूछिये। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है तो पारित करें, यह काला अध्यादेश आप ला रहे हैं इस शरद पूर्णिमा के दिन ला रहे हैं, आप पाप के भागी होंगे।

श्री मदनसिंह दांता : You c n go to High Court afterwards यह तो पास होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1979 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1979) को अस्वीकार किए जाने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

माननीय मन्त्री।

विधेयक पर विचार

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें 14 संशोधन हैं। 12 तो सर्क्यूलेशन के लिए और तीन सलेक्ट कमेटी के लिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : मैं 5 मिनट इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना संशोधन प्रस्ताव रखना चाहेंगे ?

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। जी हां। बहुत थोड़ा ज्यादा नहीं। उपाध्यक्षजी, जहां आयुर्वेद मन्त्री का सवाल है उनके विरोध में नहीं बोलूंगा लेकिन अगर कोई लेकुना रहा है तो वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि आयुर्वेद मंत्री तो 5 तारीख को आए हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह होमियोपैथिक बिल जब इस विधान सभा में आया तो आज जो माननीय सदस्य घर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, उनमें बहुत से उधर बैठे है चाहे भैरोंसिंह शेखावत, सतीशचन्द अग्रवाल, माणकचन्द सुराणा, सुराणा नहीं थे, उस समय रामकिशन वर्तमान संसद सदस्य भी थे, बहुत से माननीय सदस्य इधर बैठे थे और जब यह बिल पेश हुआ था उस समय अपोजीशन ने आशंका प्रकट की थी कि अगर इसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजो रख दिया, सरकार ने बार-बार बोर्ड पर नोमीनेट करने का अधिकार सरकार ने हाथ में लिया तो सरकार चुनाव नहीं कराएगी। इसलिए उसमें नोमीनेट करने का प्रावधान है न प्रशासक का प्रावधान है। जब यह बोर्ड था और सरकार का रजिस्ट्रार बैठा हुआ था तो उसका परम कर्त्तव्य था कि जो चुनाव होने की प्रक्रिया थी उसको चालू करना चाहिए था लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और उसके कारण बोर्ड के चुनाव नहीं हो सके। अवधि बढ़ाने का अधिकार सरकार के हाथ में है। अगर कोई आयुर्वेद मंत्री अवधि बढ़ाए, कमिश्नर को लिखें और उसकी आज्ञा नहीं निकाले उसके बारे में नहीं कहता, ऐसे बहुत से आदेश सेक्रेटेरियट में पड़े हुए हैं इसलिए कोई अपवाद नहीं होमियोपैथी का ऑर्डर हो, बहुत से ऑर्डर्स पड़े होंगे। आपने जिन बातों को लेकर यह अध्यादेश निकाला है वह उस कानून के अंदर है और कानून के अन्दर यह बात है कि चुने हुए व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और आपने यह गलत काम किया। उसको तब हटाया जाता है चुने हुए सरपंच को या किसी व्यक्ति को कानूनन नोटिस दिया जाता है परन्तु होमियोपैथिक बोर्ड में आप इस तरह का प्रोविजो रख रहे हैं कि कभी भी हटाया जा सकता है। क्या यह प्रजातांत्रिक है ? नहीं। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस बोर्ड के अंदर सरकार नोमीनेट करेगी उसके अंदर 4 सदस्य हों उसमें 2 होमियोपैथी के हों कहीं ऐसा न हो कि सरकार 4 व्यक्तियों को नोमीनेट करे जिनका होमियोपैथी से संबंध नहीं हो उस समय सरकार ने इस बात को माना और मानकर कोशिश की। आज आप कहते हैं कि बोर्ड के चुनाव हुए लेकिन वे उस बोर्ड को नहीं चला रहे थे आप एक

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
तरफा वकालात कर रहे हैं, आप विद्यार्थियों की बात को लेकर बोर्ड को बरखास्त नहीं कर सकते थे, कमिश्नर आपका चेयरमैन था, रजिस्ट्रार आपका सरकारी अधिकारी था, अगर कुछ सदस्य काम नहीं कर रहे थे तो बोर्ड परीक्षा ले सकता था या काला-बादलजी आपसे पहले जो मंत्री थे उनके समय में, उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड की परीक्षा नहीं हो सकी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भूतपूर्व आयुर्वेदिक राज्य मन्त्री श्री जयकृष्ण शर्मा ने अपने समय में होमियोपैथिक बोर्ड को नहीं बनने दिया और जब यह मन्त्री पद से बाहर हो गये तो यह बोर्ड बन सका।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको माननीय सदस्य शायद याद नहीं है यह बोर्ड जब मैं आयुर्वेदिक राज्य मन्त्री था तब ही बना था।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप बैठ जाइये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप बैठ जाइये। आपको कुछ पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे बैठने को कहें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पता नहीं है यह कानून होमियोपैथिक बोर्ड का सन् 69 में बना था जब मैं आयुर्वेदिक राज्य मंत्री था और मेरे ही समय में यह कानून बना था। मैंने ही पहले बोर्ड बनवाकर यहां पर बोर्ड में सदस्यों की व्यवस्था की। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में दे दूं कि यह बिल सलेक्ट कमेटी में गया था और वहां पर कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो दो-तीन सुझाव रखे थे उनको मैंने माना था मैंने आपकी तरह इस तरह का काला कानून बनने नहीं दिया। इसमें कि आपने ऐसा प्रोविजो रख दिया कि सरकार चाहे जिसको बोर्ड का सदस्य रखे, चाहे जितने दिन रखे और फिर बिना कोई कारण बताये उस सदस्य को उस पद से हटा दें। मैं उस वक्त भी बोर्ड में प्रशासक रखने के पक्ष में नहीं था। मैं चाहता था कि चुनाव हों। और आज भी प्रशासक रखने के पक्ष में नहीं हूं। मैं कालाबादल साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा प्रोविजो नहीं रखें जो आगे चलकर कोई कठिनाई पैदा करे। लोगों के मन में शंका पैदा करें। उस वक्त तो लोगों को जब मैं मन्त्री था तब उन्होंने जो शंका पैदा की थी कि अभी तो बोर्ड का गठन कर दिया है और बाद में शायद यह चुनाव नहीं करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब बोर्ड का गठन होता है तो बोर्ड के सदस्य नोमीनेटेड ही होते हैं और उसके बाद में चुनाव की व्यवस्था होती है। मैंने तो उस वक्त कहा था कि इसमें चुनाव होंगे लेकिन आप अब ऐसी व्यवस्था इस प्रोविजो को डालकर कर रहे हैं तो ऐसा काला कानून बनाना चाहते हैं कि आप

( श्री जयकृष्ण शर्मा )
जब चाहे तब किसी व्यक्ति को रखें और जब चाहें तब किसी व्यक्ति को निकाल दें। आप इस तरह का काला कानून बनाकर के इसमें राजनीति डाल रहे हैं। यह आगे जाकर राजनीति रंग लायेगी क्योंकि जो भी व्यक्ति जब तक आपका मर्जीदान होगा तब तक तो वह चलेगा अन्यथा आप उसे निकाल देंगे।

यह आपने ऐसा प्रोविजो इसलिये किया कि उस वक्त जब इसके लिये चुनाव हुए थे तब आपके लोग चुनाव में हार गये थे। इसलिये आपने अब ऐसी व्यवस्था की है कि आप चाहे जिसको बरखास्त जब चाहे कर दें। मैंने उस वक्त भी कहा था वह याद होगा। आज अब यह कहना चाहता हूं कि चाहे मेडिशन बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक हो चाहे होमियोपैथिक बोर्ड इसमें आपके ही लोगों का होना जरूरी नहीं है आपकी बपौती नहीं यह तो थोड़े दिन का काम और है। उपाध्यक्ष महोदय, रामकिशन जी इस सदन में बोले थे सतीश जी बोले थे। मैंने सुना था उस वक्त में उपर गया था उस समय की प्रोसीडिंग्स निकाल लेते ताकि आपको बताता कि आपके ही सतीश जी और राम किशन जी ने उस वक्त क्या था उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रोविजो नहीं होना चाहिये। जोशीजी ज्यादा जोश में मत आओ, होश में भी आओ अपने होश को मत खोइये आज आप यहां पर नये हो आपको पता नहीं है लेकिन जो लोग पिछले 15-15 और बीस साल तक इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं उनको सभी बातों का पता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने उस वक्त कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आज आप यहां बोल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों में से कुछ दर्शक दीर्घा में मिलें, कुछ लोग शायद विधान सभा के बाहर ही मिलें कुछ लोग विधान सभा में विरोधी पक्ष में बैठे और आज वही बात सही साबित हो रही है। आज उसमें से कई सदस्य नहीं हैं इसलिये मैं जोशी जी से कहता हूं होश मत खोओ, जोश के साथ होश भी रखो।

श्री एच. एन. शर्मा : आप तो होश में आओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप अभी तो विरोधी पक्ष में बैठे दिखायी देते हो और बाद में तो वहां पर नजर नहीं आओगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जोशी जी मैं तो विरोधी पक्ष में बैठा तो हूं आप तो विरोधी पक्ष में भी नहीं बैठ सकोगे। इसलिये होश में रहो। होश मत खोओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में से सर्व प्रथम होमियोपैथिक बोर्ड का गठन 1970 में से सेक्शन 7 के अन्तर्गत राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड के अन्तर्गत नियम में हुआ। उसके बाद में 1972 में बोर्ड को भंग कर दिया और प्रशासक नियुक्त कर दिया जो कि दो वर्ष रहा। राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड के सैक्शन 4 के अन्तर्गत मार्च 1975 में

( श्री हरीश शर्मा )

चुनाव हुए। 10 अप्रेल को प्रथम बैठक हुई और बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। मार्च, 1978 में उसकी अवधि समाप्त हो गयी। इसके बाद में एक वर्ष के लिये बोर्ड का समय और बढ़ाया गया जो कि 9 अप्रेल, 1979 बढ़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इस 9 अप्रेल, 1979 से 22 अगस्त, 1979 तक न तो बोर्ड रहा और न प्रशासक रहा न चुनाव हुए इस अवधि में कई अनियमितताए हुई। इस समय रजिस्ट्रार के घर पर टेलीफोन रहा, उसके लिए टेलीफोन के बिलों पर ऑडिट आब्जेक्शन हुआ। उस वक्त चैक पर हस्ताक्षर किसने किये और इन आबजैक्शन्स को मिटाने के लिए आपने यह विधेयक संशोधित रूप से प्रस्तुत किया है इसमें मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आपने जो पावर्स अपने पास रखी वह तानाशाही की पावर्स है आपने जो धारा 11 रखी है उससे आपने तानाशाही की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। आपने इसमें जो चैयरमैन और सदस्यों के बारे में व्यवस्था की है पर पहले जो अनियमिततायें हो गयी उनका क्या होगा? यह भी व्यवस्था आज सभी जगह मिलती है कि अगर कोई अनियमिततायें करता है तो उसको पहले पूछते लेकिन आपने तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रख कर ऐसा प्रोविजन रख दिया कि आप चाहो जिसको बिना नोटिस दिये, बिना उस व्यक्ति को मौका दिये सफाई का, आप उसको निकाल सकते हो। इससे बदले की भावना से काम भी किया जा सकता है। यह जो संशोधन रखा है वह बिलकुल गलत है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगा कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आयुर्वेदिक मंत्रीजी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ इस बारे में निवेदन करना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक के मामले में जो कदम आयुर्वेदिक मन्त्रीजी ने उठाये उसके लिये तो मैं आयुर्वेदिक मन्त्रीजी की प्रसंशा करती हूं और उनकी वजह से आयुर्वेदिक छात्रों की परीक्षायें हो सकी लेकिन इस विधेयक के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो प्रोविजन्स इसमें रखे गये हैं उससे थोड़ा न्याय होने की कम गुन्जाइश रहेगी। क्योंकि राज्य सरकार नोमिनेट तो 11 सदस्य कर सकती है लेकिन जो सदस्य होंगे उनको सरकार बिना कोई इन्क्वायरी कराये ही, बिना नोटिस दिये ही उनको जब चाहें निकाल सकती है चाहे उन्होंने गलत काम किया हो या नहीं किया हो। उस व्यक्ति को अपनी सफाई पेश करने का अधिकार भी आपने नहीं रखा। आप उसे बिना पूछे हटा सकते हैं, इससे तो बदले की भावना से भी काम किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति दोषी हो या नहीं हो उसको हटाकर आप अपमानित कर सकते हैं। तो मैं समझती हूं कि ऐसा प्रावधान इस विधेयक में रखना न्याय संगत नहीं होगा यह बिल्कुल उचित नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आप इस बिल को पास करायेंगे लेकिन एक दर्द रहेगा कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

**श्री गंगा सहाय** (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है वास्तव में देखा जाये तो पिछली अनियमितताओं की बात है और जो बोर्ड ने गलत काम किये हैं, बजट पास नहीं होना, खर्चा करते चला जाना, समय पर मीटिंग नहीं होना और एजेन्डा के अनुसार नहीं लिखा जाना इस प्रकार की अनेक अनियमिततायें हुई हैं। उनको छिपाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पास तो होगा ही और हमें पास करना ही पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ मंत्री महोदय ने कहा कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा देंगे तो यह बड़ी वेग टर्म है। इसमें कोई समय निश्चित नहीं है। हम चाहते हैं कि दो महीने में, तीन महीने में या चार महीने में, एक निश्चित अवधि में चुनाव करा दिये जायें और एक निश्चित अवधि तय की जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो होमियोपैथी चिकित्सा के प्रेमी हैं और होमियोपैथी की चिकित्सा कराना चाहते हैं उनको रीएम्बर्समेन्ट की सुविधा दी जाये। इसके अतिरिक्त एक शार्ट टर्म कोर्स भी चालू किया जाये और इसमें कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग हो ..

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य प्रशासनिक समस्याओं के ऊपर चर्चा मत कीजिए। जनमत जानने के लिए क्यों भेजा जाय यह कहें। माननीय सदस्य बिराजें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चुनावों के लिए कोई तारीख निश्चित रूप से तय कर दी जाये। अगर यह नहीं किया गया तो संस्था के साथ मखौल होगा। मेरा निवेदन करना यह है कि एक निश्चित अवधि चुनाव कराने के संबंध में तय करें।

**श्री मदनसिंह दांता** : पाइन्ट आफ आर्डर सर। पहली बात तो यह है कि पहले तो प्रस्तावक का नाम ही नहीं आया दूसरे ..

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय दांता साहब क्या कहना चाहते हैं मैं समझा नहीं किस के संबंध में कह रहे है ?

**श्री मदनसिंह दांता** : इसी बिल के संबंध में।

**श्री उपाध्यक्ष** : जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया है इस पर यह चर्चा उठा रहे हैं।

**श्री मदनसिंह दांता** : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य हम चुनकर आते है और यह भी कह रहे हैं कि गलत है यह भी कह रहे हैं कि सरकार इसको छिपा रही है और यह भी कह रहे है कि गलत होगा तो फिर क्या यह सदस्य जो

(श्री भवनसिंह खांता)
पास करेंगे वह जनता को धोखा दे रहे हैं? क्या यह परम्परा कभी टूटेगी? क्या कभी सदन में सही चर्चा होगी? यह फ्रॉड है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय,..

श्री भंवरलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए अपने प्रस्ताव रखे हैं और मैं इनकी आवश्यकता इसलिए नही समझता कि जो प्रशासक नियुक्त किया है इस अध्यादेश में उनको अधिक से अधिक एक साल की अवधि दी गयी है और इस बीच में हम जल्दी चुनाव भी करवा लेते लेकिन कोई नियम नहीं है कि चुनाव किस प्रकार से कराये जायें। जो मेम्बर आफ दी बोर्ड आते हैं वह घर बैठे हुए मतदाताओं के पास चले जाते हैं और वहां से चिट्ठी लिखाकर लाते थे कि मैं इनको चुनता हूं तो बोर्ड का सही तरीके से गठन नहीं होता था। अब चुनावों के बाकायदा नियम बनेंगे और चुनाव चुनाव के तरीके से होंगे और मेरी कतई मन्शा नहीं है कि हम प्रशासक नियुक्त करके जनतंत्र की रक्षा नहीं करे। हम बोर्ड का गठन जल्दी करायेंगे। आप मुझे जल्दी में समय नहीं दे रहे हैं, और एक ओर तो सूखा पड़ा हुआ है, सरकार की आर्थिक स्थिति बड़ी गड़बड़ है और चुनावों में खर्चा होगा 60 हजार रुपयों का क्योंकि बोर्ड में मत देने वाले मतदाता सारे राजस्थान में बिखरे हुए है। वह यहां आयेंगे और क्या इसकी व्यवस्था होगी? इसलिए सारी व्यवस्था करने के लिए सही तरीके का बोर्ड बनाने के लिए ही हमने प्रशासन नियुक्त किया है और बोर्ड का सही रूप में गठन करने की हमारी मंशा है और इसी मंशा से मैंने यह विधेयक यहां हाउस में पेश किया है। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए अपने प्रस्ताव दिये हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता और उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए प्रस्ताव दिये हैं क्या वह उन्हें प्रेस करना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 पर जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये। प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया
विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 1979 को पारित किया जाये।

122



श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन विधेयक, 1979 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया गया।

### राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री माणकचन्द सुराणा (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर मैं सदन का मत लेना चाहूंगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ?

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पारित किया गया।

### मांग संख्या 12–पुलिस व मांग संख्या 41–सिंचाई

श्री उपाध्यक्ष : वर्ष 1973-74 के लिए अतिरेक अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मांग संख्या 12 व 41 विचार और मतदान के लिये प्रस्तुत की जायेंगी।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1973-74 के लिए अतिरेक मांग संख्या 12 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32 लाख 70 हजार 59 तक की राशि और प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1973-74 के लिए अतिरेक मांग संख्या–41 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9 करोड़, 66 लाख 75 हजार, 616 तक की राशि और प्रदान की जाये।

मांग संख्या 12 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 1 पुलिस केन्द्रों पर पद-स्थापित कर्मचारियों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के यात्रा भत्ते के दावों तथा जलपान के कुछ दावों का वर्ष की समाप्ति के समय भुगतान करने के सम्बंध में चर्चा के लिये।

2. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर एवं अजमेर से सम्बन्धित डिक्रियों के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर), श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा):

3. विशेष पुलिस राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल के अन्तर्गत वेतन व यात्रा भत्तों के दावों आदि पर हुये अधिक खर्च के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

4. पुलिस केन्द्रों पर पद स्थापित कर्मचारियों को समय पर यात्रा भत्ता नहीं दिये जाने एवं वर्ष की समाप्ति पर भुगतान करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

5. विशेष पुलिस राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल के अन्तर्गत वेतन व यात्रा भत्तों के दावों पर हुये अधिक खर्च पर चर्चा के लिये।

6. विविध पुलिस केन्द्रों पर पद-स्थापित कर्मचारियों के यात्रा भत्ते के दावों तथा जल पान के कुछ दावों का वर्ष की समाप्ति के समय भुगतान करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

7. विशेष पुलिस राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल के अन्तर्गत वेतन व यात्रा भत्तों के दावों आदि के अधिक खर्च पर चर्चा के लिये

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल):

8. विविध पुलिस केन्द्रों पर पदस्थापित कर्मचारियों के यात्रा भत्ते के दावों तथा जलपान के कुछ दावों का वर्ष की समाप्ति के समय भुगतान हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर एवं अजमेर से सम्बन्धित डिग्रियों के भुगतान के आदेश वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त होने के कारण हुये अतिरेक व्यय पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

10. विविध पुलिस केन्द्रों पर पदस्थापित कर्मचारियों के यात्रा भत्ते के दावों तथा जलपान के कुछ दावों का वर्ष की समाप्ति के समय भुगतान करने में हुये घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विशेष पुलिस राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल के अन्तर्गत वेतन व यात्रा भत्तों के दावों आदि पर हुये अधिक व्यय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरी कृष्ण (नदबई):

12 वर्ष 1973-74 का अधिक व्यय होने वाला बजट आगामी वर्ष स्वीकार नहीं कराया गया-इस पर चर्चा के लिये।

124



**मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) :

1. व्यास नदी परियोजना में अतिरिक्त खर्चा करने के कोई कारण न बताने के बारे में चर्चा के लिये।

2. माही नदी परियोजना में अतिरिक्त खर्चा करने के कोई कारण न बताने की एवं योजना में अधिक खर्चा करने पर चर्चा के लिये।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) :

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा):

3. व्यास परियोजना एवं माही परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) :

4. माही परियोजना के निर्माण में हो रहे अधिक व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री अजीतसिंह** (टोंक) :

5. व्यास परियोजना एवं माही परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर हुए अधिक व्यय पर चर्चा के लिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डलगढ़) :

6. व्यास परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई शाखा एवं स्थापना पर हुए अधिक व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

7. माही परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार) :

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण):

8. माही परियोजना के निर्माण पर हो रहे अधिक व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री हरीकृष्ण** (नदबई) :

9. माही परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) :

10. व्यास परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई शाखा एवं स्थापना पर अधिक व्यय होने के संबंध में चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 12 व 41 पर विचार**

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि . . .

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मैं मंत्री महोदय से इस वक्त ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा केवल यह पूछना चाहता हूं कि कर्मचारियों को पुलिस केन्द्रों पर जो यात्रा भत्ता दिया था इसको समय पर क्यों नहीं रखा गया,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
अभी आपके सदन के अन्दर आने से पहले सबसे प्रथम जो उत्तर होते हैं उसके खास रीजन्स हैं उसके साथ टाइमली भेजते नहीं यह सरकार की गफलत है। 73–74 की एक्सेस डिमाण्ड्स अब जाकर 79 में पेश करने जा रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 73–74 का जो बजट था इस सम्बन्ध में हम लोगों को बताना पड़ेगा कि किन कारणों से समय पर नहीं रखी। माननीय प्रभारी मंत्री बताने की कृपा करें। पिछली सरकार ने यह सब पैसे क्यों खर्च किये ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : इस सरकार ने 2½ साल तक क्या किया ?

(व्यवधान)

### व्यवस्था का प्रश्न

### कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर

श्री हरिश शर्मा : आन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर। आज तक यह व्यवस्था रही है कि जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देते हैं उनके जवाब घर पर उन माननीय सदस्यों को पहुंचाये जाते रहे हैं लेकिन एक दो विभाग के अलावा किसी विभाग के कटौती प्रस्ताव के जवाब नहीं पहुंचते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : 77 जून से पहिले जवाब आया करते थे...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कटौती प्रस्तावों के उत्तर जरूर दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है उत्तर सभी माननीय सदस्यों को दे देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप व्यवस्था दे दीजिये।

We want your ruling, Sir, chair's ruling.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी कटौती प्रस्ताव यहां पर दिये गये हैं उनके संबंधित उत्तर वे यहां के सचिवालय की मार्फत बाद में पहुंचायेंगे।

### मांग संख्या 12 व 41 पर विचार

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि 73–74 की एक्सेस डिमाण्ड्स हैं। दो साल के बजट आपने पेश कर दिये। जो एक्सेस खर्च हो जाता है सर्व प्रथम सरकार की ओर से स्पेशल रीजन्स के साथ पी. ए. सी. भेजे जायें और उसके बाद सदन में आ जावे मैं यही पूछना चाहता हूं। वैसे यह खर्चा पुराना है आपका दायित्व यही है। विदआउट एनी डिले जो भी अधिकारी इसमें दोषी हों उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। इतना समय क्यों लग जाता है ? यही मैं बात पूछना चाहता हूं ताकि भविष्य में ऐसा न हो। आपके अधिकारीगण हैं इतने सालों तक उन्होंने रीजन्स क्यों नहीं दिये ? आपके समय के जो हैं दो साल तक क्यों सोते रहे ? बार-बार लिखने के बावजूद आप इसकी परवाह नहीं करते हैं इसलिये मैं चाहूंगा भविष्य में आप इस बारे में क्या करेंगे ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
भविष्य में इतने सालों तक अतिरेक मांगों के कागज पड़े नहीं रहे इसलिये देरी हुई कि पी. ए. सी. में जवाब नहीं आये हैं। पहले जो स्टेटमेंट रखे थे उसमें यह रीजन्स भेजे ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सदन का समय बहुत ज्यादा हो गया। अब हम जस्टिस नहीं कर पायेंगे। यह हम ड्यूटी बाउंड हैं आपको इस बारे में आग्रह करायें। यह सारे कागज अब क्यों सर्कुलेट कराये हैं सदन में? बहुत से माननीय सदस्यों ने देखे ही नहीं है स्पेशल रीजन्स क्या है? हम लोग तो देख ही नहीं पाये चार बजे तक स्थगन प्रस्तावों में लगे रहे इन कागजों को कब देखें? आपने देरी के पूरी तरह रीजन्स बताये नहीं। आपने हमारे साथ षडयन्त्र किया है। अब तक जो कुछ हो रहा है होने दीजिये। अब हालत आपने ऐसी कर रखी है हम बहस कर ही नहीं पायेंगे जो जस्टिस होनी चाहिये वह नहीं हुई है। आपकी मार्फत गृह मंत्री जी से एक ही बात चाहूंगा दो साल कागज पेश करने में आपने क्यों लगाये इसके रीजन्स बता दीजिये?

**श्री सम्पत राम** (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक हैं रीजन्स के साथ स्टेटमेंट आने चाहिय और भी जल्दी आता तो अच्छा होता। आइन्दा ध्यान रखेंगे एकाउंट्स कमेटी में जायेगा आपको मालूम है।

मार्च 79 में रिपोर्ट आई है। ए.जी. के पास गया है।

श्री रघुनाथ **विश्नोई** : आप समझे ही नहीं। दो साल लगे क्यों?

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही तो पूछता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास: पुरानी सरकार ने जो जो गड़बड़ियां की है, इसलिये नियमानुसार पारित नहीं कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही तो मैं जानना चाहता हूं कि विभाग इतने दिन तक सोता क्यों रहा? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि यह गलती किसकी है, उसके रीजन्स बता दें।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मांग संख्या 41 भी इसी के साथ ली जायेगी, यह बता दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका कटौती प्रस्ताव है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिरेक की जो मांगें हैं इसमें जिस राशि के लिये कहा गया है उसके लिये मैं कहना चाहती हूं कि विभाग में जिस तरह का काम होना चाहिये वह नहीं हुआ है। यदि काम जल्दी हो जाता तो उस पर मूल और ब्याज इतना नहीं लगता। यह निरन्तर देरी होने से पैसे बढ़ते जा रहे हैं और अब लागत ज्यादा आती है चाहे कोई योजना हो, चाहे

(व्यवधान)

राजस्थान नहर हो, उन सब परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है । मैं प्रभारी मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इन योजनाओं को अति शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करें ताकि ब्याज अधिक न आयें और कीमत भी अधिक न बढ़े ।

**एक माननीय सदस्य** : काम तो खतम हो गया । काम तो हो चुका ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह साइक्लो-स्टाइल कापी जो दी है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय मंत्रीजो ने भी इसकी नहीं पढ़ा है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय विश्नोई जी, यह तो पहले भी कहा जा चुका है । अब आप बिराजें ।

**श्री मदनसिंह दांता** : सिंचाई विभाग के लिये मुझे एक शिकायत है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मदनसिंह जी आपका कटौती प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री मदनसिंह दांता** : आपने कहा बोल सकते हैं ।

**श्री बाऊ दयाल जोशी** : आपको तो वस्तों की शिकायत हैं, आप किसकी शिकायत कर रहे हैं ?

**श्री मदनसिंह दांता** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां सिंचाई विभाग का तालाव था उसने ढाई लाख रुपये सीकर से उड़ाकर अपने यहां ले गये . .

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मदनसिंह जी कृपया विराजें । माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कटौती प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उनके उत्तर भिजवाने के बारे में मैंने निवेदन किया है। यह तभी सम्भव होगा जब 8 तारीख तक सचिवालय में प्रस्तुत हो जायं और यदि कटौती प्रस्ताव सचिवालय ने नहीं भिजवाये तो आप अपने स्तर पर ही उनका उत्तर भिजवाने की व्यवस्था करें ।

**मांग संख्या 12 व 41 का पारण**

**मांग संख्या 12**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1973-74 के लिये अतिरेक मांग संख्या 12 पुलिस के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 32,70,059 तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग संख्या 41**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1973-74 के लिये अतिरेक मांग संख्या 41 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,66,75,616 तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण ।

**मांग संख्या 7**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1973-74 के

(श्री उपाध्यक्ष)
लिये अतिरेक मांग संख्या 7 पंजीयन शुल्क के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 10,763 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 11**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1973-74 के लिये अतिरेक मांग संख्या 11 कारागार के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,907 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 26**

प्रश्न यह हैं कि वर्ष 1973-74 के लिए अतिरेक मांग संख्या 26 बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 27,11,751 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 38**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1973-74 के लिये अतिरेक मांग संख्या 38 जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,13,080 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 45**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1973-74 के लिये अतिरेक मांग संख्या 45 सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,76,825 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**विधायी-कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन**

**श्री उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य, श्री माणकचन्द सुराणा ।

**राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979**

**श्री माणक चन्द सुराणा** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

( श्री उपाध्यक्ष )

अनुमति प्रदान की गई।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 1979 को पुरःस्थापित भी करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

### विधेयक पर विचार

### राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय ?

### विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान विनियोग (संख्या-3), विधेयक 1979 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979 पारित किया गया।

1974-75 की अतिरेक मांगों के सम्बन्ध में प्रभारी मंत्री जी।

### अतिरेक अनुदान की मांगे 1974-75 मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य व मांग संख्या 26 चिकित्सा

श्री जयनारायण पूनिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1974-75 के लिये अतिरेक मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 4,14,00,678 तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्वास्थ्य एवम् चिकित्सा मंत्री जी।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1974-75 के लिये अतिरेक मांग संख्या 26 चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,49,93,713 तक की राशि और प्रदान की जाय।

### मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : 1. लोक निर्माण कार्य के लिये डामर

(130)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सीमेन्ट, कोयला आदि के लिये पूर्व में दिये गये आर्डर का माल वर्ष 1974-75 में प्राप्त होने से हुये अधिक व्यय पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर),
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :
2. लोक निर्माण कार्य में अनुरक्षण और मरम्मत में खर्चे का गलत वर्गीकरण होने तथा जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय में अचानक पैट्रोल एवं मशीनरी पार्ट्स आदि की दरों में वृद्धि होने आदि के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :
3. अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये हुये वर्गीकरण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):
4 लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को निष्पादन के अन्तर्गत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान करने पर हुये अधिक व्यय पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) :
5. अनुरक्षण और मरम्मत में खर्च का गलत वर्गीकरण होने पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार) :

2 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

6. डामर, सीमेंट, कोयला खरीद में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री हरी कृष्ण (नदबई) :

7. वर्ष 1974-75 का अधिक व्यय आगामी वर्ष में क्यों नहीं स्वीकृत कराया गया इसकी चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :
8. जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय में अचानक पैट्रोल एवं मशीनरी पार्ट्स आदि की दरों में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय पर चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :
(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-मशीनरी और साज-सामान। औजार और संयंत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त सामान व उपकरणों की स्वीकृति देर से प्राप्त होने के संबंध में चर्चा के लिये।

(2) चिकित्सा मद में अतिरेक खर्चा करने के कारण बताने में सरकार की उदासीनता एवं अतिरेक खर्चे की मांग इतनी देरी से विधान सभा में लाने की चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :
(3) राज्य सरकार की मलेरिया उन्मूलन के लिये उदासीन नीति के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :
(4) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की

(श्री मूलचन्द डागा)
घोर असफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) :
5. सामान्य चिकित्सालय में कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के कारण बकाया के भुगतान, महंगाई भत्ते तथा समर्पित उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान करने के कारण हुए अतिरिक्त व्यय पर चर्चा के लिये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार), **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :
6. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री हरीकृष्ण** (नदबई) :
7. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मशीनरी और साज-सामान/औजार और संयंत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त सामान व उपकरणों की स्वीकृति देर से प्राप्त होने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) :
8. सामान्य चिकित्सालय में कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के कारण बकाया भुगतान महंगाई भत्ते तथा समर्पित उपार्जित अवकाश नकद भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

9. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 19 व 26 का पारण**

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं सदन की सहमति प्राप्त करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिये अतिरेक मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु 4,14,00,678 तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26–चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,49,93,713 तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण**

**मांग संख्या 5**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974–75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 5–सामान्य प्रशासन (विविध) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 35,000 तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 6**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिये अतिरेक मांग संख्या 6–न्याय प्रशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को रु. 9,35,889 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग सं० 10

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974–75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 10–स्टाम्प और पंजीकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 83, 544 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग सं० 13

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974–75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 13–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्ति राज्यपाल महोदय को रु० 46,380 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974–75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 70,58,789 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 17–जेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 10,28,610 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिये अतिरेक मांग संख्या 18–लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 9,51,080 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 20–लोक निर्माण कार्य विभाग (आवास) के सम्बन्ध में वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 18,32,308 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 21—सड़कों और कुओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,17,21,890 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 22—मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 16,10,391 तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 27—मुख्य शीर्षक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 2,60,67,871 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 30—खाद्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,88,578 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 31—सहायता एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 82,800 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए मांग संख्या 33—प्रकाशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 17,000 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**(श्री उपाध्यक्ष)**

**मांग संख्या 41**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 41—उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 44,12,945 तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 42**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 42—लघु उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 13,66,352 तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 45**

प्रश्न यह है कि वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांग संख्या 45—सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 8,24,81,799 तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन**
**राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979**

**श्री मानकचन्द सुराणा** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की आज्ञा है?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री मानकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : विधेयक पुरः स्थापित हुआ।

विचारार्थ लेने के बारे में।

**विधेयक पर विचार**
**राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979**

**श्री मानकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जावे?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1979 विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

**श्री माणकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय ?

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979 को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979 को पारित किया गया।

**अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1979-80**

**(प्रथम संकलन)**

**मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं मांग संख्या 42–उद्योग**

**श्री उपाध्यक्ष** : अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1979-80। माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रू. 59,26,000 तक की राशि और प्रदान की जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय उद्योग मंत्री महोदय।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 91,86,000 तक की राशि और प्रदान की जाय।

**मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) :

1. माध्यमिक सरकारी पाठशालाओं के अध्यापकों के लिए गांवों में आवास-गृह निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा):

2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ करने में बरते गये भेदभाव पर चर्चा के लिये।

3. माध्यमिक विद्यालय खोलने में बरते गये पक्षपात पर चर्चा के लिये।

4. अध्यापकों की आवास व्यवस्था पर ध्यान न देकर शिक्षकों की उपेक्षा की इस पर चर्चा के लिये।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी),

(136)



**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर):

5 कॉलेजों तथा स्कूल छात्रों में संस्कृति के प्रसार को समुचित व्यवस्था न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा):

श्री **ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी):

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाली) :

**श्री निर्मल कुमार सकलेचा** (झालरा पाटन):

श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमंण्डी):

6. पीपल्दा क्षेत्र में कला तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा),

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी),

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन),

**श्री निर्मल कुमार सकलेचा** . (झालरा-पाटन),

श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी):

7. कॉलेजों तथा स्कूल छात्रों में संस्कृति के प्रसार की योजना पर होने वाले व्यय पर चर्चा के लिये।

8. 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय खोलते समय बून्दी जिले की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

9. कॉलेजों तथा स्कूल छात्रों में संस्कृति के प्रसार करने की समुचित व्यवस्था हो इस संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी):

10. 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय खोलते समय रामगंजमण्डी एवं लाडपुरा तहसील की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी):

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन):

11. आयोजना व्यय के अन्तर्गत खोलें गये 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) :

12. आयोजना व्यय के अन्तर्गत 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय खोलते समय जिला जालौर में माध्यमिक पाठशालाएं खोलने में घोर पक्षपात करने के संबंध में चर्चा के लिए।

13. जिला जालौर नये में माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिए।

14. जिला जालौर में कॉलेजों में कला एवं संस्कृति के प्रसार हेतु खर्चा करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर),

श्री **रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) :

15. आयोजना व्यय के अन्तर्गत खोले गये 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय में शरणार्थी शिक्षकों को सेवा में प्राथमिकता नहीं देने पर चर्चा के लिए।

(श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री रतनाराम चौधरी)

16 आयोजना व्यय के अन्तर्गत 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

17. आयोजना व्यय के अन्तर्गत 106 अतिरिक्त माध्यमिक शालायें खोलने में पक्षपात करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

18. माध्यमिक शालाओं में 195 नवीन विषय खोले जाने में भेदभाव वरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़),

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

19. 195 नये विषय खोले जाने के बावजूद भी उदयपुर जिले में चारभुजा हायर सैकेण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय प्रारम्भ नहीं किये जाने बावत चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

20 195 नये विषय के साथ श्रम-युक्त शिक्षा पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये ।

21. 195 नये विषय के साथ आदिवासी व अनुसूचित जाति क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजनाएं प्रारंभ करने संबंधी चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

22. माध्यमिक विद्यालयों में 195 नये विषय खोले जाने में पक्षपात पर चर्चा के लिये।

श्री हरीकृष्ण (नदवई) :

23. खोले गये 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय में बरते गये भेदभाव के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

24. माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 195 नये विषय प्रारंभ करने में बरते गये भेदभाव के संबंध में चर्चा के लिये ।

25. 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय खोले जाने में बरते गये भेद-भाव के संबंध में चर्चा के लिये ।

26. कालेजों तथा स्कूल छात्रों में संस्कृति के प्रसार के संबंध में चर्चा के लिये ।

27. 21 उप-जिला शिक्षा अधि-कारियों के पदों पर हुई नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

28. बाड़मेर जिले में उप-जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) की नियुक्ति के अभाव पर चर्चा के लिये ।

29. बाड़मेर जिले के विस्थापित सहायक अध्यापकों को नये खोले गये स्कूलों में नियुक्त कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(138)



(श्री वृद्धिचन्द जैन)

30. बाड़मेर जिले में 1979-80 में माध्यमिक विद्यालयों के खोलने एवं नये विषय खोलने में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

31. 106 अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय समय पर नहीं खोलने तथा खोलते समय कोलायत क्षेत्र की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

32. नये स्कूल खोलने में दूरी का ख्याल नहीं रखने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) :

33. शिक्षा विभाग द्वारा खोले गये नये विद्यालयों में स्टॉफ नियुक्त नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 42 पर**
**कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा):

1. आर० आई० एम० डी० सी० में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी),
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

2. बून्दी जिले में आर० आई० एम० डी० सी० द्वारा उद्योग लगाने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरा पाटन),

श्री हरीश शर्मा : (रामगंज मंडी):

3. पीपल्दा क्षेत्र में उद्योग आर. आई. एम. डी. सी. के सहयोग से स्थापित न करने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

4. राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल द्वारा जिला जालौर में ग्राम एवं लघु उद्योग विकास हेतु कोई कार्यवाही न करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

5. जिला जालौर में विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाने हेतु ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

6. जिला जालौर में ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण व्यवस्था करने में घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर),

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

(श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री रतनाराम चौधरी)

7. केन्द्र प्रवर्तित योजना में इन्टेन्सिव डवलपमेन्ट हेतु राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल, जयपुर को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

8. शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाने हेतु बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

9. राजस्थान हाथ कर्घा उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

10. आर. आई. एम. डी. सी. में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

11. शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाने हेतु ऋण अग्रिम देने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

12. राजस्थान वित्त निगम में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

13. कुचामन झील के चारों ओर रिंग बांध निर्माण में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

14. राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल, जयपुर को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

15. भीलवाड़ा जिले में अभ्रक उद्योग का आर. आई. एम. डी. सी. द्वारा विकास नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

16. मांडल पंचायत समिति में अभ्रक उद्योग जो आज की तारीख में काफी गति पर है कोटडी से टपुका तक आर. आई. एम. डी. सी. के सहयोग से सड़क बनाने बाबत चर्चा के लिये।

17. मांडल जिला भीलवाड़ा की एक मात्र फसल गन्ना होने के कारण मांडल में आर० आई० एम० डी. सी. के सहयोग से बड़ी सुगर मिल लगवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

18. शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग स्थापित करने हेतु दिये जाने वाल अग्रिम की प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल जयपुर को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

20. राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. कुचामन झील के चारों तरफ रिंग बांध निर्माण करने में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव
श्रीमती उजला अरोड़ा

22. राजस्थान वित्त निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत):

23 राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम में विनियोजन हेतु 40.00 लाख की अतिरिक्त राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू):

24. इन्टेन्सिव डवलपमेंट हेतु राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल जयपुर को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 24 व 42 पर विचार

श्री रघुनाथ विश्नोई माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे कटमोशन के जरिये माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि माध्यमिक पाठशालाओं वगैरह को खोलने में जिला जालौर के साथ बड़ा भारी पक्षपात किया गया है

श्री रामनारायण चौधरी : सब जगह है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभी जगह तो किया है लेकिन जालौर जिले के साथ जहां पर पांच निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में तो जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं उनको तो दो सैकण्डरी स्कूल आपने दे दिए। एक उनके खुद के गाँव में और दूसरा उनके निर्वाचन क्षेत्र में। फिर यहां पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का यहां पर फरमाना है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों के साथ पक्षपात नहीं करते हैं परन्तु यह ज्वलन्त उदाहरण है। अभी और आपकी सप्लीमेंट्री मांग 21 करोड़ के आस पास और लेना चाहते हैं यह रुपया, यह सारा खजाना राजस्थान की जनता का है। आप असंतुलन को मिटाने के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं उसको जस्टीफाई करेंगे कि उस जालौर जिले में जो कि वैसे ही पिछड़ा हुआ जिला है, वहां क्या कोई लड़के पढ़ने वाले नहीं है, या कोई और आधार नही था, ऐसी क्या बात थी कि ऐसे पिछड़े जिले की और आपको ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया अगर आपकी पार्टी पिछले चुनावों में वहां से हारी है तो आप अपने अच्छे कारनामों के अनुसार आयन्दा ऐसे काम करते कि जिससे वे आपको अब लोग वोट देते। अगर इस तरह से फिर उनकी अवहेलना करेंगे और इस तरह से पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं कि सिर्फ आपकी पार्टी के सदस्य आहोर में जहां माननीय अध्यक्ष महोदय का क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूल खोली है . . .

सिर्फ एक धटक के सदस्य को, इस तरह से नंगा प्रदर्शन तो कम से कम नहीं करना चाहिए और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी घोषणा के अनुसार. . .

श्री ईश्वरचन्द्र : पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने पिछले 30 वर्षों केवल 14 स्कूल खोले थे जब कि हमने इस वर्ष में ही 12 स्कूल खोल दिये।

(व्यवधान)

**श्री हरीश शर्मा** : पक्षपात तो यह हुआ कि हमने इनके यहां स्कूल खोल दिये जब कि इन्होंने कोई स्कूल नहीं खोले थे ।

**श्री नूरा** : ये अपने कट मोशन पर बोल रहे हैं । आपका कौन सा कट मोशन है ?

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विरोध की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है—

(व्यवधान)

जब खरी खरी बात सुनाई जाती है तो बौखला गये ।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कंपीटेंट हैं नहीं जवाब क्या देंगे ? मैं तो शिक्षा मंत्री जी से पूछ रहा हूं । मैं तो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं, ज्यादा समय लेना नहीं चाहता । कट मोशन दिया है और उसके जरिये माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि भंवरलाल जी तो सुनते ही नहीं । ये अगर सुनते तो मैंने पहले ही 50 पत्र इनको दिये हैं, स्कूल खोलने के लिये, आपको जस्टिफाई करना चाहिये । आप अपने आपको तो खूब खिलाओ पिलाओ और बाकी को कुछ नहीं । मैं तो इतना पूछना चाहता हूं इस साल आपने दो हायर सैकेण्डरी स्कूल खोले हैं और दोनों ही अपने सदस्य को सैटिस्फाई करने के लिये खोले, क्या आहोर क्षेत्र में जनता नहीं है ? क्या सांचौर में जनता नहीं है ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** : पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, जालौर जिले के कांग्रेसी विधायक रतनाराम जी के क्षेत्र में भी स्कूल खोले गये हैं ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इस तरह सदस्यों को आप ज्यादा आदत खराब करोगे तो भग-भग कर इधर आ जायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सातदिन हालत खराब हुई, सात दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे भंवरलाल जी के खिलाफ और ये मुझको शिक्षा दे रहे हैं कि कहां पक्षपात हो रहा है । दाढ़ी तक तो बढ़ा ली ।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : यह तो कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला है उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह व्रत है ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : क्या आपने भूख हड़ताल नहीं की थी ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** : नहीं की ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह रहने दीजिये माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिये । अनुपूरक मांगें तो आप हमसे पास कराने जा रहे है और जिला जालौर में सैकण्डरी, मिडिल या प्राथमिक एक भी स्कूल नहीं खोले और सांचौर में एकमात्र गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल की मांग की थी वह भी आपने नही खोली ।

( समय–समाप्ति–सूचक घंटी )

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि आप इतना खर्चा ले तो रहे है लेकिन जिला जालौर के साथ बड़ा भारी पक्षपात किया है । यह सप्लीमेन्ट्री का पैसा आपको नहीं देना चाहिये ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : उपाध्यक्षम होदय

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या आपने भी कट मोशन रखा

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : जी हां, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं यह कटौती प्रस्ताव हमारी अपोजिशन पार्टी की ओर से ही नहीं रखें गये हैं बल्कि आपकी ओर से भी आपके पक्ष के सदस्यों की ओर से भी सरकारी पार्टी की ओर से भी रखे गये हैं। भटनागर साहब, आपने भी कटौती प्रस्ताव रखा है।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक वार्ड भी नहीं बोला।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : ईश्वरचन्द्र जी का प्रस्ताव है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अन्य विषय प्रारंभ करने के बारे में बरतें गये भेद–भाव पर चर्चा के लिए और दूसरा माध्यमिक विद्यालयों में बरते गये भेद–भाव पर चर्चा के लिये

**श्री ईश्वरचन्द्र** : ज्यादा जोर से बोलेंगे तो पोल खुल जायेंगी।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : शिक्षा विभाग ने अपोजिशन पार्टी के साथ ही भेद-भाव नहीं बरता है बल्कि आपके प्रति भी जो जनसंघ घटक के नहीं हैं, जो समाजवादी घटक के हैं, दूसरे घटक के हैं . .

(व्यवधान)

अभी आपको बताऊंगा, आप सुन लीजिये। उनके प्रति भी इस प्रकार का भेदभाव बरता है। मैं आपको बतला रहा बाड़मेर में....

**श्री ईश्वरचन्द्र** : यह जेब में है क्या स्थगन प्रस्ताव।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : हमारे बाड़मेर जिले में जो मिडल स्कूल खोले गये हैं, सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं वे कोई भी, हमारे जिले में 6 एम.एल.ए. हैं जिनमें 3 साम्यवादी सदस्य हैं एक कांग्रेस आई के सदस्य हैं। आप बात तो सुन लीजिये। 3 कांग्रेसी सदस्य हैं। एक कांग्रेस आई सदस्य मैं हूं और दो जनता पार्टी के सदस्य हैं जिनके यहां दो मिडिल स्कूल खोले गए और दो ही मानसिंहजी, जो जनता पार्टी के सदस्य हैं, के यहां खोले गए सैकण्डरी स्कूल दो खोले गए और दोनों ही स्कूल जनता पार्टी के क्षेत्र में खोले गये। किसी भी कांग्रेसी सदस्य और कांग्रेस आई के सदस्य के क्षेत्र में मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल कतई नहीं खोले गये।

**श्री रतनलाल बर्मा** : गये साल कितने खोले, वह भी तो बताइये ? पहले आपके यहां एक खोला था, जहां नहीं खोले वहां इस साल एक खोला है।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : यह सरकार हमारे से, अपोजिशन से सहयोग लेना चाहती है, फैमिन के, फ्लड के कार्यों में सहयोग भी देंगे, जब सहयोग लेना चाहती है तो हम भी आपकी गवर्नमेंट से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मुख्य मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी इस प्रकार के भेदभाव की नीति न बरते इस प्रकार की भेदभाव की नीति बरतेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें संघर्ष करना भी आता है। हम यह नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से संघर्ष की स्थिति आये। मैं

( श्री वृद्धिचन्द जैन )
चेतावनी के रूप में कहता हूं कि आप संभलें। इस फन्ड में हमारा भी अधिकार है ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण बड़ा सारगर्भित हो रहा है लेकिन लाउड स्पीकर ऐसा है कि सुनाई नहीं देता है ।

(व्यवधान)

**श्री नूरा** : आपने तो इनका मूड ही चेंज कर दिया है ।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : भाषण को सारगर्भित बताया है या आपत्ति प्रकट की है ।

(व्यवधान)

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस राज्य सरकार का जो बजट है, उसमें हमारा भी बराबर का अधिकार है। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से कोई स्कूल खोलें, कोई उद्योग खोलें, क्षत्र का विकास करें, उसमें भेद-भाव की नीति नहीं बरतें। आप जब अपोजीशन में थे तो इस प्रकार के आरोप लगाते थे ।

(व्यवधान)

आपको जो मिलेगा उसमें भेदभाव नहीं बरतें।

**कई माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय,

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है ।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष जी ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरीश शर्मा ।

**श्री रतनाराम चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिया है ।

**श्री हरीश शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्कूल नहीं खोल रहे हैं । इस वजह से उसके अनुपात में हायर सैकण्डरी स्कूल बहुत कम हो गये हैं । इस बारे में सरकार से शीघ्र ही निर्णय की उम्मीद करूंगा। हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की व्यवस्था करें ।

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे रानीवाड़ा क्षेत्र से जैसाकि व्यासजी ने कहा है, रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्कूल खोला है, उसके लिए शिक्षा मंत्रीजी को मैं मुबारकबाद देता हूं । परन्तु स्कूलों की मांग को देखते हुए जालौर जिले में स्कूल कम खोले हैं ।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अब आप स्थान ग्रहण करें ।

**श्री रतनाराम** : हमने पहले भी विधान सभा में यह कहा था कि करड़ा गांव की आबादी 5 हजार से अधिक है । हमने करड़ा का नाम प्रस्तावित किया था परन्तु शिक्षामंत्री जी ने करड़ा में उच्च प्राथमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला

(श्री रतनाराम चौधरी)
में क्रमोन्नत नहीं किया। अगर आप पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाते हैं तो करड़ा हाई स्कूल को क्रमोन्नत कर दें। गत वर्ष भी हमारे जालौर जिले में तीन हाई स्कूल खोले थे। दूसरे जिलों में 20-30 स्कूल खोले। प्राइमरी स्कूल जालौर जिले में कम दिये है। इससे यह साबित होता है कि पक्षपात का रवैया आपने जरूर अपनाया है। अगर ऐसा नहीं अपनाते तो करड़ा में स्कूल जरूर खोलते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे तो 10 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। कई माननीय सदस्यों को आधा घण्टे का समय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में भयंकर अकाल है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रतनाराम जी।

श्री रतनाराम जी।

**श्री उपाध्यक्ष** : शिक्षा और उद्योग के बारे में बोलें। अकाल और बाढ़ के समय....

**श्री रतनाराम चौधरी** : उस वक्त हमको मौका नहीं दिया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं। जालौर जिले में कोई नया उद्योग नहीं खोला गया है। राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जालौर जिला है। वहां पर उद्योगों का स्कोप है। करड़ा में ट्रेनाइट का बढ़िया पत्थर निकलता है वहीं पर कारखाना भी लग सकता है जिससे गरीब लोगों को मजदूरी मिल सकती है, वहां पर ऐसे उद्योग लगाने की कृपा करें।

**एक माननीय सदस्य** : इनके यहाँ पर स्कूल नहीं खोले तो उद्योग खुलवा दें।

**श्री रतनाराम चौधरी** : वहां पर जब ललितकिशोर चतुर्वेदी पधारे थे तो रानीवाड़ा के लोगों ने जैंतपुरा नदी पर पुल बनाने की मांग की थी। हमारे जिले में नदियां ज्यादा बहती हैं। यहां पर डेम बनाया जा सकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रतनाराम जी। अब चर्चा समाप्त करें।

**श्री रतनाराम चौधरी** : इसलिए मैं निवेदन करूंगा की जैंतपुरा नदी पर डेम बनाकर पानी को गुजरात में जाने से जल्दी से जल्दी रोका जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

**श्री नूरा** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्री नूरा** : मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है लेकिन मैं निवेदन करता हूं....

**श्री रघुनन्दन व्यास** : मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। माननीय उपाध्यक्ष जी ..

(व्यवधान)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि जनता सरकार के गठन के बाद निश्चित तौर से अधिक स्कूल खोले गये हैं। हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप आभारी हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : निश्चित तौर से अधिक स्कूल खोले गये हैं। अगर कांग्रेस के 30 साल के शासन से कम्पेयर करें तो पिछले ढाई साल का इतिहास अच्छा इतिहास रहेगा। परन्तु...

एक माननीय सदस्य : परन्तु ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : परन्तु मैं नीति सम्बन्धी सवाल उठाना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान में स्कूल खोलते वक्त जनसंख्या को आधार न रख कर स्कूलों की दूरी को ही आधार रखें। मेरी कान्स्टीटुएन्सी में 8 प्राइमरी स्कूल और एक सैकण्डरी स्कूल है। जो भी प्राइमरी स्कूल है, उनमें छोटे बच्चों को 4-5 मील पैदल चलकर जाना पड़ता है। मेरे वोट स्कूलों से नहीं मिलते, मैं अपनी नीति का आदमी हूं, जनता पार्टी एक भी स्कूल अगर मेरे क्षेत्र में नहीं खोले तो भी मेरी आत्मा मेरे साथ है, I was elected from Janta Party Ticket.

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : You are just like Rajnarain.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी यह मान्यता है कि जनसंख्या के आधार पर पश्चिमी राजस्थान में स्कूल खोले गए तो बच्चों को 5-6 मील पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा इसलिए आप दूरी के आधार पर स्कूल खोलें। इस बात से माननीय किशनसिंहजी भाटी और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी एग्री करेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में दूरी को ध्यान में रखते हुए वहां के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए। मेरे क्षेत्र में सैकड़ों ऐसी ढाणियां हैं जो रेवेन्यू विलेज में रिकार्ड नहीं है परन्तु वहां पर आबादी है वहां स्कूल नहीं खोले गए तो निश्चित तौर से हानि होगी और इस साल तो हमने बर्दाश्त कर लिया अगले साल नहीं करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : वहां खोले है स्कूल।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं इन्कार कब कर रहा हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं किस मुंह से इन्कार करूं कि स्कूल नहीं खोले गए। मेरा निवेदन यह है कि आयन्दा दूरी को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले जायं और तीसरी बात जो हरीशजी ने भी कही कि सैकण्डरी स्कूल खोले गए हैं लेकिन हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोले गए हैं। अभी तक आपने टेन प्लस टू के बारे में कोई नीति नहीं बनाई। बीकानेर क्षेत्र में हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं होने से भीड़ हो रही है और सैकड़ों लड़कों को एडमीशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जायं जिससे भीड़ को कम किया जा सके।

(146)



श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय श्री रघुनन्दन व्यास ।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : मेरा माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि

(व्यवधान)

It is my right. माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान औद्योगिक विकास निगम किसलिए बना रखा है? हमारे क्षेत्र में सफेद पत्थर की खाने हैं उनका विकास नही किया जा रहा है । उन पर आधारित उद्योग लगाए जाने चाहिए। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय उद्योग मन्त्रीजी इससे सहमत होंगे । इलेक्ट्रिकल गुड्स और इन्सुलेटर की स्थापना की जानी चाहिये ..

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : पार्टी तैयार होनी चाहिए ।

श्री **राम कृष्णदास गुप्ता** : राजस्थान सरकार को पब्लिक सैक्टर में इसकी स्थापना करनी चाहिए । यू.पी. में राज्य सरकार ने अपने साधनों से सैन्टरों की स्थापना की है, वहां पर आज 900 कॉटेज इण्डस्ट्रीज लग रही हैं । सीमेंट की रिक्वायरमेन्ट राज्य सरकार पूरी करती है तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं राज्य सरकार इनकी स्थापना करती ? यह मेरी डिमाण्ड है अभी जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, अगर मेरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए टैक्स भी देना पड़े तो मुझे आपत्ति नहीं है । जनता की मांगों को देखते हुए माननीय उद्योग मन्त्री महोदय को आज यह घोषणा करनी चाहिए सिरेमिक्स कॉम्प्लेक्स कोलायत क्षेत्र स्थापित किया जायेगा ।

श्री **रघुनन्दन व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव शिक्षा के बारे में हैं । निवेदन यह है कि माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने स्कूलों की घोषणा की तो एक बात यह कही कि 8 मिलीमीटर के क्षेत्र में एक सैकण्डरी स्कूल खोला जायगा । जालोर जिले में बताऊं, भीनमाल से सायला 100 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर जितने मिडिल स्कूल हैं, बागोड़ा, बाली, मौरसी चाहे किसी भी एम.एल.ए. की कान्स्टीटुएन्सी हो इससे मेरा सम्बन्ध नहीं लेकिन यह सूचना देना चाहूंगा कि बागोड़ा से सायला और सायला से भीनमाल तक 100 मील के क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है । झुन्झुनू जिले में 8 लाख की पोपुलेशन है तो जालोर जिले में भी 6-7 लाख की पापुलेशन है, लेकिन वहां झुन्झुनू जिले में 125 सैकण्डरी स्कूल हैं वहाँ जालोर जिले में पहले 14 थे अब 12 नये खोले गए, आज 25 की मांग है । लोग पैसा देने को तैयार हैं, भवन देने को तैयार हैं, छात्र वहाँ मौजूद हैं । लेकिन यह अनुपात का झगड़ा है जिसमें हम उलझ जाते हैं । करड़ा पांच हजार की आबादी का गाँव है, सिरोही में चार बड़े गांव हैं, आबू रोड तीस हजार की आबादी का गांव है, आज तक वहां सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया । 80 प्रतिशत लोग वहां एजूकेटेड हैं ।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

इस साल हुआ जो हो गया, मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि अगली साल स्कूलों को क्रमोन्नत करते वक्त पाली, सिरोही, जालौर और बाड़मेर इन जिलों में जो गेप है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उस गेप को पूरा करने की कृपा करें नहीं तो सिविल लाइन्स के दरवाजे पर जालौर के लोग भूख हड़ताल करेंगे। यह जो भेद-भाव रह गया है, पुराना है, उसको मिटाने के लिए जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करके सैकण्डरी स्कूल खोले जायं, तभी इन जिलों में शिक्षा का सुधार होगा और जो कमी रह गई है वह दूर होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

(व्यवधान)

**श्री भंवर लाल शर्मा** (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार स्कूल खोले जाने के विषय को लेकर प्रश्नों के द्वारा और आज यहां जो मांग रखी गई उसमें कटौती प्रस्तावों के द्वारा यह आरोप लगाने की कोशिश की गई कि जो स्कूल खोले गए, उनमें भेदभाव बरता गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूल हमने खोले हैं और जिस आधार पर खोले हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि क्षेत्रीय असंतुलन को देखकर हमने व्यवस्था की। जो असंतुलन कई वर्षों से चला आ रहा है उसको जितना कम कर सके, किया है। पिछली बार स्कूल जनसंख्या के आधार पर खोले इसमें क्या भेदभाव हो सकता था? 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ऐसा रिकार्ड है जिसे कोई बदल नहीं सकता था। उसके आधार पर 400 की जनसंख्या वाले गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए, दो हजार की जनसंख्या पर मिडिल स्कूल्स हो गए और तीन हजार की जनसंख्या पर सैकण्डरी स्कूल्स खोल दिए। इसमें कहां भेद-भाव की बात थी?

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : *इस साल भेद-भाव* हुआ है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मैं उस पर आ रहा हूं।

**श्री नूरा** : अब आपको सलाहकार गलत मिल गए।

(व्यवधान)

दांता साहब कह रहे थे कि मुझे सबसे ज्यादा मिले।

**श्री मदनसिंह दांता** : मुझे कांग्रेस के समय ज्यादा मिले हैं, इनके टाइम में भी ज्यादा मिले और आगे भी ज्यादा मिलेंगे, मेरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार है, सही ढंग से प्रचार करते हैं आप लड़ाई करते हैं इसलिए नहीं मिलते हैं।

**श्री नूरा** : आप भी लड़ाई कम नहीं करते।

**श्री रतनाराम चौधरी** : मैं सबसे कम लड़ाई करता हूं, मैंने कोई लड़ाई नहीं की।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपकी तरह चापलूसी नहीं करते।

श्री मदनसिंह दांता : मैं चापलूसी नहीं करता, गवर्नमेंट जरूर चापलूसी करती है खोलते समय ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपस में वार्ता न करें ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : सरकार के सामने स्कूल खोलते समय कोई राजनैतिक भेदभाव नहीं है । राजस्थान का बच्चा चाहे कहीं भी रहता हो किसी भी चुनाव क्षेत्र में हो; वहां का बालक हमारी सम्पति हमारे देश का भावी कर्णधार है । हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगें। हमसे यह कभी नहीं हो सकता । इसलिए मेरी बात के समर्थन में जो आंकड़े सामने रखूंगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि स्कूल खोलने में जनता पार्टी शासन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया । बिल्कुल जहां आवश्यकता थी वहीं स्कूल खोले गये हैं। प्रसार में जो असंतुलन था उसको दूर करने की कोशिश की गई। अभी माननीय व्यासजी ने कहा कि स्कूल खोलते समय मैंने भाषण दिया है कि अब 8 मील की दूरी पर ऐसा स्थान नहीं होगा जहां स्कूल न हो, वह सूचना ठीक नहीं है । मैंने निवेदन किया था कि इनमें ऐसे भी स्थान हैं जहां 8 मील की दूरी तक कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं था । यह कमी वर्षों से चली आ रही है, इस सरकार की पैदा की हुई नहीं है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जनता पार्टी शासन में आई उससे पूर्व अजमेर जिले में केवल 50 सैकेण्डरी स्कूल्स थे, इसका अर्थ यह हुआ कि 30 साल में कांग्रेस शासन रहा उससे पहले जो स्कूलों की व्यवस्था रही होगी अंग्रेजों के जमाने से उस पूरे काल में केवल 50 स्कूल खुले और जनता शासन ने इन तीन सालों में अजमेर जिले में 30 स्कूल खोले । इसी प्रकार अलवर जिले में 57 विद्यालय थे इन तीन वर्षों में 40 और खोले गये।

**श्री नत्थीसिंह** : आपने अन्याय किया है, पक्षपात किया है । वहां कोई नए सैकेन्डरी स्कूल्स नहीं खोले हैं ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपके क्षेत्र में खोले हैं।

**श्री नत्थीसिंह** : कहां खोले हैं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अलवर जिले में केवल 57 स्कूल थे ।

**श्री नत्थीसिंह** : आपने बिल्कुल अन्याय किया है....

(व्यवधान)

आन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन।

**श्री रतनलाल वर्मा** : मंत्री के भाषण के बाद आप स्पष्टीकरण मांगें।

**श्री नत्थीसिंह** : उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री रतनलाल वर्मा** : पोइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य बिराजिए।

श्री नत्थीसिंह : ग्रामीण जनता के साथ आपने कुठाराघात किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अलवर जैसे बड़े जिले में 57 थे जनता पार्टी के आने के बाद 40 स्कूल तीन वर्षों में खोले हैं।

श्री नत्थीसिंह : नहीं। जहां कोई आबादी नहीं, बच्चे नहीं, आपने स्कूल खोल दिए, कौन पढ़ेगा वहां ? आपको मालूम है...

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप चाहे कितना ही व्यवधान डालें मैं आंकड़े देकर ही रहूंगा। भरतपुर जैसे बड़े जिले में केवल 41 ही स्कूलस थे, जनता पार्टी के शासन के बाद 51 स्कूल और खोले गये।

श्री नत्थीसिंह : हम मानते हैं कि स्कूल खोले। एजूकेशन को प्रोत्साहन दिया है लेकिन पक्षपात किया है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : ×××साहब, आपका बोलना जरूरी नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : झुंझुनूं में 63 थे, वहां 30 और खोले हैं। सीकर में 54 थे वहां तीन सालों में 39 और खोले हैं। सवाई माधोपुर में 44 थे, जनता पार्टी ने 43 स्कूल और खोले। टौंक में इनके राज तक केवल 23 थे हमने तीन वर्षों में 16 स्कूलस और खोले। बीकानेर में भेदभाव की बात कर रहे थे 26 थे, हमने 17 और खोले। चूरू में जो बीकानेर से छोटा जिला है उनके राज में बीकानेर में 26 और चूरू में 45 थे हमने 21 स्कूल और खोले हैं। गंगानगर में 45 थे हमने 56 स्कूल और खोले। बाड़मेर की बात कर रहे थे कि केवल 18 थे हमारे शासन ने 17 स्कूल और खोले हैं। जैसलमेर में केवल 30 थे और जनता पार्टी शासन ने 10 और खोले हैं...

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पहले उनके भाषण को समाप्त होने दें।

श्री किशनसिंह भाटी : आपकी तारीफ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कर चुका हूं और आपसे ज्यादा ललितजी ने खोले।

श्री भंवरलाल शर्मा : जोधपुर जहां हमारे शिक्षा मंत्री निवास करते थे केवल 38 थे और हमने 36 स्कूल खोले हैं। तो अभी जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे उसमें कहां भेदभाव है। इन्होंने कांग्रेस के तीस साल के शासन में जो स्कूलें खोली और जो हमने जनता पार्टी के शासन काल में ढाई साल में वह कितनी ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय जालौर जिले में पहले 14 सैकन्डरी स्कूल थे, कांग्रेस के राज्य में हमने वहां पर 12 स्कूल और खोले।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या बताया? गलत आंकड़े दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह सिरोही जिले में जहां पहले 15 स्कूल थे वहां हमने 11 स्कूलें और दी। इसी प्रकार हमने जो पहले

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोकित किया गया।

(150)



(श्री भंवरलाल शर्मा)

कांग्रेस के शासन काल में नागौर में सिर्फ 40 सैकण्डरी स्कूल थे उनको बढ़ाकर हमने 77 स्कूल कायम किये। हमने 37 स्कूल और बढ़ा दिये। इसी प्रकार पाली में जहाँ पहले पूरे जिले में 33 स्कूल थे हमने पाली जिले में 30 स्कूल और बढ़ा दिये। कोटा जो कि बड़ा जिला है इसमें पहले सिर्फ 36 स्कूल ही थे उपाध्यक्ष महोदय, हमने जनता पार्टी के शासन आने के बाद में 45 स्कूल और बढ़ा दिये। बून्दी में सिर्फ 16 स्कूल थे वहां हमने 20 स्कूल और खोल दिये। झालावाड़ जिले में उपाध्यक्ष महोदय जहां कांग्रेस राज्य में सिर्फ 18 स्कूल ही सैकण्डरी किये थे वहां हमने 15 सैकण्डरी स्कूल और खोले। भीलवाड़ा जिला मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर वगैरहा से छोटा जिला है वहां पर कांग्रेस राज्य में 52 सैकण्डरी स्कूल थे जबकि दूसरे जो बड़े जिले थे उनमें भीलवाड़ा के मुकाबले कम सैकण्डरी स्कूल थे। और डूंगरपुर जिले में अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो जहां सिर्फ 21 सैकण्डरी स्कूल थे हमने 12 और सैकण्डरी स्कूल खोले। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में जहाँ पर 21 स्कूल थे हमने वहां दस और खोले। उदयपुर में भी पहले कांग्रेस राज में 63 स्कूल सैकण्डरी थे वहाँ पर हमने 66 और सैकण्डरी स्कूल बढ़ा दिये। अब इसमें कहां भेदभाव पूर्ण नीति रही, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : कोरे आंकड़ों के जाल में मत बताओ आप निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार लें। निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से लेंगे तो आपकी सारी कलई खुल जायेगी। अब कहां पर पक्षपात हुआ यह तो आप को देखने से पता पड़ जायेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय स्कूलें खोलने में सन्तुलन तो आपको इन आंकड़ों से पता लग गया अब शिक्षा प्रसार का अनुपात भी आप देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा प्रसार में सन् 1972-73 में राजस्थान में एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। सन् 73-74 में केवल चार स्कूल खोले सिर्फ। पूरे राजस्थान में सिर्फ चार सैकण्डरी स्कूल खोले, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

सन् 1974-75 में चार स्कूल खोले और सन् 75-76 में जब चुनाव आ गये तो इन्होंने 167 स्कूल खोले इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, चार वर्षों में कुल 178 स्कूल खोले।

**श्री रामनारायण चौधरी** : चाहे जितने आंकड़े बता दें आगे चुनावों में आप नहीं आने वाले हैं। आप हमारे यहां बतावें।

(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : I am coming.

**श्री रतनलाल वर्मा** : रामनारायण जी यह थोड़े बहुत भी आये हो वह भी नजर नहीं आवेंगे। बिल्कुल पाटिया साफ हो जायेगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, कुल चार साल में 178 स्कूल सैकन्डरी की खोले।

**श्री नूरा :** मन्त्री महोदय, यह कागज के पुल मत बान्धो।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने पांच साल में सिर्फ 178 स्कूल खोले और हमने पहले वर्ष में 349 सैकण्डरी स्कूल खोले और दूसरे वर्ष में 259 स्कूल खोले व इस वर्ष 180। इस प्रकार कुल जनता पार्टी के शासन काल में 788 स्कूल खोले। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रसार में कहां पर भेदभाव बरता गया? आप देखें किस प्रकार शिक्षा का प्रसार किया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों का काम तो विरोध करना है वह करें लेकिन आंकड़ों के आधार पर आपको पता लग गया होगा कि जनता पार्टी के शासन काल में शिक्षा का प्रसार निष्पक्ष रूप से सभी जगह हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, नत्थीसिंह जी मेरे पास आये थे मैंने उनके कहने से स्कूल खोले। श्री वृद्धिचन्दजीजैन ने आकर कहा कि हमें प्राइमरी स्कूल चाहिये तो मिडिल और सैकन्डरी स्कूल नहीं चाहिए तो मैंने उनके यहां पर 9 प्राइमरी स्कूल खोल दिये।

**श्री वृद्धिचन्द जैन :** मैंने कब मना किया कि आप मिडिल स्कूल मत खोलना आपने खोले ही प्राइमरी स्कूल।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों में नहीं आने वाला हूं। मैं तो कहता हूं कि स्कूल खोलने में आपने पक्षपात किया है और देखना चाहे तो निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार देखें।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर में भी 9 प्राइमरी स्कूल खोले हैं और एक मिडिल स्कूल खोला है आप देखलें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** यह तो आपने कोई बाद में खोले हो तो पता नहीं पहले तो नहीं खोले। बाकी पक्षपात तो आपने किया था पहले।

**श्री मदनसिंह दांता :** उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी की गलती हुई जब यहां पर डेढ करोड़ के बजट का हल्ला हुआ और कहा कि स्कूलें नहीं खुली तो आपने शायद खोली?

**श्री भंवरलाल शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में जो चार्ज लगाया था कि स्कूल खोलने में भेदभाव बरता गया तो आप आंकड़ों से देख लें कि कहां पर भेदभाव हुआ है? मेरी समझ में तो कहीं भी भेदभाव नहीं बरता गया इसलिये जो भी माननीय सदस्यों को समझाना था वह मैंने निवेदन कर दिया और अन्त में यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा की मांगों को पारित किया जाय।

**श्री मदनसिंह दांता :** ऑन ए पॉइन्ट आफ इन्फोर्मेशन, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्कूल खोले हैं उनमें भेदभाव के लिये जो कहा गया वह क्या बॉयज के लिये कहा था या गर्ल्स के सैकण्डरी स्कूल खोलने के बारे में कहा था?

श्री किशनसिंह भाटी: उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन।

**वृद्धिचन्द जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर बाड़मेर में सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले प्राइमरी स्कूल ही खोले मैंने कब कहा था मन्त्री महोदय से कि आप मिडिल स्कूल मत खोलो या सैकण्डरी स्कूलों को मत खोलो?

**श्री किशनसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्रीजी अपना सब सार्वजनिक भाषण दे रहे थे और आंकड़ों को भी बताया कि कांग्रेस के राज्य में कितनी स्कूल खोले और जनता पार्टी का शासन आने के बाद कितनी स्कूल खोले। यह बात मैंने जब यहां पर हाउस में आधे घन्टे की चर्चा हुई थी तब भी कहा था कि कांग्रेस के शासन काल की धारा थी उसको जनता पार्टी का राज्य आने पर नया मोड़ दिया। अब आपने जो कहा कि स्वयं आपने स्कूल खोले। यह तो सही है कि कम्पेरेटिवली आपने ज्यादा स्कूल खोले पिछले वर्षों से लेकिन यह कोई आपने बहुत ज्यादा खोले हो वह बात सही नहीं। आपने गंगानगर जिले में जहां पर चार कान्स्टीटयूएन्सी हैं वहां पर आपने 23 प्राइमरी स्कूल खोले हैं और डेजर्ट एरिया में आपने प्रोपोर्शनेटली कम स्कूल खोले आप चाहे तो देख लें। आपने प्रपोर्शनेटली ब्रेक तो किया है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब स्कूलों के खोलने की बात हो रही थी तो गंगानगर जिले के लिये खासा कोठी में बैठे आप ललितजी और मानिकजी व केदारजी ने गंगानगर जिले में स्कूल खोलने का तय किया था। मैं उन बातों पर नहीं कहना चाहता।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्षजी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय विश्नोई जी आप काफी चर्चा कर चुके हैं।

**श्री गुरुशरण छाबड़ा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाउस में गलत सूचना दी गयी कि मेरे विधान सभाई क्षेत्र में 23 स्कूल खोले गये हैं। शायद माननीय सदस्य यह भूल गए हैं कि मेरे क्षेत्र में उतने ही स्कूल खोले गये हैं जितने कि दूसरे कई विधान सभाई क्षेत्रों में भी खोले गये हैं। मेरे क्षेत्र में 9 या 10 प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। सी. पी. एम. पार्टी के विधायक श्री श्योपतसिंह जी हैं उनके यहां गत वर्ष 5 सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं जब कि मेरे यहां एक भी सैकन्डरी स्कूल नहीं खोला गया है। जिस प्रकार से माननीय सदस्यों की धारणा है कि इम्बेलेन्स को समाप्त करने के लिए स्कूल खोले जाते हैं। यह सही नहीं है कि जनता पार्टी विधायक हूं इसलिए खोले गये हैं बल्कि इसलिए खोले गये हैं कि मेरा क्षेत्र जहां राजस्थान नहर आई है वहां नये गांव बन रहे हैं और नयी आबादी में स्कूल खोले जाने आवश्यक हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैसा व्यास जी ने कहा भीनमाल में तवाव में एक सैकण्डरी स्कूल खोल दी-- उसके लिए तो धन्यवाद। परन्तु साचौर क्षेत्र, जिसकी पौने दो लाख जनसंख्या है, उसमें एक भी सैकण्डरी स्कूल आपने नहीं खोली। गर्ल्स

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
के लिए तो आप कहते हैं कि हम बहुत उदार हैं तो वहां सांचौर में क्यों नहीं खोली ?

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आपने अपने समय में क्यों नहीं खोल दिये थे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कोई खोली है क्या सांचौर में ?

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष जी, अब राजस्थान ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है कि आइन्दा के लिए तय कर लिया जाये कि कितने प्राइमरी स्कूलों के ऊपर मिडिल स्कूल होगा, कितने मिडिल स्कूलों पर सैकण्डरी स्कूल हो और कितने सैकण्डरी स्कूलों पर हायरसैकण्डरी स्कूल हो और कितने हायर सैकन्डरी स्कूल पर कॉलेज हो। अगर यह तय नहीं कर पायेंगे तो इम्बेलेन्स क्रियेट होगा। तो कितने कौन से स्कूल खोलें यह तो आप तय कर लें लेकिन स्कूल खोलने का अधिकार कि कहां खोला जाये, क्या क्राइटेरिया हो, पापुलेशन और डिस्टेन्स क्या हो तो वह आप जिले की प्लानिंग कमेटी को सौंप दें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता था। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय में क्राइटेरिया तय किया था कि 3 हजार की जनसंख्या पर सैकन्डरी स्कूल होगा और 2 हजार की जनसंख्या पर मिडिल स्कूल खोल दिया जायेगा लेकिन कुछ ऐसे गांव थे जहाँ की संख्या 3 हजार की थी वहां किस कारण से स्कूल नहीं खोले? मैं यह पूछना चाहूंगा कि चाहे वह क्राइटेरिया एक वर्ष के लिए रहा हो लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी जनसंख्या 3 हजार से अधिक है क्या वहाँ स्कूल खोलना पसन्द करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि 1971 में जहां अकेले गांव की जनसंख्या 3 हजार है और सैकण्डरी स्कूल नहीं खुला हो तो बता दें। स्कूल खुला होगा, यदि नहीं खुला होगा तो स्कूल भी खुलेगा और मैं क्षमा भी मांगूंगा।

श्री नरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कहूंगा। आपने स्कूलों की जिलेवार लिस्ट बताई। मैं आपसे दो बात पूछना चाहूंगा। आपने मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल खोले। जैसे अजमेर जिले के लिए बताया तो आपने श्री करतारसिंहजी को स्कूल दे दिया क्योंकि वह इधर-उधर हो रहे थे और श्री रतनलाल जी को दे दिया। इस तरह जनता पार्टी के विधायक थे वहां मिडिल और सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। हमारे क्षेत्र में एक भी मिडिल और सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। सिर्फ दो-चार प्राइमरी स्कूल खोल दिये हैं। इस तरह से हर जिले में आपने भेदभाव बरता है।

(व्यवधान)

आपने मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल को महत्ता नहीं दी। इस साल जरूर दो-चार प्राइमरी स्कूल दिये हैं। आपको मानना पड़ेगा कि आपने पक्षपात किया है वाजिब बात को मान लेनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय भाटी जी आप बैठें।

(व्यवधान)

**श्री किशनसिंह भाटी** :.... हंगर स्ट्राइक चल रही है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सदस्य नूराजी ने आपत्ति की और यह दर्शाने की कोशिश की कि उनके साथ भेदभाव बरता है, मैं कहना चाहता हूं कि आप भी सूची देख लेते तो उसमें 4 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडिल और 1 सैकण्ड्री स्कूल खोला है।

**श्री नूरा** : इसका मतलब यह है कि शायद आपने सूची बदली है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बिराजें।

(व्यवधान)

**श्री ओंकारलाल चौहान** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये कि स्कूले खोलने का क्राइ-टेरिया है.......

**श्री हरिश शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, कांग्रेस राज्य में स्कूल खोले थे और तब ओंकारलाल जी मिनिस्टर थे...

(व्यवधान)

फिर जनता पार्टी में आये और फिर वहां जाकर आलोचना कर रहे हैं ...

**श्री ओंकारलाल चौहान** : मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं सुझाव दे रहा हूं।

(व्यवधान)

**श्री हरिश शर्मा** : इनको स्कूल ही नहीं देना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय ओंकारलाल जी बिराजें।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : एक बात पूछना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय उत्तर नहीं देना चाहते हैं। कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

**मांग संख्या 24 व 42 का पारण**

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य बिराजें।

**मांग संख्या 24**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होन वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रु० 59 लाख 26 हजार तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 42**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 91

(श्री उपाध्यक्ष)
लाख 86 हजार तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण**

**मांग संख्या 4**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 9 लाख 50 हजार तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 5**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 6–लाख 70 हजार की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 6**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 70,000 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 9**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9--वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 2 लाख, 16 हजार तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 11**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11--विविध सामयिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 2 लाख तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 13**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13--आबकारी के सम्बन्ध में

(श्री उपाध्यक्ष)
31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,00,000 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 16**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1 हजार तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग की स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 17**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 86 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 19**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 विशेष कार्य आदि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 29 लाख 79 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

**मांग संख्या 20**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20–आवास के संबन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 62 लाख 70 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

**मांग संख्या 21**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 30 लाख की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 22**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास आदि के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 18 लाख 98 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रु 4 करोड़, 5 लाख, 30 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 71 लाख 84 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29–नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 81 लाख 20 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जन-जाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष मे किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रु. 57 लाख 53 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रु. 41 लाख 48 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं

158



( श्री उपाध्यक्ष )

से राहत के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 55 लाख तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग संख्या 36**

प्रश्न यह है कि कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36--सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 6 लाख 55 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग संख्या 37**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37--कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1 करोड़ 18 लाख 15 हजार तक की राशि, और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग संख्या 39**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39--पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 2 लाख 45 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग संख्या 40**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40--राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 13 लाख 16 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग संख्या 41**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41--सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 21 लाख 41 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग संख्या 46**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46--सिंचाई के संबंध में

( श्री उपाध्यक्ष )

31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 9 लाख 33 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1979**

**श्री मानकचन्द सुराणा ( वित्त मंत्री ):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या सदन की राय है ?

(स्वीकृत)

**श्री माणकचन्द सुराणा :** मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं ।

**विधेयक पर विचार**

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये ?

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है f राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये ?

**श्री ओंकारलाल चौहान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा इस संबंध में उन्होंने स्कूल खोले जाने की नीति बनाई गई है मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता । चाहे पोपुलेशन का क्राइटेरिया हो चाहे कोई दूसरा, मैं यह जरूरत समझता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो आयोजना बोर्ड बना है उस बोर्ड को अगर आप अधिकार दे दें ठीक तरीके से सभी जगह वे स्कूल खोलने के लिये और सभी कान्स्टीट्यूएन्सीज के लिये तो वह हितकारी होगा । इस लिये इस इश्यू को आप मद्देनजर रखते हुए कार्य करें और मैं आशा करता हूं कि आप इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोशिश करेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री राम कृष्णदास जी, आप चर्चा में भाग लेंगे ?

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता :** मैं बाद में भाग लूंगा ।

**श्री माणकचन्द सुराणा :** इसको विचारार्थ ले लिया जाये ।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया ।

**विधेयक का पारण**

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रभारी मंत्री महोदय ?

**श्री माणकचन्द सुराणा :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय ।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष जी, जनता सरकार ने इतने स्कूल खोले दिये और हमने तालियां पीट ली लेकिन उनमें अध्यापकगण नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि ढाई साल में जितने स्कूल खोले उसके अनुसार मास्टरों की भर्ती नहीं की या भर्ती की तो गांवों में अध्यापक जाने को तैयार नहीं हैं। विद्यार्थी आते हैं लेकिन मास्टर गैर हाजिर। यह गांवों की बर्बादी नहीं तो और क्या कर रहे हैं? वैसे तो 30 सालों में ही ग्रामीण स्कूलों में मास्टरों का अभाव रहा है लेकिन इस ढाई साल में यह अभाव और अधिक बढ़ गया है। कोई भी अध्यापक गांवों में जाने को तैयार नहीं है। दूसरी बात मास्टरों की तो गलती है लेकिन सरकार की भी यह गलती है कि ग्रामीण अंचल के ट्रेन्ड अध्यापकों को नौकरी नहीं दी जाती है। एक शहरी अध्यापक का नम्बर तो टाप पर रहता है लेकिन वे गांवों में नहीं जाते और गांवों में जो आपके यूथ हैं वे बेकार हैं। इसलिये मेरा निवेदन है ग्रामीण अंचल के लोगों को प्राथमिकता दी जाय।

तीसरी बात स्कूल तो आपने खोल दिये लेकिन जो अध्यापिकाएं जो अन-मेरिड टीचर्स हैं, वे गाँवों में कहां रहें। आज उनकी शील और इज्जत के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि उनको रहने के ठीक मकान दिये जाय। सरकार मकान बना सकती है। मैं सारे राजस्थान के क्षेत्र में घूम चुका हूं और प्रत्यक्ष देखा है कि छोटे-छोटे गांवों में किसी की मां, किसी की बहिन किस प्रकार रह रही हैं। जिनकी पोस्टिंग में किसी प्रकार की पहुंच है तो उनको बेटर जगह मिलती है और जिन महिलाओं की पहुंच नहीं है उनको दूर-दराज के गांवों में पोस्टिंग किया जाता है और ऐसे-ऐसे गांवों में पोस्टिंग किया जाता है की उनको 15-20 मील पैदल चल कर गांव में पहुंचना होता है।

**एक माननीय सदस्य** : एक महिला की तो आप भी कर सकते हैं।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : चौथी बात मैं शिक्षा मंत्री जी आपको कहना चाहूंगा...

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह एक महिला का अपमान है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की शोभा की बात नहीं है।

**श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** : चौथी बात यह है कि क्या यह कुछ लोगों का ठेका लिया हुआ है कि जिन्दगी भर शहरों में रहे? 20-20 सालों से शहरों में बैठे हुए हैं। इस सम्बन्ध में आपने जो नीति बनाई है उसमें ग्रामीण अंचल में भेजने का निर्णय नहीं किया और जब तक यह नहीं करेंगे तब तक शहरों का उनका मोह नहीं हट सकता है। गांवों के अध्यापकों के बच्चे भी बड़े हो गये हैं और उनका विकास शहर में ही आने पर हो सकता है तो मेरा निवेदन है कि आप कठोरता से उन ग्रामीण अंचल में जिन्दगी खपा देने वालों को शहरों में तो लायें।

पांचवी बात यह निवेदन करूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में साइन्स फैकल्टी आपने कहीं भी नहीं खोली। आज गांवों के लड़के शहरों

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
में आकर होस्टल में रहकर साइन्स की पढ़ाई का बोझ सहन नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण अंचल में एक भी साइन्स की कक्षा नहीं खोली गई...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : पाँच मिनिट हो गये।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्षजी, छठी बात मैं कह रहा हूं ग्रामीण अंचल में कहीं भी आपने एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट नहीं खोला है। जब आपको यह भी मालूम है कि मैट्रिक पास को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो उसको खेती का ज्ञान क्यों नहीं करवाते हैं?

आखिरी बात यह है कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में बहुत भीड़ होती है–हजारों की भीड़ होती है और राजस्थान की ये तीनों यूनिवर्सिटियां उस भीड़ का मुक़ाबला नहीं कर सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है बीकानेर, अजमेर और कोटा में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी खोल दी जाती है जिनमें साइन्स, कामर्स और टैक्नीकल फेकलटीज पढाई जाय? जितना आप वाइस चान्सलरों पर खर्च करते हैं उसी साधनों से यूनिवर्सिटियां खुल सकती हैं। एग्जामिनेशन आज यहां पोस्टपोन होते हैं और उसका दण्ड दूर-दराज के लोगों तक को भुगतना पड़ता है।

(व्यवधान)

बीकानेर, कोटा और अजमेर के लिये मांग कर रहे हैं तो आपको क्यों दुःख हो रहा है ...

(व्यवधान)

आप भी मांग कीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया आप समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

अब कृपया आप विराज जाइये।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : एक लाइन कहनी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया मेरी बात मानिये, बिराज जाइये।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : यूनिवर्सिटी कोलायत में खोली जाय–ग्रामीण अंचल में।

**श्री राम नारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। और मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो आंकड़े शिक्षा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं कि इतने प्राइमरी स्कूल खोल दिये, इतने मिडिल स्कूल खोल दिये और इतने हायर सैकेण्डरी स्कूल खोल दिये–संख्या की दृष्टि से तो ठीक बताया लेकिन गुणात्मक दृष्टि से जो जनता पार्टी के शासन में पिछले 3 सालों में विकास होना चाहिये था वह नहीं हुआ है–शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के गुणात्मक स्तर में गिरावट आई है। आज जहां पर आर. एस. एस. की शाखाएं नहीं लगती थी वहां शाखाएं लगना शुरू हो गई है–काली टोपी पहना कर, कमीज पहिना कर उनको ट्रेन्ड किया जाता है। यह निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा जगत में किया है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, इनके प्रिडीसीसर माननीय ललित किशोरजी ने भी शिक्षा में इस बात की बढ़ोतरी की थी और अब उन्होंने की हैं–किसी प्रकार कमी नहीं आने दी । जो शिक्षा में गिरावट आई है, लड़कों में जो अनुशासन गिरा है, अध्यापकों में भी अनुशासनहीनता आई है वह सब मान्यवर इनके कारण ही आई है। गावों के स्कूलों में आज कहीं टीचर्स नहीं मिलेंगे । शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से जो परिवर्तन बदलते हुए समाज में आना चाहिए था वह नहीं आया है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है बल्कि एक भी स्कूल आपके पक्षपात से बचा हुआ नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में पोजीशन यह है कि प्रति 10 लड़के प्राइमरी स्कूल में भर्ती होते हैं तो उनमें से पांच तो छठी कक्षा में प्रवेश ,लेते हैं और पांच पांचवीं कक्षा तक ही रह जाते हैं और पांच में से तीन मीडिल स्कूल तक जाते हैं दो वहीं रह जाते हैं इस तरह दो लड़के प्रति 10 के पीछे हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं और हायर सैकण्डरी तक 10 में केवल एक ही बच्चा रह जाता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रति 10 में से एक बच्चा यानी 90 पर्सेंट तो छोटी कक्षाओं तक ही पढ़कर रह जाते हैं और पर्सेन्ट हायर एज्युकेशन का फायदा उठा रहे हैं । और मान्यवर, ग्रेजुएशन के ऊपर तो कोई प्रतिशत ही नहीं है। वह पाइन्ट में बनेगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह जो माननीय शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं कि यह कर दिया, वह कर दिया मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सके हैं । यदि आप गुणात्मक परिवर्तन नहीं लाए तो आज जो सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट पास कराई है, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने विधेयक में जिसको शामिल किया है, यदि इस सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट में इस बात की व्यवस्था होती कि आज गांवों में पढ़ने वाले, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले, वीकर सेक्शनस के बच्चे, जिन बच्चों के लिए खाने को रोटी तो दूर रही, कलेवा नहीं, सुबह खाली पेट जाते हैं, उनके लिए कलेवा की कोई व्यवस्था नहीं हैं, उनके कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, दोपहर के खाने की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है, इन सब चीजों की उनके लिए सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट में व्यवस्था करते और प्राइमरी शिक्षा के लिए गारण्टी करते तब तो हम समझते कि जो सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट मंजूर करवाई हैं वह सार्थक होगी लेकिन उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । हमने प्राइमरी स्कूलें खोल दीं किसके लिए खोल दीं ? जिनके पास कुछ है वे तो कहीं पर भी जाकर पढ़ लेंगे लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके घर में भी स्कूल खोल दें तो भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिए गुणात्मक दृष्टि से, जो वीकर सेक्शन्स हैं उनकी दृष्टि से, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं, आज आप बताइये कि क्या व्यवस्था की है ? आज आप अन्त्योदय की बात करते हैं, मुझे बताइये कि अन्त्योदयी परिवारों के लिए सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट में क्या व्यवस्था की है ? मान्यवर, आज मिडिल स्कूलों के अन्दर आज वहां के बच्चे सुबह का कलेवा नहीं ले जा सकते, सुबह अपने

(श्री रामनारायण चौधरी)

घर से रोटी खाकर नहीं जा सकते, उन परिवारों, जिनके बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, जिनके पास यूनिफार्म तो दूर रही जिनके पास चड्डी और बनियान तक नहीं है, सिर पर टोपी तक नहीं है और किताबों को डालने के लिए बस्ता नहीं है, जिनके पास लिखने के लिए पेंसिल नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, इन के लिए सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट में आपने क्या किया है ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** : उनको नेकर और चड्डी दोनों दे देंगे ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : कांग्रेस के तीस साल के शासन में राजस्थान में जहाँ पर एक प्रतिशत शिक्षा गाँवों में नहीं थी. . .

**श्री रतनलाल वर्मा** : माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको नेकर और बनियान सबको दे देंगे ।

(व्यवधान)

**श्री उदयराम हटीला** : आप फर्मा रहे हैं कि हमने तीस साल में यह किया, वह किया लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जहां 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन था उसमें से केवल आप पांच पर्सेन्ट को नौकरी दे सके थे । आप कृपा करके बिराज जाइये । हम आपको जानते हैं कि आपने तीस साल के अन्दर हम लोगों का कोई भला नहीं किया । हरिजनों के हितैषी बन कर बोलने की कोशिश नहीं करें । कृपया भाषण नहीं करें । तीस साल तक हरिजनों को धोखा दिया है.. ..

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : गाँव-गाँव में कांग्रेस ने स्कूल कर दिये थे । जहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं थे वहाँ पर जगह-जगह पांच मील के अन्दर स्कूल कर दिये थे जहाँ पर मिडिल स्कूल नहीं थे वहाँ पर मिडिल स्कूल खोल दिये थे, जहां पर हाई स्कूल नहीं थे वहां पर हाई स्कूल खोल दिये । शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, जयपुर में यह कर दिया, अलवर में यह कर दिया, बीकानेर में कर दिया......

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामनारायण-जी, चर्चा समाप्त करें ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : इन्होंने गांवों में कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि जगह-जगह पर अपनी झंडियां लगा दी..

**श्री रतनलाल वर्मा** : इनकी झंडियां तो तो पहले ही उतर गईं ।

**श्री उदयराम हटीला** : इनको तो झंडियों का सपना आता है ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं आपसे निवेदन करता हूं मान्यवर, उन गरीब बच्चों के लिए, उन वीकर सेक्शन्स के बच्चों के लिए, शिड्युल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए और अपने अन्त्योदयी परिवारों के लिए इस सप्लीमेंट्री ग्राण्ट के अन्दर, मान्यवर, वित्त मंत्री महोदय बतायें कि कितना प्रोवीजन किया है ? क्या किया है आपने उनके लिए ?..... Such Bills never came in this House.

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)

ये केवल अपना प्रचार कर रहे हैं, लड़कों की एजूकेशन के नाम पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अस्सी प्रतिशत लोगों को इस शिक्षा से कोई फायदा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री उदयराम हटीला : आपने हरिजनों के लिए क्या किया था ? जनता पार्टी के राज में गृह मंत्री हरिजन है। क्या आपने किसी हरिजन को मंत्री बनाया था ? आज हरिजनों को पूरी स्वतन्त्रता है, हरिजनों को बोलने की आजादी है। आपने उनके लिए क्या किया...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जो आज आपको संरक्षण मिला है वह भी कांग्रेस की वजह से मिला है और आज तो तुम वह संरक्षण भी नहीं बचा सकोगे। वह संरक्षण भी 26 जनवरी, 80 को समाप्त हो रहा है और वह भी किसके राज मे हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण-जी....

श्री रतनलाल वर्मा : यह सरकार भी इनकी बनायी हुई है। ये देश के Xxx है जिन्होंने देश में अराजकता पैदा की है जिन्होंने देश को गर्त किया है और जिन्होंने गरीबों को धोखा देकर इस देश को गर्त कर दिया है। इसके लिए जिम्मेदार इनकी एकमात्र महारानी इन्दिरा गांधी है जिसके ये गुण गाते हैं। वही है जिनके इनको सपने आते हैं......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण-जी, कृपया विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : दो मिनट, मान्यवर।

श्री उदयराम हटीला : इनको नहीं रोकेंगे तब तक ये बोलते ही रहेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह विधान सभा है कोई चिड़ियाघर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसके अलावा अब मैं उद्योगों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर प्रोडक्शन गिरा है। राजस्थान के अन्दर लेबर अनरेस्ट है, राजस्थान के अन्दर एम्पलायर्स के अन्दर अनरेस्ट है, राजस्थान में कोयले का उत्पादन गिरा है, राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन गिरा है, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन गिर गया है। इन्होंने झूठी कम्पनियाँ रजिस्टर की हैं और फर्जी आंकड़े दिए हैं कि अलवर में इतनी कम्पनियां रजिस्टर्ड कर दीं, सीकर में इतनी कर दीं......

श्री रतनलाल वर्मा : जितना सीमेंट गांवों में पिछले छः महीनों में गया है उतना तीस सालों में नहीं गया है। जितना सीमेंट पिछले छः महीनों में गांवों में खर्च हुआ उतना सीमेंट तीस सालों में नहीं खर्च हुआ......

(व्यवधान)

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या बात करते हो......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, अब चर्चा समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अनुचित रूप में सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट में पैसा लिया है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, अब चर्चा समाप्त कर दें।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी ने और कोलायत के माननीय सदस्य ने कुछ सैद्धान्तिक प्रश्न उठाए है और सैद्धान्तिक आपत्तियां इन अनुपूरक मांगों पर पेश की हैं। आपत्ति करते वक्त उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्री महोदय यह बतायें कि इसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए क्या प्रावधान किया है ? उपाध्यक्ष महोदय, ये वह अनुपूरक मांगें हैं जिनको अगर पूरा देख लेते तो शायद ऐसे आब्जर्वेशन-ऐसी टिप्पणी करने की नौबत नहीं आती....

श्री रामनारायण चौधरी : देख लिया, नो प्रोवीजन....

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : आपने तो देख लिया लेकिन इसके ऊपर भी मैं इनको कुछ और दिखलाना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जनता पार्टी चली गई, बचा नहीं सके।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पेज 11 पर मांग संख्या 30 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें समाज शिक्षा और कल्याण के लिये 52.16 लाख का प्रावधान है।

श्री रामनारायण चौधरी : 52 लाख से क्या होगा ? कितने लाख लड़के हैं ?

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : आप जरा दिल थाम कर सुनिये। मैं आपका ध्यान मांग संख्या 33—सामाजिक शिक्षा और कल्याण जिसमें 55 लाख आयोजना भिन्न के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को दिये जाने वाले हैं जिनमें छात्रवृत्ति पर 26.98 लाख और बेरोजगार स्नातकों और स्नातकोत्तर व्यक्तियों, ये सब अनुसूचित जाति के हैं, को स्टाईपण्ड देने के लिये 55 लाख का प्रावधान किया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सांचोर में जो होस्टल खोला हुआ है उसमें 7 लड़कों की सीटें निश्चित कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय बिश्नोईजी, सांचोर में 30 छात्रों को अधिकृत रूप से या पहले प्रवेश दे दिया गया हो या अनुमति दे दी गई हो इसको यह मन्त्रालय स्वीकार नहीं करता। कई कारण हैं, प्रशासन में नियंत्रण भी रखना है, अनुशासन भी रखना है।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : क्या, मुख्य मंत्रीजी, आपका नियंत्रण 30 छात्रों की पोस्ट पर होगा ?

It will be at the cost of these students. You admit today.

**श्री माणकचन्द सुराणा** : उनकी यदि इतनी चिन्ता है तो आप कटौती प्रस्ताव मूल बजट आया तब तो लाते कि छात्रों के लिये प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई कटौती प्रस्ताव...।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : लिखित में आश्वासन है।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : किसका आश्वासन है ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मंत्रीजी का।

**श्री माणिकचन्द सुराणा** : अगर कोई आश्वासन है तो राज्य सरकार उसकी पालना करेगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : हमारे पास है। उसमें हम नहीं छोड़ेंगे।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : आप लायेंगे तो उसका सम्मान किया जायेगा। अगर गलत बात कह रहे हैं तो ..

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपको गलत कह सकता हूं क्या ?

**श्री माणकचन्द सुराणा** : अगर सही है तो उसका सम्मान किया जायेगा। यह मैं कहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 30 छात्रों को अनुमति नहीं दी गई इससे 55 लाख नकार नहीं पायेंगे। इसके साथ-साथ जो दूसरे प्रावधान शिक्षा के लिए किए गये हैं बहुत आलोचना कर दी माननीय शिक्षा मंत्रीजी की। गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक और पहले भूतपूर्व मंत्री थे उन्होंने जो सुझाव दिये और दूसरे जो ओंकारलालजी ने कहा मैं समझता हूं राज्य सरकार उनके उन सुझावों पर बहुत गम्भीरता से विचार करेगी। शिक्षा की नीति में जनता सरकार कोई मनमानापन नहीं रखना चाहती। पिछले साल जो क्राइटेरिया बनाया गया उसकी सबसे ज्यादा आलोचना पश्चिमी राजस्थान के माननीय विधायकों ने की। ट्राइबल क्षेत्रों से आने वाले विधायकों ने की, उनकी दो हजार, तीन हजार की आबादी नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए शिक्षा मंत्रीजी ने क्राइटेरिया बदला और उस बदले हुए क्राइटेरिया में मैं निवेदन करना चाहता हूं 1-1 स्कूल खोला गया है। उसके पीछे विधायकों की पुरजोर मांग रही हैं और आप देखेंगे कि 180 स्कूल 160 क्षेत्रों में खोले गये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं पक्षपात का प्रश्न कहां हैं ?

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : निर्वाचन क्षेत्र वाइज कहां खोले हैं।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : निर्वाचन क्षेत्रवाइज जैसा कि शिक्षा मंत्रीजी ने याद दिलाया 73-74 में 4, 74-75 में 4, खोले तब का आपको याद नहीं है ?

(व्यवधान)

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : निर्वाचन क्षेत्रवाइज नहीं किया है।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : 72-73 में आप भूल गये, वह भी नहीं ?

**श्री किशनसिंह भाटी** : पालिटिक्स से गलती हुई है तो वह आप मान लीजिये।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : इसमें कोई गलती नहीं हैं। 350 स्कूल कॉलेज खोलने हों तो उसकी भी सीमा है और सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पहले साल 350 खोले गये।

**श्री नत्थीसिंह** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय नत्थीसिंहजी, कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

**श्री नत्थीसिंह** : मान्यवर, इन लोगों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को राजनैतिक अड्डा बना रखा है और...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

**श्री माणकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय–

(व्यवधान)

**श्री नत्थीसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

**श्री नत्थीसिंह** : मान्यवर, एक मिनट...

(व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द जैन** (जालोर) : आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय नत्थीसिंहजी, आप बिराजें। आप बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते थे, लेकिन बीच में कहीं भी आपकी बात आये, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : मण्डावा से आने वाले माननीय विधायक ने अनुपूरक मांगों का विरोध किया और अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिये जो प्रावधान है उनका विरोध किया। मांग संख्या 37, कृषि पर 95.50 लाख, पंचायतों पर 30 लाख, कृषि ऋण पर 22 लाख कुल 1 करोड़ 18 लाख के प्रावधान के लिये माननीय मण्डावा से आने वाले सदस्य विरोध कर रहे हैं। 30 साल के शासन में आपने बाड़मेर में कृषि जिला अधिकारी कार्यालय नहीं खोला, जनता सरकार ने इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के द्वारा बाड़मेर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोला है।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय पहले था जो बन्द हो गया।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : तो हमने दुबारा खोला है। मैं निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं के अन्दर, इतना बड़ा जिला, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य वहाँ से आते हैं...

**एक माननीय सदस्य**: पहले था।

**श्री माणकचन्द सुराणा**: सीकर और झुंझुनूं . .

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमने झुंझुनूं में भी जिला कार्यालय खोला है। कृषि कार्यों के लिए अच्छा है या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स 14 करोड़ की राशि, वह सुरक्षित 6 करोड़ की थी, वह 10 करोड़ की हो गई है। 4 करोड़ की राशि इसमें से निकाल दें। जनता सरकार में सप्लीमेण्ट्री ग्रान्ट्स बजट पेश हुआ है, वह सबसे कम सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट का है। सबसे कम मांगा है।

**एक माननीय सदस्य**: अब मांगेंगे।

**श्री माणकचन्द सुराणा**: क्या आपकी राशि से अधिक होगा। आपने 26% तक . .

**श्री पदम सिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा)**: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय रामनारायण चौधरी को लेटे-लेटे बोलने की इजाजत दे दी जाये।

**श्री माणकचन्द सुराणा**: 26 करोड़ की राशि की सप्लीमेण्ट्री ग्रान्ट्स की मांग की थी जबकि कुल बजट 6% का था। 685 करोड़ के बजाय 13 करोड़ मांगा जो कि कुल 15% था। हमने 11 करोड़ 95 लाख की राशि मांगी जो 1.0% है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई**: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आपके लिए ही उठाना चाहता हूं। माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि थर्ड रीडिंग में यह बातें आती हैं क्या ?

(व्यवधान)

**कई माननीय सदस्य**: वह हो गया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इसकी अब चर्चा नहीं करें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं. 5) विधेयक, 1979 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 6-10-79 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.13 बजे, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 79 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

———

# परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची)

जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में वर्ष 79-80 में खोले गये विद्यालयों की सूची

(1) मिडिल :- (1) भदासिया

(2) सैकण्डरी :- (1) नागौरी गेट उ० प्रा० विद्यालय

170



# परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची, मांग-पत्र व विवरण)

(सूची परिशिष्ट 'अ')

| क्र. सं. | नाम जिला जहां प्रदर्शन व गिरफ्तारी हुई | गिरफ्तार कर्मचारियों की संख्या | कारण गिरफ्तारी: (आई. डी.) राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अध्यादेश, 1979 का/आर. ए. सर्विस मेन्टीनेंस एक्ट का उल्लंघन | कारण गिरफ्तारी: निषेधाज्ञा धारा 144 का उल्लंघन | कारण गिरफ्तारी: निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत (151 सी-आर.पी.सी.) | जेल में रखने की अवधि: संख्या कर्मचारी | जेल में रखने की अवधि: अवधि (दिन) | रिमार्क्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अजमेर | 12 | 12 | — | — | 1 | 13 | |
| | | | | | | 1 | 7 | |
| | | | | | | 4 | 35 | |
| | | | | | | 2 | 33 | |
| | | | | | | 2 | 1 | |
| | | | | | | 2 | 30 | |
| 2. | जोधपुर | 166 | 91 | 13 | 62 | 9 | 6 | |
| | | | | | | 12 | 8 | |
| | | | | | | 2 | 9 | |
| | | | | | | 24 | 10 | |
| | | | | | | 39 | 11 | |
| | | | | | | 8 | 12 | |
| | | | | | | 6 | 13 | |
| | | | | | | 7 | 14 | |
| | | | | | | 3 | 15 | |
| | | | | | | 5 | 16 | |
| | | | | | | 7 | 17 | |
| | | | | | | 8 | 18 | |
| | | | | | | 1 | 20 | |
| | | | | | | 2 | 21 | |
| | | | | | | 5 | 22 | |
| | | | | | | 2 | 23 | |
| | | | | | | 3 | 24 | |

| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 | 25 |
| | | | | | | | 3 | 28 |
| | | | | | | | 2 | 29 |
| | | | | | | | 1 | 30 |
| | | | | | | | 1 | 32 |
| | | | | | | | 1 | 33 |
| | | | | | | | 1 | 36 |
| | | | | | | | 2 | 38 |
| | | | | | | | 3 | 40 |
| | | | | | | | 1 | 43 |
| | | | | | | | 1 | 47 |
| | | | | | | | 1 | 50 |
| | | | | | | | 2 | 56 |
| | | | | | | | 1 | 58 |
| | | | | | | | 1 | 59 |
| 3 | बाड़मेर | 21 | 11 | — | 10 | | 10 | 1 |
| | | | | | | | 1 | 35 |
| | | | | | | | 1 | 41 |
| | | | | | | | 6 | 28 |
| | | | | | | | 3 | 15 |
| 4. | पाली | 5 | 5 | — | — | | 2 | 25 |
| | | | | | | | 1 | 38 |
| | | | | | | | 2 | 36 |
| 5. | टोंक | 5 | 5 | — | — | | 2 | 29 |
| | | | | | | | 3 | 14 |
| 6. | भीलवाड़ा | 174 | 174 | — | — | | 12 | 17 |
| | | | | | | | 25 | 5 |
| | | | | | | | 10 | 16 |
| | | | | | | | 50 | 4 |
| | | | | | | | 14 | 15 |
| | | | | | | | 44 | 3 |
| | | | | | | | 10 | 13 |
| | | | | | | | 1 | 14 |
| | | | | | | | 8 | 2 |
| 7 | [illegible] | 7 | 7 | — | — | | 7 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | कोटा | 56 | 56 | — | — | 17 | 18 | |
| | | | | | | 23 | 35 | |
| | | | | | | 6 | 21 | |
| | | | | | | 5 | 20 | |
| | | | | | | 4 | 28 | |
| | | | | | | 1 | 18 | |
| 9. | उदयपुर | 322 | 280 | 42 | — | 25 | 1 | 18 व्यक्ति |
| | | | | | | 2 | 2 | उसी रोज |
| | | | | | | 4 | 3 | गिरफ्तार किये |
| | | | | | | 28 | 7 | जाकर रिहा |
| | | | | | | 16 | 8 | किये गये । |
| | | | | | | 48 | 9 | जेल नहीं |
| | | | | | | 32 | 10 | भेजे गये । |
| | | | | | | 27 | 11 | |
| | | | | | | 23 | 12 | |
| | | | | | | 59 | 13 | |
| | | | | | | 6 | 14 | |
| | | | | | | 5 | 16 | |
| | | | | | | 4 | 17 | |
| | | | | | | 2 | 18 | |
| | | | | | | 7 | 19 | |
| | | | | | | 3 | 21 | |
| | | | | | | 3 | 23 | |
| | | | | | | 9 | 25 | |
| | | | | | | 1 | 34 | |
| 10. | बीकानेर | 171 | 171 | — | — | 63 | 12 | |
| | | | | | | 91 | 13 | |
| | | | | | | 1 | 14 | |
| | | | | | | 1 | 18 | |
| | | | | | | 6 | 26 | |
| | | | | | | 6 | 28 | |
| | | | | | | 1 | 39 | |
| | | | | | | 2 | 41 | |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 180 | 180 | — | — | 12 | 12 | |
| | | | | | | 40 | 11 | |
| | | | | | | 52 | 9 | |
| | | | | | | 68 | 8 | |
| | | | | | | 6 | 16 | |
| | | | | | | 2 | 20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | नागौर | — | — | — | — | — | — | कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। |
| 13. | झालावाड़ | — | — | — | — | — | — | " |
| 14. | गंगानगर | — | — | — | — | — | — | " |
| 15. | जैसलमेर | — | — | — | — | — | — | " |
| 16 | बून्दी | — | — | — | — | — | — | " |
| 17 | जालोर | — | — | — | — | — | — | " |

राजस्थान नॉन-गजटेड पुलिस कर्मचारी संघ

कार्यालय—जयपुर खण्डेल हाउस, चांदपोल बाज़ार, जयपुर ।

प्रधान कार्यालय,—जोधपुर ।

सेवा में,

श्रीमान् मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर, (राजस्थान)

खुला-पत्र

"ओ जनता वालो हमारी सुनो"

महोदयजी,

सन् 1956 से चला आ रहा संघर्ष एकाएक सन् 76 में थम-सा गया, इसलिये नहीं कि हमारी मांगे मान ली गई बल्कि इसलिये थमा कि अब बिना ही संघर्ष मांगें मान ली जावेंगी क्योंकि इस संघर्ष को हवा-पानी देने वाले, प्रेरणा प्रदान करने वाले पुलिस शहीदों की समाधियों पर आंसू डालने वाले पुलिस संघ को लेकर जेलों में जाने वाले सबके सब सरकार में विराजमान हैं। और जो उच्च पदों पर आसीन हैं। फिर किस बात का संघर्ष। मुझे कई दफा कर्मचारी साथियों ने पूछा आपको क्या हो गया है ? हमारे बारे में जबान नहीं खोलते। मैंने कई बहाने बनाये कि मैं दिल्ली में राजनारायणजी एवं जार्ज फर्नांडिस महोदय से मिलकर आया हूं। उन्होंने संघ के संबंध में आश्वासन दिया है।

फिर राजस्थान में भी हमारी अपनी सरकार बनी। फिर साथियों ने कहा, अब तो आपके साथ वाले सब ही राज में हैं बल्कि खास संघ समर्थक थे उनके पास होम विभाग है, फिर क्या बात है ? इस पर भी मैं खोखले आश्वासनों द्वारा संतोष कराता रहा कि प्रो. साहब बाहर गये हैं। विज्ञान मोदी मिले हैं। शेखावत साहब को स्मरण-पत्र भेज दिया है, आदि आदि

साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास था कि जो साथी वर्षों तक हमारे संघर्ष में साथ रह कर यातनायें झेलते रहे वो इतने जल्दी

हमारे दुखः-दर्दों को कैसे भूले होंगे। कल तक हमारे संघ को संविधान संगत बताने वाले लोकसभा एवं विधान सभाओं में संगठन की मान्यता की आवश्यकता पर जम-जम के बहस करने वाले हमारे दुःखों को विस्तार से प्रकाशित करने वाले भूल कैसे गये होंगे विश्वास नहीं हुआ, परन्तु हुआ मेरी आशा के विपरीत इस पर यह लोक उक्ति याद आ गई:–

"वो हंसा तो सरवर गया काग हुए प्रधान
चलो जाओ विप्र अपने घर सिंग किसका जजमान"

माने हंस जैसी वाणी बोलने वाले नेता काग निकले और इन वर्षों से पीड़ित पुलिस कर्मचारियों की मांगें अनदेखो कर गये। हम असहाय ब्राह्मण रूप शहीद सिपाहियों को कौन सुध ले दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के संघ के समर्थन में लोहियाजी एवं अटलजी के भाषण आज भी दिमाग में गूंज रहे हैं।

जैसे सन् 1969 में भरतपुर राजस्थान युवा जन सभा के अधिवेशन में जार्ज फर्नान्डिस मुख्य अतिथि के रूप में आसन पर थे कि मैंने संघ का प्रस्ताव रखा 24 घण्टे की बहस के बाद सर्व सम्मत पास हुआ। समापन समारोह पर श्री राजनारायण-जी पधारे। उन्होंने संघ को मान्यता के प्रस्ताव की तारीफ की। विज्ञान मोदी समारोह के संयोजक थे उस अधिवेशन में आज के कई एम. पी. व एम. एल. ए. साहबान उपस्थित थे। उन्होंने बड़े तड़पन भरे भाषण दिये। फिर क्या हो गया उस तड़पन को, इसलिये इस स्मरण-पत्र द्वारा राजस्थान एवं हिन्दुस्तान की जनता सरकार को याद दिलाते हुए राजस्थान के नॉन–गजेटेड पुलिस कर्मचारी साथियों को भी संगठित होकर आपके इस जन्मसिद्ध अधिकार को हासिल करने के लिये जाग उठे।

यह कटु सत्य है कि दमन विद्रोह का जन्मदाता है। इस पानी का महत्व समझ कर जनता वाले विचारे गौर करें।

संघ की तत्कालीन मांगें यह हैं:––

(1) मान मूल्यों को मद्देनजर रख कर कर्मचारियों से 8 घंटा ड्यूटी ली जाय उसके पश्चात् नियमानुसार ओवर टाइम दिया जाय, सरकारी छुट्टियों का लाभ दिया जाय।

(2) थानेदारों को रु. 90/– के बजाय 1000) रु. सालाना वर्दी अलाउन्स दिया जाय।

(3) नौकरी से मुक्ति पूर्व हिसाब दे दिया जाय।

(4) संघ को तत्काल मान्यता प्रदान करें।

(5) संघ के कार्यकर्ताओं को संघ के दोष से निकाले गये उन्हें संवेतन सर्विस पर लिया जाय।

(6) नॉन–गजटेडों के मेडिकल फण्ड तनख्वाह में फिक्स कराये जायें।

(7) कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी फायदा दें।

(8) कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी ठोस नियम बनाये जायें।

(9) कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस एक्ट एवं

रेगुलेशन में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय ।

दिनांक 12-8-78 केशरसिंह डोडिया
वंशीसिंह शेखावत मंत्री
उप–प्रधान मंत्री राज. नॉन-गजेटेड
राज. नॉन-पु. कर्मचारी संघ पु. कर्मचारी संघ

ह. वंशीसिंह शेखावत
ता. 12-8-78

प्रतिलिपि श्रीमान चीफ सैक्रेटरी साहब
राजस्थान सरकार, जयपुर
श्रीमान् गृह मंत्री साहब, राज. सरकार, जयपुर
श्रीमान् इन्सपैक्टर जनरल साहब पुलिस राज. जयपुर ।

राजस्थान नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ

प्रधान कार्यालय – 2 हैदर बिल्डिंग, सोजती गेट, जोधपुर (राज.)

दिनांक 28-9-78

सेवामें,

माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत,
मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर
कैम्प जोधपुर ।

विषय :– ज्ञापन

महोदयजी,

राजस्थान नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ सन् 1956 से राजस्थान नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारियों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में कार्यरत है । राज्य के कांग्रेसी हुकूमत ने गजेटेड पुलिस कर्मचारियों के संगठन को सरकारी मान्यता प्रदान करके अनुशासन के नाम पर राजस्थान नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ को सरकारी मान्यता नहीं देकर दमन का रास्ता अपनाया था । राजस्थान राज्य में संघ के कार्यकर्ताओं को राजकीय सेवा से मुक्त कर दिया गया, उनमें से बहुत से परलोक सिधार गये है और शेष आज ही बेरोजगार हैं ।

राजस्थान राज्य में नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारियों की तकलीफें बेशुमार हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सरकार के समक्ष अपनी जायज मांगें पेश करते रहे हैं लेकिन उन्हें दफ्तर दाखिल ही किया गया है ।

जनता पार्टी ने देश में पुनः लोकतन्त्र स्थापित किया है, भविष्य में तानाशाही नहीं पनपे उसके लिये वह वचनबद्ध है, अब कानून का राज है, कनून हमको अपना संघ बनाने की इजाजत देता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय एक रिपोर्टेड निर्णय है जिसका अनुवान निम्नलिखित है :–

डी. बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 252 सन् 1961
मदनलाल थानवी बनाम इन्सपैक्टर जनरल ऑफ पुलिस एवं राजस्थान सरकार ।

तारीख फैसला 5-10-1962, ए.आई.आर. 1963 राजस्थान पेज नम्बर 136.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद (धारा) 19-सी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मचारियों को भी अपना संघ बनाने के मौलिक अधिकार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है ।

(176)



लेकिन राजस्थान सरकार इस विषय में आज तक मौन ही रही है।

श्रीमान् आपने व आपके अन्य सहयोगियों ने लोक सभा एवं विधान सभा में हमारे संघ को सरकारी मान्यता दिलाने बाबत समय समय पर पुरजोर आवाजें उठाई हैं और आप हमारे दुःख दर्द में भी साथी रहे हैं और आपको हमारे दुःख दर्द का अनुभव भी है। एक कल्याणकारी राज्य के लिये प्रशासन, पुलिस व जनता के बीच में मधुर सम्बन्ध होना अनिवार्य है। कर्मचारियों की सामूहिक मांगें संगठन के माध्यम से ही सरकार के समक्ष पेश की जा सकती हैं, व्यक्तिगत रूप से यह कार्य सम्भव नहीं है, इसलिये ही संगठन की महत्वता है। आपका सहयोग हमें कर्तव्य व अधिकार की प्रेरणा देता है, हमारे आप मार्गदर्शक हैं, ऐसी स्थिति में तात्कालिक हमारी मांगे निम्नलिखित हैं:—

1. राजस्थान नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ को सरकारी मान्यता अविलम्ब प्रदान की जाय, इस विषय में आदेशानुसार खाना पूर्ति हम करने को तैयार हैं।

2. प्रत्येक पुलिस कर्मचारी से आठ घंटे ही ड्युटी ही ली जाय, आठ घन्टे से अधिक ड्युटी लेने पर उसे नियमानुसार अलग रूप से भत्ता दिया जाय एवं सरकारी छुट्टियों का लाभ दिया जाय।

3. सरकारी नौकरी से सेवामुक्त होने की तारीख के दिन ही कर्मचारी का पूरा हिसाब (पी. एफ. ग्रेच्युटी, पेन्शन) कर दिया जाय।

4. नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारियों से आश्वासन लिया जाय कि आया वे मेडिकल के बिल के हिसाब से रकम लेना चाहते हैं या फिक्स्ड मेडिकल एलाउन्स माहवारी वेतन के साथ ही लेना चाहते हैं। जो कर्मचारी फिक्स्ड मेडिकल एलाउन्स लेना चाहते उन्हें वेतन के साथ ही रुपये 50/– माहवारी फिक्स्ड मेडिकल एलाउन्स दिया जाय।

5. नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति संबन्धी ठोस नियम बनाये जायं एवं उनके बच्चों को पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी लाभ दिया जाय।

6. पुलिस कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एवं वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस एक्ट व रेगुलेशन में संशोधन किया जाय।

7. पुलिस थानेदारों को रु. 90) के बजाय रुपये 250) सालाना वर्दी एलाउन्स दिया जाय।

8. राजस्थान नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ से सम्बन्धित कार्यकर्त्ताओं को संघ का कार्य करने के कारण झूठे दोष लगाकर राज्य सेवा से निकाल दिया गया है, उनकी नौकरी को चालू रखते हुए सवेतन नौकरी पर लिया जाय।

9. पुलिस विभाग में मोटर या अन्य व्हिकल चलाने वाले ड्राइवरों को राज्य सरकार के गैरेज के ड्राइवरों को दिया जाने वाला वेतन व उनको समस्त सुविधाएं दी जायं।

अत: आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त लिखित मांगों को अविलम्ब स्वीकार करके हमें कृतार्थ करेंगे।

शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में।

भवदीय, कृपाकांक्षी,
ह. बंशीसिंह शेखावत
2 [illegible]-9-78
(बंशीसिंह शेखावत)
उप-प्रधान मंत्री,
राज. नॉन गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ।

(सूचना परिशिष्ट 'ब')

राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित सुविधाएं पुलिस कर्मचारियों को स्वीकार की गई है (यह सूचना जून, 77 के पश्चात् से है):—

| क्र.सं. | पद | पूर्व दर | बढ़ोतरी की दर | वर्तमान दर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ड्राइवरों के विशेष वेतन में वृद्धि। | 40/- प्रति माह | 30/- प्रति माह | 70/- प्रति माह | |
| 2. | मैस भत्ते में वृद्धि:— | | | | |
| | 1 पुलिस लाइन्स | 17/- " | 25/- " | 42/- " | |
| | 2 थाने व चौकियां | 10/- " | 25/- " | 35/- " | |
| | 3 आर.ए.सी. | 25/- " | 25/- " | 50/- " | |
| 3. | वर्दी रख-रखाव भत्ता (कांस्टेबल से सहायक उप-निरीक्षक तक) | .. | 10/- " | 10/- " | प्रथम बार अप्रेल, 78 से रु. 6/- मासिक दिया गया व जून, 79 में रु. 4/- बढ़ाये गये। |
| 4. | यूनिफार्म भत्ता:— | | | | |
| | 1 उप-निरीक्षक | 45/- प्रति वर्ष | 195/- प्रति वर्ष | 240/- प्रति वर्ष | |
| | 2. निरीक्षक | 45/- " | 195/- " | 240/- " | |
| | 3. उप-पुलिस अधीक्षक | 60/- " | 300/- " | 360/- " | |
| | 4. अपर पुलिस अधीक्षक | 80/- " | 280/- " | 360/- " | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | हार्ड ड्यूटी भत्ता | | | एक माह का वेतन व महंगाई भत्ता प्रति वर्ष 1 अप्रेल, 79 से प्रारंभ किया गया। | |
| 6. | ऊंट भत्ते में वृद्धि | 40/- | प्रति माह | 40/- प्रति माह | 80/- प्रति माह |
| 7 | स्थाई यात्रा भत्ता-- | | | | |
| | 1 कान्स्टेबल | 15/- | ,, | 5/- ,, | 20/- ,, |
| | 2. हैड कांस्टेबल | 25/- | ,, | 5/- ,, | 30/- ,, |
| 8 | आकस्मिक अवकाश में वृद्धि | 15 दिन प्रति वर्ष | | 10 दिन प्रति वर्ष | 25 दिन प्रति वर्ष |

उपरोक्त सुविधायें देने से राज्य सरकार पर 3.50 करोड़ वार्षिक का खर्चा बजट में बढ़ा है।

**राजस्थान अराजपत्रित (नॉन-गजेटेड) पुलिस कर्मचारी संघ का 25 सूत्रीय मांग-पत्र**

1. यह सम्मेलन सर्व प्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अनुसार संघ को अविलम्ब मान्यता देने की सरकार से माँग करता है।

2. कर्मचारियों को पेन्शन से पूर्व सारा हिसाब चुकता किया जावे।

3. कर्मचारियों की 8 घन्टे की ड्यूटी रखी जावे उसके पश्चात् उसे ओवर-टाइम दिया जाये।

(क) पुलिस कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाशों की एवज में नियमानुसार मिलने वाले आकस्मिक एवं उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त 2 माह का अतिरिक्त अवकाश अथवा अलग से दो माह का वेतन दिया जावे।

**नोट**:--राजपत्रित अवकाश में वर्ष के 53 रविवार सम्मिलित है।

4. समस्त पुलिस के डिसमिस्ड कर्मचारियों को जो डिसमिस्ड किये गये हैं उनको बहाल किया जावे व डिसमिस्ड समय का पूरा वेतन दिया जाये।

5. कर्मचारी के ड्यूटी समय में बीमार पड़ने पर अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर अगर वह अस्पताल में भर्ती होता है तो अस्पताल में भर्ती के दिनों को ड्यूटी में शुमार किया जाये तथा पूरे वेतन का भुगतान किया जाये।

6. बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाये।

7. पदोन्नति व ठोस नियम बनायें जायें, लॉ एवं ग्रेड में पास शुदा कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाये। प्रत्येक कर्मचारी को सेवाकाल में कम से कम 3 पदोन्नति अवश्य दी जाये तथा सभी पदों पर से सीधी भर्ती समाप्त की जाये ताकि आरक्षक से आई० जी० बन सके।

8. पुलिस एक्ट को तुरत समाप्त किया जाये। अनुशासन के नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार जो अन्य कर्मचारियों के लिये लागू होते हैं पुलिस फोर्स पर भी लागू किये जावें जिससे अनुशासन की यह दोहरी नीति समाप्त हो सके।

9. ए० एस० आई० को वर्दी अलाउन्स दिया जाये।

10. आपातकाल में निकाले गये कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जावे।

11. विशेष शाखा सी. आई. डी. तथा सी. बी. एवं ए. सी. डी. को विशेष वेतन दिया जाये तथा जो स्टाफ फील्ड में कार्य करता है उसको केन्द्र के समान सवारी भत्ता दिया जाये या सवारी का प्रबन्ध किया जावे जिससे तत्काल सूचना एकत्रित हो सके।

12. फिक्स हल्का अलाउन्स 15 रुपये से 50 रुपये दिये जावे।

13. मेस अलाउन्स 70 रुपये प्रति माह हर कर्मचारी को दिया जाये।

14. शिक्षा सत्र में किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जावे।

15. पुलिस कर्मचारियों के लिए पारिवारिक आवास की व्यवस्था की जावे।

16. आर. ए. सी. एक्ट को तुरन्त समाप्त किया जावे एवं मांग नम्बर 8 के अनुसार आर. ए. सी. में भी नियम लागू किये जावें।

17. घरेलू बेगार लेना तुरन्त समाप्त किया जावे। जो अधिकारी कर्मचारियों से घरेलू बेगार लेता है नोटिस में आवे उसकी तुरन्त कठोर कार्यवाही की जावे।

18. पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सिपाही की तरह सुविधा दी जावे जैसे लांगरी, नाई, धोबी इत्यादि।

19. प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 500 रुपये दिया जावे।

20. अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों का पोस्टिंग गृह जिला में ही किया जावे।

21. जी. आर. पी. के जवानों को रेलवे के समान फैमिली पास दिये जावें तथा होमगार्ड के साथ कम से कम 2 कर्मचारी साथ होने चाहियें। क्योंकि जब

180



कोई इन्सान रेल से कट जाता है तो उसके पास एक कर्मचारी का रहना कठिन हो जाता है। रात के समय में ट्रेन गार्ड को ड्यूटी से वापिस आने पर 24 घन्टे का रेस्ट मिलना चाहिये।

22. वायरलेस पुलिस में सीनियोरिटी से पदोन्नति का अवसर दिया जावे तथा विशेष वेतन दिया जावे तथा राणावत वेतन पाने योग्य के समय बद्ध कर दिया गया था उसे लागू किया जावे।

23. बैसवल फण्ड का हिसाब प्रकाशित किया जावे और सभी कर्मचारियों के बच्चों को 6ठी कक्षा से छात्रवृत्ति दी जावे।

24. स्पोर्ट में जो पैसे जमा करते हैं व जमा हैं उसका हिसाब प्रकाशित किया जावें।

25. आर्मी की तरह पुलिस के कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर सुविधा मिलनी चाहिये।

# परिशिष्ट 3

**समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर**

**ग्राम सेवा सहकारी समिति पचल कलां (कोटा) में गबन व अनियमितताएं**

72. श्री हरीश शर्मा (रामगजमंडी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति पचेल कलां (जिला कोटा) में भारी गबन और अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि इस समिति की जांच की कार्यवाही में जानबूझकर अधिकारियों द्वारा विलम्ब किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम सेवा सहकारी समिति पचेल कलां जिला कोटा में 95963.40 पैसे का गबन एवं दुरुपयोग समिति के ऑडिट वर्ष 76-77 में प्रकाश में आया है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 74 के तहत दिनांक 20-9-79 को कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) पांच माह के विलम्ब के संबंध में सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

**ग्राम सेवा सहकारी समिति ईन्टाली के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच**

73. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, इन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर के विरुद्ध किन-किन अनियमितताओं की जांच की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष को इस जांच में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर नहीं दिया गया और सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, उदयपुर ने बिना सुने फैसला करके अवैधानिक रूप से ब्याज व सरचार्ज वसूल करने के आदेश दे दिये ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैधानिक आदेश को रद्द करेगी और इस प्रकार के गलत आदेश देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ग्राम सहकारी समिति, इन्टाली ने अपने स्पष्टीकरण में 120) रु. बोरियों की कीमत और 81.78 रु. शक्कर बिक्री की राशि संबंधित शक्कर विक्रेता से वसूल करने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो यह राशि व इस पर ब्याज शक्कर विक्रेता से क्यों नहीं वसूल की गई और अध्यक्ष से यह राशि कैसे वसूल की गई ?

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

(5) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ग्राम सहकारी समिति ने अपने स्पष्टीकरण में 120) रु. व्यवस्थापक द्वारा लिये गये बताये थे और इसका इन्द्राज भी रोकड़ में था ? यदि हां, तो उक्त राशि व्यवस्थापक से क्यों नहीं वसूल की गई और अध्यक्ष इसके व इस पर ब्याज के भुगतान के लिये कैसे जिम्मेदार है ?

(6) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति ने सहकारिता मंत्री को अपनी अपील में यह निवेदन किया था कि सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 74 (2) के अन्तर्गत उससे धनराशि पर दण्डनीय व्याज और सरचार्ज में से एक ही राशि वसूल की जा सकती है ? यदि हां, तो अपील पर क्या निर्णय लिया गया ?

(7) क्या दिनांक 18 सितम्बर, 1968 को सहकारिता मंत्री महोदय ने पत्रावली पर टिप्पणी की कि आधा सरचार्ज माफ किया जाय ? यदि हां, तो क्या आधा सरचार्ज लौटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक लौटा दिया जायेगा ?

(8) अब तक आधा सरचार्ज नहीं लौटाने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

(9) क्या सरकार सरचार्ज को अवैधानिक मानती है ? यदि हां, तो 501) रु. का सरचार्ज व इस पर ब्याज की राशि क्या सरकार वापिस भूतपूर्व अध्यक्ष को लौटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इन्टाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. वर्ष 1964-65 से श्री-हीरालाल जगवा, भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा 5024.16 की अनियमितता (गबन एवं दुरुपयोग) किया जाना प्रकाश में आया है। विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्वयं श्री हीरालाल जगवा ने धारा 74 के अन्तर्गत जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में दिनांक 24-9-66 में आरोप स्वीकार करते हुए राशि जमा कराना स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्णय अवैधानिक नहीं है।

(3) जी नहीं। अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है।

(4) जी नहीं।

(5) इस संबंध में सहकारी विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(6) इस संबंध में तत्कालीन मंत्रीजी का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है।

(7) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(8 व 9) जी नहीं, कानूनी प्रावधानों के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हीरालाल जगवा, भूतपूर्व अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, इन्टाडी के विरुद्ध पाई गई अनियमितताओं की सूची

| क्र. सं. | राशि | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 202.38 | श्री जोरावर सदस्य से प्राप्त कर रोकड़ में जमा नहीं करना। |
| 2. | 120.00 | श्री शंभूलाल शर्मा व्यवस्थापक को बिना स्वीकृति वेतन चुकाना। |
| 3. | 81.78 | शक्कर की बिक्री राशि में से कम जमा कराना। |
| 4 | 4500.00 | अग्रिम राशि जमा नहीं कराना। |
| 5. | 120.00 | शक्कर की खाली बोरियों की बिक्री जमा नहीं कराना। |
| | 5024.16 | |

**खनिज विभाग द्वारा बून्दी जिले में सड़कों का निर्माण कार्य**

74. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में खान विभाग द्वारा 1977 से 1979 तक नई सड़कों का निर्माण कराया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क कहां-कहां से किस-किस सड़क को मिलाती है?

(2) क्या बूंदी जिले में खनिज विभाग द्वारा नई सड़कें बनाने की योजना है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें कब तक बनाने की योजना है?

उत्तर

(1) जी हां, खान विभाग द्वारा बूंदी जिले के इस अवधि में 6 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें निम्न 4 सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है:—

1. करोंदी से धनेश्वर
2. धनेश्वर से डाबी
3. डाबी से बुधपुरा
4. डाबी से लाम्बा खोहा

इन चारों सड़कों के निर्माण से बुधपुरा व लाम्बा खोह क्षेत्र की खानों का कोटा से (कोटा डैम की सड़क द्वारा) संपर्क हो जायेगा।

निम्न दो स्वीकृत सड़कों पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ होने वाला है:—

1. बुधपुरा से नला का माताजी
2. लाम्बा खोहा से गुडा

इन सड़कों के निर्माण से उक्त दोनों खनन क्षेत्रों का बिजोलिया से व चित्तौड़-बूंदी सड़कों से सम्पर्क हो जायेगा।

(2) सड़क निर्माण कार्य लगातार चलने वाला कार्य है और प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार नवीन सड़कें निर्माण हेतु ली जाती हैं।

**भरतपुर से स्थानांतरित तृतीय वेतन श्रृंखला की अध्यापिकाओं की बकाया**

75. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या** शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1978 में उप-जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), भरतपुर के अधीनस्थ कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला की कितनी अध्यापिकायें ऐसी हैं जिनका कि स्थानान्तरण किन्हीं अन्य जिले में हो गया, मगर जिस तारीख तक उन्होंने उपरोक्त अधिकारी के अधीन कार्य किया उनका वेतन उस रोज तक का जो कि वहां से ही मिलना था नहीं मिला? सूची मय वेतन व अन्य किसी प्रकार का भुगतान यदि बकाया हो तो दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की को कृपा करें व उक्त भुगतान संबंधित कर्मचारी को कब तक कर दिया जायेगा निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त श्रेणी की अध्यापिकाओं की सेवा पुस्तिकायें अभी तक संबंधित कार्यालय में नहीं भिजवाई गई हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

**उत्तर**

(1) सूची संलग्न है।

किसी भी अध्यापिका की राशि अवशेष नहीं है।

(2) जी नहीं।

---

**सन 78-79 में जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा), भरतपुर के कार्यालय से बाहर जिले से हुये अध्यापिकाओं के स्थानान्तर की सूची**

| क्र.सं. | नाम अध्यापिका | कार्यरत तिथि | अन्तिम भुगतान तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती बीनाकुमारी भट्ट | 6-9-78 | 31-8-78 |
| 2 | श्रीमती वीना जैन | 13-10-78 | 30-9-78 |
| 3 | श्रीमती अवतार कौर | 17-2-79 | 28-2-79 |
| 4 | श्रीमती कृष्णा कुमारी | 29-8-78 | अवकाश |
| 5. | श्रीमती वीना शर्मा | 13-10-78 | 31-10-78 |
| 6. | श्रीमती शान्ती माथुर | 8-8-78 | 31-7-78 |
| 7 | श्रीमती सन्तोष पारासर | 24-7-78 | 31-7-78 |
| 8. | श्रीमती फूल कुमारी | 16-1-79 | 31-12-78 |
| 9. | श्रीमती मंजुला कुमारी | 9-12-78 | 30-11-78 |
| 10. | श्रीमती अन्जुला कुमारी | 9-11-78 | 31-10-78 |

### कपासन में कॉलेज खोलने का मामला

76. श्रीमती श्यामा कुमारी सँगर (कपासन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कपासन नगर के नगरवासियों ने कॉलेज खुलवाने हेतु कई बार भूख हड़ताल भी की है और कई दरख्वास्तें भी दी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वहाँ कॉलेज में पढ़ने वालों की संख्या काफी है जिन्हें हमेशा चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है?

(3) क्या यह भी सही है कि वहां पहले एस. टी. सी. के खुलवाने हेतु एक बिल्डिंग बनी बनाई तैयार है उसमें भी कॉलेज चल सकता है?

(4) कॉलेज खुलवाने की क्या नीति है जिसके पूरे होने पर कॉलेज निश्चित रूप से सरकार द्वारा खोला जाता है? कपासन के इस नीति में नहीं आने के क्या-क्या कारण हैं?

#### उत्तर

(1) कपासन नगर में कॉलेज खोलने की मांग अवश्य प्राप्त हुई है। भूख-हड़ताल के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) महाविद्यालयों में ऐसी कोई अधिकारिक सूचना एकत्रित नहीं की जाती अत: यह बताना संभव नहीं है।

(3) अभी इसका परीक्षण नहीं कराया गया है।

(4) फिलहाल राज्य सरकार कोई नये महाविद्यालय नहीं खोल रही है। अत: नीति निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

### राज्य में निलम्बित किये गये सरपंच

77. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायतों के चुनावों के बाद से आज तक कब-कब किन-किन सरपंचों को निलंबित किया गया? सूची ग्राम वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर सरपंचों को राजनैतिक द्वेषता के कारण एवं आगामी प्रधान के चुनावों में विरोधी दल को कमजोर करने की नियत से ऐसा किया जा रहा है?

(3) इस प्रकार किये गये निलम्बन के कितने आदेश हाई कोर्ट द्वारा स्टे किये गये?

(4) निलंबन को कितने समय तक चालू रखा जा सकता है?

#### उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सरपंचों को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के आधार पर नियमानुसार निलंबित किया गया है?

(3) 6 मामलों में हाई कोर्ट द्वारा निलम्बन आदेश को स्टे किया है।

(4) सामान्यतया फाइनल जांच के परिणाम के बाद ही निर्णय किया जाता है।

186



## निलम्बित किये गये सरपंचों की सूची

| क्र. सं. 1 | नाम सरपंच 2 | नाम पंचायत 3 | जिला 4 | निलम्बन का दिनांक 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री गोरधनसिंह | सेथूरिया | भीलवाड़ा | 7-9-79 |
| 2. | ,, कन्हैयालाल | मालकाखेडा | भीलवाड़ा | 17-9-79 |
| 3. | ,, हट्टीलाल | घट्टी | कोटा | 22-2-79 |
| 4. | ,, लक्ष्मीनारायण | मांदलिया | कोटा | 12-7-79 |
| 5. | ,, मन्नूसिंह | अखैगढ़ | भरतपुर | 11-11-78 |
| 6. | ,, श्रीराम | सिहोली | भरतपुर | 3-1-79 |
| 7. | ,, मनोहरसिंह | बोलुआ | भरतपुर | 2-8-79 |
| 8. | ,, रामचन्द्र उप-सरपंच | चैढाई | जोधपुर | 12-12-78 |
| 9. | ,, लछाराम | रियां | जोधपुर | 10-1-79 |
| 10. | ,, मांगूराम चौधरी | सूतौडा | जोधपुर | 28-2-79 |
| 11. | ,, लादूराम | तिलवासनी | जोधपुर | 23-3-79 |
| 12. | ,, हरिराम | दादिया | अजमेर | 12-1-79 |
| 13. | ,, हरिश्चन्द्र | पींगलोद | अजमेर | 15-9-79 |
| 14. | ,, रामलाल | सिगवाल | अजमेर | 14-9-79 |
| 15. | ,, भूरालाल | कपोल | उदयपुर | 16-4-79 |
| 16. | ,, हीरा | गींगला | उदयपुर | 7-7-78 |
| 17. | ,, मोतीराम | खीवसर | चूरू | 26-5-79 |
| 18. | ,, श्रीलालजी | हथाई | डूंगरपुर | 1-8-78 |
| 19. | ,, खेडूराम | महापुरा | जयपुर | 21-7-78 |
| 20. | ,, रामगोपाल | कालीपहाड़ी | जयपुर | 22-9-78 (बहाल 5-1-79) |
| 21. | ,, रघुवीरसिंह उप-सरपंच | नारंगपुरा | जयपुर | 30-7-79 |
| 22. | ,, पन्नेसिंह उप-सरपंच | सेवा | जयपुर | 17-8-79 (बहाल 21-9-79) |
| 23. | ,, गोरधनलाल | होदापली | जयपुर | 4-9-79 |
| 24. | ,, प्रभातीलाल | नागलदोजू | जयपुर | 7-9-79 |
| 25. | ,, रामेश्वर प्रसाद | आमलोदा | जयपुर | 21-9-79 |
| 26. | ,, रामकिशोर | रायपुरा जागीर | सीकर | 14-12-78 (न्यायालय से स्टे). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 27. | श्री श्यामलाल | ढाल्यावास | सीकर | 6-2-79 (बहाल 17-2-79) |
| 28. | ,, रामगोपाल | बाढोड | सीकर | 24-5-79 |
| 29. | ,, गौरीशंकर | सोरवाडा | झुंझनू | 1-5-79 |
| 30. | ,, तीरखाराम | भीर | झुंझनू | 23-8-79 |
| 31. | ,, रूपनारायण | करमंडा | टोंक | 27-8-79 |
| 32. | ,, जगन्नाथ मोरलिया | देवली | टोंक | 30-8-79 |
| 33. | ,, मोतीलाल | कचरावाला | टोंक | 15-9-79 |
| 34. | ,, भंवरलाल | रानी खुर्द | पाली | 22-8-79 |
| 35. | ,, गंगाधर | गुणचन्द्रजी | सवाईमाधोपुर | 17-2-79 |
| 36. | ,, रामसहाय | छोटीउदई | सवाईमाधोपुर | 10-7-79 |
| 37. | ,, गरीबा | डावरा | सवाईमाधोपुर | 4-8-79 |
| 38. | ,, धर्माराम | आवल | सिरोही | 15-1-79 |

**निलंबन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने पर स्थगन आदेश दिया गया उसका विवरण**

| क्र. सं. | नाम सरपंच | नाम पंचायत | जिला | रिट याचिका संख्या | स्थगन आदेश का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री मनोहरसिंह | श्रेलुआ | भरतपुर | 7 (2) 79 | 22-8-79 |
| 2. | ,, मूरालाल | कसोल | उदयपुर | 795/79 | 13-6-79 |
| 3. | ,, रामकिशोर | रामपुर जागीर | सीकर | 16/79 | 28-3-79 |
| 4. | ,, रामगोपाल | बाठोड | सीकर | 496/79 | 27-6-79 |
| 5. | ,, लालजी | हयाई | डूंगरपुर | 5/3/78 | 22-11-74 |
| 6. | ,, हीरा | गीगला | उदयपुर | 456/78 | 4-8-78 |

**राज्य में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि**

78. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में 1 अप्रेल, 1977 को दर्ज बेरोजगारों की संख्या में 1 सितम्बर, 1979 तक भारी वृद्धि हुई है ? तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण रहे हैं ?

(3) सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बेरोजगार अर्थात शिक्षित और अशिक्षित व तकनीकी ज्ञान प्राप्त बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटाने के क्या प्रयास किये गये और क्या प्रयास किये जा रहे है ?

(4) क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता देना उचित समझती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। वृद्धि हुई है। राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आकड़ों के अनुसार दिनांक 1 अप्रेल, 1977 को 2,60,612 एवं 1 सितम्बर, 1979 को 3,37,931 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे।

(2) अधिकतर भर्ती नियोजन कार्यालयों के माध्यम के होने के कारण अधिक से अधिक बेरोजगार व्यक्ति नियोजन कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करवाने के कारण इस संख्या में वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(3) यह प्रश्न इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

(4) जी नहीं।

**न्यायालय खोलने का मापदण्ड**

79. श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर (पिड़ावा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नये न्यायालय स्थापित करने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(2) राज्य सरकार किन-किन स्थानों पर निकट भविष्य में न्यायालय स्थापित करने का इरादा रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या पिड़ावा जिला झालावाड़ में मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक उक्त कोर्ट की स्थापना कर दी जावेगी ?

**उत्तर**

(1) न्यायालय स्थापित करते समय उस क्षेत्र में उत्पन्न विवादों की संख्या, न्यायालय भवन, लोकअप व आवासीय सुविधायें स्थान की दूरी को ध्यान में रखा जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के

( विधि मंत्री )

मुताबिक परामर्श कर नये न्यायालय स्थापित किये जाते हैं। सामान्यत: किसी क्षेत्र में 500 से अधिक प्रकरण होने पर ही न्यायालय खोलने पर विचार किया जाता है।

(2) नये न्यायालय खोलने का मामला विचाराधीन है। सप्तम वित्त आयोग की राशि प्राप्त होने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा। राशि उपलब्ध होने पर उसके अनुपात में न्यायालयों की संख्या व स्थान निर्धारित किये जायेंगे।

(3) पिड़ावा जिला झालावाड़ में न्यायालय स्थापित करने के लिये राजस्थान उच्च न्यायालय से जानकारी की। उस क्षेत्र से पिछले तीन सालों का औसत दायरा करीब 74 मुकदमें होने से उच्च न्यायालय ने वहां नया न्यायालय स्थापित करने का औचित्य नहीं माना। ऐसी हालत में मुकदमों की तादाद को ध्यान में रखते हुए पिड़ावा में नया न्यायालय स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

## गांवों में चिकित्सा सुविधायें

80. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य में अनेकों ऐसे ग्राम हैं जहां कि आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ ऐलोपैथिक चिकित्सा सेवायें भी विद्यमान है? यदि हां, तो कृपया जिलेवार ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार दूर दराज गांवों में चिकित्सा सेवाओं की प्रसार के लिये यह आवश्यक नहीं समझती है कि जिन गावों में दोनों प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध है उनमें से एक चिकित्सा सुविधा अन्य गांवों में स्थानान्तरित कर दी जावे?

(3) यदि हां, तो चिकित्सा सेवाओं का यह स्थानान्तरण कब तक संभव है? यदि नहीं तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां, जिलेवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य सरकार इससे सहमत है कि अधिक से अधिक ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जावे, किन्तु जहां एलोपैथिक एवं देशी चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक) दोनों के ही औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं वहां से एक पद्धति के औषधालय चिकित्सालय हटाकर अन्यत्र स्थान पर खोलने की वर्तमान में राज्य सरकार की नीति नहीं है।

(3) जनता सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं में आस्था रखती है इसलिये हटाना उचित नहीं होगा। कुछ स्थानों पर भवन राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु बनाये गये हैं तथा अनेकों स्थानों पर ग्रामवासियों द्वारा भवन का निर्माण करा कर भवन राज्य सरकार को दान स्वरूप इस कार्य हेतु दिये गये हैं। चिकित्सा सुविधा हटाने पर वर्तमान में निर्मित भवनों का कोई उपयोग नहीं होगा तथा नये स्थान पर भवन निर्माण हेतु व्यय करना पड़ेगा।

(190)



**उन ग्रामों की सूची यहां पर ऐलोपेथिक एवं देशी चिकित्सा पद्धति (दोनों की) की राजकीय चिकित्सा संस्थाएं संचालित है**

क्र. सं. नाम ग्राम

जिला अजमेर :

1. घटियाली
2. फतेगढ़
3. बघेल
4. राजगढ़
5. बाघसूरी
6. बाजटा
7 सांवर
8. बघेरा
9. बांदनवाडा
10. कुचील
11. पारा
12. प्रन्हिडा
13. बोराडा
14. देवलिया कलां
15. सिलोरा
16. श्रीनगर
17. रूपनगढ़
18. मिनाय

जिला बांसवाडा :

1 अरथुनिया
2. मोखमपुरा
3. सज्जनगढ़
4. सरेरी
5. सिल्लोपाट
6. दानपुर
7. भूगड़ा
8. धान्दरवाड़ा

क्र. सं. नाम ग्राम

9. बोरी
10. पीपलखूट
11. ताम्देसरा
12. कसारवाडी
13. भूखिया
14 छोटी सरवन
15. तलवाडा
16. खेडा
17. खोडन
18. देलवाडा

जिला भरतपुर:

1. उच्चेन
2 रुदावन
3. बांक्षी
4. पपरेडा
5. सिनसिनी
6. जनुथर
7. पिमोरा
8. पेलक
9. अवार
10. रणधीरगढ़
11. सरसेना
12. बाघरेन
13. थून
14. जगीना
15. थानुआ
16. जुरहेरा
17 सेवर

| क्र.सं. | नाम ग्राम |
|---|---|
| 18. | रूपवास |
| 19. | सरमथुरा |
| 20. | भरेना |
| 21. | चिलाचोन्द |
| 22. | बसेड़ी |
| 23. | बसईनबाब |
| 24. | राधाखेडा |

**जिला कोटा :**

| क्र.सं. | नाम ग्राम |
|---|---|
| 1. | कोयला |
| 2. | हरनावर |
| 3. | अरडखेडा |
| 4. | सुन्दलक |
| 5. | कवई |
| 6. | नाहरगढ़ |
| 7. | कुन्जेड |
| 8. | जुल्मी |
| 9. | बम्बोरी कलां |
| 10. | केथून |
| 11. | मन्डावरा |
| 12. | जेपला |
| 13. | मोडक |
| 14. | बडगांव |
| 15. | रेलावन |
| 16. | अथाना |
| 17. | खंजूरी |
| 18. | सावन भादो |

**जिला जयपुर :**

| क्र.सं. | नाम ग्राम |
|---|---|
| 1. | सामोद |
| 2. | मेसलाना |
| 3. | गोविन्दगढ़ |
| 4. | खेजरोली |
| 5. | भवरोल |
| 6. | दूदू |
| 7. | मनोहरपुर |
| 8. | बनेठी |
| 9. | बगर कलां |
| 10. | गीजगढ़ |
| 11. | लवान |
| 12. | रामगढ़ पचवारा |
| 13. | माधोराजपुरा |
| 14. | बांसकी |
| 15. | मरवा |
| 16. | जयसिंहपुरा खोर |
| 17. | हस्तेडा |
| 18. | सेंथल |
| 19. | दौतिल |
| 20. | बिलान्दपुर |
| 21. | राडूवास |
| 22. | कोटखावदा |
| 23. | किशनगढ़-रेनवाल |
| 24. | मानपुरा |
| 25. | बस्सी |
| 26. | मानपुर कलां |
| 27. | सिरसी |
| 28. | मान्डारेन |
| 29. | बराकना |
| 30. | कालखान |
| 31. | कलवाडा |
| 32. | ठोरियावास |
| 33. | बिशनगढ़ |
| 34. | रायथल |
| 35. | नीदल |
| 36. | दौलतपुरा |
| 37. | गोपालपुरा |
| 38. | घूलारावजी |
| 39. | आमानेरी |

क्र.सं. नाम ग्राम

40. लोटवाठा
41. हिंगोटा
42. ओरडा
43. चान्दराना
44. किशनमानपुर
45. अनन्तपुरा
46. चीथवाड़ी
47. आसलपुर
48. हिंगोदा
49. उगरियावास
50. साबरदा
51. हरसोली
52. तालून
53. मलिकपुर

जिला बीकानेर:

1. नौरंगदेसर
2. पुंगल
3. जसरासर
4. बज्जू
5. महाजन
6. खाजूवाला

जिला भीलवाड़ा:

1. धुवाना
2. धामनिया
3. बरडोद
4. माण्डल
5. बिजोलिया
6. पन्हेर
7. वन्डो
8. गुलाबपुरा
9. रोणी

क्र.सं. नाम ग्राम

10. आगुचा
11. बेमाली
12. वल्दनी
13. सुहाना
14. पोटला
15. पीपलुन्द
16 कन्छन कलां
17. रूपाहेली कलां
18. कुलिया कलां
19. कोटरी
20. काछोला
21. हमीरगढ़
22. रायला
23. जहाजपुर
24. मन्दराय
25. लाडपुरा
26. महेन्द्रगढ़

जिला पाली :

1. पाचनवाड़ा
2. धणा
3. देवली कलां
4. बाबरा
5. गिरी
6. जैतारण
7. बगड़ीनगर
8. सोजत रोड
9. आनन्दपुर कालू
10. नारलाई
11. रास
12. सेवाड़ी
13. खारची
14. रोहट

क्र.सं. नाम ग्राम

जिला सीकर

1. लोसल
2. रींगस
3. नेनवा
4. शिशु
5. दांतारामगढ़
6. सागलवा
7. ढाढण
8. बेसवा
9. कटरायल
10. बांसड
11. बाय
12. जाजोर
13. दांता
14. दूध वालों का वास

जिला सिरोही

1. जायल
2. देलदर
3. सरूपगंज
4. रेवदर

जिला उदयपुर

1. लसाडिया
2. सराड़ा
3. कांकरोली
4. सरदारगढ़
5. पारसोला
6. फतेहनगर
7. उत्तरदा
8. झालों की मदार
9. मोही
10. मिलूण्ड
11. क्वांरिया

क्र.सं. नाम ग्राम

12. नन्देरामा
13. कुम्भांथल
14. खेमारी
15. पई
16 बम्बोरा
17. पलासिया
18. देवर
19. कुरज
20. मावली
21. आमेर
22. देवगढ़
23. खमनोट
24. रेलमगरा
25. कावल
26. देलवाड़ा
27. रिखवदेवजी
28. सायरा
29. मावलों का पोल
30. नारायणपुरा
31. बड़गांव

जिला जैसलमेर

1. रामगढ़
2. मोहनगढ़
3. बनियाना
4. फलसुन्ड
5. पोकरण
6. सांगड
7. नाचना
8. नोख
9. रामदेवरा

जिला बून्दी

1. जजावर
2. आसींद

**क्र.सं. नाम ग्राम**

3. करबर
4. बड़ाखेड़
5. बरूंधन
6. नामाना
7. अरनेठा
8. तलवास
9. उमर

### राज्य के होम्योपैथिक कालेज

81. श्री रामेश्वरलाल यादव (चौमू): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ-कहाँ चल रहे हैं तथा किस-किस कॉलेज में कौनसी कक्षाओं में कितने-कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष होने वाली परीक्षाएं गत अप्रेल, 1979 में बोर्ड द्वारा ली गई थीं तथा अब तक उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो परिणाम में देरी का क्या कारण है व इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या इन कॉलेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों की अग्रिम परीक्षायें निकट भविष्य में होने वाली हैं? अगर हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या राज्य सरकार प्रान्त में चल रहे होम्योपैथिक कॉलेजों को अपने अधीन लेने का इरादा रखती है? अगर हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड के मान्यता प्राप्त दो होम्योपैथिक कॉलेज जयपुर व भरतपुर में चल रहे हैं। तीसरा युवराज प्रतापसिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अलवर को अस्थायी मान्यता देने का निर्णय ले लिया गया है। कॉलेज व कक्षावार छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :–

1. राजस्थान होम्योपैथिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर:–

| | |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 91 छात्र |
| द्वितीय वर्ष | 111 छात्र |
| तृतीय वर्ष | 64 छात्र |
| चतुर्थ वर्ष | 25 छात्र |
| योग .. | 291 छात्र |

2. भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, भरतपुर:–

| | |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 49 छात्र |
| द्वितीय वर्ष | 48 छात्र |
| तृतीय वर्ष | 2 छात्र |
| चतुर्थ वर्ष | 2 छात्र |
| योग .. | 101 छात्र |

3. युवराज होम्योपैथिक कालेज, अलवर

| | |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 54 छात्र |

(2) जी नहीं। परिणाम 14-9-79 को घोषित किया जा चुका है। मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने व प्रशासक की नियुक्ति में समय लगने के कारण परिणाम घोषित करने मे देरी हुई है जिसके लिये कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है।

(3) सत्र 1978-79 की परीक्षायें दिनांक 9 अक्टूबर, 1979 से आयोजित की जा रही है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(4) राजस्थान होम्योपैथिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर जो राज्याधीन लिये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

## पंचायतों का पुनर्गठन

82. श्री एच. एन. शर्मा (बेंगू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनावों के पूर्व क्या राज्य सरकार पंचायतों के पुनर्गठन का विचार रखती है? अगर हां, तो इस बारे में राज्य सरकार ने जिलाधीशों को क्या आदेश दिये हैं?

(2) क्या जिलाधीशों द्वारा उप-खण्ड अधिकारियों अथवा विकास अधिकारियों को पंचायतों के पुनर्गठन हेतु आदेश दिये हैं? अगर हां, तो अब तक कार्यवाही किस स्तर पर है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

## राज्य में साम्प्रदायिक झगड़े

83. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1978-79 में कहाँ-कहां साम्प्रदायिक झगड़े हुए?

(2) रोल ग्राम नागौर में किन कारणों से साम्प्रदायिक झगड़े हुए? झगड़े में कितने व्यक्तियों की मृत्यु किन-किन तरीकों से और किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब-कब हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 में ग्राम रोल, जिला नागौर मे साम्प्रदायिक झगड़े हुए हैं।

(2) रोल ग्राम में पीरजी की दरगाह स्थित चबूतरों पर दीवार तामीर करने, श्रीनिवास कू द्वारा पीरजी का मेला मैदान को स्वयं का बताकर कब्जा करने के प्रयास कब्रिस्तान का क्षेत्र अनधिकृत बढ़ाने एवं छीपों की मस्जिद के पास स्थित चबूतरे पर मृतनाजे के कारण दोनों सम्प्रदायों में तनाव बढ़ जाने से यह साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न हुआ। झगड़े में दो व्यक्तियों की दिनांक 21-4-79 को पुलिस की गोली से मृत्यु हुई तथा दिनांक 22-4-79 को शबीर काजी की कालूराम ब्राह्मण, भूराराम जाट, बजरंगदास साद, रामप्रसाद जाट, अछिया ब्राह्मण, गंवरिया जाट, मांगीलाल ब्राह्मण, शंकर लाल इनाणी, पूनाराम व राधिया जाट द्वारा मारपीट के कारण मृत्यु हुई।

## फलासिया क्षेत्र में नये खोले गये विद्यालय

84. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फलासिया क्षेत्र में कितने नये स्कूल खोले गये हैं?

(2) क्या नये स्कूलों में पूरा स्टाफ पहुंच चुका है या नियुक्ति की जा चुकी है?

(श्री लालूदास)

(3) अगर वहां पर पूरा स्टाफ नहीं पहुंचा है या नियुक्ति नहीं की गई है तो क्यों ? अब कब तक वहां पर अध्यापक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) उफलासिया क्षेत्र में 8 प्राथमिक, एक उच्च प्राथमिक एवम् एक माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं।

(2) नये स्कूल खोलने के आदेश इस माह के अंतिम सप्ताह में ही जारी हुए हैं।

(3) अक्टूबर माह में स्वीकृत पदों को भरने का प्रयास किया जायेगा।

राज्य के संपूर्ण बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

85. श्री आलम अली खां (फतेहपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार बस मार्गों का राज्य में पूर्ण रूपेण राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में है ? यदि हां, तो कब तक व कैसे ?

(2) क्या बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इससे राज्य सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं ?

(3) राज्य सरकार को बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण से लाभ है अथवा हानि ? गत वर्ष (1978-79) के लाभ हानि के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली बसों से जनता को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बसों की संख्या में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां, कितनी-कितनी ?

(5) यदि राज्य सरकार जनता की सुविधा हेतु पर्याप्त मात्रा में बसें उपलब्ध न करा सके तो राज्य सरकार का अन्य विकल्प क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की राज्य में यात्री परिवहन सेवाओं के उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण करने की नीति है।

(2) यात्री परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य जनता को कुशल, पर्याप्त, आर्थिक रूप से लाभकारी एवं उचित रूप से समन्वित यात्री परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(3) निगम को वर्ष 78-79 में 159.66 लाख रुपये की हानि हुई थी।

(4) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन सेवाओं में पर्याप्त सुविधाओं की कमियों में सुधार का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है। इस वर्ष विभिन्न राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 240 बसें और बढ़ाने का प्रस्ताव है। कहां-कहां बढ़ायी जावेगी, इसका कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

(5) निगम द्वारा वर्ष में दो बार राष्ट्रीयकृत मार्गों का सर्वे कराया जाकर यात्री भार के उपलब्धता के आधार पर बस सेवा में वृद्धि की जाती है।

**कुशलगढ़ क्षेत्र के विकास की योजना**

86. श्री जीथिंग भाई (कुशलगढ़) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या आयोजना विभाग ने कुशलगढ़ क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु योजना बनाई है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग से संबंधित क्या योजना तैयार की गई है ? प्रत्येक योजना में कितनी-कितनी धनराशि का प्रावधान है और कब-कब से कौन-कौनसी योजना आरम्भ होने जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। कुशलगढ़ विकास खण्ड को वर्ष 78-79 से प्रारम्भ एकीकृत ग्रामीण विकास योजना हेतु चयनित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिये इस योजनान्तर्गत इस विकास खण्ड में 500 लाख रुपये अनुदान एवं 19.00 लाख रुपये ऋण का प्रावधान है। विभागवार योजनाओं का ब्यौरा संलग्न है। इन सभी कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

PROPOSALS FOR KUSHALGARH BLOCK, DISTT. BANSWARA APPROVED BY THE GOVERNMENT FOR THE YEAR 1979—80

| Scheme/Sector | Physical Targets (Total Tar.)<br>Antyodaya | Total Financial Requirement (Total Fin. Reg.<br>Sub. Comp |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ANIMAL HUSBANDRY : | | |
| 1.1 Buffaloes/Milch Cattle Unit | 40 (40) | 1.20 (1.20) |
| 2. MINOR IRRIGATION : | | |
| 2.1 Wells | 24 (10) | 1.20 (0.60) |
| 2.2 Pumpsets/Tube-wells | 48 | 2.40 (1.20) |
| 2.3 Anicut | 5 | 4.60 (2.30) |
| 3. RURAL ARTISANS : TRAINING AND SUBSIDY | | |
| 3.1 Training & Subsidy for Rural Artisans | 30 | 0.60 (0.30) |
| GRAND TOTAL .. | (60) | 10.00 Subsidy (5.00) Maximum |

Note:— (1) Figures in brackets in column No. 2 relate to Antyodaya Families.
(2) Figures in brackets in column No. 3 relate to **Subsidy Component.**

**राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रेस की खरीद**

87. श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान स्टेट रोडवेज ने अपने टिकटों की छपाई के लिए एक प्रेस बाहर से मंगवाई है ? यदि हां, तो यह मशीन बाहर से कब आई व कितने रुपयों की लागत से आई ?

(2) क्या यह मशीन अभी तक चालू नहीं हुई है ? यदि हुई, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस मशीन को चलाने के लिये स्टाफ आदि भी रखा है ? उनकी माहवार तनख्वाह क्या खर्च होती है व मकान किसका है ? यदि किराए का मकान है, तो क्या किराया खर्च होता है ?

(4) इस मशीन के लगने से स्टेट रोडवेज को कितनी बचत होगी ? अब तक कितनी बचत हुई ? पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रेस दिनांक 16-1-78 को प्राप्त हुई थी, जो शेन्बोन लिमिटेड लन्दन से 22,71,849 रुपयों में खरीदी गई थी।

(2) जी नहीं। यह प्रेस मशीन दिनांक 27-3-79 से चालू हो गई है।

(3) प्रेस मशीन को चलाने वाले स्टाफ पर प्रति माह लगभग 6500.00 रुपया वेतन पर व्यय होता है। मशीन निगम द्वारा निर्मित स्वयं के भवन में स्थापित है।

(4) इस मशीन का संचालन दिनांक 27-3-79 से ही आरंभ हुआ है। अतः मशीन लगाने के फलस्वरूप राज्य परिवहन निगम को होने वाली बचत का ब्यौरा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही संभव होगा। निगम की स्वयं मशीन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि टिकिट, जो मुद्रा के रूप में है, की छपाई में पूर्ण सुरक्षा रहे।

**थाना जसवन्तगढ़, जिला नागौर में पैन्डिंग मामला**

88. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सी. आर. नं. 10, दिनांक 20-3-78 थाना जसवन्तगढ़, जिला नागौर सी. आई. डी. क्राइम, राजस्थान, जयपुर में जांच के लिये पड़ी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मामले में पूर्व में भी कई बार जांच हो चुकी और चालान के लायक पाकर सारे अधिकारी और एस. पी., नागौर ने चालान का आदेश दे दिया था ? यदि हां, तो कब और चालान क्यों नहीं पेश हुआ ?

(3) अब इस मामले में चालान कब तक पेश कर दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां। दिनांक 12-6-79 से इस मुकदमे का अनुसंधान अपराध शाखा

(200)



(गृह मंत्री)

द्वारा लिया गया है। अभी अनुसंधान जारी है।

(2) यह सही नहीं है कि मुकदमें में बार-बार अनुसंधान किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण होने पर वृत्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24-4-78 को चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। मुलजिम की प्रार्थना पर अपराध शाखा द्वारा अनुसंधान पत्रावली का परीक्षण करने के उपरांत अनुसंधान में महत्वपूर्ण त्रुटियां पाई जाने पर तफतीश सम्पूर्ण करने के आदेश दिये गये। जिला पुलिस द्वारा अनुसंधान में संतोषजनक प्रगति न करने के कारण अभियोग की तफतीश अपराध शाखा में स्थानान्तरित की गई। अनुसंधान पूर्ण न होने के कारण चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

(3) अनुसंधान पूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा।

---

# परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 64 का विवरण)

विशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. विशनपुरा

परिशिष्ट क्रमांक 'अ'

श्री हजारीसिंह को दिए गए ऋण का विवरण

| क्रमांक | दिनांक | राशि | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7-7-66 | 320 | अल्पकालीन ऋण | |
| 2. | 20-1-71 | 500 | ,, ,, | |
| 3. | 23-6-71 | 1100 | ,, ,, | |
| 4. | 4-7-72 | 700 | ,, ,, | |
| 5. | 5-7-72 | 240 | ,, ,, | |
| 6. | 22-5-73 | 700 | म. का. परिवर्तित | |
| 7. | 11-8-73 | 900 | अल्पकालीन | |
| 8. | 2-12-73 | 300 | ,, | |
| 9. | 25-7-74 | 2700 | ,, | |
| 10. | 27-12-74 | 200 | ,, | |
| 11. | 26-6-75 | 2599.60 | म. का. परिवर्तित | |
| 12. | 1-8-75 | 1300 | अल्पकालीन | |
| 13. | 17-9-75 | 600 | ,, | |
| 14. | 24-11-75 | 1100 | ,, | |
| 15. | 15-12-75 | 100 | ,, | |
| 16. | 18-6-76 | 1300 | म. का. परिवर्तित | |

ह. तुलसीसिंह

व्यवस्थापक,

विशनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., विशनपुरा ।

# परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)

## DISTRICTWISE DETAILS OF FOOD FOR WORK PROGRAMME RAJASTHAN, 1978-79

| S. No. | District | Public Works Deptt. | | | | Irrigation | | | P.H.E.D. | | | Forest | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wheat utilised M.T. | Works New Kms* | Maintenance Kms* | Employment generated (Man-days in lakh) | Wheat utilised M.T. | Works | Emp. gen. (Man-days lakh) | Wheat utilised M.T. | Works. | Emp-gen. (Man-days in lakh) | Wheat utilised M.T. | Works | Emp. gen. (Man-days in lakh) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Jaipur | 953 | 61 | 1915 | 2.86 | 378 | .. | 0.55 | 295 | 5 | 0.33 | .. | .. | .. |
| 2. | Bharatpur | 1042 | 60 | 1449 | 3.13 | 268 | .. | 0.45 | 71 | 1 | 0.07 | 50 | .. | 0.10 |
| 3. | Alwar | 1128 | 41 | 1499 | 3.39 | 500 | .. | 0.75 | 185 | .. | 0.18 | .. | .. | .. |
| 4. | Bikaner | 910 | 58 | 1096 | 2.74 | .. | .. | .. | 470 | 10 | 0.45 | .. | .. | .. |
| 5. | Churu | 606 | 15 | 1296 | 1.82 | .. | .. | .. | 231 | 3 | 0.29 | .. | .. | .. |
| 6. | Sikar | 345 | 75 | 950 | 1.04 | .. | .. | .. | 200 | 3 | 0.19 | .. | .. | .. |
| 7. | Jhunjhunu | 503 | 74 | 654 | 1.51 | .. | .. | .. | 210 | 2 | 0.22 | .. | .. | .. |
| 8. | Ajmer | 843 | 6 | 1676 | 2.53 | 100 | .. | 0.15 | 186 | 1 | 0.18 | .. | .. | .. |
| 9. | S.Madhopur | 1220 | 35 | 1013 | 3.67 | 200 | .. | 0.30 | 50 | .. | 0.05 | .. | .. | .. |
| 10. | Barmer | 553 | 120 | 2094 | 1.66 | .. | .. | .. | 158 | 3 | 0.16 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Jalore | 745 | 18 | 1230 | 2.24 | 600 | .. | 0.85 | 120 | 6 | 0.11 | .. | .. | .. |
| 12. | Nagaur | 272 | 12 | 2068 | 0.82 | .. | .. | .. | 226 | 4 | 0.25 | .. | .. | .. |
| 13. | Jaisalmer | 366 | 2 | 1304 | 1.10 | .. | .. | .. | 100 | 3 | 0.09 | .. | .. | .. |
| 14. | Pali | 1220 | 140 | 1738 | 3.67 | 497 | 1 | 0.70 | 80 | .. | 0.08 | .. | .. | .. |
| 15. | Sirohi | 570 | 6 | 867 | 1.71 | .. | .. | .. | 58 | .. | 0.07 | .. | .. | .. |
| 16. | Jodhpur | 1266 | 49 | 3886 | 3.81 | 670 | .. | 0.95 | 384 | 1 | 0.38 | .. | .. | .. |
| 17. | Jdaipur | 2096 | 49 | 3251 | 6.30 | 1581 | .. | 2.35 | 154 | 2 | 0.16 | 50 | 200 | 0.11 |
| 18. | Chittorgarh | 915 | 75 | 1321 | 2.75 | 230 | 4 | 0.35 | 30 | 5 | 0.03 | 250 | 700 | 0.54 |
| 19. | Banswara | 728 | 57 | 731 | 2.19 | 510 | 1 | 0.75 | 50 | .. | 0.05 | 650 | 1150 | 1.96 |
| 20. | Bhilwara | 766 | 39 | 1363 | 2.30 | 410 | .. | 0.60 | 170 | 3 | 0.16 | .. | .. | .. |
| 21. | Dungarpur | 668 | 83 | 909 | 2.02 | 563 | .. | 0.85 | 50 | 2 | 0.05 | 600 | 1100 | 1.10 |
| 22. | Kota | 1377 | 114 | 1364 | 4.14 | 150 | .. | 0.25 | 100 | 1 | 0.09 | 225 | 340 | 0.44 |
| 23. | Jhalawar | 365 | 14 | 736 | 1.10 | 480 | .. | 0.70 | 80 | 1 | 0.08 | 67 | .. | 0.19 |
| 24. | Bundi | 282 | 102 | 837 | 1.85 | 250 | .. | 0.35 | 61 | 1 | 0.06 | 100 | 360 | 0.05 |
| 25. | Tonk | 524 | 8 | 706 | 1.57 | 138 | .. | 0.20 | 20 | .. | 0.03 | .. | .. | .. |
| 26. | Ganganagar | 526 | 80 | 1386 | 1.58 | .. | .. | .. | 100 | 1 | 0.09 | .. | .. | .. |
| 27. | Others | 39 | .. | .. | 0.12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Total .. | 20828 | 1393 | 37339 | 62.62 | 7525 | 6 | 11.10 | 3839 | 58 | 3.90 | 1992 | 3860 | 4.49 |

*Total achievements attributable to F.F.W. 130 Kms.

## परिशिष्ट 5–(क्रमशः)

| S. No. | District | Relief | | | C.D.P.D. | | | Education | | | C.A.D. Chambal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wheat utilised M.T. | Works | Emp-gen. (man-days in lakh.) | Wheat utilised M.T. | Works | Emp. gen. (man-days in lakh) | Value of funds & wheat total Rs. in lakh | School bldg. works comp-leted | Em-ploy-ment genera-ted (lakhs) | Wheat utilised M.T. | Em-ploy-ment in lakh | Main-te-nance |
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Jaipur | 496 | 138 | 1.40 | 21799 | 4818 | 4.73 | 8.38 | 81 | 0.50 | .. | .. | .. |
| 2. | Bharatpur | .. | .. | .. | 6572 | 1620 | 12.28 | 5.24 | 47 | 0.30 | .. | .. | .. |
| 3. | Alwar | 50 | 7 | 0.14 | 7352 | 2182 | 13.73 | 0.88 | 4 | 0.05 | ... | .. | ... |
| 4. | Bikaner | .. | .. | .. | 3780 | 725 | 7.06 | 0.47 | 5 | 0.02 | .. | ... | ... |
| 5. | Churu | 275 | 40 | 0.78 | 3793 | 727 | 7.09 | 3.16 | 14 | 0.18 | .. | ... | ... |
| 6. | Sikar | 183 | 19 | 0.52 | 10730 | 2373 | 20.04 | 7.60 | 132 | 0.44 | ... | ... | .. |
| 7. | Jhunjhunu | 158 | 31 | 0.45 | 16210 | 2312 | 30.28 | 2.46 | 39 | 0.14 | .. | .. | ... |
| 8. | Ajmer | 750 | 108 | 2.12 | 19375 | 4336 | 36.20 | 6.78 | 100 | 0.40 | .. | .. | ... |
| 9. | S.Madhopur | 78 | 15 | 0.22 | 8700 | 2818 | 16.25 | 2.90 | 45 | 0.16 | ... | .. | .. |
| 10. | Barmer | 222 | 61 | 0.63 | 2130 | 268 | 3.98 | 1.58 | 22 | 0.09 | ... | ... | ... |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Jalore | .. | 1 | .. | 1870 | 606 | 3.68 | 4.54 | 19 | 0.26 | .. | .. | .. |
| 12. | Nagaur | 39 | 6 | 0.12 | 5420 | 2058 | 10.13 | 4.24 | 65 | 0.24 | .. | .. | .. |
| 13. | Jaisalmer | 224 | 35 | 0.63 | 740 | 73 | 1.38 | 1.96 | 18 | 0.11 | .. | .. | .. |
| 14. | Pali | 122 | 19 | 0.34 | 13148 | 1591 | 24.56 | 0.81 | 15 | 0.05 | .. | .. | .. |
| 15. | Sirohi | 100 | 8 | 0.28 | 4280 | 646 | 8.00 | 0.23 | 3 | 0.01 | .. | .. | .. |
| 16. | Jodhpur | .. | .. | .. | 8460 | 1956 | 15.80 | 1.62 | 15 | 0.09 | .. | .. | .. |
| 17. | Udaipur | 7200 | 111 | 20.38 | 13400 | 1991 | 25.04 | 1.62 | 30 | 0.09 | .. | .. | .. |
| 18. | Chittorgarh | 640 | 38 | 1.81 | 5910 | 963 | 11.04 | 1.65 | 33 | 0.09 | .. | .. | .. |
| 19. | Banswara | 2428 | 61 | 6.88 | 3070 | 630 | 5.74 | 2.64 | 14 | 0.15 | .. | .. | .. |
| 20. | Bhilwara | 715 | 70 | 2.02 | 9850 | 2327 | 18.40 | 0.66 | 6 | 0.03 | .. | .. | .. |
| 21. | Dungarpur | 1500 | 44 | 4.25 | 1973 | 466 | 3.68 | 10.50 | 64 | 0.62 | .. | .. | .. |
| 22. | Kota | .. | .. | .. | 12680 | 906 | 23.69 | 3.77 | 20 | 0.22 | 521 | 0.71 | .. |
| 23. | Jhalawar | .. | .. | .. | 5588 | 1037 | 10.44 | 1.53 | 4 | 0.08 | .. | .. | .. |
| 24. | Bundi | .. | .. | .. | 6440 | 1413 | 12.03 | 0.23 | 1 | 0.01 | .. | .. | .. |
| 25. | Tonk | 554 | 94 | 1.57 | 2636 | 738 | 4.93 | 2.44 | 8 | 0.14 | .. | .. | .. |
| 26. | Ganganagar | .. | .. | .. | 1400 | 350 | 2.62 | 1.84 | 10 | 0.10 | .. | .. | .. |
| 27. | Others | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Total .. | 15733 | 904 | 44.54 | 197406 | 40832 | 368.80 | 79.75 | 814 | 4.58 | 521 | 0.71 | .. |

## परिशिष्ठ 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 27 की शिकायत की प्रतिलिपि)

सेवामें,

श्रीमान् जिला विकास अधिकारीजी,
जिला जालोर (राजस्थान) ।

विषय:--भैराराम अध्यापक का स्थानान्तरण करवानें बाबत प्रार्थना ।

मान्यवरजी,

अर्ज । हम ग्रामवासी दांता की मालूम होवे कि :—

1. अध्यापकजी ग्राम दांता का ही रहने वाला है तथा करीब 3 साल से इसी विद्यालय में कार्यरत है।

2. अध्यापकजी यहीं के निवासी होने के नाते कभी भी समय पर विद्यालय नहीं आते हैं तथा शिक्षण कार्य में शिथिलता बरतते हैं ।

3. अध्यापकजी बच्चों से फीज व हर प्रकार के केस में ज्यादतियां बर्ताव करते हैं ।

4. हमारे ग्राम के अनुसूचित छात्रों के साथ छुआछूत का बर्ताव करते हैं ।

5. अध्यापकजी गांव वालों की आपसी पार्टीबाजी में विशेष रुचि रखते हैं तथा आपसी द्वेष भावना का बर्ताव करते हैं ।

6. गांव के निवासी होने के नाते कभी भी समय पर विद्यालय नहीं खोलते हैं तथा अपने घर पर ही रह कर घरेलू कार्य करते रहते हैं ।

7. जब तक अध्यापकजी यहां (इसी विद्यालय में) रहेंगे यहां भवन निर्माण का कार्य नहीं हो सकता क्योंकि अध्यापकजी पर ग्रामवासियों की पूर्ण आस्था नहीं है तथा पार्टीबाजी की भी भावना अध्यापकजी रखते हैं ।

8. अध्यापकजी वार्षिक परीक्षा के समय पर बच्चों से पैसों की वसूली करवाते हैं तथा जो छात्र आनाकानी करता है उसे अनुत्तीर्ण होने की धमकी देते हैं ।

9. बच्चों से सारा दिन पानी वगैरह मंगवाते रहते हैं तथा घरेलू कार्य करवाते रहते हैं ।

10. अध्यापकजी के यहां रहते हुए छात्र वृद्धि में भी रुकावट आती है तथा बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं क्योंकि अध्यापकजी का बर्ताव बच्चों के साथ अच्छा नहीं है।

इस प्रकार श्रीमान्जी से ग्रामवासी पूर्ण आशा के साथ निवेदन करते हैं कि अध्यापकजी का तुरन्त स्थानान्तरण करें ताकि छात्र नियमित रूप से पढ़ने जायें व गांव में शान्ति बनी रहे।

आशा के साथ निवेदन है कि हमारी तुच्छ-सी प्रार्थना पर गौर से ध्यान देवें व ग्रामवासियों को संतुष्ट करें ताकि ग्रामवासियों का भवन निर्माण करवाने में मनोबल बढ़े।

दिनांक 8-7-79

भवदीय सम्पूर्ण ग्रामवासी
ग्राम दांता

———

# परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

वर्ष 1978 एवं 1979 माह अप्रेल से अगस्त तक पंजीबद्ध अपराधों का ब्यौरा

| क्र. सं. | शीर्षक | वर्ष | रिपोर्टेड | अदम वकुआ | 157-बी | अदम पता | अदम सबूत | जेर तफ. | चालान | चालान प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डकैती | 1978 | 56 | 12 | — | 12 | — | — | 32 | 71.11 |
| | | 1979 | 55 | 8 | — | 6 | — | 26 | 15 | 71.43 |
| 2. | लूट | 1978 | 775 | 325 | — | 102 | 9 | 31 | 308 | 73.51 |
| | | 1979 | 601 | 224 | — | 79 | 4 | 32 | 262 | 75.94 |
| 3. | हत्या | 1978 | 362 | 23 | — | 27 | 4 | 66 | 242 | 88.64 |
| | | 1979 | 371 | 19 | — | 25 | 4 | 79 | 244 | 89.38 |
| 4. | नकबजनी | 1978 | 3729 | 289 | 7 | 2394 | 19 | 63 | 957 | 28.34 |
| | | 1979 | 2755 | 194 | 4 | 1586 | 17 | 251 | 703 | 30.43 |
| 5. | पशु चोरी | 1978 | 1021 | 149 | — | 292 | 12 | 129 | 439 | 59.08 |
| | | 1979 | 793 | 113 | — | 215 | 11 | 82 | 372 | 62.21 |
| 6. | अन्य चोरी | 1978 | 5053 | 1032 | 51 | 2149 | 72 | 242 | 1507 | 39.88 |
| | | 1979 | 4668 | 957 | 53 | 2324 | 39 | 69 | 1226 | 33.66 |
| 7. | बलवा | 1978 | 4298 | 1392 | — | 66 | 44 | 238 | 2558 | 95.88 |
| | | 1979 | 3956 | 1131 | — | 49 | 34 | 332 | 2410 | 96.67 |
| 8. | दीगर अप. | 1978 | 13678 | 3000 | 21 | 587 | 280 | 806 | 8984 | 91.00 |
| | | 1979 | 12671 | 2807 | 1 | 510 | 176 | 876 | 8301 | 92.36 |
| | योग . . | 1978 | 28972 | 6222 | 79 | 5629 | 440 | 1575 | 15027 | 70.95 |
| | | 1979 | 25870 | 5453 | 58 | 4794 | 285 | 1747 | 13533 | 72.49 |

# परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 29 की एफ. आई. आर. की प्रतिलिपि)

नकल एफ. आई. आर. थाना गांधीनगर, जिला जयपुर, राजस्थान, जुर्म नं. (सुर्खी में) 37 गैर. वक्त वकूआ अक्टूबर, 1978 अन्तर्गत धारा 420 आई. पी. सी.

To

The S.H.O.,
P.S. Gandhi Nagar, Jaipur.

Sub.—Withdrawal of Rs. 7,200/- by forgery & cheating.

Sir,

My Saving Account No. 4368 stands on the books of the Rajasthan Bank Ltd., University Branch, Jaipur since 8-1-1969. On the evening of the 8th January, 1979 Shri M.R. Sharma an employee of the bank referred to the above reached my residence B-128, Rajendra Marg, Bapunagar, Jaipur, enquirying about me as I was not there he was directed by my younger brother to my shop at Lal Kothi on reaching my shop Shri Sharma enquired from me whether I had a S.B. account in the Rajasthan Bank University Branch, Jaipur. I confirmed it. Then he enquired that whether I had drawn any amount from my account during October, 1978. I refused for the same. Then upon he asked me to come to Bank at 10.30 A.M. on the 9th January'1979. I enquired about the necessity of myself being called there. Then Shri Sharma informed me that some body has drawn a good amount from my account in Oct., 1978. Accordingly I with my father, elder brother reached the Rajasthan Bank, University Branch, Jaipur at the appointed time. There the aforesaid Shri Sharma met us in the office and showed us the withdrawal slip dated 10-10-78 through which Rs. 7,200/- were withdrawn is honestly committing forgery, cheating and impersonotion The withdrawal slip referred to above bears forged signatures pertaining to me and also the counter-signature of Shri Jagannath Pd. Sharma account No. 2369. Thereafter Shri Gupta the Manager of Bank arrived in his office and we were directed to see him. He also showed us the same withdrawal slip same reference. I informed the manager the withdrawal slip did not bear my signatures nor it tallies with my specimen signature given to the Bank. My signature on the withdrawal slip were forged by somebody and attested by a person referred to the above. Finally we parted with the decision of the Branch Manager that he will ring contact us in the evening after taking advice from his head office for further action in the matter.

At about 5.30 P.M. the same day i.e., the 9th January, 79 the Manager and Shri Sharma contacted me at my shop and advised me to lodge a report to him (Bank Manager) Accordingly on 10th January, 1979 the desired report was delivered to the bank Manager after obtaining his signature and the other copy was sent under Registered cover A.D.

The Manager was requested through above referred letter to credit Rs. 7,200/- together with interest to my account under intimation to me.

Four weeks have elapsed but the bank authorities have taken no action although the senior officers of the bank have also been approached personally and through registered letters, but to no effect. The bank has not furnished copy of my account after January, 1977 to enable me to ascertain if any more withdrawals have been made by committing forgery, impersonation and cheating.

The facts narrated above disclose commission of cognizable offences of forgery; cheating and impersonation. It is therefore requested that a case may kindly be registered and investigation taken up. Similar cases of withdrawal by committing forgery, cheating and impersonation have taken place in Rajasthan University Branch, M.I. Road Branch of the Rajasthan Bank.

It will not be out of place to mention here that my account was drawn out and in operative for a long time as such special precautions of comparing my specimen signature with the withdrawal slip should have been taken before making payment which was made without comparing the specimen signature and production of Pass Book as the same is with me without entry of withdrawal of Rs. 7,200/- it is also worth noting that how the person committing forgery, cheating and impersonation came to now my S.B. account number, balances at my credit and the mode of script of my signature etc. Those facts clearly tread one to the fact of complicity of Bank staff in the commission of offence.

I came to know about the withdrawal on 9-1-79 and on the assurance of Manager. I reported the matter to him immediately but he is further deeping me with false assurance. He himself appears to be involved. I have no hope of getting my money from bank. I have been cheated and put to a loss by the bank staff itself it is my belief. Hence, I file this report.

Yours faithfully,
Narender Kumar S/o H.K.Sharma
B-128 Rajender Marg, Bapu Marg, Jaipur.

**कार्यवाही पुलिस**

उपयुक्त रिपोर्ट टाइपशुदा श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री एच. के. शर्मा निवासी बी-128, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर की हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल अक्षरशः की गई । मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 420 आई. पी. सी. का वकु में आना पाया जाता है । अतः मुकद्मा 37 उक्त धारा में कायम कर असल एफ. आई. आर. वास्ते तफतीश बद्रीनारायण ए. एस. आई. के पास बदस्त एफ. सी. गिरी बहादुर 3124 रवाना की गई, जो रपट नं. 518 पर बजाजनगर गये हुए है। प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । एफ. आई. आर. की एक प्रति मुस्तगीस को दी गई ।

ह.

# परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं), जयपुर

तृतीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत अध्यापिकाओं की विद्यालयवार सूची

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उप-जिला शिक्षा अधिकारी | (छात्रा संस्थायें) | जयपुर | प्रथम | 403 |
| 2. | " | | " | द्वितीय | 386 |
| 3. | रा. बा. उ. मा. वि., | बनीपार्क | " | | 26 |
| 4. | " | महाराजा | " | | 25 |
| 5. | " | कमला नेहरू | " | | 13 |
| 6. | " | आदर्शनगर | " | | 6 |
| 7. | " | गणगोरी बाजार | " | | 18 |
| 8. | " | गांधीनगर | " | | 10 |
| 9. | रा. बा. मा. वि., | चौड़ा रास्ता | " | | 6 |
| 10. | " | तेलीपाड़ा | " | | 1 |
| 11. | " | गंगापोल | " | | 1 |
| 12. | " | घाटगेट | " | | 20 |
| 13. | " | रेलवे स्टेशन | " | | 1 |
| 14. | " | फागी | " | नव क्रमोन्नत विद्यालय मूल बजट से कार्यरत। | |
| 15. | " | पानी का दरीबा | " | " | |
| 16. | " | बसवा | " | " | |
| 17. | " | सांगानेर | " | | 1 |
| 18. | " | बांदीकुई | " | | 4 |
| 19. | " | दौसा | " | | 6 |
| 20. | " | लालसोट | " | | 1 |
| 21. | " | शाहपुरा | " | | 4 |
| 22. | " | कोटपूतली | " | | 6 |
| 23. | " | चौमू | " | | 5 |
| 24. | " | किशनगढ़ रेनवाल | " | | 8 |
| 25. | " | फुलेरा | " | | 6 |
| 26. | रा. एन. वी. डी., बाल मन्दिर | | " | | 18 |
| 27. | राज. शिक्षक प्रशिक्षण महिला | | " | | 1 |
| | | | कुल योग | .. | 976 |

ह./–
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्रा संस्थायें), जयपुर।

**कार्यालय जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं), जयपुर प्रथम**

जयपुर जिले में जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं), जयपुर प्रथम के अधीनस्थ विद्यालयों में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापिकाओं की विद्यालय अनुसार संख्याः–

| क्र.सं. 1 | विद्यालय का नाम 2 | | कार्यरत तृ. वे. श्रृं. अध्यापिकाओं की सं. 3 |
|---|---|---|---|
| 1. | रा.बा.उ.प्रा.वि., त्रिपोलिया, | जयपुर | 25 |
| 2. | " | बाबू का टीबा | 24 |
| 3. | " | ब्रह्मपुरी | 9 |
| 4. | " | गंगापोल | 16 |
| 5. | " | पानों का दरीबा | 34 |
| 6. | " | तेलीपाड़ा | 33 |
| 7. | " | आमेर | 16 |
| 8. | " | अचरोल | 5 |
| 9. | " | सामोद | 5 |
| 10. | " | खेजरोली | 3 |
| 11. | " | गोविन्दगढ़ | 8 |
| 12. | " | कालाडेरा | 7 |
| 13. | " | बगरू कलां | 9 |
| 14. | " | साँगानेर | 25 |
| 15. | " | गोनेर | 7 |
| 16. | " | वाटिका | 8 |
| 17. | " | कानोता | 14 |
| 18. | " | बस्सी | 13 |
| 19. | " | तूंगा | शून्य |
| 20. | " | सैंथल | 3 |
| 21. | " | माण्डारेज | 5 |
| 22. | " | सिकन्दरा | 4 |
| 23. | " | गीजगढ़ | 4 |
| 24. | " | सिकराय | 5 |
| 25. | " | कुण्डल | 2 |
| 26. | " | लवाण | 6 |
| 27. | " | बसवा | 6 |
| 28. | " | गुढ़ाकटला | 5 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 29. | रा बा.उ.प्रा वि., | वड़ियाल कलां | 2 |
| 30. | ,, | रामगढ़-पचवारा | 3 |
| 31. | ,, | डिडवाना | 3 |
| 32. | ,, | लालसोट | 7 |
| 33. | ,, | मण्डावरी | 2 |
| 34. | रा.बा.प्रा.वि., | आदर्शनगर | 21 |
| 35. | ,, | घाटगेट | 23 |
| 36. | ,, | मोतीकटला | 21 |
| 37. | ,, | बांदीकुई | 9 |
| 38. | ,, | चौमूं | 11 |
| 39. | ,, | दौसा | 6 |
| 40. | ,, | हरिजन बस्ती, दौसा | 4 |

Sd/—
जिला उप-शिक्षा अधिकारी,
(छात्रा संस्थाएं), जयपुर प्रथम ।

**कार्यालय जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं), जयपुर खण्ड 2**

कार्यालय के अधीनस्थ विद्यालयों में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं की सूची विद्यालयवार निम्न प्रकार है :–

**उच्च प्राथमिक विद्यालय**

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | | कार्यरत अध्यापिकाएं (तृतीय वेतन श्रृंखला) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, | विराटनगर | 4 |
| 2. | " | आंतेला | 4 |
| 3. | " | बिचून | 2 |
| 4. | " | बनेठी | 2 |
| 5. | " | नायला | 10 |
| 6. | " | जोबनेर | 9 |
| 7. | " | दूदू | 6 |
| 8. | " | गोनेडा | 3 |
| 9. | " | बांधी | – |
| 10. | " | नायन | 3 |
| 11. | " | अमरसर | 5 |
| 12. | " | पावटा | 6 |
| 13. | " | प्रयागपुरा | 3 |
| 14. | " | शिवदासपुरा | 7 |
| 15. | " | मेड | 3 |
| 16. | " | भानपुर कलां | 4 |
| 17. | " | मोजमाबाद | 6 |
| 18. | " | माधोराजपुरा | 3 |
| 19. | " | जमवारामगढ़ | 9 |
| 20. | " | करणसर | 3 |
| 21. | " | रेनवाल मांजी | 8 |
| 22. | " | नारायना | 7 |
| 23. | " | घीरू | 2 |
| 24. | " | पचाल | 3 |
| 25. | " | मनोहरपुर | 6 |
| 26. | " | सुंदरपुरा ढाढा | – |
| 27. | " | चांदपोल प्रथम, जयपुर | 29 |

| 1 | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 28. | रा. बा. उ. प्रा. वि., | चांदपोल द्वितीय, जयपुर | 26 |
| 29. | ,, | गणगोरी बाजार, जयपुर | 22 |
| 30. | ,, | दुर्गापुरा, जयपुर | 19 |
| 31. | ,, | झोटवाड़ा, जयपुर | 21 |
| 32. | ,, | रेलवे स्टेशन, जयपुर | 24 |
| | | योग .. | 258 |

**प्राथमिक विद्यालय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, | तोपखाना, जयपुर | 22 |
| 2. | ,, | पुरानी बस्ती, जयपुर | 11 |
| 3. | ,, | हरिजन बस्ती, जयपुर | 10 |
| 4. | ,, | टोंक फाटक, जयपुर | 8 |
| 5. | ,, | गांधीनगर, जयपुर | 20 |
| 6. | ,, | सी-स्कीम जयपुर | 12 |
| 7. | ,, | फुलेरा | 11 |
| 8. | ,, | सांभर | 10 |
| 9. | ,, | कोटपूतली | 7 |
| 10. | ,, | चाकसू | 7 |
| 11. | ,, | फागी | 2 |
| 12. | ,, | किशनगढ़ रेनवाल | 8 |
| | | योग .. | 128 |
| | उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत तृ. वे. श्रृ. अध्यापिकाएं | | 258 |
| | | कुल योग .. | 386 |

ह. शारदा पाठक
जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा),
जयपुर खण्ड 2 ।

## कार्यालय जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्राएं संस्थाएं), जयपुर प्रथम

### अध्यापिकाओं के बकाया वेतन की सूची कारण सहित

| क.सं. 1 | नाम कर्मचारी एवं पद 2 | विद्यालय का नाम 3 | बिल की राशि 4 | पेंडिंग रहने का कारण 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **वेतन एरियर** | | |
| 1. | श्रीमती तारा देवी गौड़ स.अ. | रा.बा.उ.प्रा.वि., गोविन्दगढ़ | 28.71 | देरी से प्राप्त होने के कारण कालातीत की कार्यवाही की जा रही है। |
| 2. | ,, वीणा माथुर ,, | ,, रामगढ़ पचवारा | 141.30 | प्री-आडिट नहीं हुआ। |
| 3. | ,, विमला देवी ,, | ,, मण्डावरी | 156.80 | देरी से प्राप्त होने के कारण कालातीत की कार्यवाही की जा रही है। |
| 4. | ,, विमला परिहार ,, | ,, गुढ़ाकटला | 399.60 | ,, |
| 5. | ,, जगदम्बा देवी ,, | ,, कुण्डल | 281.50 | ,, |
| 6. | ,, सन्तोष देवी ,, | ,, कालाडेरा | 278.47 | ,, |
| | | **चिकित्सा व्यय** | | |
| 7. | ,, तारा देवी ,, | ,, सांगानेर | 38.73 | ,, |
| 8. | ,, केसर देवी ,, | रा.बा.प्रा.वि., पुरानी बस्ती | 47.61 | ,, |
| 9. | ,, रमाकुमारी जैन ,, | ,, हरिजन बस्ती | — | ,, |
| 10. | ,, राजदुलारी ,, | ,, ,, | — | ,, |
| 11. | ,, मधुमती प्रमुणे प्र.अ. | ,, ,, | 164.95 | ,, |
| 12. | ,, कृष्णा देवी शर्मा ,, | ,, दौसा | 29.48 | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | ,, | उर्मिला माथुर | स.अं. | रा.बा.उ.प्रा.वि., | | 33.90 | ,, |
| 14. | ,, | सन्तोष वर्मा | ,, | रा.बा.प्रा.वि., | तोपखाना | 25.97 | ,, |
| 15. | ,, | चन्द्रावत्ती शर्मा | ,, | रा.बा.उ.प्रा.वि., | दुर्गापुरा | 33.90 | ,, |
| 16. | ,, | शुशीला जैकब | ,, | ,, | मोजमाबाद | 23.81 | ,, |
| 17. | ,, | सत्यनाराणी | ,, | ,, | ,, | 66.10 | ,, |
| 18. | ,, | राज मैंदीरता | ,, | रा.बा.प्रा.वि., | फुलेरा | 31.45 | ,, |
| 19. | ,, | मानकवर वर्मा | ,, | ,, | सांभर लेक | 4.30 | ,, |
| | | | | | यात्रा व्यय | | |
| 20. | ,, | चन्द्रावत्ती शर्मा | ,, | रा.बा.उ.प्रा.वि. | मनोहरपुर | 154.06 | ,, |
| 21. | ,, | शारदा ठोलिया | ,, | ,, | लालसोट | 230.60 | ,, |
| 22. | ,, | लक्ष्मी देवी गंभीर | ,, | ,, | वाटिका | 7.20 | ,, |
| 23. | ,, | गोविन्दी देवी | ,, | ,, | गोविन्दगढ़ | 207.05 | ,, |
| 24. | ,, | विमला पारीक | ,, | ,, | त्रिपोलिया | 44.58 | ,, |
| 25. | ,, | प्रेमकान्ता गुप्ता | ,, | ,, | ,, | 32.58 | ,, |
| 26. | ,, | गंगा देवी | स.अ. | रा.बा.प्रा.वि. | मोती कटला | 99.75 | ,, |
| 27. | ,, | रामकुमारी | ,, | रा.बा.उ.प्रा.वि, | मनोहरपुर | 47.08 | ,, |
| 28. | ,, | मधुरलता | ,, | ,, | पानों का दरीबा | 50.54 | ,, |
| 29. | ,, | कौशल कुमारी | ,, | ,, | मनोहरपुर | 237.40 | ,, |
| 30. | ,, | विमला माथुर | ,, | ,, | मण्डावरी | 26.04 | ,, |
| 31. | ,, | कृष्णा मेहता | ,, | ,, | वाटिका | 214 00 | ,, |
| 32. | ,, | कृष्णा मेहता | ,, | ,, | ,, | 203.20 | ,, |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | श्रीमती | गुताली देवी | स.अ. | रा.बा.उ.प्रा.वि., | भाण्डारेज | 207.80 | बोण्ड के अभाव में । |
| 34. | ,, | स्नेहलता | ,, | ,, | सिकराय | 78.85 | ,, |
| 35 | ,, | कमलेशकुमारी | ,, | ,, | बसवा | 212.70 | ,, |
| 36. | ,, | शम्मीरानी | ,, | ,, | पानों का दरीबा | 131.20 | ,, |
| 37. | ,, | लज्जावली | ,, | ,, | कानोता | 229.76 | ,, |
| 38. | ,, | कृष्णादेवी | ,, | ,, | डीडवाना | 350 00 | ,, |
| | | | | | **वेतन एरियर** | | |
| 39. | ,, | आचुकी गहलोत | ,, | ,, | गंगापोल | 661.22 | प्री चैक हेतु । |
| 40. | ,, | शारदा घण्डयोक | ,, | ,, | गणगौरी बाजार | 2923.47 | ,, |
| 41. | ,, | उमा कानूनगो | ,, | ,, | ,, | 596.97 | ,, |
| 42. | ,, | राज मित्रा | ,, | ,, | त्रिपोलिया | 47.00 | ,, |
| 43. | ,, | प्रेमकाँता | ,, | ,, | ,, | 11.65 | ,, |
| 44. | ,, | सावित्री देवी | ,, | ,, | दुर्गापुरा | 60.00 | ,, |
| 45. | ,, | मधुर माथुर | ,, | ,, | पानों का दरीबा | 55.18 | ,, |
| 46. | ,, | किरन बाजपेयी | ,, | रा. प्रा. वि., | बांदीकुई | 1430.00 | ,, |
| 47. | ,, | कमला शमम | ,, | ,, | सांमर लेक | 924.00 | ,, |
| 48. | ,, | सुशीला आत्रेय | ,, | रा. बा. उ. प्रा. वि., | नायन | 534.23 | ,, |
| 49. | ,, | केशरदेवी | प्र.अ. | ,, | पुरानी बस्ती | 300.00 | ,, |
| 50. | ,, | सरोज कुलश्रेष्ठ | ,, | ,, | वाटिका | 57.26 | ,, |
| 51. | ,, | श्यामा कपूर | स.अ. | ,, | नायन | 360.00 | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ,, | गुलावबाई | सेविका | रा.वा.प्रा.वि., | मोतीकटला | 140.00 | ,, |
| 53. | ,, | मनोरमा देवी | स.अ. | ,, | चौमू | 192.50 | |
| 54. | ,, | प्रेमदेवी | प्र.अ. | ,, | ,, | 840.60 | ,, |
| 55. | ,, | गैंदीवाई | स.अ. | ,, | ,, | 560.00 | ,, |
| 56. | ,, | गंगा देवी | ,, | रा.वा.उ.प्रा.वि., | वाटिका | 170.00 | ,, |
| 57. | ,, | राजकुमारी | ,, | ,, | ग्रामेर | 369.69 | ,, |
| 58. | ,, | राजदुलारी | ,, | ,, | बगरु | 582.54 | रिकार्ड की अनुपलब्धता |
| 59. | ,, | सरजूदेवी | सेविका | ,, | कानोता | 328.37 | ,, |
| 60. | ,, | मार्गेट मसीह | स.अ. | ,, | गंगापोल | 274.25 | ,, |
| 61 | ,, | किरन वाजपेयी | ,, | रा.बा.उ.प्रा.वि., | बांदीकुई | 709.00 | ,, |
| 62. | ,, | सविता पारीक | ,, | ,, | तेलीपाड़ा | 68.56 | ,, |
| 63. | ,, | भगवतराय | ,, | रा.बा.प्रा.वि., | तेलीपाड़ा | 1007.00 | ,, |
| 64. | ,, | सुरेन्द्रकुमारी | ,, | ,, | ,, | 343.25 | ,, |
| 65. | ,, | गुलालीदेवी | ,, | ,, | ,, | 897.51 | ,, |
| 66. | ,, | निर्मला सिन्हा | ,, | ,, | ,, | 1367.80 | ,, |
| 67. | ,, | कलावती शर्मा | ,, | ,, | पानों का दरीबा | — | ,, |
| 68. | ,, | गोदावरी सिन्धु | ,, | रा.प्रा.वि., | बांदीकुई | 4156.05 | ,, |
| 69. | ,, | लक्ष्मी देवी | ,, | रा.बाउ.वि., | त्रिपोलिया | 304.20 | ,, |
| 70. | ,, | रामेश्वरी | ,, | रा.बा.मा.वि., | तेलीपाड़ा | 5526.00 | ,, |
| 71. | ,, | सुशीला | ,, | रा.बा.उ.प्रा.वि., | त्रिपोलिया | 60.81 | ,, |
| 72. | ,, | परमेश्वरी | ,, | रा.बा.मा.वि., | तेलीपाड़ा | 1683.50 | ,, |
| 73. | ,, | शीला माथुर | ,, | ,, | ,, | 223.75 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 74. श्रीमती | दयावन्ती स.अ. | रा बा.मा.वि., घाटगेट | 1310.52 | रिकार्ड की अनुपलब्धता। |
| 75. ,, | चन्द्रकला ,, | ,, ,, | 398.50 | ,, |
| 76. ,, | चन्द्रकला शर्मा ,, | ,, ,, | 63.00 | ,, |
| 77. ,, | विमला ,, | ,, ,, | 779.81 | ,, |
| 78. ,, | गोविन्दी ,, | ,, पानों का दरीबा | — | |
| 79. ,, | गोविन्दी देवी ,, | ,, घाटगेट | — | |
| 80. ,, | भोरी देवी ,, | ,, ,, | — | |
| 81. ,, | वसन्ती वर्मा ,, | ,, ,, | 75.04 | ,, |
| 82. ,, | विमला ,, | ,, तेलीपाड़ा | 22.14 | ,, |
| 83. ,, | उम्मेदबाई ,, | ,, घाटगेट | 153.30 | ,, |
| 84. ,, | पुष्पा ,, | ,, ,, | 438.66 | ,, |
| 85. ,, | सावित्री पारीक,, | रा बा.प्रा.वि , मोतीकटला | 202.90 | ,, |
| 86. ,, | ललिता श्रीवास्तव | रा.बा.मा.वि., पानों का दरीबा | 1525.50 | ,, |
| 87. ,, | सुदर्शन सहदेव ,, | ,, तेलीपाड़ा | 577.50 | ,, |
| 88. ,, | मंजुलता ,, | रा.बा.उ.प्रा.वि., सिकन्दरा | 241.60 | देरी से प्रस्तुत करने के कारण। |

इनका अतिशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अतारांकित प्रश्न सं० 48 में जो विभिन्न मदों की बकाया प्रकरणों की सूची दी गई है इनके अलावा मेरी जानकारी के मुताबिक दिनांक 25-9-79 तक इस कार्यालय में अवशेष नहीं है। सूची में उन्हीं अध्यापिकाओं के नाम सम्मिलित किये गए हैं जो इस कार्यालय के अधीनस्थ प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत है।

ह०/—
जिला उप-शिक्षा अधिकारी
(छात्रा संस्थाएं), जयपुर प्रथम।

कार्यालय जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं) जयपुर

बकाया इस कार्यालय के अधीनस्थ बालिका उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं के बकाया वेतन/वेतन वृद्धि एरियर आदि का विवरण।

| क्रम संख्या | नाम अध्यापिका मय पद | | कार्यरत स्थान | बकाया राशि का प्रकरण | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती अरुणा सिंहल स.अ. | रा.बा.प्रा वि. | सी स्कीम, जयपुर | वेतन एरियर | 472.00 |
| 2. | ,, कमला बृजवासी स.अ. | ,, | झोटवाड़ा, जयपुर | ,, | 440.30 |
| 3. | ,, उषा रानी स.अ. | ,, | गांधीनगर | ,, | 766.38 |
| 4. | ,, अमिता खातून स.अ. | ,, | किशनगढ़-रेनवाल | ,, | 269.58 |
| 5. | ,, सरजूबाई स.अ. | ,, | फुलेरा | ,, | 475.00 |
| 6. | ,, चन्द्रकान्ता शर्मा स.अ. | ,, | तोपखाना, जयपुर | ,, | 20.00 |
| 7. | ,, चन्द्रावती शर्मा स.अ. | ,, | सिन्धी केम्प, जयपुर | ,, | 110.00 |
| 8, | ,, मनोहर सम्परिया स.अ. | ,, | 'सी' स्कीम जयपुर | ,, | 10.00 |
| 9. | ,, आशा कुमारी स.अ. | ,, | जोबनेर | ,, | 30.00 |
| 10. | ,, अशामा शर्मा स.अ. | ,, | दूदू | ,, | 758.00 |
| 11, | ,, कैलाश शर्मा स.अ. | ,, | नरेना | ,, | 383.00 |
| 12, | ,, गायत्रीदेवी शर्मा स.अ. | ,, | बवाट | ,, | 275.00 |
| 13. | ,, आशारानी सिंहल स.अ. | ,, | जोबनेर | ,, | 60.00 |
| 14. | ,, सुशीला शर्मा स.अ. | ,, | माधोराजपुरा | ,, | 1257.00 |
| 15. | ,, सन्ध्यादेवी स.अ. | ,, | मोजमाबाद | ,, | 20 08 |
| 16. | ,, प्रेमदेवी स.अ. | ,, | कोटपूतली | ,, | 75.00 |
| 17. | ,, कौशल्या अरोड़ा स.अ. | ,, | शिवदासपुरा | ,, | 636.00 |

नोट:- उपरोक्त बिल माह सितम्बर, 79 में ही प्राप्त हुए हैं जिन्हें अगले माह में ही निबटा दिया जायगा।

ह. शारदा पाठक
जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा),
जयपुर खण्ड-2

## कार्यालय जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं) जयपुर द्वितीय

कार्यालय के अधीन कार्यरत अध्यापिकाओं के बकाया यात्रा भत्तों (टी. ए. एवं डी. ए.) की सूची

| नाम अध्यापिका | | शाला का नाम | अवधि | मद | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती गुलशन लाम्बा | स.अ. | रा.क.मा.वि., चाकसू | 1-4-78 से 4-79 | प्रा.वि. | 44.00 |
| श्रीमती मनोरमा अरोड़ा | स.अ. | गणगौरी बाजार, जयपुर | 1-8 से 6-8 | प्रा.वि. | 76.00 |
| श्रीमती उमा सेंगर | म प्र. | उ.प्रा.वि., अमरसर | 18-7 से | उ.प्रा.वि. | 27.25 |

ह. शारदा पाठक<br>
जिला उप-शिक्षा अधिकारी<br>
(छात्रा संस्थाएं) जयपुर द्वितीय